दशम माला, खंड

बुधवार, 4 मार्च, 1993
13 फाल्गुन, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

छठा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरूवार, 4 मार्च, 1993/13 फाल्गुन, 1914 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
1	3	"म0प0" के स्थान पर "म0पू0" पढ़िये।
1	नीचे से 6	"पुवतुपुजा" के स्थान पर "मुवत्तुपुजा" पढ़िये।
37	2	"श्री संदीपान भगनाग थोरात" के स्थान पर "श्री संदीपान भगवान थोरात" पढ़िये।
43	नीचे से 5	"डा0एच0के0पटेल" के स्थान पर "डा0ए0के0पटेल" पढ़िये।
59	नीचे से 7	"(क)" के स्थान पर "(क) से (घ)" पढ़िये।
60	16	"(ख) और (ख)" के स्थान पर "(ख) और (ग)" पढ़िये।
88	8	"(क) से (ख)" के स्थान पर "(क) से (ग)" पढ़िये।
104	21	"(क) के स्थान पर "(क) से (ग)" पढ़िये।
109	9	"(ख)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये।
123	18	"(य)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
209	नीचे से 11	"महोदर" के स्थान पर "महोदय" पढ़िये।

विषय सूची

दशम माला, खंड 18, छठा सत्र, 1993/1914 (शक)

अंक 10, गुरुवार, 4 मार्च, 1993/13 फाल्गुन, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—18
*तारांकित प्रश्न संख्या : 141, 143, 144 और 146 से 148	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	18—206
तारांकित प्रश्न संख्या : 142, 145 और 149 से 160	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1469 से 1520 और 1522 से 1639	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	206—209
लोक लेखा समिति	209
इकतालीसवां और तैंतालीसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
नियम 377 के अधीन मामले	209—213
(एक) आयुर्वेदिक औषधियों में प्रयुक्त होने वाले फूलों के पौधों की किस्मों को लुप्त होने से बचाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता	
श्री गोपीनाथ गजपति	209—210
(दो) सूरत और भुसावल के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण की आवश्यकता	
श्री छीतूभाई गामीत	210
(तीन) उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में रेल फाटक पर उपरि पुल का निर्माण करने की आवश्यकता	
श्री प्रभु दयाल कठेरिया	210—211

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(चार) उत्तर प्रदेश के पौड़ी और चमोली जिलों के औद्योगिकीकरण की आवश्यकता

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी 211

(पांच) केरल सरकार को किसानों से कच्चे काजू की खरीद के लिए निदेश देने की आवश्यकता

श्री एम० रमन्ना राय 211—212

(छ:) तिरुअनंतपुरम दूरदर्शन (केरल) को उपग्रह जोड़ने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री ई० अहमद 212

(सात) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) के कार्यकरण में सुधार किए जाने की आवश्यकता

कुमारी ममता बनर्जी 212

(आठ) बिहार के रोहतास, भभुआ और बक्सर जिलों में केन्द्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालय खोलने की आवश्यकता

श्री राम प्रसाद सिंह 212—213

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 213—263

श्री मोहन रावले 213—216

श्री पवन कुमार बंसल 216—221

श्री सोमनाथ चटर्जी 221—233

श्री सत्यदेव सिंह 233—241

श्री चिरंजी लाल शर्मा 241—250

श्रीमती विजयराजे सिंधिया 250—256

श्री अनादि चरण दास 256—263

लोक-सभा

गुरुवार, 4 मार्च, 1993/13 फाल्गुन, 1914 (शक)

लोक सभा 11 म० प० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

रसोई गैस की कमी

*141. श्री पी० सी० थामस :

श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में और देश के अन्य भागों में रसोई गैस की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) एल० पी० जी० की जरूरत को कमोबेश पूर्ण रूप से पूरा किया जा रहा है। तथापि कानून और व्यवस्था की स्थिति, हड़ताल, परिवहन समस्याओं आदि के कारण अस्थायी बकाया हो सकता है। विद्यमान स्रोतों की क्षमता को बढ़ाकर, नए स्रोतों को शुरू करके तथा समानान्तर विपणन प्रणाली के तहत निजी क्षेत्र तथा तेल कम्पनियों द्वारा आयात के माध्यम से देश में एल० पी० जी० की उपलब्धता में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुझा) : महोदय, रसोई गैस के कनेक्शनों की मांग बढ़ रही है, यहां तक कि गांवों में इनकी मांग बहुत बढ़ रही है। उत्तर से और रिपोर्टों से यह पता चलता है कि गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा आयात को भी अनुमति दी जा रही है। इससे भारत में सभी स्थानों पर रसोई गैस की पर्याप्त सप्लाई में मदद मिलेगी। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उन स्थानों पर जहां मांग अधिक है, वितरण प्रणाली की स्वीकृति के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा (अमेठी) : महोदय, वास्तव में प्रश्न के दो भाग है। पहला भाग भोग

के बारे में है जो निरन्तर बढ़ रही है। यह सच है कि जितनी हम सप्लाई करने में समर्थ हैं मांग उससे अधिक है। स्पष्टत: इसी कारण हमने इसके लिए समानान्तर विपणन को चुना है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य से वास्तविक स्थिति जानना चाहता हूं। यदि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए रसोई गैस के लिए आर्थिक सहायता देते तो हमें कुछ बाधाएं आतीं उदाहरण के लिए पत्तनों, जिनसे रसोई गैस का आयात किया जाता है, आयात के लिए पर्याप्त क्षमता। उपलब्ध नहीं है। इस समय हम मुख्यत: रसोई गैस विशाखापत्तनम और मुम्बई पत्तन से आयात कर रहे हैं। उदाहरणार्थ नौसैनिक बेस होने के कारण विशाखापत्तनम का उपयोग केवल सप्ताह के अन्तिम दिनों में किया जा सकता है।

वर्ष 1992-93 में रसोई गैस का उत्पादन 2.584 एम०एम० टी० था, आयात 0.380 एम० एम० टी० था और कुल उपलब्धता 2.96 एम० एम० टी० थी। यदि हम अपने आपको असुरक्षित क्षेत्र तक ही सीमित रखते हैं और रसोई गैस वितरण के लिए पहले से दिए गए कनेक्शनों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सहायता देते हैं—तो 2.914 एम० एम० टी० की मांग है। मांग फिर भी बनी हुई है और प्रतीक्षा सूची में वृद्धि हो रही है। इसके लिए हम कदम उठा रहे हैं। इसमें मंगलौर कांडला में नई पत्तन क्षमताएं स्थापित करना शामिल है। यह सरकार के विचाराधीन है और घरेलू उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है। हमें विश्वास है कि 1996-97 तक हमारी स्थिति अधिक अच्छी हो जाएगी। इस समय हम प्रतिवर्ष केवल 7.75 लाख की प्रतीक्षा सूची को पूरा करने में समर्थ हैं, अगले वर्ष यह क्षमता 10 लाख हो जाएगी और 1994-95 से हम प्रतिवर्ष 40 लाख की प्रतीक्षा सूची को पूरा करवाने में समर्थ होंगे। वर्ष 2000 तक हम सम्पूर्ण प्रतीक्षा सूची जोकि इस समय 1 करोड़ है, को पूरा कर देंगे।

श्री पी० सी० थामस : कुछ स्थानों पर जहां एजेंसियों, वितरण प्रणाली को पहले ही स्वीकृति दे दी गई है लेकिन आवेदकों को निमंत्रित नहीं किया है या ऐसे थी स्थान हैं जहां आवेदकों को निमंत्रित किया गया है फिर भी कुछ कारणों से किसी को भी एजेंसियां, वितरण का कार्य नहीं दिया गया है। इन स्थानों पर लोग काफी लम्बे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है कि उन्हें यह तत्काल उपलब्ध हो जाएंगी। अब यह लोग इस कारण निराश हो रहे हैं कि आवेदन पत्र भी मांगे नहीं गए हैं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के दो उदाहरण दे सकता हूं—(1) केरल के कोट्टयम जिले में इरेट्टूपेटा (2) केरल के इर्नाकुलम जिले में कुथाटूकूलम। मैं यह दो उदाहरण सीधे मंत्री महोदय को यह बताते हुए दे सकता हूं कि यह दो ऐसे स्थान हैं जहां वितरण कार्य के लिए लगभग चार वर्ष पहले मंजूरी दे दी गई थी लेकिन आवेदन पत्र अभी भी मंगाए नहीं जा रहे हैं।

क्या मंत्री महोदय कृपया देखेंगे कि इन दो स्थानों से आवेदन पत्र मंगाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं और उन स्थानों पर रसोई गैस वितरण की सुविधा दी जाए जहां स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वितरणशिप के लिए हमने विशेष मार्गनिर्देश जारी किए हैं। लेकिन यदि इनके पास कोई विशेष मामला है तो वह इसे मेरे ध्यान में ला सकते हैं और मैं अवश्य ही इस सम्बन्ध में जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मुम्बई शहर और महाराष्ट्र में एल० पी० जी० ग्राहकों की कितनी वेटिंग लिस्ट है? जो एल० पी० जी० प्लांट

चैम्बूर में है, क्योंकि शिफ्ट करने के लिए आपने अलग-अलग रीजन दिए, कोयम्बत्तूर में एल० पी० जी० प्लांट बाहर से शिफ्ट किया, बम्बई और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा वेटिंग लिस्ट है क्या वहां नया प्लांट खोलने का सरकार विचार रखती है ?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : मैं महाराष्ट्र की वास्तविक स्थिति का पता लगा सकता हूं और इसे माननीय सदस्य को भेज दूंगा लेकिन महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं विशेष रूप से मुम्बई नगर की स्थिति के लिए शायद जानकारी होगी कि हमने हाल ही में मुम्बई के लिए गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की है जिससे लगभग 6-7 लाख नए उपभोक्ताओं को लाभ होगा। यह परियोजना चालू है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रसोई गैस का मामला है, इसलिए लेडी मैम्बर पूछना चाहती हैं।

श्रीमती भावना चिखलिया : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी। रसोई गैस का मामला है जो महिलाओं के नजदीक का मामला है। उनको बहुत परेशानी हो रही है। पहले इसके भाव बढ़ा दिए, अब केरोसीन के लिए इतनी लम्बी लाइनों में खड़े होना पड़ता है कि बहुत परेशानी होती है। क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो गैस जलाई जाती है, बोम्बे हाई में करोड़ों रुपये की गैस जलाई जाती है उसका इस्तेमाल रसोई गैस हेतु करने के लिए कोई कार्यक्रम क्या बनाया है ?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, अब हम रसोई गैस से गैस की बात करते हैं। एक बार किए मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्य के प्रश्न के दो भाग हैं।

जहां तक पहले भाग का सम्बन्ध है हमें उन कठिनाइयों की जानकारी है जिनका हमारे लोगों को मिट्टी के तेल खरीदते समय सामना करना पड़ता है। पृष्ठभूमि यह है कि मिट्टी के तेल की अत्यधिक मात्रा जोकि लक्षित वर्ग समाज के असुरक्षित वर्ग प्राप्त होनी चाहिए, उन्हें यह प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि यह दूरी जगह पहुंच रहा है क्योंकि मिट्टी के तेल पर आर्थिक सहायता बहुत अधिक है इसलिए इसका प्रयोग जो जल में मिलावट करने के लिए किया जाता है; इसे काले बाजार में बेचा जाता है। यह सच है और यही कारण है कि हम समानान्तर विपणन प्रणाली है शुरू कर रहे हैं जिससे बाजार में मिट्टी के तेल की अतिरिक्त सप्लाई होगी। हम गैर सरकारी क्षेत्रों को अतिरिक्त सप्लाई की अनुमति देंगे ताकि यह जो गलत लोगों को सप्लाई हो रही है, वह न हो। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी; बाजार द्वारा मांग और पूर्ति पर असर पड़ता है—जहां तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है, जब पूर्ति अधिक होगी तो इससे निश्चित रूप से स्थिति में सुधार होगा।

उनका दूसरा प्रश्न गैस के फैलने से सम्बन्धित है। क्या हम गैस के फैलने को रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं। मुझे आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि गैस के फैलने को रोकने के लिए एक व्यापक योजना है जोकि बहुराष्ट्रीय एजेन्सियों की मदद से कार्यरत है यह 3.2 बिलियन डालर की परियोजना है जोकि पहले से ही चल रही है। इसके पूरा हो जाने के बाद इससे स्थिति में काफी सुधार होगा।

श्रीमती सुशीला गोपालन : रसोई गैस की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार दक्षिणी ग्रिड की स्थापना के प्रश्न पर विचार करेगी जिससे केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को मुम्बई हाई में फैली गैस का प्रयोग करने से लाभ होगा ?

केरल विद्युत बोर्डों द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया था जिसमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड भी भाग ले सकते हैं। काफी-काफी हद तक रसोई गैस की सप्लाई की समस्या को सुलझाने में मदद मिलेगी। इसलिए क्या सरकार दक्षिणी गैस ग्रिड की स्थापना पर विचार करेगी ?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : सरकार ने सिद्धान्तः रूप से दक्षिण गैस ग्रिड की स्थापना को पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी है।

मैं एक अच्छी खबर आप सबको सुनाना चाहता हूं। मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि रेवा फील्ड आफ शोर कृष्णा गोदावरी परियोजना ने 3-3-1993 को 11·50 बजे से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। इस समय दो तेल कुएं हैं। इस समय यह कार्य बन्द है। यह पहली बार है कि दूरवर्ती पूर्वी समुद्र तट से उत्पादन कार्य शुरू हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा है।

मद्य नीति

+

*143. **श्री के० चोक्का राव :**

श्री परसराम भारद्वाज : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में मद्य नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इन दिशा-निर्देशों का पालन किया है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० वी० तंगकाबालू) : (क) जी, हां।

(ख) दिशा-निर्देशों की मुख्य-मुख्य विशेषताओं का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप ने संघ सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित किया है।

विवरण

दिशा-निर्देशों की मुख्य-मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(1) आदिवासी क्षेत्रों में शराब की वाणिज्यिक बिक्री को समाप्त किया जाए।

(2) अनुसूचित जनजातियों को घरेलू तथा धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर उपयोग के लिए उनको पारंपरिक शराब बनाने की अनुमति प्रदान की जाए।

(3) अनुसूचित जनजातियों को शराब पीने की आदत से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयास किए जाएं और इस प्रयोजन के लिए सरकारी और गैर-सरकारी स्वयंसेवी संगठनों को आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री जे० चोक्का राव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा उन्होंने कहा कि कुछ स्टेट्स में गाइड लाइन इम्पलीमेंट होती हैं। 1974 में एक गाइड-लाइन भारत सरकार ने स्टेट्स को भेजी है और तब से अब तक भारत सरकार ने इस इम्पलीमेंटेशन के लिए क्या कदम उठाया है। नाम के वास्ते इम्पलीमेंटेशन कह रहे हैं और ट्राइबल्स ही नहीं बल्कि और जो ज्यादा विकर सैक्शन है, ये अर्क का ट्रेक्टर्स के एक्सप्लायटेशन से माली हालत से, हैल्थ से और समाजी हालत से दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं। इस शोषण को रोकने की काफी आवश्यकता है। नाम के वास्ते हम गाइड लाइंस बता दें और इस तरह के जवाब दें तो इससे काम नहीं चलेगा। सरकार सही कदम उठाए और कामरेड लोगों की कमेटी बनाए चाहे ये आफीशियली हों या नान आफीशियली हों, लेकिन ये प्रोहिबिशन में विश्वास रखते हों और ट्राइबल्स की उन्नति में विश्वास रखते हों, उनकी समिति बनाकर यह देखा जाए कि क्या खामियां हैं और कैसे अमल होगा। समिति के सुझावों को लेकर सही तरह से अमल करना चाहिए। क्या सरकार इस प्रकार के ठोस कदम उठाने का आश्वासन देगी ?

[अनुवाद]

श्री के० वी० तंगकाबालू : महोदय, केन्द्र सरकार ने इससे पहले भी तीन बार दिशानिर्देश जारी किए हैं। एक बार तो 1975 में जारी किए थे न कि 1974 में। दूसरी बार ये दिशानिर्देश 21 सितम्बर 1981 को और बाद में 16 सितम्बर 1991 को जारी किए गए थे।

चूंकि इसमें राज्य सरकारें भी शामिल हैं, अतः हमने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे प्रभावी रूप में दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करें।

[हिन्दी]

श्री जे० चोक्का राव : पत्र लिखने से काम नहीं चलेगा, यह बताएं कि कहां तक अमल हो रहा है। ट्राइबल एरिया में ट्राइबल्स के नाम पर ताड़ी सोसायटीज बनी हैं यहां भी दूसरे लोग इनका शोषण कर रहे हैं। जिससे काफी नुकसान हो रहा है। आंध्र प्रदेश में महिलाओं ने संगठित होकर नशाबंदी के लिए आन्दोलन छेड़ा है, सदन के सदस्य भी इस बात को जानते हैं कि कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है लेकिन राज्य सरकार अपनी इनकम के लिए प्रोहिबिशन नहीं कर पा रही है। यही नहीं, जो नाजायज शराब बनाने वाले ठेकेदार हैं ये भी ट्राइबल्स का शोषण करते हैं, यह लॉबी चीफ मिनिस्टर को उतारने और बनाने का काम भी काम करते हैं। केसरीजी जो गांधीजी के सिद्धांतों को मानने वाले हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने वाले हैं ? जहां तक आमदनी की बात है मेरा आग्रह है कि जो राज्य प्रोहिबिशन अमल करने के लिए कदम उठाएं, उन्हें केन्द्र को पचास प्रतिशत राहत देने के लिए कदम उठाए फार्मल जवाब देने के बजाय वरिष्ठ मंत्री केसरीजी से हम आश्वासन चाहते हैं कि वीकर सेक्शन के लिए आप सही कदम उठाने का आश्वासन दें।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक आदिवासियों के एरिया का प्रश्न है उन जगहों पर किसी तरह की लीकर बेचने का विरोध है, प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश में भी आदिवासियों के एरिया में यह प्रतिबंध है और इन सभी जगहों के लिए एक विशेष तरह का निर्देश भी है और शिड्यूल के अन्तर्गत जो पैरा 3 है उसके अन्तर्गत राज्यपाल को भी पावर है, केन्द्रीय सरकार ने भी इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। जहां तक नशाबंदी का प्रश्न है, मैं चोक्का रावजी पूर्णतः से सहमत हूं कि इस देश में नशाबंदी होना कई दृष्टिकोण से अनिवार्य है। इसके अलावा मैं यह भी बता देना चाहता हूं

कि इस देश में हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं जिससे नशाबंदी हो, मगर दुःख के साथ कहना पड़ता है जिन लोगों के हाथ में नशाबंदी का प्रबंध है उनके हाथ भी इतने मजबूत नहीं हैं जिसकी वजह से पूर्णरूप से नशाबंदी हो। जहां तक आंध्र प्रदेश के मसले को इन्होंने उठाया है तो मैंने एक बार नहीं अनेक बार यह कहा है कि महिलाओं के विरोध का जो प्रश्न है मेरी उनके साथ सहानुभूति है।

अध्यक्ष जी, जहां तक प्रादेशिक सरकार का सम्बन्ध है, जहां तक विरोध का प्रश्न है तो महिलाओं के साथ हमारी हमदर्दी होते हुए भी हमारी असमर्थता यह है कि यह मामला प्रादेशिक सरकार से सम्बन्धित है। मैं चाहूंगा कि प्रादेशिक सरकार इस ओर कदम उठाए जिसमें बहिनें जाएं जो उनकी मांग है उसमें कमी हो। सरकार की जो आर्थिक स्थिति है, वह सरल रहे मगर इस दिशा में कदम उठायेंगे तो उसमें हमारा सहयोग, समर्थन और हमदर्दी जरूर रहेगी।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है उसमें लीकर पॉलिसी के सम्बन्ध में जो गाईडलाइन्स इश्यू की हैं उसमें कई राज्यों, केन्द्र प्रशासित प्रदेशों का नाम दिया है कि उस पॉलिसी का पालन किया है लेकिन इसमें बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल का जिक्र नहीं है। इन प्रदेशों में मुख्य रूप से झारखण्ड इलाका आता है तो इन इलाकों में लीकर पॉलिसी की गाईडलाइन्स इश्यू की गई है तो उनको लागू किया जा रहा है या नहीं। इन आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक उन्नयन के लिए लीकर पालिसी की गाईडलाइन्स के इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में इस पालिसी की अनुपालना हो, सरकार कौन सी कार्यवाही कर रही है?

श्री सीताराम केसरी : माननीय अध्यक्ष जी, दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां तक बिहार सरकार का सम्बन्ध है, शायद उन्होंने अभी तक आदिवासी एरियाज में प्रोहीबिशन को इन्ट्रोड्यूस नहीं किया है, जो उनको करना चाहिए···

श्री नीतीश कुमार : शायद का क्या मतलब ?

श्री सीताराम केसरी : शायद इसलिए कह दिया कि शायद उन्होंने किया है या किया नहीं है, ठीक है। जहां तक बिहार सरकार का सवाल है नहीं किया है, जहां तक गुजरात सरकार का प्रश्न है, वहां पूर्ण रूप से प्रोहीबिशन है, मध्यप्रदेश में आदिवासी एरियाज में निषेध किया है और साथ-साथ सरकारी दुकान खोलने की बात भी कही जिसके लिए मैं उनके पास राय भेजने जा रहा हूं कि सरकार आदिवासी एरियाज में दुकान न खोले। जहां तक पश्चिमी बंगाल का प्रश्न है, उन्होंने कई जगहों पर किया है मगर जिस रूप में करना चाहिए, उस रूप में नहीं किया। इसलिए इस दिशा में मैं उनको गाईडलाइन्स भेजूंगा। (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : श्रीमन्, हम यह जानना चाहते हैं कि यदि नहीं किया है तो कौनसी कार्यवाही कर रहे हैं? यह तो आप बताइए।

श्री सीताराम केसरी : एक चीज मैंने यह कही कि यह प्रादेशिक सरकार से सम्बन्धित है। जहां तक हमारी गाईडलाइन्स का प्रश्न है, मैं निश्चित रूप से उनको अपनी गाईडलाइन्स पुनः भेजूंगा। उसके अलावा मैं डायरेक्शन्स भी दूंगा।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसाकि इन्होंने कहा कि हमने 1975 में ट्राईबल एरियाज के लिए नीति बनायी है और उस नीति में

यह बात क्लीयर है कि आदिवासी अपने उपयोग के लिए शराब निकालें, बाकी कोई कांट्रेक्टर उस झोन में न जाये। इन्होंने दूहरी पालिसी बनायी। मैं अपनी कांस्टीट्यन्सी के बारे में बताऊं कि सारे आदिवासियों ने शराब छोड़ दी है। कांट्रेक्टर फ्री में दारू पिलाये कि इनकी आदत बन जाये कि वे पीना सीख जायें। इस तरह से फ्री दारू दे रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस दुहरी नीति को खत्म करने के लिए आपकी क्या नीति है ताकि कांट्रेक्टर ट्राईबल एरियाज में न घुसें। राज्य सरकार अपनी इनकम बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपये का ठेका देती है और गरीब आदिवासियों को शराब पिला-पिलाकर और गरीब बनाये रखना चाहती है, उनका विकास नहीं होने देना चाहती है। इसलिए इस दुहरी नीति को समाप्त करने हेतु कि कांट्रेक्टर ट्राईबल एरियाज में न जाएं, उसके बारे में आपका क्या कार्यक्रम है ?

श्री सीताराम केसरी : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य महोदय की जो राय है, मैं उनको आश्वासन देता हूं कि यहां तक आदिवासियों के एरिया का सवाल है जहां पर मद्य निषेध है वहां दुकान नहीं खुलेगी, ऐसा मध्य प्रदेश की सरकार ने डायरेक्शन दिया है। मैंने अपने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि उन्होंने सरकारी दुकान खोलने की बात लिखी है जिस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि सरकारी दुकान भी आदिवासियों के एरिया में नहीं जाए चूंकि इस सम्बन्ध में संविधान में स्पष्ट यह निर्धारित है और इस चीज को मैं पक्षधर हूं। (व्यवधान)

श्री रतिलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मद्य-निषेध सारे हिन्दुस्तान के कुछ राज्यों में है और गुजरात में मद्य-निषेध होते हुए भी वहां खुले-आम शराब बेची जाती है और सरकार की ओर से जो कहीं कारवाई होनी चाहिए वह नहीं होती और परिणाम-स्वरूप हर साल 200 से 400 लोग मर जाते हैं और उन मरने वालों में आदिवासी, हरिजन और पिछड़ी हुई जातियां हैं। तो कहां मद्य-निषेध पूर्णरूप से है लेकिन वहां कारवाई नहीं हो रही है, वहां भारत सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे जिससे वहां नशाबन्दी होते हुए भी शराब बेचने काम बन्द हो जाए।

[अनुवाद]

श्री के० वी० तंगकाबालू : हमने कई बार सभी राज्य सरकारों को विभिन्न क्षेत्रों में विशेषरूप से जनजातीय क्षेत्रों में मद्य-निषेध नीति को कार्यान्वित करने के दिशानिर्देश दिए हैं। माननीय सदस्य ने लगभग दो सौ तीन सौ व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में कहा है और हम इस बारे में अत्यन्त चिन्तित हैं। यह राज्यगत विषय है। राज्य सरकारों को इन प्रावधानों को लागू करना है। राज्य सरकारें कदम उठा रही हैं। जब भी हमें सूचना मिलेगी। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को गलतियों में सुधार करने का परामर्श देगी। हम इस समस्या के बारे में अत्यधिक चिन्तित हैं।

श्री अनिल बसु : शराब पर लगा हुआ यह प्रतिबन्ध उस जन साक्षरता अभियान से अत्यधिक जुड़ा हुआ है जोकि इस समय पूरे देश में चलाया जा रहा है। जन साक्षरता अभियान में हमारा अनुभव यह है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय साक्षरता अभियान द्वारा सात जिलों को पूर्णरूप से साक्षरता प्राप्त जिले घोषित किया गया है। हमारा यह अनुभव है कि अनुसूचित जातियों, जनजातीय लोगों और निर्धन लोगों के अशिक्षित होने का मुख्य कारण शराब है। अतः मद्यनिषेध का सम्बन्ध हमारे देश के जनजातीय और अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक उत्थान के साथ है। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि दिशानिर्देशों को जारी कर दिया गया है और उन्हें कार्यान्वित कर दिया गया है। परन्तु

माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया है कि कल्याण मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश जारी करने के पश्चात् क्या कल्याण मंत्रालय द्वारा कोई मूल्यांकन किया गया है। जनजातीय क्षेत्र में इसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर दे देने दीजिए।

श्री अनिल बसु : दूसरे, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार अथवा कल्याण मंत्रालय जनजातीय क्षेत्रों में शराब की दुकानों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए उससे होने वाले राजस्व सम्बन्धी घाटे के लिए राज्य सरकारों को मुआवजा देगी।

श्री के० वी० तंगकाबालू : बीच-बीच में कई बार हमारी सरकार नीति और दिशानिर्देशों की समीक्षा करती रही हैं। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि नौ राज्यों ने दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है। माननीय सदस्य को यह जान लेना चाहिए कि पश्चिम बंगाल ने केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है। यह सभा के लिए चिन्ता करने की बात है। राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में जो कुछ भी कर सकती हैं, वह करने का उन्हें पूरा अधिकार है और यदि राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर रहीं हैं, तो यह हमारा दायित्व है और हम राज्य सरकार से इसे तुरन्त लागू करने का अनुरोध कर रहे हैं।

दूसरे, कतिपय राज्य सरकारें जोकि मद्यनिषेध नीति को क्रियान्वित कर रही हैं, वे हमेशा पचास प्रतिशत छूट की मांग कर रही हैं।

जैसाकि आप जानते हैं, भारत सरकार इस समय उन्हें पचास प्रतिशत की छूट देने की स्थिति में नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : अध्यक्ष जी, केन्द्रीय सरकार केवल यह कहकर अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती कि मद्य निषेध की नीति को लागू करना केवल राज्य सरकारों का काम है। क्योंकि ट्राइबल एरिया में किसी भी तरह के एक्सप्लायटेशन को रोकने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की भी है। यदि कोई राज्य सरकार अपने यहां इसे लागू नहीं करती है, कोई बहाना करती है और हमारे उड़ीसा में तो यह स्थिति है कि ट्राइबल सब-प्लान एरिया में भी अर्बन के नाम पर, हर एक ग्राम पंचायत में, अनेक लोगों को लिकर शाप के लाइसेंस दे दिए गए हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि हर गांव में लिकर की दुकानें चल रही हैं और उसकी वजह से आदिवासियों का एक्सप्लायटेशन इतने जोरों से हो रहा है कि यदि आप हिसाब लगाएं तो पर-हैड वन थाउजेंड रूपीज जहां खर्चा हो रहा है, वहां ट्राइबल लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलता है, ट्राइबल लोगों के बाल-बच्चे तकलीफ में हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि यदि कोई राज्य सरकार नहीं मानती है तो उसको मनाने के लिए कदम उठाये।

अध्यक्ष महोदय : आप प्वाइंट पर आइये और प्रश्न पूछिए।

श्री अनादि चरण दास : आज नशाबन्दी कानून के बावजूद लिकर सब जगह मिलता है, मेरी मांग है कि कम से कम ट्राइबल एरियाज में लिकर पर टोटल बैन होना चाहिए, प्रोहिबिशन होनी चाहिए। इस प्रश्न को केन्द्र सरकार केवल मात्र राज्य सरकारों के ऊपर न छोड़े बल्कि आदिवासियों के हित में इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले।

अध्यक्ष महोदय : हां, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो उसके लिए केन्द्र सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है, यही आप पूछना चाहते हैं, बस हो गया, बैठिये।

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह कहा कि आदिवासियों के इलाके में नशाबन्दी अनिवार्य है और इसका उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है। यह सत्य है और इसीलिए गवर्नर को भी पैरा 3, शैड्यूल 5, के अन्तर्गत विशेष अधिकार दिए गए हैं। वह भी सत्य है कि कई स्टेटस में इसका पूर्णरूप से पालन नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूं कि जहां तक उड़ीसा का प्रश्न है, तीन दिन पूर्व ही मैंने वहां के मुख्यमंत्री को, जोकि एक पुराने नेता हैं और जनसेवी भी हैं, पत्र लिखकर इस दिशा में उन्हें अवगत कराया है और साथ ही यह निवेदन भी किया है कि इसमें जितनी खामियां हैं उनको जितना जल्दी हो सके, दूर करने के लिए वे कार्यवाही करें।

[अनुवाद]

दिल्ली में पुलिस अत्याचार

*144. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1992 के दौरान महिलाओं, बच्चों और हिरासत में रखे गए व्यक्तियों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर हुए अत्याचार के कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) वर्ष 1991 और 1990 में इसके तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार के अत्याचारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) दिल्ली में वर्ष 1990, 1991 तथा 1992 के दौरान महिलाओं, बच्चों तथा हिरासत में रखे गए अभियुक्तों पर पुलिस के अत्याचार के दर्ज किए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है—

वर्ष	महिलाओं की संख्या	बच्चों की संख्या	हिरासत में रखे गए अभियुक्त
1990	1	—	2
1991	2	—	7
1992	8	1	5

दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि तथाकथित पीड़ितों में से कोई भी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।

(ग) किए गए कुछ अधिक महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) विधायी प्रावधानों के अनुपालन के बारे ने निर्देशों को दोहराया जाना।

(2) "थर्ड डिग्री" के तरीकों के प्रयोग से बचने के लिए कड़े निर्देश।

(3) महिलाओं को सूर्यास्त और सूर्यास्त के बीच गिरफ्तार न किए जाने के बारे में सामान्य निर्देश।

(4) जांच—अधिकारियों को निर्देश है कि लोगों से पुलिस स्टेशन के केवल महत्वपूर्ण स्थानों में, वरीयत: थाना प्रभारी के कार्यालय के पास पूछताछ करें।

(5) व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताने की आवश्यकता।

(6) इन निर्देशों के उल्लंघन के लिए दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई।

श्री श्रवण कुमार पटेल : अध्यक्ष महोदय, उत्तर से यह स्पष्ट है कि दिल्ली में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में गृह मंत्री जी ने (तीन) में बताया है कि निर्देश ये दिए गए हैं कि सामान्यत: रात्रि के समय महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल, ऐसे अनेक उदाहरण देखने में आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि महिलाओं को पूछताछ के नाम पर पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। उन्हें रात भर पुलिस स्टेशन में बिठाया जाता है और अनेक बार उन पर अत्याचार किए जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से कड़े कदम उठा रही है ताकि महिलाओं पर ऐसे अत्याचार नहीं हों विशेषरूप से जबकि वे पुलिस स्टेशन में बैठी हों। ऐसे भी उदाहरण सामने आते हैं जबकि पुलिस कर्मियों ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया है। अत: मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार निवारक दण्ड जैसे आजीवन कारावास लागू करने की दिशा में विचार कर रही है।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि निवारक दण्ड उन पुलिस अधिकारियों को दिया जाना चाहिए जो महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार कर रहे हैं। इस दिशा में मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि 1992 में महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अत्याचार के मामले दर्ज किए गए थे। उन मामलों में ग्यारह पुलिसकर्मी शामिल थे। पांच पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया है और छ: पुलिसकर्मियों को निलम्बित करने पर विचार हो रहा है। अत: सरकार इन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दृढ़ है।

श्री श्रवण कुमार पटेल : महोदय, आज के समाचारपत्रों में पुलिस हिरासत में होने वाले अत्याचारों के बारे में ही सम्पादकीय और खबरें छपती रहती हैं। पुलिस हिरासत में एक विकलांग लड़के की मृत्यु के समाचार से पन्द्रह दिन के अन्दर ही प्रधान मंत्री जी ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह यह देखे कि पुलिस हिरासत में लोगों पर ज्यादतियां न की जायें। जबर्दस्ती घुमा फिराकर जानकारी हासिल करने और आत्मतुष्टि हेतु पुलिस द्वारा अत्याचार किए जाने का यह एक भयानक उदाहरण है। पुलिस हिरासत में किए जाने वाले ऐसे अत्याचारों और अपराधों को रोकने के लिए सरकार कौन से विशेष सख्त कदम उठाना चाहती है?

श्री पी० एम० सईद : महोदय, यह प्रश्न वर्ष 1990, 1991 और 1992 के आंकड़ों से सम्बन्धित है। मुझे नवीनतम मामले के बारे में जानकारी नहीं है जिसका कि माननीय सदस्य महोदय जिक्र कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, वह पूछ रहे हैं कि अत्याचार रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है।

श्री पी० एम० सईद : हम पहले ही कई कदम उठा चुके हैं। मैं सदन के लाभ हेतु उन्हें पढ़ना चाहूंगा।

हमारे द्वारा नारी निर्देशों का सभी पुलिस स्टेशनों द्वारा अनुपालन किया जाना होता है :—

(एक) विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने सम्बन्धी अनुदेशों का दोहराया जाना।

(दो) अमानुषीय तरीकों का इस्तेमाल न करने के बारे में कड़े अनुदेश।

(तीन) महिलाओं को सूर्यास्त से सूर्योदय तक गिरफ्तार न करने के सामान्य अनुदेश।

(चार) जांच अधिकारियों द्वारा लोगों से जांच का कार्य केवल पुलिस स्टेशन के प्रमुख भागों, प्रथमतः थाना प्रभारी के कार्यालय के निकट ही किए जाने के बारे में अनुदेश।

(पांच) व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने के कारणों के बारे में बताने की आवश्यकता।

(छः) इन निर्देशों की अवमानना करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही।

हम महसूस करते हैं कि इन शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है और हम इस दिशा में ठोस परिणाम की उम्मीद करते हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, मेरे साथी ने जो कहा है, क्या मैं उस बाबत कुछ और कहूं। जहां तक हिरासत में मृत्यु होने का सवाल है, जब तक जांच से यह साबित न हो जाये कि यह आत्म-हत्या का मामला है, हम पुलिस अधिकारी के खिलाफ धारा 302 में कार्यवाही शुरू कर देंगे।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी, क्या यह सही है कि हाल ही में ऐसे मामलों में वृद्धि हो हुई है और इसके विपरीत दोषसिद्धि के मामलों में कमी आ रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इसके क्या कारण हैं और सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ताकि दोषी व्यक्ति बच न जायें और उनको सजा हो।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, यह सही है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। वास्तव में बहुत जल्दी हम सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों की बैठक करने जा रहे हैं, विशेषकर उनकी जो अनुसंधान और विकास कार्य कर रहे हैं। क्योंकि वास्तव में मैं यह जानना चाहूंगा कि उनके निष्कर्ष क्या हैं क्योंकि वे अभिलेख रखते हैं। हम निश्चित ही यह देखेंगे कि यह बढ़ोत्तरी रुक जाए। सरकार द्वारा अपनाये गए विभिन्न तरीकों की जांच की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस की ज्यादतियां देश भर में बेलगाम बढ़ती जा रही हैं, चाहे वह राजनीतिक दल हो, उनकी जनसभाएं हों या सामान्य नागरिक हों।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 25 फरवरी, 1993 को दिल्ली में जो रैली आयोजित की गई, उसमें महिला सांसदों पर, महिला वर्कर्स पर, बहिनों पर और गण्यमान्य नेताओं पर पुलिस ने ज्यादती की, उनकी पिटाई की, उनको मारा गया। तो क्या सरकार उन अफसरों के खिलाफ कारंवाई करना चाहती है ? यदि हां, तो कितनी समय-मर्यादा में सरकार उनके खिलाफ कारंवाई करेगी ?

श्री पी० एम० सईद : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में इसी सभा में बहस हो चुकी है और इसके बारे में और अफसरों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का सरकार का अभी इरादा नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कसटडी में ऐटरोसिटिज हुई, उसका है।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि पिछले एक साल में थानों में पुलिसकर्मियों द्वारा कितनी महिलाओं के साथ ऐटरोसिटिज के केसेस हुए और कितनों के खिलाफ कार्यवाही की गई?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले प्रश्न के उत्तर में बताया है।

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि 25 तारीख को जो घटना घटी, डा० जोशी को लाठी मारी गई, वे घायल हुए और अस्पताल में गए और आज के अखबार में पुलिस अधिकारी का बयान है कि डा० जोशी को कोई लाठी नहीं लगी। क्या सरकार उस अधिकारी के खिलाफ, जिसने असत्य बयान दिया है, कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

[अनुवाद]

श्री पी० एम० सईद : महोदय, यह प्रश्न के बाहर नहीं उठता है।

रक्त बैंक

*146. **श्री विजय कृष्ण हाण्डिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में बिना लाइसेंस के वाणिज्यिक रक्त बैंकों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों के खतरे को रोकने हेतु किए गए/किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां।

(ख) रक्त बैंकों को लाइसेंस देने सम्बन्धी सांविधिक उपबन्धों में उपयुक्त संशोधन किया गया है जिनके तहत भारत सरकार ने रक्त बैंकों को कोई नया लाइसेंस जारी करने या उनका नवीकरण करने से पहले केन्द्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकारी (भारत के औषध नियन्त्रक) द्वारा स्वतन्त्र रूप से निरीक्षण करने और लाइसेंस जारी करने सम्बन्धी समवर्ती शक्तियां प्राप्त की हैं। इसके साथ-साथ सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण क्रियाविधि को सुदृढ़ किया जा रहा है।

श्री विजय कृष्ण हाण्डिक : अध्यक्ष महोदय, 1992 में उच्चतम न्यायालय में दायर एक लोकहित याचिका में "कामन काज" नामक एक नागरिक मंच ने कहा है कि देश में कार्यरत 1100 रक्त बैंकों में करीब 600 गैर लाइसेंसशुदा हैं और इन्फेक्शन की जांच के लिए रक्त का पर्याप्त रूप से परीक्षण नहीं किया जाता है और देश में जमा रक्त अस्पतालों में कुल आवश्यकता का 50 प्रतिशत भी नहीं है। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि शेष 50 प्रतिशत रक्त कहां से आता है और क्या रक्त

की एच० आई० वी० और एड्स के लिए जांच होती है और अब तक ऐसे कितने गैर-लाइसेंसयुक्त ब्लड बैंकों का पता लगाया गया है ?

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, "कामन काज" नामक एक संगठन जिसका चैयरमैन श्री सौरी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है न इसके बारे में उच्चतम न्यायालय में एक लोकहित की याचिका दायर की है और उन्होंने कुछ उपाय सुझाये हैं और यह फिलहाल उच्चतम न्यायालय में लम्बित है। और जब यह मामला उच्चतम न्यायालय में आयेगा तो सरकार इस विषय में अपने विचार देगी।

महोदय, प्रश्न के दूसरे भाग में हमारे पास हमारे रक्त बैंकों के लिए दिए गए रक्त के बारे में जानकारी है। बहुत से मामलों में मरीजों के सम्बन्धी और मित्रगण रक्त देते हैं। सरकार के पास सम्बन्धियों और मित्रों द्वारा दिए जाने वाले रक्त के बारे में कोई रिकार्ड नहीं होता है और मरीजों के सम्बन्धियों के रक्त की जांच के लिए हमारे सभी रक्त बैंकों में एक वैज्ञानिक प्रणाली है जिसमें हमारे डाक्टर और तकनीशियन मरीजों को रक्त देने से पहले उसकी जांच कर लेते हैं। सभी रक्त बैंक इस बात के लिए पर्याप्त कदम उठाते हैं कि मरीजों को सही रक्त दिया जाए।

श्री विजय कृष्ण हाण्डिक : महोदय, इसी संगठन ने एक योजना चलाई है जिसमें यह कहा गया है कि रक्त बैंक, रक्त देने की तकनीक, निगरानी लाइसेंस, आधुनिक उपकरणों के उपयोग के लिए एक केन्द्रीय प्राधिकरण हो जिसमें इस सुझाव के साथ प्रशिक्षण दिए जाएं और नियम बनाए जाएं कि प्राधिकरण में रक्त देने वालों को आयकर से शत-प्रतिशत छूट दी जाए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस योजना पर विचार करेगी जो साफ और सुरक्षित रक्त प्रदान करने का उद्देश्य रखती है जो व्यवसायिक रक्तदाताओं से रक्त लेने वाले बिचौलियों को हटा देगी जिनमें नशे से पीड़ित भिखारी, कमजोर और इन्फैक्शनयुक्त लोग होते हैं।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, इसके बारे में मुख्य बात यह है कि रक्तदाताओं के दीमाग में बहुत से भ्रम होते हैं और स्वैच्छिक रक्तदाता रक्तदान करने सामने नहीं आते हैं। मुख्यतः इसी कारण मरीजों के सम्बन्धी व्यवसायिक रक्तदाताओं के पास जाते हैं और उनसे रक्त लेते हैं। सरकार की ओर से हम स्वैच्छिक रक्तदाताओं को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि आवश्यक रक्त सभी ब्लड बैंकों में उपलब्ध हो सके और मरीजों को रक्त दिया जा सके।

श्री राम कापसे : महोदय, हम सब जानते हैं कि निजी रक्त बैंक गड़बड़ी करते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि निजी ब्लड बैंकों के बारे में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन्हें दूर करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास क्या तन्त्र है ?

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, शिकायतें मिली हैं परन्तु इस समय हमारे पास आंकड़े नहीं हैं क्योंकि वह राज्य सरकारों के माध्यम से आते हैं।

श्री राम कापसे : महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या मुझे बाद में जानकारी मिल जाएगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : महोदय, सरकारी क्षेत्र में करीब 244 लाइसेंसधारी रक्त बैंक और निजी क्षेत्र में 488 रक्त बैंक हैं। करीब सरकारी क्षेत्र में 326 और निजी क्षेत्र में करीब 52 गैर लाइसेंसधारी ब्लड बैंक हैं। गुणवत्ता नियन्त्रण के पहलू और ब्लड बैंकों के कार्यकरण के बारे में शिकायतें हैं। हम शिकायतों की जांच कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री देवी बक्स सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वश्चन छूट गया है। अतः मुझे अब प्रश्न पूछने का समय दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आगे जाने के बाद ऐसे नहीं होता है। आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप नियमों को पढ़ें और उनका पालन भी करें।

[हिन्दी]

शाकाहार को बढ़ावा देना

*147. डा० चिन्ता मोहन :

डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जनवरी, 1993 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "वैजिटेरियन पाथ टू गुड हेल्थ" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) किसी विशेष प्रकार के आहार को बढ़ावा देने की बजाय लोगों को उपयुक्त और पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराना सरकार का मुख्य लक्ष्य है।

[अनुवाद]

डा० चिन्ता मोहन : महोदय, मेरा कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, अभी तक जितने वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है, उसमें इस बात को प्रमाणित किया है कि नान वैज खाने से, मांस और मछली खाने से हार्ट अटैक और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो जाया करती हैं। इसकी मद्देनजर रखते हुए क्या आप शाकाहारी भोजन का प्रचार मन्त्रालय द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : हमने मुख्य प्रश्न के उत्तर में बताया है कि सरकार किसी विशेष प्रकार के आहार को बढ़ावा नहीं देना चाहेगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जो जिसको पसन्द आए, वह खाए ।

(व्यवधान)

डा० महादीपक सिंह शाक्य : मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जहां तक वैजीटेरियन भोजन का प्रश्न है, देखा जाता है कि लोग मांसाहारी ज्यादा बनते जाते हैं और साथ में जीवों की हिंसा भी करते हैं । इस तरह से जीवों की हिंसा भी होती है और कोई लाभ नहीं होता तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए और शाकाहार को प्रोत्साहन देने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं ताकि वैजीटेरियन भोजन का प्रचार हो ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कह दिया कि जो जिसको पसन्द आए, वह खाए।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : चूंकि मांसाहारी भोजन इतना महंगा हो गया है कि गरीब आदमी इसे नहीं खा सकता । केवल धनी व्यक्ति ही मांसाहारी भोजन कर पाते हैं । यह सही है कि मांसाहारी भोजन के अपने फायदे हैं और शाकाहारी भोजन भी फायदेमंद है । हम यह नहीं कह सकते कि किसी विशेष भोजन के लाभ हैं; अन्य के नहीं ।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि शाकाहारी भोजन अच्छा है किन्तु सरकार की ओर से ऐसा प्रचार होता है कि शराब पीना हानिकारक है, सिगरेट पीना हानिकारक है परन्तु बहुधा देखा जाता है कि जब विदेश के लोग आते हैं तो उन को शराब सप्लाई की जाती है, गोमांस और सूअर का मांस भी सप्लाई किया जाता है तो मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि भारतीयता को देखते हुए और अपनी सरकार के विचारों को देखते हुए क्या जब विदेश के लोग आयेंगे तो उनको गोमांस, सूअर का मांस, शराब और सिगरेट सप्लाई नहीं किए जाएं, ऐसा प्रबन्ध करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : यह केवल एक सुझाव है ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, वैजीटेरियन फूड का मतलब क्या है ? बहुत से देशों में तो चिकन और फिश भी वैजीटेरियन में आते हैं ।

[अनुवाद]

मेडिकल कालेज

*148. **डा० के० डी० जेस्वाणी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने मान्यताप्राप्त और गैर-मान्यताप्राप्त मेडिकल कालेज हैं;

(ख) इन कालेजों से प्रति वर्ष लगभग कितने स्नातक और स्नातकोत्तर डाक्टर निकलते हैं; और

(ग) कितने स्नातक और स्नातकोत्तर डाक्टर प्रतिवर्ष देश को छोड़कर दूसरे देशों में चले जाते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार देश में 120 मान्यताप्राप्त तथा 26 गैर-मान्यताप्राप्त मेडिकल कालेज हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार हर वर्ष लगभग 13000-14000 स्नातक तथा 6000-7000 स्नातकोत्तर पास होते हैं।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो में उपलब्ध सूचना के अनुसार 31-12-1991 तक विभिन्न देशों में 5,887 भारतीय डाक्टर पंजीकृत हैं।

डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी (खेड़ा) : मैं मन्त्री महोदय से आंकड़े ठीक करने के लिए अनुरोध करूंगा। मेरे पास स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है। देश में 148 मेडिकल कालेज हैं और अनेक मेडिकल कालेजों, 28 कालेजों से भी अधिक कालेजों को अभी तक भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता नहीं दी गई है।

छठी पंचवर्षीय योजना से सरकार की चिकित्सा शिक्षा के विस्तार को और प्रोत्साहन न देने की नीति रही है। एक विचारणीय तथ्य यह है कि चिकित्सा शिक्षा के लिए अत्यधिक आर्थिक सहायता दी गई है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि छठी पंचवर्षीय योजना के बाद कितने कालेज खोलने की अनुमति दी गई। उन विद्यार्थियों का क्या भविष्य है जो उन गैर-मान्यताप्राप्त कालेजों से परीक्षा पास कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : यह सच है कि कुछ समय से बहुत से बिना लाइसेंसप्राप्त गैर-सरकारी मेडिकल कालेज खोले गए हैं। इस समय मेडिकल कालेज को अनुमति देने की समस्या है। अभी तक राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेने के लिए बाध्य नहीं हैं। सभा को ज्ञात है कि अब हम चिकित्सा शिक्षा के सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक लाने जा रहे हैं बल्कि अध्यादेश जारी कर दिया गया है जोकि केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना नए मेडिकल कालेज खोलने की गतिविधियों पर रोक लगाएगा।

डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : उन विद्यार्थियों का क्या भविष्य है जो इन कालेजों से परीक्षा उत्तीर्ण कर निकले है ? (व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : बिना लाइसेंस प्राप्त मेडिकल कालेजों में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के सामने आने वाली समस्याओं को मैं समझता हूं। मैं उनकी समस्या समझता हूं। लेकिन मैं समझता हूं हाल के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए हमें निर्णय के आशय की जांच करनी चाहिए और यदि सम्भव हो तो जो भी सहायता ऐसे विद्यार्थियों को दी जा सकती है उस पर विचार किया जा सकता है।

डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वानी : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि विदेशों में डाक्टरों के पलायन को रोकने के लिए प्रतिबन्ध लगाए जाने के बावजूद 5800 से भी अधिक डाक्टर पहले ही विदेशों में उत्प्रवास कर चुके हैं। यह प्रतिभा का अत्यधिक पलायन है और राष्ट्रीय हानि है क्योंकि एक स्नातक डाक्टर को शिक्षित करने में राष्ट्र को कम-से-कम 2.5 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं और स्नातकोत्तर डा० पर यह खर्च 5 लाख रुपये है। क्या सरकार कोई ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है जो इस प्रतिभा-पलायन को रोके ?

श्री बी० शंकरानन्द : यह सच है कि चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थियों को राष्ट्र की लागत पर दी जाती है। सरकारी चिकित्सा कालेजों द्वारा जो भी शुल्क लिया जाता है, वह शिक्षा की वास्तविक लागत से बहुत कम है। ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, लोग विदेशों में जा रहे हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि डाक्टरों को देश में कोई रोजगार नहीं मिल पाता है। वे अपनी इच्छा से व्यवसाय नहीं कर सकते। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए कहा जाता है।

एक अन्य बात यह है कि इस समय विकासशील देशों में जाने वाले डाक्टरों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं कि इस देश को छोड़ने वाले डाक्टरों पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। इसमें कई बातें शामिल हैं। इन तथ्यों पर उचित ध्यान दिए बिना हम इस संबंध में विधेयक लाने पर विचार नहीं कर सकते।

श्री ए० चार्ल्स : चिकित्सा शिक्षा भी राज्य का विषय है और इस बात को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए सम्पूर्ण देश में एक समान नियम नहीं है। यह मुख्य समस्या है। केरल में कोई गैर सरकारी मेडिकल कालेज नहीं है। हमारे बच्चों को लाखों रुपया खर्च कर कर्नाटक या आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु जाना पड़ेगा और उन्हें कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं।

क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या मेडिकल कालेजों पर नियन्त्रण के लिए कोई समान नियम बनाया जाएगा और चूंकि सरकार के नियन्त्रण में मेडिकल कालेज खोलने और स्वयं वित्त पोषित कालेजों के लिए बहुत अधिक राशि अपेक्षित होती है, इसलिए सामान्य सरकारी कोटे के अन्तर्गत अधिकांश विद्यार्थियों को प्रवेश देने को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि विद्यार्थी अनावश्यक रूप से परेशान न हों और चिकित्सा शिक्षा समाज के निम्न वर्ग को दी जा सके ?

श्री बी० शंकरानन्द : उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय में गैर सरकारी मेडिकल कालेजों में विद्यार्थियों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए एक योजना का सुझाव दिया गया है। जैसाकि मैंने कहा, सरकार संसद की संयुक्त चयन समिति की सिफारिश के अनुसार एक व्यापक विधेयक लाने की सोच रही है। ऐसा विधेयक यथाशीघ्र में सभा लाया जाना है।

श्री राम नाईक : गैर मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों ने चिकित्सा शिक्षा को पैसा बनाने की मशीन बना दिया है। उनमें से अनेक राजनीति से सम्बद्ध लोग हैं। इसलिए, मैं जानना चाहूंगा कि इन प्रबन्धों जिन्होंने गैर-मान्यता प्राप्त कालेज खोले हैं, के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है। सरकार उनके विरुद्ध क्या करना चाहती है ?

श्री बी० शंकरानन्द : अब, सभा के सामने ये दो प्रस्ताव हैं। एक प्रस्ताव यह है कि इन कालेजों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए जो बिना किसी अधिकार के विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम चला रहे हैं। दूसरी तरफ, हमारे सम्मुख एक समस्या है उन विद्यार्थियों का क्या होगा जो इन

कालेजों में पहले से ही शिक्षा ले रहे हैं ? मैं समझता हूं कि हमें दोनों पहलुओं को महत्व देना चाहिए।

श्री राम नाईक : कुछ ठोस नहीं बताया गया है। उन्होंने उत्तर को टाला है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गैस प्रसंस्करण क्षमता

*142. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गैस प्रसंस्करण क्षमता इसकी मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का देश में गैस प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या हाजीरा गैस प्रसंस्करण काम्पलैक्स का विचार अपनी क्षमता को दोगुना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक लागू किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) यद्यपि देश की गैस संसाधन क्षमता वर्तमान उठान को पूरा करने के लिए कमोबेश पर्याप्त है तथापि भविष्य के लिए अनुमानित प्राकृतिक गैस की अधिक उपलब्धता संभालने के लिए इस क्षमता को बढ़ाने के प्रयोजन से अनेक परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ताकि उपभोक्ताओं को इस गैस की वचनबद्धता की गई है उन्हें आपूर्ति की जा सके।

(ग) जी, हां।

(घ) परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि 1995-96 है।

[हिन्दी]

चिकित्सकों को प्रशिक्षण

*145. श्री देवी बक्स सिंह :

श्री राम सिंह कास्वां : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चिकित्सकों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) चिकित्सा शिक्षा नीति का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्मिक शक्ति के विकास के विभिन्न पहलुओं को कवर करना, चिकित्सा शिक्षा तथा अन्य सम्बन्धित पहलुओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के उपाय सुझाना है।

(ग) यह सरकार का प्रयास रहेगा कि इस नीति को यथाशीघ्र तैयार किया जाए।

[अनुवाद]

रसोई गैस की मांग

*149. श्री नरेश कुमार बालियान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष रसोई गैस की कितनी खपत हुई;

(ख) क्या रसोई गैस की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क)

वर्ष	एल० पी० जी० की खपत (टी० एम० टी० में)
1989-90	2268
1990-91	2415
1991-92	2646

(ख) जी, हां।

(ग) विद्यमान स्रोतों की क्षमता को बढ़ाकर, नये स्रोतों को शुरू करके तथा सामानान्तर विपणन प्रणाली के तहत निजी क्षेत्र तथा तेल कम्पनियों द्वारा आयात के माध्यम से देश में एल० पी० जी० की उपलब्धता में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं।

कैंसर रोगी

*150. श्री हरिन पाठक :

श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने कैंसर अस्पताल हैं; और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कितने कैंसर रोगियों का पता चला है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कैंसर पीड़ित रोगियों में कितनी महिलाएं स्तन कैंसर से पीड़ित हैं;

(घ) प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र में कितनी महिलाओं की मृत्यु स्तन कैंसर के कारण हुई;

(ङ) महिलाओं में स्तन कैंसर के तेजी से फैलने के क्या कारण हैं; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) देश के प्रायः सभी प्रमुख

अस्पतालों में कैंसर के निदान, शल्य चिकित्सीय उपचार और रसायचिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। टेलीथिरेपी सुविधाओं वाले संस्थानों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) कैंसर के रोगियों के राज्यवार और वर्षवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अनुमान लगाया है कि भारत में लगभग 61,000 महिलाओं में स्तर कैंसर हुआ 1991 में उनमें से लगभग 28,500 महिलाओं की इस बीमारी से मृत्यु हो गई।

(ङ) और (च) स्तन कैंसर होने के ठीक-ठीक कारणों का पता नहीं है। चूंकि स्तन कैंसर होने के किसी एक कारण अथवा किन-किन कारणों से यह होता है, यह पता नहीं लग पाया है, इसलिए कोई ज्ञात निवारक उपाय नहीं हैं। फिर भी, स्तर कैंसर का शुरू में ही पता लग जाने की स्थिति में इस रोग के अधिकांश रोगियों का पूरा इलाज संभव है। अतः स्तन कैंसर के लिए रोग का शुरू में ही पता लगाने और उसके बाद समुचित उपचार प्रदान करने पर बल दिया जाता है।

विवरण

आंध्र प्रदेश

1. राजकीय जनरल अस्पताल गुंटूर।
2. एम० एन० जे० कैंसर हास्पिटल एण्ड रेडियम इन्स्टिट्यूट, हैदराबाद।
3. बीबी जनरल अस्पताल, हैदराबाद।
4. जगदीश कैंसर एण्ड रिसर्च सेंटर लिमिटेड, हैदराबाद।
5. जया डायग्नोस्टिक एण्ड रिसर्च सेन्टर लिमिटेड, हैदराबाद।
6. राजकीय जनरल अस्पताल, काकीनाडा।
7. क्रिश्चियन कैंसर सेन्टर, काकीनाडा।
8. राजकीय जनरल अस्पताल, करनूल।
9. एस० वी० आर० आर० हास्पिटल, तिरुपति।
10. किंग जार्ज हास्पिटल, विशाखापट्टनम।
11. विजग हास्पिटल एण्ड कैंसर रिसर्च सेन्टर, विशाखापट्टनम।
12. एम० जी० एम० अस्पताल, वारंगल।

असम

13. असम मेडिकल कालेज अस्पताल, डिब्रूगढ़।
14. डा० बी० बरुआ कैंसर संस्थान, गुवाहाटी।

बिहार

15. टाटा मेन हास्पिटल, जमशेदपुर।

*भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार।

16. पटना मेडिकल कालेज अस्पताल, पटना।

17. बोकारो जनरल अस्पताल, बोकारों।

चण्डीगढ़

18. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़।

नई दिल्ली

19. लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली।

20. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली।

21. इन्स्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल, नई दिल्ली।

22. बतरा अस्पताल एवं चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली।

गुजरात

23. गुजरात कैंसर एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, अहमदाबाद।

24. एस० एस० जी० अस्पताल, बड़ोदा।

25. एम० पी० साह मेडिकल कालेज एण्ड इर्विन ग्रुप आफ हास्पिटल, जामनगर।

26. राजकोट कैंसर सोसाइटी, राजकोट।

27. सायंस कैंसर डिटेक्शन सेन्टर ट्रस्ट, सूरत।

हरियाणा

28. मेडिकल कालेज अस्पताल, रोहतक।

हिमाचल प्रदेश

29. गांधी मेडिकल कालेज अस्पताल, शिमला।

जम्मू और कश्मीर

30. राजकीय मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, जम्मू।

31. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज एण्ड एस० एम० एच० एस० हास्पिटल, श्रीनगर।

32. शेरे कश्मीर इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, श्रीनगर।

कर्नाटक

33. विक्टोरिया अस्पताल, बंगलौर।

34. किदवई मेमोरियल इन्स्टीट्यूट आफ आनकालाजी, बंगलौर।

35. बाणशंकरी कैंसर सेन्टर, बंगलौर।

36. बंगलौर कैंसर अस्पताल, बंगलौर।

37. पेरीफेरल कैंसर सेन्टर डिस्ट्रिक्ट जनरल हास्पिटल, गुलबर्गा।

38. कर्नाटक कैंसर थिरेपी एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, हुबली।

39. कस्तूरबा मेमोरियल हास्पिटल।
40. भारत कैंसर अस्पताल, मैसूर।

केरल

41. मेडिकल कालेज अस्पताल, कालीकट।
42. मेडिकल कालेज अस्पताल, कोट्टायम।
43. अमाला कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, त्रिचूर।
44. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम।

मध्य प्रदेश

45. गांधी मेडिकल कालेज एवं हमीदिया अस्पताल, भोपाल।
46. कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर।
47. एम० जी० कैंसर अस्पताल, इंदौर।
48. राजकीय मेडिकल कालेज एवं कैंसर अस्पताल, जबलपुर।
49. पधार अस्पताल बेतूल, पधार।
50. जे० एन० एम० कालेज एवं अस्पताल, रायपुर।

महाराष्ट्र

51. सन्त तुकाराम अस्पताल एवं चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, अकोला।
52. मेडिकल कालेज अस्पताल, औरंगाबाद।
53. जसलोक अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, बम्बई।
54. बम्बई अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, बम्बई।
55. डा० बल्लभभाई नानावटी अस्पताल एवं चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, बम्बई।
56. लेडी रतन टाटा मेडिकल सेन्टर, बम्बई।
57. टाटा मेमोरियल अस्पताल, बम्बई।
58. कामलेस अस्पताल, बम्बई।
59. राजकीय मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, नागपुर।
60. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कैंसर अस्पताल, नागपुर।
61. मेलिग्नेंट डिजीज ट्रीटमेंट सेन्टर, कमान अस्पताल, पुणे।
62. पूना मेडिकल फाउण्डेशन, पुणे।
63. जनरल अस्पताल, सांगली।
64. श्री सिद्धेश्वर कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, शोलापुर।

मणिपुर

65. रीजनल मेडिकल कालेज, इम्फाल।

मेघालय

66. सिविल अस्पताल, शिलांग।

उड़ीसा

67. एम० के० सी० जी० मेडिकल अस्पताल, बरहामपुर।

68. वी० एस० एस० मेडिकल कालेज अस्पताल बुर्ला (सम्बलपुर)।

69. रीजनल सेन्टर फार कैंसर रिसर्च एण्ड ट्रीटमेंट सोसाइटी, कटक।

पांडिचेरी

70. जिपमेर, पांडिचेरी।

पंजाब

71. एस० जी० टी० बी० हास्पिटल, अमृतसर।

72. सी० एम० सी० अस्पताल, लुधियाना।

73. एम० डी० ओ० कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, लुधियाना।

74. जी० एम० ओ० एण्ड राजेन्द्र अस्पताल, पटियाला।

राजस्थान

75. सरदार पटेल मेडिकल कालेज अस्पताल, बीकानेर।

76. एस० एन० एम० सी० अस्पताल, जोधपुर।

77. रवीन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल कालेज अस्पताल, उदयपुर।

तमिलनाडु

78. क्रिश्चियन कैंसर सेन्टर, अम्बिलिक्कै।

79. वी० एन० कैंसर सेन्टर, कोयम्बटूर।

80. गवर्नमेंट अरिग्नर अन्ना मेमोरियल हास्पिटल, कांचीपुरम।

81. कैंसर इन्स्टीट्यूट अड्यार, मद्रास।

82. दि प्रीमियर रेडियालाजिकल इन्स्टीट्यूट एण्ड कैंसर हास्पिटल, मद्रास।

83. गवर्नमेंट स्टेनली हास्पिटल, मद्रास।

84. बर्नार्ड इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलाजी, गवर्नमेंट जनरल हास्पिटल, मद्रास।

85. राय मेमोरियल कैंसर इन्स्टीट्यूट, मद्रास।

86. गवर्नमेंट हास्पिटल फार वीमेन एण्ड चिल्ड्रन, मद्रास।

87. गवर्नमेंट रायपेटा हास्पिटल, मदुरै।

88. गवर्नमेंटल राजाजी हास्पिटल, मदुरै।

89. मीनाक्षी मिशन हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, मदुरै।

90. तमिलनाडु हास्पिटल, मद्रास।

91. इंटरनेशनल कैंसर सेन्टर, नेयूर।

92. जी० वी० एन० हास्पिटल, त्रिचरापल्ली।

93. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, वेल्लूर।

त्रिपुरा

94. कैंसर हास्पिटल, त्रिपुरा।

उत्तर प्रदेश

95. एस० एन० एम० सी० अस्पताल, आगरा।

96. जवाहर लाल नेहरु मेडिकल कालेज और अस्पताल, अलीगढ़।

97. कमला नेहरु स्मारक अस्पताल, इलाहाबाद।

98. केशलता कैंसर अस्पताल (प्रा०) लिमिटेड।

99. हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल, गोरखपुर।

100. जे० के० कैंसर संस्थान, कानपुर।

101. के० जी० मेडिकल कालेज और अस्पताल, लखनऊ।

102. संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, लखनऊ।

103. चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

104. भारतीय रेलवे कैंसर संस्थान और अनुसंधान केन्द्र, वाराणसी।

पश्चिम बंगाल

105. बी० एस० मेडिकल कालेज हास्पिटल, बांकुरा।

106. एस० एस० के० एम० एण्ड प्रोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, कलकत्ता।

107. चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कलकत्ता।

108. मेडिकल कालेज हास्पिटल, कलकत्ता।

109. आर० जी० कार मेडिकल कालेज हास्पिटल, कलकत्ता।

110. एन० आर० एस० मेडिकल कालेज अस्पताल, कलकत्ता।

111. कैंसर सेन्टर एण्ड वेलफेयर होम, ठाकुरपुकुर, कलकत्ता।

विकलांग/अपंग व्यक्ति

*151. श्री राम कापसे : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में देश में विकलांग/अपंग व्यक्तियों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करांया गया है, अथवा कराए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(घ) सरकार द्वारा विकलांगों के कल्याण और पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) विकलांग व्यक्तियों के सम्बन्ध में एक राष्ट्रव्यापी नमूना सर्वेक्षण जुलाई से दिसम्बर, 1991 के दौरान सांख्यिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया गया था।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न कर दिया गया है।

विवरण

(ख) जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख और कारगिल जिलों, नागालैंड के 768 सुदूर गांवों तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 172 गांवों जो वर्षभर पहुंच से बाहर बने रहे, को छोड़कर इस सर्वेक्षण में सम्पूर्ण भारत संघ को शामिल किया गया था। यह सर्वेक्षण केन्द्रीय नमूना के रूप में 4468 चुनिंदा गांवों तथा 2564 चुनिंदा शहरी खण्डों में किया गया था।

(ग) इस सर्वेक्षण में एकत्र किए गए केन्द्रीय नमूना आंकड़ों को तैयार कर लिया गया है और इस समय यह सारणीकरण के अन्तिम चरण में है।

(घ) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए कार्यान्वित की जा रही मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं :—

1. विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता की योजना

इस योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यरत संगठनों की सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को 90% वित्तीय सहायता दी जाती है जो विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान करते हैं।

2. सहायक यंत्र खरीदने/लगवाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना

इस योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को ऐसे सहायक यंत्र तथा उपकरण (1) 1200/- रुपए प्रतिमाह से कम की कम आय वाले व्यक्तियों को निःशुल्क तथा (2) 1201/- रुपए से 2500/- रुपये प्रतिमाह के बीच की आय वाले व्यक्तियों को 50% लागत पर प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिया जाता है जिनका मूल्य 25/- रुपये से 3600/- रुपये के बीच होता है। यह योजना सम्पूर्ण देश में फैली स्वयंसेवी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

3. रोजगार

केन्द्रीय सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" और "घ" पदों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत रिक्तयां आरक्षित की गई हैं—दृष्टि, श्रवण, अस्थि विकलांग में से प्रत्येक के लिए 1 प्रतिशत। दृष्टिहीनों सहित विकलांग व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिए आयु सीमा और डाक्टरी मापदण्डों में छूट दी जाती है।

लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में विकलांगों की समन्वय रूप से सहायता हेतु विकलांग व्यक्तियों के लिए 23 विशेष रोजगार केन्द्र और 55 विशेष सैलों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, सामान्य रोजगार केन्द्र भी उपयुक्त रोजगार ढूंढने में विकलांग व्यक्तियों की सहायता करते हैं।

4. राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना

विकलांग जनसंख्या की बहुआयामी समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपंगता के हर प्रमुख क्षेत्र में निम्नलिखित चार राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए गए हैं:—

1. राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून
2. राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता
3. राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई
4. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद

ये संस्थान अपने सम्बन्धित क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, मानवशक्ति विकास, व्यवसायिक मार्गदर्शन परामर्श, अनुसंधान, उपयुक्त सेवा माड्यूलों के विकास तथा विकलांगों के लिए कम लागत के पुनर्वास सहायक यंत्रों जैसे क्षेत्रों में प्रमुख शीर्षस्थ संस्थान हैं।

चार राष्ट्रीय संस्थानों के अतिरिक्त, चलन (लोकोमोटर) विकलांगताओं के क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दो संस्थान भी कार्य कर रहे हैं:—

1. विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली
2. राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, कटक

[हिन्दी]

हैलोन गैस का उत्पादन

*152. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्रीमती भावना चिखलिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में "हैलोन" गैस का उत्पादन शुरू हो गया है;

(ख) हैलोन गैस का प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में उत्पादन होने की संभावना है;

(ग) इस समय हैलोन गैस की कितनी मांग है;

(घ) भारत विगत में किन-किन देशों से हैलोन गैस का आयात करता था; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के अनुसार करीब 50 टन हैलोन प्रतिवर्ष उत्पादित की जा रही है।

(ग) टास्क फोर्स द्वारा किए गए आंकलन के अनुसार वर्ष 1990 के लिए हैलोन की मांग (अनियंत्रित) करीब 700 टन थी और वर्ष 1996 में इसके लगभग 1400 टन होने की संभावना है।

(घ) यूनाइटेड किंगडम और कनाडा आदि।

(ङ) हैलोन के आयात के मूल्य के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

*153. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री प्रकाश वी॰ पाटिल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद हल करने के लिए कोई नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

गृह मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) से (ग) भारत सरकार का विचार है कि इस विवाद का हल, सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा द्विपक्षीय वार्ता एवं आपसी सामंजस्य से किया जाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दोनों राज्यों को हर सम्भव सहायता प्रदान करने में केन्द्र सरकार को प्रसन्नता होगी।

तेल की खोज के लिए रिगों को किराए पर लेना

*154. श्री चित्त बसु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तेल की खोज के लिए बड़ी संख्या में रिगों को किराए पर लेता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विदेशी कम्पनियों के कितने रिग किराए पर लिए गए तथा कितना किराया दिया गया;

(ग) क्या देश में स्वदेशी रिग उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो देश में ही रिगों का निर्माण करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विदेशी कम्पनियों से क्रमशः 16, 12 तथा 6 रिग किराए पर लिए गए थे और दी गई भाड़े की राशि क्रमशः 118 करोड़ रुपये, 136 करोड़ रुपए तथा 93 करोड़ रुपये थी।

(ग) और (घ) "भेल" तथा "मंझगांव डाक लिमिटेड" जैसी कुछ भारतीय कंपनियों के पास रिग बनाने की क्षमता है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में हाइड्रोकार्बन

*155. श्री अमल दत्त : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में अप्रैल/मई, 1992 में पाये गए हाइड्रोकार्बन को भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा कच्चे तेल के रूप में स्वीकार किया गया है;

(ख) क्या इस स्थान पर उपलब्ध हाइड्रोकार्बन की मात्रा का पता लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उस स्थान पर अथवा निकटवर्ती स्थानों/क्षेत्रों में खोज सम्बन्धी कार्य जारी रखने/उसमें तेजी लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(च) इस कार्य के लिए कितना बजट प्रावधान किया गया है/किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) से (ग) पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के अन्वेषी कूप इछापुर-I में 4346-4349 मी० के बीच उत्पादन परीक्षण के दौरान थोड़ी मात्रा में कंडेंसेट तथा गैस पाई गई थी जो वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं थी। अभी भी इस कूप में 5497 मीटर पर वेधन-कार्य किया जा रहा है।

(घ) से (च) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने इछापुर-2 में एक अन्य स्टेप-आउट कूप के वेधन और इस क्षेत्र में त्रि-आयामी भूकम्पीय सर्वेक्षण की योजना बनाई हैं और इस उद्देश्य के लिए वर्ष 1993-94 के बजट में 21.60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

स्वदेशी चिकित्सा पद्धति

*156. डा० सुधीर राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी को प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान आयुर्वेदिक औषधियों की खरीद पर कितना प्रतिशत धन व्यय किया गया है;

(ग) केन्द्रीय सरकार के अधीन कितने आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध चिकित्सक कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार आयुर्वेदिक औषधियों के अनुसंधान को प्रोत्साहन देती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में औषधों पर किए जाने वाले खर्च का लगभग पांच प्रतिशत खर्च आयुर्वेदिक औषधों पर किया जाता है।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में भारतीय चिकित्सा पद्धति के 91 चिकित्सक कार्य कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां।

गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसी शैक्षणिक संस्थाओं के अतिरिक्त केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को आयुर्वेद में अनुसंधान के लिए सहायता दी जा रही है।

[हिन्दी]

इस्पात का उत्पादन

*157. श्री भोगेन्द्र झा : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में समग्र रूप से और सरकारी क्षेत्र के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में संयंत्र-वार इस्पात का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) सरकार देश को इस्पात के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बड़े, मझोले और छोटे उद्योगों को स्थापित करने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार जापान, चीन और अन्य देशों को लौह अयस्क निर्यात करने के स्थान पर इन देशों के सहयोग से इस्पात क्षेत्र में उद्योग लगाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) वर्ष 1991-92 तथा चालू वर्ष (अप्रैल 1992-जनवरी, 1993) में परिसज्जित इस्पात का कुल उत्पादन तथा सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का संयंत्रवार उत्पादन निम्नानुसार था :—

क्रम सं०	संयंत्र	उत्पादन (दस लाख टन) 1991-92	(अनन्तिम 1992-93) (अप्रैल-जनवरी)
1	2	3	4
1.	भिलाई इस्पात संयंत्र	2.15	1.77
2.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	0.51	0.37
3.	राउरकेला इस्पात संयंत्र	1.09	0.93

1	2	3	4
4.	बोकारो इस्पात संयंत्र	2.65	2.37
5.	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	0.32	0.27
6.	विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र	0.25	0.42
7.	देश में इस्पात का कुल उत्पादन	14.33	12.85

(ख) देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने और इस्पात उद्योग में निजी क्षेत्र को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने कई उपाय किए हैं :—

(1) सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से "लोहा और इस्पात" को निकाल दिया गया है और इसे उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 अन्तर्गत अनिवार्य लाइसेंसिंग की आवश्यकता से भी छूट दे दी गई है। हालांकि इसमें स्थान स्थिति सम्बन्धी कुछ प्रतिबंधों की शर्त है।

(2) लोहा और इस्पात क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार उद्योगों को साम्य में 51% तक की विदेश निवेश की स्वत: मंजूरी मिलने की सुविधा है।

(3) इस्पात प्रगलन स्क्रैप और स्पंज लोहा जो गौण क्षेत्र के लिए आधारभूत कच्ची सामग्री है, की उपलब्धता में सुधार किया गया है।

(4) इस्पात के मूल्य निर्धारण और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है।

(5) "लोहा और इस्पात उद्योग के उद्यमियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों" का एक सैट उद्यमियों को लोहा और इस्पात उद्योग की स्थापना से सम्बन्धित मामलों पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध करने के लिए जारी किया गया है।

(6) सरकारी क्षेत्र के एकीकृत इस्पात संयंत्रों ने आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम शुरू किए हैं।

(ग) से (ङ) संसाधनों की अड़चनों के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में कोई नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी इस्पात उद्योग के तीव्र विकास के लिए वातावरण तैयार करने की सरकार की नीति है ताकि देश में और अधिक लौह इस्पात उत्पादित किया जा सके। विदेशी भागीदारी/सहयोग, यदि आवश्यक हो, से इस्पात उद्योग में निजी क्षेत्र को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनका उल्लेख उपरोक्त भाग (ख) में किया गया है।

नि:सन्तान दम्पतियों हेतु निषेचन तकनीक

*158. श्रीमती शीला गौतम :

श्री मुमताज अंसारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निःसंतान दम्पतियों के लिए "गिफ्ट" तकनीकी कारगर सिद्ध हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह तकनीक दिल्ली के राम मनोहर लोहिया तथा सफदरजंग अस्पतालों में उपलब्ध कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन अस्पतालों में यह तकनीक कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) गेमेटि इन्ट्रा फालोपियन ट्रांसफर महिलाओं में बन्ध्यता के उपचार की तकनीकों में से एक तकनीक है। यह तकनीक विदेशों में सुस्थापित है और इस समय भारत के क्लीनिकों में भी यह उपलब्ध है।

(ख) से (ङ) यह तकनीक दिल्ली में न तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अपनाई जा रही है और न ही सफदरजंग अस्पताल में। सरकार इस सुविधा को शुरू करने पर विचार करेगी बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर परिषद को धनराशि का आवंटन

*159. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद को सदस्य राज्यों में विभिन्न विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त धनराशि नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1992-93 के दौरान परिषद को कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) 1993-94 के लिए परिषद ने कितनी धनराशि की मांग की है ?

गृह मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) और (ख) उत्तर-पूर्वी परिषद (एन० ई० सी०) की योजनाओं के लिए धन की सम्पूर्ण व्यवस्था भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋणों और केन्द्रीय सहायता द्वारा की जाती है। केन्द्र सरकार के कुल स्रोतों की स्थिति को देखते हुए परिव्यय का निर्धारण किया जाता है।

(ग) और (घ) वर्ष 1992-93 के लिए उत्तर-पूर्वी परिषद की वार्षिक योजना 232 करोड़ रुपए की है। वर्ष 1993-94 के लिए उत्तर-पूर्वी परिषद के प्रस्तावित 334·54 करोड़ रुपये की तुलना में वार्षिक योजना 265 करोड़ रुपये की है।

कच्चा लोहा

*160. डा० डी० वेंकटेश्वर राव : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे लोहे के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकारी क्षेत्र की अनेक कंपनियों का संयुक्त उद्यमों सहित आधुनिकीकरण, विस्तार और विविधीकरण के कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कितनी वृद्धि हो जायेगी;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कच्चे लोहे का कितना उत्पादन हुआ;

(घ) क्या यह उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1992-93 के लिए कितना उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं। हालांकि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के कुछ संयंत्रों में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन में उच्च तप्त धातु उत्पादकता की परिकल्पना की गई है। जिससे अन्य बातों के साथ-साथ कच्चे लोहे का उत्पादन अधिक होगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में कच्चे लोहे का उत्पान निम्नानुसार है :—

(लाख टन)

1990-91	1991-92
14.95	16.90

(घ) जी, हां।

(ङ) वर्ष 1992-93 में 21 लाख टन की मांग की तुलना में कुल उत्पादन 17.92 लाख टन होने की संभावना है। इस प्रकार इसमें 3.08 लाख टन का अन्तर रहेगा।

विभिन्न प्रकार के शैम्पुओं का निर्माण

1469. श्री रतिलाल वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्माण शैम्पूओं में प्रयोग किए जाने वाले खतरनाक रसायनों के कारण से बालों और त्वचा के लिए उपयुक्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपभोक्ताओं के लिए इन्हें उपयुक्त बनाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) शैम्पुओं के लिए लाइसेंस औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा दिया जाता है और इसलिए उनमें किसी प्रकार का कोई हानिकारक अवयव नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या

1470. श्री आनन्द अहिरवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1991 की जनगणना सम्बन्धी आंकड़ों को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत कितना है; और

(ग) 1981 की जनगणना की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी की वृद्धि का प्रतिशत कितना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक कस्बे/शहर के प्रत्येक वार्ड के सम्बन्ध में प्राथमिक जनगणना सार जारी कर दिया गया है जिसमें इकाई का क्षेत्रफल, आबादी आवासीय मकानों की संख्या, परिवारों की संख्या, कुल जनसंख्या, 0-6 आयु समूह की जनसंख्या, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, साक्षरों की संख्या, मुख्य काम करने वालों का नौ औद्योगिक श्रेणियों में वर्गीकरण, सीमांतिक काम करने वालों और काम न करने वालों की स्त्री/पुरुष-वार संख्या दी गई है।

(ख) और (ग) राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्र-वार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या और प्रतिशतता तथा 1981 की जनगणना की तुलना में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित-जनजाति की प्रतिशतता में हुई वृद्धि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1991 की जनगणना के अनुसार जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या, 1981 और 1991 की जनजणनाओं के अनुसार कुल जनसंख्या में अ० जा०/अ० ज० जा० की प्रतिशतता तथा 1981-91 में प्रतिशतता में परिवर्तन को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	1991 में जनसंख्या		कुल जनसंख्या में प्रतिशत				प्रतिशत परिवर्तन 1981-91	
		अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां	अनुसूचित जातियां 1981	अनुसूचित जातियां 1991	अनुसूचित जनजातियां 1981	अनुसूचित जनजातियां 1991	अ०जा०	अ०ज०जा०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राज्य :								
1.	आन्ध्र प्रदेश	10,592,066	4,199,481	14.87	15.93	5.93	6.31	1.06	0.38
2.	अरूणाचल प्रदेश	4,052	550,351	0.46	0.47	69.82	63.66	0.01	-6.16
3.	असम*	1,659,412	2,874,441	—	7.40	—	12.83	—	—
4.	बिहार	12,571,700	6,616,914	14.51	14.56	8.31	7.66	0.05	-0.65
5.	गोवा	24,364	376	2.05	2.08	0.07	0.03	0.03	-0.04
6.	गुजरात	3,060,358	6,161,775	7.15	7.41	14.23	14.92	0.26	0.69
7.	हरियाणा	3,250,933	—	19.07	19.75	—	—	0.68	—
8.	हिमाचल प्रदेश	1,310,296	218.349	24.62	25.34	4.61	4.22	0.72	-0.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	जम्मू और कश्मीर**	—	—	8.31	—	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	7,369,278	1,915,691	15.07	16.38	4.91	4.26	1.31	-0.65
11.	केरल	2,886,522	320,967	10.01	9.92	1.03	1.10	—0.09	0.07
12.	मध्य प्रदेश	9,626,679	15,399,034	14.10	14.54	22.97	23.27	0.44	0.30
13.	महाराष्ट्र	8,757,842	7,318,281	7.14	11.10	9.19	9.27	3.96	0.08
14.	मणिपुर	37,105	632,173	1.25	2.02	27.30	34.41	0.77	7.11
15.	मेघालय	9,072	1,517,927	0.41	0.51	80.58	85.53	0.10	4.95
16.	मिजोरम	691	653,565	0.03	0.10	93.55	94.75	0.07	1.20
17.	नागालैंड	—	1,060,822	—	—	83.99	87.70	—	3.71
18.	उड़ीसा	5,129,314	7,032,214	14.66	16.20	22.43	22.21	1.54	—0.22
19.	पंजाब	5,742,528	—	26.87	28.31	—	—	1.44	—
20.	राजस्थान	7,607,820	5,474,881	17.04	17.29	12.21	12.44	0.23	0.23
21.	सिक्किम	24,084	90,901	5.78	5.93	23.27	22.36	0.15	—0.91
22.	तमिलनाडु	10,712,266	574,194	18.35	19.18	1.07	1.03	0.83	—0.04
23.	त्रिपुरा	451,116	853,345	15.12	16.36	28.44	30.95	1.24	2.51
24.	उत्तर प्रदेश	29,276,455	287,901	21.16	21.04	0.21	0.21	—0.12	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	16,080,611	3,808.760	21.99	23.62	5.62	5.60	1.63	—0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	संघ राज्य क्षेत्र :								
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	26,770	—	—	11.85	9.54	—	—2.31
2.	चण्डीगढ़	105,977	—	14.69	16.51	—	—	2.42	—
3.	दादरा और नगर हवेली	2,730	109,380	1.97	1.97	78.82	78.99	0.00	0.17
4.	दमन और दीव	3,891	11,724	3.56	3.83	12.70	11.54	0.27	—1.16
5.	दिल्ली	1,794,896	—	18.03	19.05	—	—	1.02	—
6.	लक्षद्वीप	—	48.163	—	—	93.82	93.15	—	—0.67
7.	पाण्डिचेरी	131,278	—	15.99	36.26	—	—	0.26	—

*असम में 1981 में जनगणना नहीं की गई थी।

**जम्मू और कश्मीर में 1991 में जनगणना नहीं की गई थी।

[अनुवाद]

माल भाड़ा समीकरण योजना का प्रतिस्थापन

1471. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालभाड़ा समीकरण योजना के स्थान पर अन्य योजनायें लागू कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन्हें लागू करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह परिवर्तन इस्पात उपभोक्ताओं के लिए लाभकर होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ) हालांकि मालभाड़ा समीकरण योजना को समाप्त कर दिया गया है। फिर भी मुख्य उत्पादक अर्थात स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड स्टाकयार्ड तक वास्तविक माल भाड़ा अथवा नियन्त्रण समाप्त करने से पूर्व के बराबर भाड़ा तत्व वसूल कर रहे हैं। इसका उद्देश्य मुख्य उत्पादकों के इस्पात संयंत्रों के समीप स्थित राज्यों के उपभोक्ताओं को कम माल-भाड़े का लाभ देने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना है कि अधिक दूरी के राज्यों के उपभोक्ताओं को माल-भाड़ा समीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकार्य माल-भाड़े से अधिक माल-भाड़े का भुगतान न करना पड़े। इस पर आने वाली अतिरिक्त लागत को मुख्य उत्पादक स्वयं वहन करते हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली में क्षय रोग अस्पताल

1472. डा० रमेश चन्द तोमर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में और क्षय रोग अस्पताल खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन अस्पतालों को किन स्थानों पर खोला जाएगा; और

(ग) इस समय दिल्ली में क्षय रोग की चिकित्सा हेतु कौन से अस्पताल हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बो० शंकरानंद) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) इस समय दिल्ली में दो क्षयरोग अस्पताल हैं (i) राजन बाबू टी० बी० अस्पताल और (ii) लाला राम सरूप टी० बी० और एलाइड डिजीजिस संस्थान।

[अनुवाद]

अर्धसैनिक बलों के मारे गए कर्मियों के आश्रितों के लिए कल्याण एवं क्षतिपूर्ति योजनाएं

1473. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के बल-वार कितने कर्मी 1992 के दौरान विभिन्न कार्यवाहियों में मारे गए;

(ख) किन-किन राज्यों में कार्यवाही के दौरान ये कर्मी मारे गए;

(ग) ऐसे कर्मियों के निकट सम्बन्धियों के लिए चलायी गयी कल्याण और मुआवजा योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रत्येक मामले में देय धनराशि का भुगतान कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो 31 दिसम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार ऐसे कितने मामले लम्बित थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) :

(क) भारत तिब्बत सीमा पुलिस	—	2
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	—	2
सीमा सुरक्षा बल	—	141
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	—	60
असम राइफल्स	—	32
योग :		—237

(ख) जम्मू तथा कश्मीर	123
पंजाब	37
असम	12
आंध्र प्रदेश	29
मध्य प्रदेश	1
त्रिपुरा	7
मणिपुर	13
पश्चिम बंगाल	1
उत्तर प्रदेश	5
नागालैंड	88
गुजरात	1
योग :	—237

(ग) कार्य के दौरान मारे गए केन्द्रीय अर्धसैनिक कर्मियों के निकटतम सम्बन्धियों के लिए निम्नलिखित कल्याण एवं क्षतिपूर्ति योजनाएं मौजूद हैं :—

1. अनुग्रह राशि का भुगतान : इस योजना में, ऐसे कर्मियों के परिवारों को, केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना के अधीन बीमा तथा सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुग्रह राशि आदि को मिलाकर कुल एक लाख रुपए के भुगतान के प्रावधान हैं।

2. उदारीकृत पेंशन अवार्ड : इस योजना के अन्तर्गत विधवा को, मृतक सरकारी कर्मचारी द्वारा आहरित अन्तिम वेतन के बराबर "परिवार पेंशन" प्राप्त करने का अधिकार है।

3. कल्याण निधियों तथा कल्याण जोखिम (प्रीमियम) निधि से भुगतान : प्रत्येक अर्द्धसैनिक बल में, उनके द्वारा चलाई जा रही कल्याण निधियों तथा केन्द्रीय कल्याण जोखिम (प्रीमियम) निधि से परिवारों को वित्तीय सहायता दिए जाने के लिए वैयक्तिक योजनाएं हैं।

4. अन्य सुविधाएं : कार्य के दौरान मारे गए अर्द्धसैनिक बलों के कर्मियों के परिवार, द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल किराए में छूट के पात्र हैं।

(घ) 237 मामलों में से, 187 मामलों में देय राशि का भुगतान कर दिया गया है।

(ङ) 20 मामलों में कोई भुगतान नहीं किया गया। शेष तीस मामलों में, निम्नलिखित को छोड़कर सभी देय राशियों का भुगतान कर दिया गया है :—

(i) अनुग्रह सहायता	1
(ii) एल० पी० ए०	18
(iii) समूह बीमा योजना	3
(iv) परोपकार निधि	4
(v) ग्रेच्युटी	4
योग :	30

संभावित हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों का पता लगाने हेतु बोली लगाने के लिए निविदा सूचनाएं

1474. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संभावित तटवर्ती तथा अपतटीय प्रखंडों में हाइड्रोकार्बन के क्षेत्रों का पता लगाने हेतु (तेल और गैस का खोज के लिए) बोली लगाने के लिए अब तक कितनी बार निविदा सूचनाएं जारी की गयी हैं तथा किस-किस तिथि को;

(ख) बोलियां किस-किस तारीख को प्राप्त हुई तथा ठेके किस-किस तारीख को दिए गए अथवा स्थगित किए गए;

(ग) यदि ठेके दिए जाने में विलम्ब हुआ, तो प्रत्येक मामले में विलम्ब के क्या कारण थे तथा उसके क्या परिणाम निकले और विलम्ब न होने देने के लिए क्या उपचारी कदम उठाए गए; और

(घ) प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) आज

तक 5 दौरों के लिए निविदा सूचनाएं जारी की गई हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं :—

दौर		जारी होने का वर्ष
पहला	—	1979
दूसरा	—	1982
तीसरा	—	1986
चौथा	—	1991
पांचवां	—	1993

(ख) पहले दौर में बोली प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 30-4-81 थी। बोली के पहले दौर में 26-3-82 को सौराष्ट्र अपतट में एक ब्लाक के लिए संविदा दी गई थी। दूसरे दौर में कोई संविदा नहीं की गई थी। तीसरे दौर में बोली देने की अन्तिम तिथि 30-11-86 थी। नौ संविदायें हस्ताक्षरित की गई थी। विवरण नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं०	ब्लाक का नाम	विदेशी तेल कम्पनी का नाम	हस्ताक्षर करने की तिथि
1.	के० जी०-ओ० एस०-I	शेवारान इंटरनेशनल लिमिटेड और टैक्सको एक्सप्लोरेशन इंडिया इंक	16-12-1987
2.	के० जी०-ओ० एस०-VII	—वही—	16-12-1987
3.	पी०-ओ० एस०-II	—वही—	16-12-1987
4.	एम० एन०-ओ० एस०-I	—वही—	18-4-1988
5.	के० जी०-ओ० एस०-IV	इंटरनेशनल पेट्रोलियम (बारमुडा) लि०	17-12-1987
6.	के० के०-ओ० एस०-1/I	बी० एच० पी० पेट्रोलियम (इंडिया) लि०	19-2-1988
7.	के० के०-ओ० एस०-II	शैल इंटरनेशनल प्रोडक्शन डेवलपमेंट बी० वी० नीदरलैंड	4-6-1988
8.	के० के०-ओ० एस०-IV	—वही—	4-6-1988
9.	के० जी०-ओ० एस०-V	एमोको इंडिया पेट्रोलियम कं०, यू० एस० ए०	22-7-1988

चौथे दौर में बोलियों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 15-4-1992 थी। नीचे दिए गए

विवरण के अनुसार अब तक एक संविदा हस्ताक्षरित की गई है :—

ब्लाक का नाम	कम्पनी का नाम	संविदा पर हस्ताक्षर की तिथि
कृष्णा-गोदावरी अपतट बेसिन में के० जी०-ओ० एस०-90/1	संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसर्स अल्वियन इंटरनेशनल रिसोर्सेज, आस्ट्रेलिया के कापलेक्स रिसोर्सेज, संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसर्स ओवरसीज एक्सप्लोरेशन का० और भारत के हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कंपनी को मिलाकर संघ	19-02-1993

पांचवें दौर में बोलियों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30-6-1993 है। अब तक कोई बोली, प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) संविदाओं को देने में कोई विलम्ब नहीं हुआ था।

(घ) पहलें दौर में हस्ताक्षरित एक संविदा के और तीसरे दौर में हस्ताक्षरित आठ संविदा में कम्पनियां संविदाओं से वापस हो गई क्योंकि वे हाइड्रोकार्बनों को नहीं खोज पाई। तीसरे दौर की नौवीं संविदा में जिसमें ब्लाक के० जी०-ओ० एस०-IV/ शामिल था, कम्पनी ने अन्वेषण अवधि के दूसरे चरण के लिए अपने कार्य दायित्व को पूरा कर दिया है और संविदा से वापस होने की प्रक्रिया में हैं। चौथे दौर के सम्बन्ध में, ठेकेदार को ब्लाक के० जी०-ओ० एस०-90/1 में अभी कार्य आरम्भ करना है क्योंकि हाल ही में संविदा पर हस्ताक्षर किया गया है।

[हिन्दी]

कोयला कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभ

1475. **श्री राजवीर सिंह :**

डा० लाल बहादुर रावल : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान विभिन्न कोयला कम्पनियों द्वारा वर्षवार अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य को कोयले की रायल्टी के रूप में कुल कितनी धन-राशि दी गई;

(ग) रायल्टी की दर निर्धारित करने के लिए क्या-क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने रायल्टी में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) विभिन्न कोयला कम्पनियों के वर्ष 1992-93 के लाभ/हानि के आंकड़े केवल लेखों को अन्तिम रूप दिए जाने तथा इनकी लेखापरीक्षा किए जाने के बाद ही उपलब्ध हो सकेंगे। किन्तु, लाभ/हानि के लेखों को कोयला कम्पनियों द्वारा राज्यवार नहीं रखा जाता है।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान (दिसम्बर, 1992 तक) कोल इंडिया लि० द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को कोयले पर दी गई रायल्टी की राशि (जिसमें उपकर शामिल नहीं है) को नीचे दर्शाया गया है :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	वर्ष 1992-93 के दौरान (दिसम्बर, 92 तक) कोयला कम्पनियों द्वारा अदा की गई राशि (करोड़ रु० में)
1.	पश्चिम बंगाल	4.49
2.	बिहार	319.15
3.	उत्तर प्रदेश	46.52
4.	मध्य प्रदेश	296.62
5.	महाराष्ट्र	54.87
6.	उड़ीसा	43.26
7.	असम	0.32

आंध्र प्रदेश के मामले में राज्य सरकार के उपक्रम सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० (सि० को० कं० लि०) को वर्ष 1992-93 के दौरान रायल्टी की देय राशि 151.90 करोड़ रु० की होगी।

(ग) खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957 की धारा 9(3) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को द्वितीय सूची में संशोधन करने के लिए प्राधिकृत करती है ताकि वह किसी भी खनिज के मामले में देय रायल्टी की दर में वृद्धि अथवा कटौती कर सके। अधिकांशतः रायल्टी की दरों का निर्धारण किए जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का अनुपालन राज्य सरकारों की राजस्व सम्बन्धी आवश्यकताओं को सन्तुलित किए जाने के लिए किया जाता है जिनकी खनिजों पर रायल्टी की राशि देय होती है, उपभोग उद्योगों पर इसकी प्रभावकारिता और यह कार्रवाई किसी खनिज को विकसित किए जाने के लिए अपेक्षित प्रोत्साहन के रूप में की जाती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार पर किसी भी खनिज की रायल्टी की दर में 3 वर्ष की अवधि के दौरान एक बार से अधिक वृद्धि किए जाने पर रोक है। चूंकि कोयले की रायल्टी में पिछली बार संशोधन दिनांक 1-8-91 को किया गया था, अतः कोयले की रायल्टी की दरों में अगला संशोधन दिनांक 1-8-1994 के पश्चात् ही किया जा सकता है।

अर्ध-सैनिक बलों में भर्ती

1476. डा० लाल बहादुर रावल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 के दौरान बी० एस० एफ०, सी० आई० एस० एफ०, सी० आर० पी० एफ० तथा अन्य केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में कुल कितने जवान भर्ती किए गए;

(ख) उक्त अवधि में भर्ती किए गए जवानों में से कितने जवान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं;

(ग) इस समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने आरक्षित पद रिक्त हैं; और

(घ) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) वर्ष 1992 के दौरान अर्धसैनिक बलों में भर्ती किए गए जवानों की संख्या निम्न प्रकार है :—

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी० आई० एस० एफ०)	—	4025
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी० आर० पी० एफ०)	—	7574
भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आई० टी० बी० पी०)	—	607
सीमा सुरक्षा बल (बी० एस० एफ०)	—	4841
असम (राईफल)	—	1418

(ख) और (ग) भर्ती किए गए उपरोक्त जवानों में से अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के जवानों की संख्या और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जतजाति के लिए आरक्षित रिक्त पड़े पदों की संख्या निम्न प्रकार है :—

	भरे गए		रिक्त	
	अनु० जा०	अनु० जन जाति	अनु० जा०	अनु० जनजाति
सी० आई० एस० एफ०	767	168	—	310
सी० आर० पी० एफ०	1571	982	573	555
आई० टी० बी० पी०	112	42	शून्य	शून्य
बी० एस० एफ०	651	640	486	शून्य
असम राईफल्स	188	186	325	186

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की बकाया रिक्तियों को भरने के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

तेल के भंडारों में कमी

1477. डा० एम० के० पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाम्बे हाई तथा उत्तर गुजरात के तेल भंडारों में प्राकृतिक रूप से हुई कमी के कारण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के उत्पादन लक्ष्य में 7 मीट्रिक टन की कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कमी के कारण कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा और खर्च करनी पड़ेगी;

(घ) क्या हजीरा काम्पलेक्स के विस्तार कार्य को स्वीकृति दे दी गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस विलम्ब के कारण कितना घाटा होने की संभावना है; और

(च) निवेश, परियोजनाओं की श्रेणियों आदि को दर्शाने वाले विवरण सहित हजीरा काम्प्लेक्स के विस्तार कार्य का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) हाजिरा टर्मिनल के विस्तार को 952.99 करोड़ रुपए की कुल लागत पर स्वीकृत किया गया है। हाजिरा से जो अतिरिक्त गैस उपलब्ध होगी उसे हाजिरा में तथा एच० बी० जे० पाइपलाइन के आस-पास के विद्युत, उर्वरक तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश पुलिस की राज्यों में तैनाती

1478. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के निर्देश पर मध्य प्रदेश की पुलिस को समय-समय पर अन्य राज्यों में तैनात किया गया है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से पुलिस बल की तैनाती पर राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार को भुगतान कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) और (घ) विद्यमान अनुदेशों के अनुसार छूट प्राप्त कुछ राज्यों के अलावा जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है, उधार लेने वाले राज्यों के लिए उधार देने वाले राज्यों को प्रतिपूर्ति करना वांछित होता है। तदनुसार जम्मू और कश्मीर और त्रिपुरा के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जा रही है। अन्य मामलों में, सम्बन्धित राज्यों को मध्य प्रदेश सरकार की बकाया देयता का समायोजन केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशियों से चरणबद्ध रूप से करने का निर्णय लिया गया है और भुगतान, तदनुसार ही शुरू हो गया है।

नोएडा में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

1479. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नोएडा में, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) एक नया केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने एवं अपेक्षित स्टाफ सृजित करने के लिए मंजूरी जारी कर दी गई है । इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त आवास का निर्धारण भी किया जा चुका है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

नई दिल्ली नगर पालिका के अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मृत्यु

1480. श्री एन० जे० राठवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका के प्रसूति अस्पतालों में अस्पताल-वार और वर्ष-वार कितने नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई;

(ख) अब तक कराई गई जांचों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन मामलों में कुछ डाक्टर दोषी पाए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका के प्रसूति अस्पताल में किसी नवजात शिशु की मृत्यु नहीं हुई है ।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

दिल्ली में अवैध रूप से बसों को चलाना

1481. श्री जीवन शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यातायात पुलिस द्वारा अवैध रूप से बस चलाने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी चार्टर्ड बसों का चालान किया गया;

(ख) क्या इन बसों को चलने से रोकने के लिए उन्हें कब्जे में लेने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) दिल्ली प्रशासन, परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा द्वारा जांच की गई चार्टर्ड बसों पर चलाए गए वर्षवार मुकद्दमे निम्न प्रकार हैं :

1990	—	1741
1991	—	2175
1992	—	6249

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) बसों की जांच दिल्ली प्रशासन, परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा द्वारा की जाती है । पिछले तीन वर्षों के दौरान पकड़े गए वाहनों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

1990	—	273
1991	—	308
1992	—	417

[हिन्दी]

गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र

1482. श्री केशरी लाल : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए कुछ रियायतें देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार निकट भविष्य में किन-किन राज्यों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने का है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) 1993-94 के लिए बजट प्रस्तावों में कुछ उपाय निहित हैं जिनसे इस्पात संयंत्रों सहित औद्योगिक परियोजनाओं की व्यवहार्यता में सुधार होगा । इन उपायों में परियोजना आयात पर सीमा शुल्क कम करना और न्यूनतम ब्याज दर में कमी करना शामिल है ।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[अनुवाद]

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की आधुनिकीकरण लागत में वृद्धि

1483. श्री सनत कुमार मंडल : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में एक वर्ष का विलम्ब होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विलम्ब के कारण लागत में कितनी वृद्धि होगी ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कुछ पैकेजों में विलम्ब होने की सम्भावना है ।

(ख) प्रमुख कारण निम्नानुसार है :—

(1) संरचनात्मक और उपस्करों की सप्लाई में विलम्ब ।

(2) कार्य की मात्रा में वृद्धि विशेष रूप से धमन भट्टी और सिन्टर प्लांट पैकेजों में सिविल और संरचनात्मक कार्यों से सम्बन्धित कार्य ।

(3) स्थल कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधनों का न होना ।

(4) विभिन्न पैकेजों के लिए उपस्करों की सप्लाई में विलम्ब ।

(ग) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण वृद्धि का बड़ा भाग राजकोषीय और आर्थिक कारणों से सम्बन्धित है । विलम्ब के कारण लागत में हुई वृद्धि अधिक नहीं होगी ।

[हिन्दी]

बिजलीघरों में कोयले की आपूर्ति

1484. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के विभिन्न बिजलीघरों के लिए कुल कितने कोयले की मांग थी;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन बिजलीघरों को वास्तव में कुल कितने कोयले की आपूर्ति की गई; और

(ग) इन बिजलीघरों को अपेक्षित मात्रा में कोयले की आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कोयले की मूल्यांकित की गई आवश्यकताओं को जोकि मध्य प्रदेश में स्थित तापीय विद्युत गृहों को आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा को नीचे दर्शाया गया है :—

(000 टन में)

वर्ष	आवश्यकता	वास्तविक आपूर्ति
1989-90	उ० नहीं	20482
1990-91	24016	22386
1991-92	24205	24248

(ग) विद्युत उपयोगिताओं को कोयले के आबंटन और प्रेषण किए जाने को उच्चतम प्राथमिकता दी जा रही है । विद्युत उपयोगिताओं को कोयले के प्रेषण पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही

जा रही है और विद्युत गृहों को कोयले के संचलन को बढ़ाने के लिए जहां कहीं अपेक्षित हो सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है ।

[अनुवाद]

जन्मपूर्व लिंग परीक्षण

1485. श्री अन्नारासु इरा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जन्मपूर्व लिंग परीक्षण पर रोक लगाने हेतु एक विधेयक लाने का विचार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विधेयक को कब तक पुरःस्थापित करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (ग) लोक सभा में दिनांक 12-9-1991 को प्रस्तुत किए गए "प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991" नामक विधेयक को संसद के दोनों की एक संयुक्त समिति को भेजा गया था जिसने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

सरकार का इरादा है कि इस विधेयक पर संसद के चालू सत्र के दौरान विचार किया जाए ।

[हिन्दी]

मेडिकल शिक्षा

1486. श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेडिकल शिक्षा के व्यवसायीकरण में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस व्यवसायीकरण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा परिषद के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, कुछ निजी चिकित्सा कालेज इसी तरह के सरकारी संस्थानों से अधिक शुल्क ले रहे हैं । तथापि, भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में यह निर्णय दिया है कि निजी चिकित्सा कालेजों के सम्बन्ध में शुल्क उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा । न्यायालय के आदेश को कार्यान्वित करने के तौर तरीकों का पता किया जाना है ।

कोयला श्रमिकों द्वारा हड़ताल

1487. श्री बिलास मुत्तेमवार :

श्री हाराधन राय :

श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग सम्बन्धी संयुक्त द्विपक्षी समिति (जे० बी० सी० सी० आई०) राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-5 के बारे में बातचीत करने के लिए गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) कोयला श्रमिकों के मजदूरी सम्बन्धी मामले को कब तक निपटा दिए जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान 1 फरवरी, 1993 के दैनिक सामाचार पत्र "जनसत्ता" (दिल्ली संस्करण) में "कोयला मजदूर 15 मार्च से तीन दिन की हड़ताल पर जाएंगे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर भी दिलाया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह "कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति-4 के साथ परामर्श करके जे०बी०सी०सी० आई०-5 का गठन करे। एक केन्द्रीय दल, जिसमें जे० बी०सी०सी० आई०-4 के प्रतिनिधि हैं, का गठन किया गया है ताकि विचार-विमर्श करके जे० बी० सी० सी० आई०-5 के गठन किए जाने सम्बन्धी निर्णय लिया जा सके।

(ग) जे० बी० सी० सी० आई०-5 के गठन हो जाने के बाद राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-5 पर विचार-विमर्श आरम्भ कर दिया जाएगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारतीय मजदूर संघ (बी० एम० एस०) से सम्बद्ध भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ ने हड़ताल का नोटिस दिया है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि यदि दिनांक 14-3-1993 तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे दिनांक 15-3-1993 से हड़ताल करेंगे।

दिनांक 24-2-1993 को कलकत्ता में केन्द्रीय दल की हुई बैठक में प्रबंधन ने सामान्य रूप में सभी मजदूर संघों के प्रतिनिधियों से तथा विशेषरूप में भारतीय मजदूर संघ से अपील की कि वे आंदोलन के रास्ते पर जाने से बचें।

उड़ीसा और बिहार में नकली रसोई गैस सिलिंडरों का उपयोग

1488. **श्री श्रीकांत जेना** :

श्री लाल बाबू राय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और बिहार में व्यापक पैमाने पर नकली रसोई गैस सिलिंडरों का उपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार विगत वर्ष ऐसे कितने सिलिंडर राज्यों में पकड़े गए; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे कदाचार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान उड़ीसा और बिहार में स्थित एल० पी० जी० संभरण संयंत्रों पर 14 संदिग्ध नकली सिलिंडरों का पता चला था।

(ग) तेल कंपनियों के क्षेत्रीय अधिकारी प्रणाली में नकली सिलेण्डरों के परिचालन पर निगरानी रखते हैं। संदिग्ध परिसरों पर छापे मारे जाते हैं। जब कभी तेल विपणन कंपनियों द्वारा नकली सिलेंडरों का पता चलता है उनको तत्काल नष्ट कर दिया जाता है। जब एल० पी० जी० एजेंसियों/डिस्ट्रीब्यूटरों से ऐसे सिलेन्डरों का पता चलता है, उन्हें सावधानी/चेतावनी पत्र दिए जाते हैं और 1500 रुपये प्रति नकली सिलेंडर अर्थदण्ड वसूल लगाया जाता है।

उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और उनका दोहन

1489. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन प्रचुरता से उपलब्ध हैं और देश के विकास के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में उपलब्ध बहुमूल्य खनिजों के दोहन करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ग) गत एक वर्ष में किन-किन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का पता चला है और इन प्राकृतिक संसाधनों का ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में कोयला, चूना-पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, सोपस्टोन, सिलिका सैंड और फास्फोराइट जैसे खनिज मिलते हैं। कोयला, चूना-पत्थर और फास्फोराइट जैसे खनिजों का विदोहन केन्द्र और राज्य सरकार के उपक्रमों अर्थात्—कोल इण्डिया लि०, यू० पी० स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लि०, यू० पी० स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, पाइराइट फास्फेट एण्ड कैमिकल्स लि० द्वारा किया जा रहा है। सोपस्टोन सिलिका सैंड और मैग्नेसाइट के निक्षेपों का विदोहन प्राइवेट पार्टियों द्वारा किया जा रहा है।

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में कोई नया बड़ा खनिज स्रोत नहीं मिला है।

[अनुवाद]

इस्पात तथा लोहा उद्योगों का लाइसेंस समाप्त करना

1490. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1991 में इस्पात तथा लोहा उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी;

(ख) क्या इस बात की कोई पुनरीक्षा की गई है कि इस्पात तथा लोहा उद्योग के विकास में इस नीति से किस सीमा तक सहायता मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) वर्ष 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत "लोहा और इस्पात उद्योग" को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग की अनिवार्यता से भी, कुछ स्थान स्थितियों की शर्तों को छोड़कर, छूट दे दी गई है।

(ख) और (ग) इस्पात परियोजनाएं सामान्यतः पूंजी सघन और लम्बी अवधि के बाद पूरी तरह से तैयार होती हैं इसलिए नई नीति की इस पर पड़ने वाले प्रभाव का पता यथासमय ही लग पाएगा।

तथापि यह सच है कि लोहा और इस्पात उद्योग में नई परियोजनाएं स्थापित करने अथवा विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार करने के लिए काफी संख्या में औद्योगिक उद्यमियों ने ज्ञापन दिए हैं जो नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद उद्यमियों द्वारा ली गई रुचि को दर्शाता है ।

बिहार में इस्पात परियोजनाएं

1491. श्री राम टहल चौधरी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बिहार में इस्पात परियोजनाओं की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लम्बे समय से लम्बित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार से ये प्रस्ताव किस तिथि को प्राप्त हुए और ये किस उत्पादन क्षेत्र से सम्बन्धित हैं;

(ग) इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत दे दी जाएगी ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत लोहे और इस्पात को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग की अपेक्षाओं से भी छूट दे दी गई है । अतः इस्पात परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है बशर्ते प्रस्तावित परियोजना-स्थल 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की सीमा के 25 कि० मी० के भीतर न हों । बिहार में इस्पात परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने हेतु इस समय कोई प्रस्ताव मंजूरी के लिए लम्बित नहीं है ।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को दवाओं की आपूर्ति

1492. श्री मदन लाल खुराना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (के० स० स्वा० यो०) को दवाओं की आपूर्ति के लिए केमिस्टों को नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और केमिस्टों के चयन के लिए क्या तरीका अपनाया गया है;

(ग) दिल्ली में कितने केमिस्टों को नियुक्त किया गया है;

(घ) क्या सुपर बाजार या केन्द्रीय भंडार द्वारा औषधालयों में दवाओं की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) रोगियों को ऐसी औषधों की तत्काल सप्लाई करने के लिए स्थानीय केमिस्ट नियुक्त किए

जाते हैं, जो औषधालयों में तत्काल उपलब्ध नहीं होती हैं। केमिस्ट प्राप्त हुई खुली निविदाओं के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं।

(ग) 30।

(घ) केवल सुपर बाजार से सप्लाई प्राप्त करने का एक प्रस्ताव है।

(ङ) दरों तथा सेवा प्रभार आदि से सम्बन्धित शर्तें विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति

1493. कुमारी विमला वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत लोक सभा के चुनावों के दौरान मध्य प्रदेश में मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने की घटनाओं के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे;

(ख) इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया और उन्हें किस प्रकार के दण्ड दिए गए;

(घ) क्या इनमें से कुछ व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन व्यक्तियों को किन आधारों पर छोड़ा गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बिहार में रसोई गैस की मांग और आपूर्ति

1494. श्री रामलखन सिंह यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में रसोई गैस की अबाध आपूर्ति हेतु क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) बिहार में एल० पी० जी० के वर्तमान ग्राहकों की मांग कमोबेश पूर्ण रूप से पूरी की जा रही है। सम्भावित अस्थाई बकाए को बढ़े हुए घंटों में, और रविवारों/छुट्टी के दिनों में सम्भरण संयंत्रों के प्रचालन द्वारा एल० पी० जी० आपूर्तियों में वृद्धि करके पूरा किया जाता है। सहज आपूर्ति सुनिश्चित करने के निमित्त आस-पास के राज्यों में स्थित सम्भरण संयंत्रों से भी आपूर्तियां की जाती हैं।

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान बिहार में आपूर्ति की गई गई डिब्बा बंद एल० पी० जी० की मात्रा इस प्रकार है :—

वर्ष	संख्यायें मि० टनों में
1989-90	58369
1990-91	60853
1991-92	68519

आदिम जनजातियां

1495. श्री सुबास चन्द्र नायक : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आदिम जनजाति के सम्बन्ध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार/संघ राज्य-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) कल्याण मन्त्रालय ने "अखिल भारतीय सहायक परियोजनाओं अथवा अन्तर्राज्यीय प्रकृति की" दी योजना के अन्तर्गत विभिन्न गैर-सरकारी अनुसंधान संगठनों की अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित की थी। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न गैर सरकारी अनुसंधान संगठनों द्वारा आदिम जनजाति समूहों पर किए गए अध्ययनों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्यों में विभिन्न आदिम जनजाति समूहों पर किए गए अध्ययनों के नामों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	अनुसंधान संगठन के नाम जिन्होंने अध्ययन किया	आदिम जनजाति समूहों के नाम जिनके लिए अध्ययन किया गया था	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद	मेरिता गाँव की स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी स्थिति	रिपोर्ट प्राप्त हो गई।
2.	आंध्र प्रदेश	1. राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद	कोंडा रेड्डीज की स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी स्थिति	रिपोर्ट प्राप्त हो गई।
		2. इन्स्टीटयूट आफ सोशल रिसर्च एंड एप्लाईड एन्थ्रोपोलोजी, कलकत्ता	वनों तथा पठानों की चेंचुस	—तदैव—
3.	उड़ीसा	1. राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद	लेजिया सोरा की स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी स्थिति	रिपोर्ट प्राप्त हो गई।
		2. नवकृष्ण चौधरी सेंटर फार डवलेपमेंट स्टडीज, भुवनेश्वर	झूम खेती करने वाले कृषकों के पुनर्वास की जरूरत के लिए व्यापक सीढ़ीदार खेती तथा वैकल्पिक भूमि के प्रयोग के सम्बन्ध में माडल व्यवहार्यता सर्वेक्षण (कोरपुत में डोंडा पहाड़ियां)	प्रारूप रिपोर्ट प्राप्त हो गई।

1	2	3	4	5
4.	कर्नाटक	1. राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद	जेन कुरुवा की स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी स्थिति	रिपोर्ट प्राप्त हो गई
5.	मध्य प्रदेश	1. रांची विश्वविद्यालय, रांची	पहाड़ी कोरवाओ के प्रजननन आचरण से सम्बन्धित समस्याएँ	चल रहा है।
		2. भारतीय आदिम-जाति सेवक संघ नई दिल्ली	वेमास के मानव संसाधन विकास का अध्ययन	चल रहा है।
6.	बिहार	रांची विश्वविद्यालय	बिहार के पहाड़ी कोरवाओ की प्रजननन आचरण सैं सम्बन्धित समस्याएं	चल रहा है।

प्रतिबन्धित ऐडिटिव

1496. श्री गुमान मल लोढा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ऐडिटिव" जिन पर विदेशों में प्रतिबन्ध है अभी भी देश में प्रयोग किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन "ऐडिटिवों" पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा नियम खाद्य पदार्थों में केवल उन ऐडिटिवों की अनुमति देते हैं जो निरापद हैं।

खनन के लिए लाइसेंसों की स्वीकृति

1497. प्रो० प्रेम धूमल : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास हिमाचल प्रदेश में खनन के लिए लाइसेंस की स्वीकृति के लिए कुछ आवेदन छह माह से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आवेदनों पर निर्णय में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन आवेदनों पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश से 30-9-1992 तक पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टों की मंजूरी के लिए दस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो निम्न-लिखित क्षेत्रों के बारे में हैं :—

जिला	क्षेत्र
1. सिरमौर	341.98 बीघा
2. शिमला	36.04 वर्ग कि० मी०
3. सोलन	10.50 वर्ग कि० मी०

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर देहरादून जिले में कुछ खानों के बन्द करने से अनेक खान मालिक विस्थापित हो गए थे। इन खान मालिकों का पुनःस्थापन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार से कहा कि वे अपने राज्य में खनन पट्टे देने पर विचार करें। हिमाचल प्रदेश सरकार उपर्युक्त क्षेत्रों सहित अनेक क्षेत्रों में इन खान मालिकों को पुनःस्थापित करने पर विचार कर रही है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देहरादून क्षेत्र के विस्थापित खान मालिकों को पुनःस्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय किए जाने से पहले पूर्वेक्षण लाइसेंसों/खनन पट्टों के बकाया आवेदन पत्रों पर कोई निर्णय लेना सम्भव नहीं है।

कोयला की कमी का विद्युत उत्पादन पर प्रभाव

1498. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में कोयले की कमी एक बारहमासी समस्या है और गत समय में इसकी स्थिति बहुत गंभीर हो गई है जिससे देश में विद्युत उत्पादन प्रभावित हो रहा है;

(ख) क्या कोयला उत्पादक राज्यों ने कोयला उपकर में वृद्धि की मांग की है और केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है; और

(ग) रेलवे, कोयला और विद्युत विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने हेतु कौन से अन्य उपाय किए गए हैं/करने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : (क) सभी विद्युत उपयोगिताओं को कोयले की आपूर्ति का निर्धारण, विद्युत गृहों द्वारा स्वीकृत उत्पादन लक्ष्यों के आधार पर स्थायी संयोजन समिति द्वारा निर्णित तिमाही संयोजनों के आधार पर किया जाता है।

वर्ष 1991-92 के दौरान विद्युत गृह के लिए 137 मिलियन टन (मिडलिंग सहित) की आपूर्ति के स्वीकृत लक्ष्य की तुलना में 136.90 मिलियन टन का प्रेषण किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 1992-93 के दौरान कोयला कम्पनियों ने विद्युत उपयोगिताओं को 150 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति किए जाने की बचनबद्धता की है। अप्रैल, 92—जनवरी, 93 की अवधि के दौरान कोयला कम्पनियों (को० इं० लि० एवं सिं० को० कं० लि०) ने 121.25 मिलियन टन की आपूर्ति की है, जोकि इस अवधि के कोयला आपूर्ति लक्ष्य का 99.2 प्रतिशत है और कोयला आपूर्ति वार्षिक लक्ष्य का 80.83 प्रतिशत है। कोयला कम्पनियों को लक्ष्य के अनुसार विद्युत उपयोगिताओं की आवश्यकता की आपूर्ति किए जाने का पूर्ण विश्वास है।

कुछ विद्युत गृहों को छोड़कर जहां कि कोयले की उतराई सम्बन्धी समस्याएं विद्यमान हैं, अधिकांश विद्युत गृहों में कोयले के स्टाक में काफी सुधार हुआ है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा कोयले पर लगाए जा रहे अधिकांश उपकरों को न्यायालयों द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया है। चूंकि ये उपकर राज्य सरकारों द्वारा लगाए जा रहे थे, अतः केन्द्र सरकार उन्हें बढ़ाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति की नियमित रूप में निगरानी साप्ताहिक समन्वय समिति की बैठक में की जाती है। इस बैठक में कोयला मंत्रालय, रेलवे एवं विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। विद्युत गृहों को कोयले की बेहतर उपलब्धता का सुनिश्चय किए जाने के लिए इन संगठनों में घनिष्ठतम समन्वय रहता है।

आंध्र प्रदेश में खुली मुहाने की खानों के विकास के लिए कदम

1499. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के मनुगुरु में खुली मुहाने की खानें विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू योजना अवधि के दौरान इस कार्य के लिए कितना धन नियत किया गया है और इससे कितना उत्पादन होने की आशा है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) मानुगुरु क्षेत्र में 3 ओपनकास्ट खानों को पूर्व में विकसित किए जाने के अलावा, दो और ओपनकास्ट परियोजनाओं को अर्थात् मानुगुरु ओ० का०-III तथा मानुगुरु ओ० का०-4 को चालू योजना

अवधि में विकसित किए जाने का कार्यक्रम है। किन्तु, कोयला परियोजनाओं पर पूंजी निवेश सम्बन्धी अनुमोदन निम्नलिखित विभिन्न मुद्दों पर निर्भर करता है—जैसे भूमि की उपलब्धता, पर्यावरणीय एवं वनीय अनुमोदन, तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता तथा पर्याप्त मात्रा में निधियों की उपलब्धता, आदि।

(ख) 5 ओपेनकास्ट खानों/परियोजनाओं के लिए (जिसमें 2 संभावित परियोजना शामिल है) वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक की अवधि के लिये वर्तमान योजना आवंटन की राशि 188.75 करोड़ रु० रखी गई है। योजना के अंतिम वर्ष के दौरान मानुगुरु क्षेत्र में ओ० का० खानों से कोयले का उत्पादन 4.74 मि० टन प्रक्षिप्त किया गया है।

विशाखापत्तनम् से विजयवाड़ा तक पाइप लाइन

1500. **श्री धर्म भिक्षम :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने विशाखापत्तनम् से विजयवाड़ा तक पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विशाख से विजयवाड़ा तक पाइप लाइन बिछाने के लिए सरकार ने विस्तृत साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए 17-2-1993 को स्वीकृति दे दी है। मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड से नौ महीने की अवधि में विस्तृत साध्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

[हिन्दी]

भारत बांग्लादेश सीमा पर गोली चलने की घटनायें

1501. **श्री जनार्दन मिश्र :**

श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बांग्लादेश सीमा पर गत दो माह के दौरान गोली चलाये जाने की कोई घटनायें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इन घटनाओं के कारणों का पता लगाकर बांग्लादेश सरकार से अपना विरोध व्यक्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर बांग्लादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) और (ख) पिछले दो महीनों के दौरान भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करों और सुरक्षा बलों के मध्य गोलीबारी की 8 घटनाएं हुई।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान्। घटनाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश सरकार से विरोध प्रकट करना आवश्यक नहीं समझा गया।

दिल्ली में चुंगी समाप्त किए जाने के फलस्वरूप राजस्व की हानि

1502. श्री राम बदन :

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चुंगी समाप्ति के फलस्वरूप राजस्व में हानि का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस हानि की भरपाई सरकार किस प्रकार करेगी; और

(घ) चुंगी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को व्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। राजकोष को इससे लगभग 42 करोड़ रुपए का घाटा होने अनुमान है। दिल्ली प्रशासन के माध्यम से एकमुश्त अनुदान दिल्ली नगर निगम को देकर इस घाटे को पूरा कर दिया जायेगा।

(घ) नगर निगम ने सूचित किया है कि "टर्मिनल टैक्स विभाग" में विभिन्न श्रेणी के 1170 स्वीकृत पद थे। टर्मिनल टैक्स विभाग की समाप्ति के समय इसकी कार्यबल संख्या 1015 थी। इनमें से 297 कर्मचारियों/अधिकारियों को दिल्ली नगर निगम में रिक्त पड़े पदों पर समायोजित किया गया है। शेष कार्यबल को अन्य उपयुक्त स्थानों पर समायोजित करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान से सहायता प्राप्त के-2 परियोजना

1503. श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

श्री गुरुदास कामत :

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री अन्ना जोशी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में देश में अल्पसंख्यक समुदाय के सांप्रदायिक वर्गों को शामिल कर भारत में अव्यवस्था फैलाने के लिए पाकिस्तान की सहायता से चलाई जा रही एक परियोजना के-2 का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; और

(घ) पाकिस्तान के इस प्रयास का उत्तर देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) इस बारे में कुछ सूचना सरकार के ध्यान में आई है, लेकिन ब्यौरों को प्रकट करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा। तथापि इस बारे में विभिन्न सुरक्षा एजेन्सियों और राज्य पुलिस संगठनों को सुग्राहीकृत कर दिया गया है।

[हिन्दी]

मेडिकल कालेज

1504. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के रुहेल-खंड क्षेत्र में मैडिकल कालेज खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र

1505. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को कोचिंग देने के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे और केन्द्र खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ख) देश तथा उड़ीसा राज्य में क्रमशः 101 तथा 15 केन्द्र पहले से ही चल रहे हैं। फिलहाल उड़ीसा में भी केन्द्र की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	असम	1
2.	आंध्र प्रदेश	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	—
4.	बिहार	4
5.	गुजरात	6
6.	हरियाणा	6
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8.	जम्मू और कश्मीर	1
9.	कर्नाटक	7

1	2	3
10.	केरल	4
11.	मध्य प्रदेश	10
12.	महाराष्ट्र	4
13.	मणिपुर	1
14.	मेघालय	1
15.	नागालैंड	1
16.	उड़ीसा	15
17.	पंजाब	3
18.	राजस्थान	6
19.	सिक्किम	—
20.	तमिलनाडु	1
21.	त्रिपुरा	1
22.	उत्तर प्रदेश	12
23.	पश्चिमी बंगाल	5
24.	मिजोरम	—
25.	गोवा	1
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—
27.	चण्डीगढ़	3
28.	दिल्ली	1
29.	दादर नगर हवेली	—
30.	लक्षद्वीप	—
31.	दमन और दीव	—
32.	पांडिचेरी	1
	कुल	101

[हिन्दी]

नगर निगम अधिनियम, 1957

1506. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नगर निगम अधिनियम, 1957 में कुछ संशोधन करने पर विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 को संशोधित करने के लिए 24 नवम्बर, 1992 को लोक सभा में दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 1992 पेश किया गया।

हट्टी गोल्ड माइन्स कम्पनी लिमिटेड की उत्पादन क्षमता

1507. श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :

श्री के० एच० मुनियप्पा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हट्टी गोल्ड माइन्स कम्पनी लिमिटेड की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या अपेक्षित विशिष्टता वाले उच्च श्रेणी के शीलाइट कांसन्ट्रेट का उत्पादन करने के लिए निम्न श्रेणी के शीलाइट अयस्क का उपयोग करने में सफलता हासिल हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) हट्टी गोल्ड माइन्स लिमिटेड की उत्पादन क्षमता जो कर्नाटक राज्य का एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, 900 टन अयस्क प्रतिदिन है।

(ख) और (ग) हट्टी गोल्ड माइन्स लिमिटेड को उच्च ग्रेड शीलाइट सान्द्रों का उत्पादन करने के लिए निम्न ग्रेड शीलाइट अयस्क का उपयोग करने में कोई सफलता नहीं मिली है। यह उत्पादन लागत इस समय उपलब्ध टेक्नोलोजी से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से अधिक है। ऐसी सफलता प्राप्त करने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

भीड़ मनोवृत्ति और हिंसा के अध्ययन हेतु विशेष कक्ष

1508. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भीड़ मनोवृत्ति और हिंसा का अध्ययन करने हेतु एक विशेष कक्ष स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

दिल्ली में बिक्री कर

1509. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :

डा० गिरिजा मोहन :

श्री नीतीश कुमार :

श्री साइमन मरांडी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में अनेक वस्तुओं पर बिक्री कर में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और औचित्य क्या है;

(ग) उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिन पर बिक्री कर बढ़ाया गया है;

(घ) क्या व्यापारी समुदाय में भारी असंतोष है तथा उन्होंने बढ़ाए गए बिक्री कर की दर को वापस लेने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (ङ) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि संलग्न विवरण में दिए गए विवरण के अनुसार हाल ही में कुछ मदों पर बिक्री कर की दर बढ़ाई गई है। वृद्धि करने तथा उसको न्यायोचित ठहराने के कारण हैं :—

(i) योजना कार्यक्रमों तथा योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त संसाधनों में वृद्धि होना।

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर बिक्री कर की दर को तर्क-संगत करना।

(iii) चुंगीकर समाप्त करने से हुए राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति करना।

दिल्ली प्रशासन ने आगे बताया है कि बिक्री कर की दर में हुई वृद्धि को वापस लेने का अनुरोध करने सम्बन्धी कुछ प्रतिवेदन उन्हें प्राप्त हुए हैं। दिल्ली प्रशासन ने यह भी बताया है कि जिन वस्तुओं पर बिक्री कर की दर बढ़ाई गई है उन वस्तुओं को सामान्यतः समाज का सम्पन्न वर्ग प्रयोग करता है। बढ़ाई गई दरों को वापस लेने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

क्रम सं०	वस्तु
1	2
1.	रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर तथा ठण्डा करने वाले अन्य उपकरण तथा यन्त्र जिनमें रूम कूलर तथा वाटर कूलर तथा कलपुर्जे, अतिरिक्त पुर्जे और सहायक पुर्जे।
2.	बेतार संदेश प्राप्त करने वाले यन्त्र तथा उपकरण, रेडियो और रेडियो ग्रामोफोन, टेलीविजन सैट, एक्युमुलेटर्स, एम्पलीफायर और लाउडस्पीकर तथा अतिरिक्त पुर्जे, कल पुर्जे तथा उसके सहायक पुर्जे तथा बिजली के बल्ब।
3.	चलचित्र उपकरण जिनमें कैमरे, प्रोजेक्टर, ध्वनि रिकार्डिंग तथा ध्वनि रिप्रोड्यूसिंग उपकरण तथा अतिरिक्त पुर्जे, कलपुर्जे तथा इसके साथ प्रयोग में आने वाली सहायक सामग्री तथा लैंस, फिल्में तथा सिनेमा कार्बन।
4.	फोटोग्राफिक तथा अन्य कैमरे और एनलार्जस, लैंस, फिल्मस, और प्लेटस और अन्य लगने वाले पुर्जे, अतिरिक्त पुर्जे और काम में आने वाली सहायक सामग्री जिसमें फोटोग्राफिक रसायन तथा फोटोग्राफ परन्तु एक्सरे का उपकरण और कलपुर्जे, अतिरिक्त पुर्जे तथा उसकी सहायक सामग्री शामिल हैं।
5.	सभी दीवार की घड़ियां, मेज घड़ियां, घड़ियां, इलेक्ट्रीकल टाइम स्विचित तथा यांत्रिक टाईमर्स और कल पुर्जे, अतिरिक्त पुर्जे और उसकी सहायक सामग्री।
6.	राइफल, रिवाल्वर, पिस्तौल सहित सभी प्रकार के शस्त्र तथा उनका गोला-बारूद और कल पुर्जे, अतिरिक्त पुर्जे तथा उसकी सहायक सामग्री।

1	2
7.	टाइपराईटर्स, टेबुलेटिंग, कैलकुलेटिंग कैश रजिस्टरिंग, इण्डेक्सिंग, कार्डपंचिंग, फ्रेंकिंग तथा पता लिखने वाली मशीनें, टेलीप्रिन्टर्स और डुप्लिकेटिंग मशीनें, कल पुर्जे, अतिरिक्त पुर्जे तथा उसकी सहायक सामग्री।
8.	सभी प्रकार का सफाई का सामान तथा फिटिंग।
9.	(I) कांच का बना सभी सामान परन्तु सामान्य गिलास, शीशे, और बटर के चम्मे, हरीकेन लैम्पों चिमनियां, फायल, डाक्टरी सीरिंज, थर्मामीटर, चूड़ियां और वैज्ञानिक उपकरण तथा कांच का बना सामान शामिल नहीं।
	(II) चमकीले मिट्टी के बरतन।
10.	शराब (विदेशी शराब तथा भारत में विदेशी शराब)।
11.	लोहे और स्टील की सभी अलमारियां तथा तिजोरियां।
12.	(I) लाइट डीजल आयल/हाई स्पीड डीजल।
	(II) लुब्रिकेंट्स।
	(III) खनिज तारपीन का तेल।
13.	सौन्दर्य प्रसाधन, इत्र व खुशबू तथा प्रसाधन सामग्री परन्तु साबुन, दांतों के ब्रुश, दांतों का पेस्ट, कुमकुम, धूप और अगरबत्ती शामिल नहीं।
14.	जूते, पेटी तथा चमड़े के बने खेल के सामान के अतिरिक्त चमड़े का सामान।
15.	सिगरेट कैसेज तथा लाइटर्स।
16.	डिक्टाफोन, टेपरिकार्डर्स तथा ऐसा ही साउण्ड रिकार्डिंग उपकरण तथा उसके कल-पुर्जे, अतिरिक्त पुर्जे तथा उसकी सहायक सामग्री।
17.	टेलीफोन और लाउडस्पीकर तथा उनके कलपुर्जे अतिरिक्त पुर्जे तथा सहायक सामग्री सहित ध्वनि प्रेषण उपकरण, परन्तु जिनमें शरीर के साथ रखे जाने वाले साउण्ड एम्लीफाईंग उपकरण तथा सुनने में मदद देने वाले उपकरण शामिल नहीं हैं।
18.	दूरबीन, टेलीस्कोप तथा ओपेरा ग्लासेज और इनके कलपुर्जे, अतिरिक्त पुर्जे तथा इसकी सहायक सामग्री।
19.	ग्रामोफोन, रिकार्ड प्लेयर, रिकार्ड चेन्जर तथा कलपुर्जे, तथा अतिरिक्त पुर्जे एवं उसकी सहायक सामग्री तथा रिकार्ड एवं सुइयां।
20.	टार्चे, टार्च के सेल तथा फिलामेंट वाले बल्ब के अतिरिक्त सभी बिजली का सामान।
21.	सभी प्रकार के वैक्यूम फ्लास्क (जिनमें थर्मस, थर्मिक जग, आइस बास्किटस तथा पेटियां, कलश और अन्य ऐसी ही घरेलू सामग्री जो पेय पदार्थों को गरम या ठण्डा रखती है, शामिल है) तथा उनके रिफिल।
22.	एक ही यूनिट के रूप में बिकने वाले पिकनिक सेट।

1	2
23.	लोहे और स्टील के फर्नीचर सहित सभी फर्नीचर।
24.	फोम रबर अथवा प्लास्टिक फोम अथवा अन्य सिन्थेटिक फोम से निर्मित शीट, कुशन तकिए, गद्दे तथा अन्य सामग्री।
25.	फर तथा इससे बनी निजी अथवा घरेलू प्रयोग वस्तुएं।
26.	स्टेनलैस स्टील से बनी वस्तुएं तथा घरेलू बरतन परन्तु सेफ्टी रेजर के ब्लेड तथा सर्जीकल औजार तथा औद्योगिक मशीन और संयंत्र के पुर्जे शामिल नहीं।
27.	पैराम्बुलेटर्स।
28.	रंगीन माचिसों सहित आतिशबाजी।
29.	सभी प्रकार की प्लाईवुड तथा विनाइल टाइल्स, मोसाइक टाइल्स, लेमिनेटेड शीट्स जैसे कि सनमाइका, फोरमिका इत्यादि।
30.	(I) फाइल कालीन (II) ऊपर मद (I) के अन्दर न आने वाले सभी प्रकार के ऊनी कालीन।
31.	सीमेंट।
32.	पेंट।
33.	देशी शराब।
34.	सर्जीकल औजार अथवा औद्योगिक मशीनरी के पुर्जे।
35.	हाथी दांत की वस्तुएं।
36.	एरेटेड पेय।
37.	शीरे।
38.	डिस्टिल्ड वाटर।
39.	कटे हुए अथवा बिना कटे, सच्चे अथवा नकली कीमती पत्थर।
40.	इलेक्ट्रोप्लेटेड वस्तुएं।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी

1510. मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण कार्मिकों के चयन एवं उन्हें उसी पद पर निरन्तर बनाए रखने के सम्बन्ध में कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) दीर्घकालिक परियोजनाओं में कार्यरत अधिकारियों के लिए स्थानांतरण नीति के मानदण्ड को रखने का क्या औचित्य है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सरकार द्वारा परिवार नियोजन के महत्वपूर्ण कार्मिकों का चयन उन्हें उसी पद पर निरन्तर बनाए रखना अथवा उनका स्थानांतरण प्रशासनिक स्तर पर विचार करके किया जाता है।

[हिन्दी]

जैसलमेर में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र

1511. श्री मनफूल सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से जैसलमेर जिले में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए गैस उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) आर० एस० ई० बी० द्वारा स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित दो विद्युत संयंत्र को 0.05 एम० एम० एस० सी० एम० डी० तथा 0.55 एम० एम० एस० सी० एम० डी० का आबंटन किया गया है।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लि० को सेफ्टी जूतों की सप्लाई

1512. प्रो० अशोक आनंदराव देशमुख : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने कम्पनी तथा उसकी सहायक कंपनियों को सेफ्टी जूतों की सप्लाई हेतु सप्लाई-कर्ताओं की सूची बना रखी है;

(ख) क्या इस सूची में सेफ्टी जूते सप्लाई करने वाले केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को शामिल किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सार्वजनिक उपक्रमों से सेफ्टी जूतों की सप्लाई को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) सुरक्षा से सम्बन्धित जूतों के आपूर्तिकर्ताओं की सूची कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों द्वारा रखी जाती है।

(ख) और (ग) इस सूची में, उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को शामिल किया गया है, जिनके उत्पाद महानिदेशक, खान सुरक्षा द्वारा अनुमोदित हैं।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सामान्य प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के बाद अपनी वस्तुओं की आपूर्ति कर सकते हैं। यदि परिस्थिति में परिवर्तन न हो तो, आमतौर पर इन इकाइयों को तरजीह दी जाती है। जूतों का विकास करने एवं महानिदेशक, खान सुरक्षा, धनबाद से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र राज्य लैदर एम्पोरियम जैसे सरकारी उपक्रमों को जूतों के नमूने एवं विनिर्देश भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

राजन बाबू तपेदिक अस्पताल दिल्ली

1513. श्री शरद यादव :

श्री राम प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजन बाबू तपेदिक अस्पताल में विद्यमान अस्वास्थ्यकर स्थिति तथा दवाओं की अत्यधिक कमी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अस्पताल की कार्य प्रणाली की हाल ही में समीक्षा की गई थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष थे; और

(ङ) इस अस्पताल के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार इस समय दवाइयों की बिल्कुल कमी नहीं है तथा उपयुक्त साफ सफाई रखी जा रही है।

प्राकृतिक गैस

1514. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्यवार घरेलू और उद्योगों की खपत के लिए प्राकृतिक गैस की कुल कितनी मांग है; और

(ख) 1992 के दौरान उड़ीसा द्वारा कुल कितनी प्राकृतिक गैस की मांग की गई और कितनी गैस आबंटित की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) गैस का राज्यवार आबंटन/उपयोग नहीं रखा जाता है। पहले ही किए गए लगभग 92 एम० एम० एस० सी० एम० डी० के आबंटन के अतिरिक्त, गैस अथारिटी आफ इंडिया के पास 260 एम० एम० एस० सी० एम० डी० से अधिक की मांग दर्ज की गई है। वर्तमान आपूर्ति लगभग 42 एम० एम० एस० सी० एम० डी० है।

कच्छ में गैस भंडार की सुरक्षा

1515. **श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्छ की मरुभूमि में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार की सुरक्षा हेतु कोई विशेष सुरक्षोपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) कच्छ की रेगिस्तानी पट्टी में अभी तक तेल एवं गैस के किसी भंडार का पता नहीं चला है।

छोटे तेल क्षेत्र

1516. श्री एच० डी० देवगौडा :
श्री नीतीश कुमार :
श्री चित्त बसु :
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :
श्री विलास मुत्तेमवार :
प्रो० प्रेम धूमल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तेल के दोहन के लिए विदेशी कम्पनियों तथा भारतीय निजी उपक्रमों को छोटे क्षेत्र देने का निर्णय किया है जैसाकि 21 नवम्बर, 1992 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तट पर और तट दूर ऐसे तेल क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) निजी कंपनियों द्वारा विकास के लिए 31 छोटे क्षेत्रों—10 अपतटीय और 21 तटवर्ती—का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) "उत्पादन हिस्सेदारी संविदा" के अधीन विकास के लिए इन क्षेत्रों को प्रस्तावित किया गया है जिसमें ठेकेदार को रायल्टी जैसे सभी सांविधिक अधिभारों का भुगतान करना होगा और करदेय आय के 50 प्रतिशत पर आय कर का भुगतान करना होगा। लाभ तेल की हिस्सेदारी स्लाइडिंग स्केल के आधार पर हो सकती है जो वसूली की कर पश्चात् दर अथवा प्राप्त निवेश के गुणकों से संयोजित हो।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेल की खोज

1517. डा० परशुराम गंगवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में तेल की खोज आरम्भ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) क्षेत्र में विस्तृत सी० डी० पी० भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए तथा एक अन्वेषण स्थान शाहजहांपुर-I का वेधन किया गया है और इसका उत्पादन परीक्षण किया जा रहा है।

वर्ष 1963-64 के दौरान शाहजहांपुर जिले में एक कूप यथा तिलहर-I का भी वेधन किया गया था तथा सूखा होने के कारण उसे छोड़ दिया गया था।

31 मार्च, 1992 तक शाहजहांपुर जिले में अन्वेषण वेधन के व्यय की गई कुल राशि 5.08 करोड़ रुपये है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ

1518. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री हरिभाई पटेल :

श्री चन्द्रेश पटेल :

डा० लाल बहादुर रावल :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

डा० परशुराम गंगवार :

श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 और 1992 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकवादियों/घुसपैठियों/पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सेक्टर-वार घुसपैठ की कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) उपर्युक्त अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सेक्टर-वार कितने आतंकवादी/घुसपैठिये/पाकिस्तानी सैनिक पकड़े गए;

(ग) उनसे जब्त किए गए हथियारों, गोला-बारूद और अन्य सामग्री का ब्यौरा क्या है;

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत-पाक सीमा पर अब तक कंटीले तार लगाए जाने में हुई प्रगति का सेक्टर-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) सरकार ने आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए, अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती को मजबूत करने, उनकी गश्त गहन करने और सीमा पर निगरानी रखने के आधुनिकतम उपकरणों की आपूर्ति करने सहित अनेक कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त सीमा चौकियों के बीच की दूरी को और कम करने के लिए सीमा सुरक्षा बल विस्तार योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त बटालियनों की मंजूरी दी जा रही है शस्त्रों और गोला-बारूदों की तस्करी को रोकने और भीतरी प्रवेश में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों के पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए उनके प्रयासों में राज्य सरकारों को पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराई गई है।

(ङ) बाड़ लगाने के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :

	स्वीकृत	पूरा किया गया
	(किलोमीटर में)	
पंजाब	433.922	433.922
राजस्थान	392.720	332.725

विवरण

पैरा (क)

1991 और 1992 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकवादियों/घुसपैठ करने वालों/पाकिस्तानी सिपाहियों द्वारा की गई घुसपैठ की घटनाओं की संख्या निम्न प्रकार है :—

राज्य	मामलों की संख्या	
	1991	1992
जम्मू और कश्मीर (आई० बी०)	35	38
पंजाब	351	144
राजस्थान	172	177
गुजरात	16	18

पैरा (ख)

1991 और 1992 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों घुसपैठियों/पाकिस्तानी सिपाहियों की संख्या इस प्रकार है :

राज्य	1991	1992
जम्मू तथा कश्मीर (आई० बी०)	6 उग्रवादियों सहित कुल 152 घुसपैठिए	कुल 514 घुसपैठिए
पंजाब	11 आतंकवादियों और दो पाक रेंजर्स सहित कुल 990 घुसपैठिए	2 उग्रवादियों तथा पाकिस्तानी सेना के 4 कर्मियों सहित 309 घुसपैठिए
राजस्थान	10 उग्रवादियों और 2 पाकिस्तानी सिपाहियों (1 रेंजर और एक भूतपूर्व सेनाकर्मी) सहित कुल 421 घुसपैठिए	3 पाक रेंजर्स सहित 998 घुसपैठिए
गुजरात	कुल घुसपैठिए 59	46 घुसपैठिए

पैरा (ग)

भारत-पाक सीमा पर (भारत में आते हुए) पकड़े गये हथियारों, गोला-बारूद तथा अन्य सामान का ब्यौरा :—

	1991	1992
जम्मू और कश्मीर (आई० बी०)		
ए० के०-74 राइफल	13	—
ए० के०-56 राइफल	21	—
जी० पी० एम० जी०	2	—
पिस्तौल/रिवाल्वर	28	4
राकेट लाऊन्चर	1	—
गोला बारूद	19255	66
बिस्फोटक (किलोग्राम)	120	—
हथगोले	28	—
अलग-अलग मैगजीन	194	3
डेटोनेटर	105	—
टाइम पैंसिल	11	—
रिमोट कन्ट्रोल	1	—
वायरलैस सेट	1	—
सोना	42.209 किलोग्राम	—
हेरोइन	5.000 किलोग्राम	—
भारतीय मुद्रा	37,559/-	1,770/-
पाकिस्तानी मुद्रा।	424/-	3,753/-
बंगलादेश मुद्रा	—	400/-
पंजाब		
ए० के०-47 रायफल्स	28	6
ए० के०-56 रायफल्स	22	8
ए० के०-74 रायफल्स	2	1
अन्य बोर रायफल्स	2	5
गन/12 बोर गन	5	1
एल० एम० जी०	—	1

टी० एस० एम० जी०	2 (2)	1 (1)
जी० पी० एम० जी०	2	—
पिस्तौल/रिवाल्वर	75	15
अलग-अलग मैगजीन	65	54
गोला बारूद	23983	2991
विस्फोटक (कि० ग्रा०)	142.5	76.5
हथगोले	27	18
बम	1	1
राकेट	16	—
माइन	2	—
डेटोनेटर	120	66
गन काटन सलैब	15	—
बुबी ट्रैप्स	4	—
सोना	191.341 किलोग्राम	87.051 किलोग्राम
चांदी	—	20.236 किलोग्राम
भारतीय मुद्रा	4,286/-	367/-
पाकिस्तानी मुद्रा	18,025/-	12,609/-
बंगलादेश मुद्रा	25/-	—
अन्य मुद्रा	7,465/-	—
विविध वस्तुएं	6,60,265/-	8,120/-
राजस्थान		
ए० के०-56 रायफल्स	107	6
अन्य बोर रायफल्स	3	—
गन	3	—
एल० एम० जी०	1	—
एस० एम० जी०	1	—
जी० पी० एम० जी०	4	2
पिस्तौल/रिवाल्वर	52	12
राकेट लांचर	—	1
ग्रनेड लांचर	1	—

अलग अलग मैगजीन	607	56
गोला बारूद	42,079	1696
विस्फोटक सामग्री (कि० ग्रा०)	116	73.5
ग्रनेड	64	—
डेटोनेटर	220	51
राकेट	—	5
माइन	—	2
	1991	**1992**
सोना	· 58.519 किलोग्राम	48.022 कि०ग्रा०
चांदी	1385.509 किलोग्राम	1895.146 कि०ग्रा०
स्वर्ण आभूषण	रुपए 3,000/-	—
भारतीय मुद्रा	22,49,544/-	43,139/-
पाकिस्तानी मुद्रा	13,847/-	6,305/-
बंगला देशी मुद्रा	52/-	—
अन्य मुद्रा	756/-	—
हेरोइन	—	6.000 कि० ग्रा०
चरस	486.067 किलोग्राम	302.000 कि० ग्रा०
अफीम	9.050 किलोग्राम	—
अन्य विविध मदें	7,76,014/-	4,26,695/-
गुजरात		
ए० के०-56 राइफल	—	3
गन	1	—
पिस्तौल	—	46
गोला-बारूद	21	3169
सोना	8.279 किलोग्राम	—
चांदी	259.800 किलो ग्राम	47.000 कि०ग्रा०
भारतीय मुद्रा	2,304/-	14/-
पाकिस्तानी मुद्रा	1,026/-	1,106/-
बंगलादेशी मुद्रा	9/-	—
अन्य मुद्रा	20/-	—
अन्य विविध मदें	7,15,643/-	4,26,695/-

[अनुवाद]

विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

1519. श्री लोकनाथ चौधरी :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री शरद दिघे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने विशिष्ट व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की गई है;

(ख) इस पर प्रतिवर्ष अनुमानित व्यय कितना है;

(ग) क्या सरकार का विचार व्यय को कम करने के लिए दिए जा रहे सुरक्षा व्यवस्था के सारे पहलुओं की पुनरीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सुरक्षा की दृष्टि से यह बताना वांछनीय नहीं समझा गया है कि दिल्ली में कितने अति विशिष्ट व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की गई है ।

(ख) दिल्ली पुलिस द्वारा आशंका ग्रस्त व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुरक्षा का वार्षिक व्यय इस समय लगभग 21.5 करोड़ रु० का है ।

(ग) और (घ) आशंका ग्रस्त व्यक्तियों के सुरक्षा प्रबन्धों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है ।

कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में आतंकवादियों की उपस्थिति

1520. श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्री अम्बारासु इरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में उत्तर प्रदेश के कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में कुछ आतंकवादियों को देखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) पिछले तीन महीनों के दौरान इस उद्यान में कितने आतंकवादी पकड़े गए अथवा मारे गए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) ऐसे दृष्टान्त ध्यान में आए हैं ।

(ख) तराई क्षेत्र की स्थिति से सरकार परिचित है और गहन तलाशी अभियानों, तैनाती को मजबूत करने इत्यादि सहित सभी आवश्यक और उपयुक्त उपाय कर रही है ।

(ग) कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में न तो कोई आतंकवादी मारा गया और न ही कोई पकड़ा गया है ।

[हिन्दी]

वस्तु सूची का कम्प्यूटरीकरण

1522. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने वस्तु सूची को व्यवस्थित करने और वस्तु सूची के बारे में प्रबंधन को सूचना देने तथा विकसित करने के लिए कम्प्यूटरीकरण का कार्य इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई० आई० एल०) को सौंपा था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या वस्तु सूची को कम्प्यूटर द्वारा व्यवस्थित करने के बावजूद इसमें 1985, 1986 और 1987 के दौरान भारी वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या-क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रणाली का विकास कार्य इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा 31-3-1979 को पूरा किया गया। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय केन्द्रों पर वांछित कंप्यूटर कार्यक्रम स्थापित किया गया था और यह प्रणाली कार्यरत हैं।

(ग) और (घ) वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, इन्वेन्ट्री माप के लिए मापदंड "स्टाक माह" है। परम मूल्य तथा स्टाक माह के सन्दर्भ में इन्वेन्ट्री का विवरण नीचे दिया गया है :

वर्ष	इन्वेन्ट्री (करोड़ रुपये में)	स्टाक माह
1985-86	871	24.6
1986-87	1068	22.2
1987-88	1089	18.6

यद्यपि परम-मूल्य में इन्वेंट्री बढ़ी है, तथापि स्टाक माह के रूप में धारिता 24.6 से घट कर 18.8 हो गई है।

[अनुवाद]

कोयला उपकर की बकाया राशि तथा सप्लाई बिल

1523. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उपकर की बकाया राशि तथा सप्लाई बिलों के सम्बन्ध में कोल इंडिया लि० और पश्चिम बंगाल सरकार के विवादास्पद दावे निपटा लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कोल इंडिया लि० तथा राज्य सरकार के दावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले को निपटाने के लिए क्या समझौता किया गया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ग) इस सम्बन्ध में विवादों को निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। को० इं० लि० के अधिकारियों तथा पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों के मध्य और मंत्रालय स्तर पर भी विवादों को निपटाने जाने के लिए कई बार विचार-विमर्श हुआ है।

(ख) को० इं० लि० के अनुसार, दिनांक 31 जनवरी, 1993 को पश्चिम बंगाल सरकार के अन्तर्गत विद्युत उपयोगिताओं की तरफ कोयले की बिक्री की देय बकाया राशि 325.07 करोड़ रु० थी। पश्चिम बंगाल सरकार के अन्तर्गत विद्युत उपयोगिताओं द्वारा इस राशि की मात्रा 319.09 करोड़ रुपये होना स्वीकार किया है।

पश्चिम बंगाल सरकार की इंडिया लि० की ओर 307.14 करोड़ रुपये की बकाया उपकर की राशि देय है, इसमें अपीलाधीन राशि तथा ऐसी राशि शामिल नहीं है जिसके लिए मूल्यांकन आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

भारतीय नागरिकता प्रदान करना

1524. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1992 के दौरान भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए थे;

(ख) इनमें से अभी तक कितने व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की गई है;

(ग) इनमें से कितने आवेदन रद्द किए गए हैं; और

(घ) शेष आवेदन पत्रों पर अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (घ) वर्ष 1992 के दौरान नागरिकता प्रदान करने के लिए 910 आवेदन प्राप्त हुए उनमें से 605 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई है तथा 73 व्यक्तियों के आवेदन रद्द कर दिए गए। शेष आवेदनों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए प्रक्रिया जारी है।

[अनुवाद]

ट्रांस सर्वीकल इंडोमेट्रियल रीसेक्शन

1525. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भाशय निकालने के लिए एक ट्रांस सर्वीकल इंडोमेटरियल रीसेक्शन (टी० सी० ई० आर०) नामक नई तकनीक विकसित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस तकनीक को देश में आरम्भ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी हां। भारत में यह तकनीक अभी भी प्रयोगावस्था में है।

(ग) से (ङ) मार्गदर्शी अध्ययनों को प्रभावकारी और भारतीय स्थितियों के अन्तर्गत अनुषंगी

प्रभावों से मुक्त पाए जाने के पश्चात् इस तकनीक का व्यापक प्रयोग शुरू किया जा सकता है। इसको व्यापक पैमाने पर शुरू करने की बात मार्गदर्शी अध्ययनों के परिणामों पर निर्भर होगी।

रसोई गैस का आयात

1526. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1993-94 के दौरान 6 लाख टन से अधिक रसोई गैस आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) देशी उपलब्धता तथा मांग के अन्तर को पूरा करने के लिए एल० पी० जी० का आयात वर्ष 1993-1994 के लिए "आयल इकोनामी बजट" के अनुसार किया जाएगा।

(ग) आयात की कुल मात्रा और वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमत पर विदेशी मुद्रा की आवश्यकता निर्भर करेगी।

आर० के० बिड़ला कैंसर केन्द्र का दर्जा बढ़ाना

1527. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आर० के० बिड़ला कैंसर केन्द्र को निकट भविष्य में क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और सरकार का विचार इस संस्थान को कौन-सी सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यह केन्द्र कब तक चालू हो जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि आर० के० बिड़ला कैंसर केन्द्र जयपुर में अपने नए भवन में पहले से ही कार्य कर रहा है।

गोवा स्वतन्त्रता सेनानियों को लाभ

1528. श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के सम्पूर्ण लाभ गोवा राज्य सरकार के पेंशन-सम्बन्धी लाभ प्राप्त करने वाले गोवा स्वतन्त्रता सेनानियों को मंजूर किए जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (ग) स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना के अधीन उपलब्ध केन्द्र सरकार के लाभांशों को राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को पूर्ण रूप से दिए जाने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि सरकार को कई संगठनों से (i) गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेने वालों के सम्बन्ध में केन्द्रीय राजस्व से स्वतन्त्रता संग्राम पेंशन प्रदान करने के पात्रता मानदंडों में छूट देने, (ii) इस आंदोलन में भाग लेने वालों के दावों को संवीक्षा करने के लिए विशेष संवीक्षा समिति का गठन करने (iii) राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशन प्राप्त कर्त्ताओं को केन्द्रीय पेंशन प्रदान करने के लिए, प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं इन प्रतिवेदनों में किए गए सुझावों/अनुरोधों की सरकार द्वारा पहले ही जांच की जा चुकी है। चूंकि सरकार ने केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्राप्त करने के लिए गोवा मुक्ति आंदोलन को मान्यता प्रदान कर दी है, बशर्ते कि उम्मीदवार स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980, के अधीन निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों, इसलिए सरकार द्वारा इन अनुरोधों से सहमत होना सम्भव नहीं पाया गया है।

मद्रास मेडिकल कालेज में एड्स के मामले

1529. श्री रवि राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास मेडिकल कालेज स्थित भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एड्स निगरानी केन्द्र में हर आठवें दिन एड्स से पूरी तरह ग्रस्त एक रोगी को देखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एड्स के मामलों को कम करने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एच० आई० वी० संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई कार्य-नीति इस प्रकार है :

(i) अत्यधिक जोखिम के आचरण से बचाने के लिए जागरूकता पैदा करना।

(ii) रक्त निरापदता और रक्त के विवेकपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देना।

(iii) यौन संचारित रोगों का नियन्त्रण।

(iv) एड्स के रोगियों का बेहतर क्लिनिकल उपचार।

विदेशों में चिकित्सा हेतु जाना

1530. श्री मोहन रावले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत के लिए विदेशों में चिकित्सा उपचार के लिए जाने पर आंशिक प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस समय प्रस्ताव किस स्थिति में है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

चाकलेट में निकल की मात्रा

1531. **श्री नवल किशोर राय :**

श्री नीतीश कुमार :

श्री एस० बी० थोरात : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 24 नवम्बर, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 75 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेशनल इंस्टिट्यूट आफ आक्यपेशनल हैल्थ, अहमदाबाद और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा चाकलेटों में निकल पाए जाने से उत्पन्न खतरे के बारे में दी गई रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

रसोई गैस कनेक्शन

1532. **श्री राम पूजन पटेल :**

कुमारी विमला वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1992 को देश में गैस कनेक्शनों के लिए कितने राज्यवार व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में थे;

(ख) इन व्यक्तियों को रसोई गैस कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिए जायेंगे;

(ग) क्या गैस सिलेंडरों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो कितने गैस सिलेंडरों की कमी है;

(ङ) क्या सरकार ने गैस सिलेंडरों की मांग पूरी करने के लिए इनका उत्पादन शुरू करने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(च) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1-1-1993 की स्थिति के अनुसार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) निर्धारित मानदंडों के अनुसार उत्पादन की उपलब्धता होने पर, प्रत्येक वर्ष चरणों में यथासम्भव अधिकतम नए कनेक्शनों को देने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	(संख्या लाखों में) 1-1-93 की स्थिति में योग
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.14
3.	असम	1.36
4.	बिहार	2.42
5.	गोआ	0.54
6.	गुजरात	6.35
7.	हरियाणा	3.53
8.	हिमाचल प्रदेश	0.69
9.	जम्मू और काश्मीर	0.75
10.	कर्नाटक	4.23
11.	केरल	3.49
12.	मध्य प्रदेश	3.70
13.	महाराष्ट्र	15.16
14.	मणिपुर	0.21
15.	मेघालय	0.08
16.	मिजोरम	0.06
17.	नागालैंड	0.11
18.	उड़ीसा	0.99
19.	पंजाब	4.35
20.	राजस्थान	6.72
21.	सिक्कम	0.07
22.	तामिलनाडु	9.53
23.	त्रिपुरा	0.22
24.	उत्तर प्रदेश	11.96
25.	पश्चिमी बंगाल	7.68

1	2	3
	संघ राज्य	
1.	अंडमाननिकोबार	0.06
2.	चण्डीगढ़	0.70
3.	दादर और नगर हवेली	0.01
4.	दिल्ली	6.40
5.	दमण	0.02
6.	लक्षद्वीप	0.00
7.	पांडिचेरी	0.24
8.	सिलवासिया	0.00
9.	दिव	0.00

[अनुवाद]

भारत कोकिंग कोल लि० के अध्यापकों को वेतन का भुगतान

1533. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि० के अध्यापकों को कोलफील्ड क्षेत्रों के स्कूलों में नियुक्त बिहार सरकार के अध्यापकों के समतुल्य वेतन दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) भारत कोकिंग कोल लि० (भा० को० को० लि०) स्वयं अपना कोई स्कूल नहीं चला रही है। भा० को० को० लि० क्षेत्र के स्कूलों का प्रबन्धन निजी समितियों या सोसाइटियों द्वारा किया जाता है। भा० को० को० लि० द्वारा हम निजी प्रबन्धन के स्कूलों को अनुदान सहायता शिक्षा पर संयुक्त द्विपक्षीय समिति, जोकि अनुदान की सिफारिश करने के लिए ही गठित की गई है, की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। भा० को० को० लि० द्वारा यह सूचित किया गया है कि उक्त स्कूलों में कार्यरत अध्यापक अधिकांशत: अप्रशिक्षित तथा कम शिक्षा प्राप्त हैं। उक्त अध्यापकों को बिहार सरकार के अध्यापकों के समान वेतन देने के प्रश्न पर तभी विचार करना संभव हो सकेगा जबकि वे स्कूल निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हों।

गौण इस्पात क्षेत्र को जापान से धातु कतरन की सप्लाई

1534. **श्री विजय नवल पाटील :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारतीय गौण इस्पात क्षेत्र को कम कीमत पर धातु कतरन की सप्लाई करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जापान के प्रस्ताव पर विचार करते हुए स्पंज लोह उत्पादकों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया है; और

(घ) सरकार का विचार स्पंज लोह उत्पादकों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कार्यवाही करने का है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ) गौण इस्पात क्षेत्र की इकाइयों द्वारा बिना किसी प्रतिबन्ध के, कार्बन इस्पात गलन स्क्रैप का सीधे तौर पर आयात किया जा सकता है। भारतीय गौण इस्पात क्षेत्र को निम्न मूल्य पर स्क्रैप की सप्लाई करने के लिए जापान द्वारा की गई पेशकश के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

डाई-ऐलिसिस मशीनों द्वारा एड्स फैलना

1335. श्री राम विलास पासवान :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अस्पतालों की डाई-ऐलिसिस मशीनों द्वारा एड्स फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) रक्त दाताओं के रक्त में एच० आई० वी० पोजिटिव न होने को प्रमाणित करने हेतु रक्त बैंक में क्या तरीका अपनाया जाता है; और

(ङ) एड्स रोकने के लिए विश्व बैंक और संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता मिलती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) एच० आई० वी० की जांच को सरल बनाने के लिए सरकार ने 180 जोनल रक्त जांच केन्द्र स्थापित किए हैं और सार्वजनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्रों के सभी रक्त बैंकों को जोनल जांच केन्द्रों के साथ जोड़कर कवर किया गया है।

(ङ) विश्व बैंक ने राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के लिए 840 लाख अमरीकी डालर की सहायता उपलब्ध की। यू० एस० एड ने 18.60 लाख अमरीकी डालर मूल्य के रक्त बैंक सम्बन्धी उपकरण सप्लाई किए।

पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय औषधियों के लिए अनुसंधान संस्थान

1536. श्री द्वारका नाथ दास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वोत्तर राज्यों में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान करने की काफी संभावनायें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में अलग से एक अनुसंधान संस्थान स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हाल ही में केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद ने पहले ही निम्नलिखित के माध्यम से अनुसंधान कवरेज की व्यवस्था की है :—

1. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र (आयुर्वेद), नया इटानगर।

2. जनजातीय स्वास्थ्य परिचर्या अनुसंधान परियोजना, जिरो।

3. जनजातीय स्वास्थ्य परिचर्या अनुसंधान परियोजना इम्फाल, मणिपुर।

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०

1537. श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री धर्मभिक्षम : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० का कुल कितना संचित घाटा है;

(ख) कम्पनी की लाभप्रदत्ता में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० को कोल इण्डिया लि० के साथ विलय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) दिनांक 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० (सिं० को० कं० लि०) में कुल हानि 623.62 करोड़ रु० की हुई।

(ख) सिं० को० कं० लि०, जोकि आंध्र प्रदेश सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत आती है, ने अपनी लाभप्रदत्ता में सुधार किए जाने के लिए निम्न कदम उठाए हैं—(1) कोयला क्षेत्रों में कानून सम्बन्धी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नियोजन; (2) पिछले एक वर्ष से कार्मिकों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है ताकि श्रमिकों की उत्पादकता में सुधार तथा उत्पादन लागत में कमी की जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

आवासीय विद्यालय

1538. श्री सुधीर सावंत :

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आवासीय विद्यालयों की, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का देश में ऐसे और विद्यालय खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अपेक्षित सूचना सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) भारत सरकार की अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम स्कूलों की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कम साक्षरता वाले पौकेटों में अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आवासीय स्कूल खोलने की एक योजना भी विचाराधीन है।

[हिन्दी]

बोडोलैंड स्वायत्त परिषद

1539. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोडोलैंड स्वायत्त परिषद् बनाने के बारे में हाल ही में कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) जी, हां, श्रीमन।

(ख) 20-2-1993 को, असम सरकार और आल बोडो स्टूडेन्ट यूनियन/बोडो पीपुल्स एक्सन कमेटी के मध्य हुए समझौते में, असम विधान परिषद के अधिनियम द्वारा असम राज्य के भीतर कुछ सटे हुए भौगोलिक क्षेत्रों को मिलाकर एक बोडोलैंड स्वायत्तशाली परिषद गठित करने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य, बोडो के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, जातीय और सांस्कृतिक विकास के लिए संविधान के ढांचे के भीतर अधिकतम स्वायत्ता प्रदान करना है।

(ग) समझौते के त्वरित कार्यान्वयन और प्रगति का प्रबोधन करने के लिए एक समिति गठित की गयी है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में कश्मीरी उग्रवादी

1540. श्री बलराज पासी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कश्मीरी उग्रवादियों द्वारा चोरी-छुपे घुसपैठ करने की किन्हीं घटनाओं की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छह महीनों के दौरान तराई क्षेत्र में कितने कश्मीरी उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) इस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों के फैलाव को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमन।

(ख) अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है।

(ग) सरकार को स्थिति की जानकारी है और वह गहन और सतत निगरानी रख रही है। आतंकवाद के फैलाव को रोकने के लिए सभी सम्भव कदम उठाए गए हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए

केरल को सहायता उपलब्ध किया जाना

1541. श्री बी० एस० विजयराघवन :

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान उपलब्ध की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान इस बारे में केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित और केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) 48.52 लाख रुपये की लागत से वायनाड में आदिवासियों के लिए धनुर्विद्या केन्द्र को छोड़कर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि निर्मुक्त करने सम्बन्धी सभी प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया गया है। वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए केरल सरकार को प्रदान की गई सहायता के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान केरल को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए दी गई सहायता के योजनावार ब्यौरे

(रुपये लाख में)

क्रम सं०	योजना	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1.	विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	785.40	515.16	629.75
2.	अनुसूचित जाति विकास निगम	37.97	115.18	88.67
3.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम	18.24	—	283.00
4.	अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यकर रहे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना	—	11.39	4.56
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना	83.15	109.73	24.95
6.	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955	0.50	1.63	4.27
7.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	—	12.08	2.00

1	2	3	4	5
8.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति तथा पुनर्वास	—	25.00	—
9.	पुस्तक बैंक	3.00	5.92	9.16
10.	कोचिंग तथा सम्बद्ध योजनाएं	0.19	1.46	3.09
11.	लड़कों के छात्रावास	21.45	33.58	500.00
12.	लड़कियों के लिए छात्रावास	30.55	21.00	550.42
13.	आश्रम स्कूल	17.48	38.38	39.73
14	अनुसंधान और प्रशिक्षण	10.00	12.00	8.00
15.	चाय फैक्टरी, प्रियदर्शनी टी स्टेट	37.50	—	20.00
16.	आदिवासी अम्बेडकर ग्राम कुल साक्षरता	2.00	—	—
17.	कुल साक्षरता	50.00	—	50.00
18.	285(!) के अन्तर्गत अनुदान	9.69	9.69	19.20

[हिन्दी]

क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की मरम्मत के लिए निधि

1542. श्री ललित उरांव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार साम्प्रदायिक दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों के मरम्मत और पुनर्निर्माण करने के लिए एक निधि स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस निधि से कश्मीर में क्षतिग्रस्त एक धार्मिक स्थलों की मरम्मत भी करायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (ग) मामला केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पेट्रोलियम उत्पाद

1543. श्री गुरुदास कामत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उनके अपने ब्रांड नामों के अन्तर्गत पेट्रोलियम उत्पाद बेचने की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) और (ख) सरकार की सामान्य नीति के तहत देश में बिक्री के लिए ब्रांड नामों के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह आयात के लिए नियंत्रण मुक्त पेट्रोलियम उत्पादों पर भी लागू होता है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के कारण विस्थापित हुए लोगों को रोजगार

1544. श्री जार्ज फर्नांडीज : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के निर्माण के लिए भूमि-अधिग्रहण के समय बड़ी संख्या में मछुआरों को अपनी भूमि से वंचित होना पड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें इस्पात संयंत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा उनसे ली गई भूमि के लिए मुआवजा राशि देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के निर्माण के लिए भूमि-अधिग्रहण के परिणामस्वरूप कुल 14,188 विस्थापित परिवारों में से 1988 परिवार मछुआ-परिवार के थे। विस्थापित परिवारों जिनमें मछुआरों के परिवार भी शामिल हैं, को निम्नलिखित दरों पर उनकी भूमि के लिए मुआवजा दे दिया गया है :—

शुष्क भूमि	:	17,000/- रुपये प्रति एकड़
नम भूमि	:	20,000/- रुपये प्रति एकड़
गांव की भूमि	:	6/- रुपये प्रति गज

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा बनाई गई पुनर्वास कालोनियों में प्रत्येक विस्थापित परिवार को

घर बनाने लिए 107 वर्ग गज जमीन दी गई है। विस्थापित व्यक्तियों में जिनमें मछुआरों के परिवार भी शामिल हैं को वी० एस० पी० द्वारा रोजगार वरीयता दी गई है। इन व्यक्तियों की आयु, योग्यता, अनुभव आदि में भी छूट दी गई है। अभी तक 6032 विस्थापित व्यक्तियों जिनमें मछुआरे भी शामिल हैं, को वी० एस० पी० में रोजगार दिया गया है तथापि, उन विस्थापित व्यक्तियों जिनको वी० एस० पी० में रोजगार दिया गया है, के पूर्व व्यवसाय के आधार पर आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र

1545. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक शुरू किया जाएगा और पूरा किया जाएगा तथा उस पर कुल कितना खर्च होगा;

(ग) संयंत्र के आधुनिकीकरण के बाद उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी और प्रतिवर्ष कितना लाभ होगा;

(घ) क्या आधुनिकीकरण में से रोजगार के अवसरों में कमी आयेगी और क्या वर्तमान कर्मचारियों की भी छंटनी होगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ङ) बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण को सरकार ने पहले ही सिद्धान्ततः मंजूरी दे दी है। तथापि सेल ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसका मुख्य उद्देश्य सतत ढलाई प्रौद्योगिकी शुरू करना और संगत सेवा सुविधाओं सहित हाट स्ट्रिप मिल का आंशिक आधुनिकीकरण करना है। इस समय यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

नक्सलवाद की समस्या

1546. **श्रीमती विभू कुमारी देवी :**

श्री शिवराज सिंह चौहान :

श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों की ओर से पिछले छः माह के दौरान इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु केन्द्र सरकार को भेजे गए अनुरोध पत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) प्रभावित राज्यों की राज्य सरकारें, नक्सलवादी गतिविधियों से निपटने के लिए समय-समय पर अर्द्ध-सैनिक बलों अत्याधुनिक शस्त्रों वित्तीय सहायता आदि के लिए अपनी मांगें प्रस्तुत करती रही हैं। संसाधनों की उपलब्धता तथा विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की मांगों को ध्यान में रखते हुए यथासम्भव इन मांगों की पूर्ति की जा रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बम विस्फोट

1547. श्री अष्ट भुजा प्रसाद शुक्ल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश में बम विस्फोट के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) इस प्रकार की घटनाओं में कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) प्रत्येक मामले में दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ङ) क्या इन विस्फोटों के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है;

(च) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या निकले; और

(छ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वृद्ध लोगों के लिए योजनाएं

1548. श्री शरद दिघे : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में वृद्ध लोगों की देखभाल करने के लिए कोई नीति बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में वृद्ध लोगों की कल्याण के लिए अन्य उपाय क्या किए गए हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) वयोवृद्धों के कल्याण सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति तैयार की जा रही है।

(ख) इस अवस्था में यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कल्याण मंत्रालय वयोवृद्धों से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को वयोवृद्धों के कल्याण हेतु दिवा देखभाल केन्द्रों, वृद्धावस्था गृहों आदि की स्थापना करने लिए सहायतानुदान दिया जाता है।

[हिन्दी]

क्लोरोक्वीन का निष्प्रभावी होना

1549. श्रीमती सरोज दुबे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेरिया के जीवाणुओं का प्रतिरोध करने में क्लोरोक्वीन निष्प्रभावी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मलेरिया के जीवाणुओं का प्रतिरोध करने के लिए उपयुक्त दवा विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) देश के कुछ भागों में क्लोरोक्वीन को निष्प्रभावी पाया गया है।

(ग) सम्बन्धित क्षेत्रों में मलेरिया के नियंत्रण के लिए सल्फाडाक्सिन/पायरीमेथामिन अथवा सल्फालीन/पायरीमेथामिन के सम्मिश्रणों जैसी वैकल्पिक औषधों का इस्तेमाल किया जा रहा।

[अनुवाद]

एल्यूमीनियम गलाने की क्षमता बढ़ाना

1550. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के एककों को एल्यूमिनियन गलाने की क्षमता बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो एल्यूमिनियम क्षमता बढ़ाने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ग) इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इस विस्तार योजना के पूरा होने पर कितने अरिरिक्त उत्पादन की संभावना है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयला खानों में घाटा

1551. **श्री राजवीर सिंह** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश कोयला खानों को भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कोयला खानों को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) घाटे क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन कोयला खानों को लाभप्रद बनाने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इण्डिया लि० ने यह सूचित किया है कि उनकी अधिकांश भूमिगत खानें घाटे में चल रही हैं।

(ख) कोल इण्डिया लि० द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्ष के दौरान

घाटे में चलने वाली कोयला खानों (भूमिगत तथा ओपनकास्ट) के मामले में हुए कुल घाटे को नीचे दर्शाया गया है :—

(करोड़ रु० में)

	1989-90	1990-91	1991-92
कोल इंडिया लि० की खानें	(—) 877.47	(—) 1194.38	(—) 1210.86

(ग) इन खानों में घाटे के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) देश के पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की लगातार कमी जिससे सामान्य कोयला उत्पादन में विस्तृत रूप से रुकावट आती है जिसके परिणामस्वरूप कोयला उत्पादन प्रभावित होता है।

(2) अनेक कोयला उत्पादन खानें अत्यधिक पुरानी हैं जहां कि कोयला भंडार भी लगभग समाप्त हो गए हैं जिससे वहां कोयले के उत्पादन में कठिनाई होती है।

(3) भूमिगत खानों में श्रम की बहुलता होती है, अतः उनका प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादन कम है।

(4) अनेक भूमिगत खानों में भू-गर्भीय अड़चनें आती रहती हैं जिससे सामान्य खनन क्रिया-कलापों में कठिनाई होती है।

(5) भूमि की अनुपलब्धता से वर्तमान ओपनकास्ट उत्खनन का विस्तार नहीं हो पाता और साथ ही नई ओपनकास्ट तथा भूमिगत खानें भी नहीं खोली जा सकतीं।

(घ) इन खानों में घाटे को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं जो नीचे दर्शाए गए हैं :—

(1) प्रभावी रूप में उत्पादन लागत पर रोक ताकि निरन्तर विकास के लिए पर्याप्त अन्तराल रखा जा सके।

(2) श्रमशक्ति आयोजन में सुधार, जिसमें फालतू श्रमिकों के पुनर्नियोजन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए रिक्त पदों के एवज में नए कामगारों के नियोजन पर प्रतिबन्ध शामिल है।

(3) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के जरिए श्रमशक्ति में कमी।

(4) प्रयोगात्मक आधार पर "आल मैन—आल जाब" की संकल्पना का प्रयोग किया जा रहा है।

(5) पर्याप्त रूप में वर्कशाप स्पोर्ट मुहैया करके हैम मशीनों के प्रयोग तथा उपलब्धता में सुधार, कलपुर्जों के प्रबंधन में सुधार और उपकरणों की समय पर व्यवस्था।

(6) हैम मशीनों की खरीद तथा अन्य उपकरणों की खरीद की घनिष्ठतम समीक्षा ताकि संयंत्र तथा मशीनरी में अतिरिक्त उपकरणों को न्यूनतम किया जा सके।

(7) उत्पादकता तथा लाभकारिता में सुधार किए जाने के लिए भूमिगत खानों पर विशेष बल ।

(8) राज्य सरकारों तथा उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण किए जाने के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि खनन क्रियाकलापों को कार्यक्रम के अनुसार शुरू किया जा सके ।

(9) अल्पावधि की दीर्घावधिक उत्पादन की संभावनाओं को अस्त-व्यस्त किए बिना पूंजीकृत व्यय में कमी ताकि उत्पादन की भावी लागत में ब्याज तथा मूल्यह्रास की प्रभावकारिता को न्यूनतम किया जा सके ।

(10) बढ़ी लागत को संराशिकृत किए जाने के लिए कोयला/कोक की कीमतों में समय पर संशोधन ।

[अनुवाद]

इच्छापुर में तेल

1552. श्री अमल दत्त : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में इच्छापुर संख्या-I स्थान पर तेल के लक्ष्य को 6000 मीटर के निर्माण के मूल लक्ष्य के स्थान पर संशोधित करके कम गहराई तक कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) वेधन परिणामों और भूकम्पीय तथा अन्य भूवैज्ञानिक आंकड़ों के साथ इसके संयोजन के आधार पर इच्छापुर-I कूप की लक्ष्यांकित गहराई को संशोधित करके 5600 मीटर कर दिया गया है ।

[हिन्दी]

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज का दन्त चिकित्सा एकक

1553. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जनवरी, 1993 के जनसत्ता में "राम भरोसे चल रहा है, दन्त चिकित्सा विभाग, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस दन्त चिकित्सा विभाग की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने मौलाना आजाद मेडिकल आलेज के दन्त चिकित्सा विभाग के कार्यकरण में कोई प्रमुख समस्या नहीं बतलाई है । तथापि, हमारा यह प्रयास रहेगा कि विभाग में शिक्षण के साथ-साथ रोगी परिचर्या में सुधार लाया जाए ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

विषाक्त भोजन

1554. श्री एम० जे० राठवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली में विषाक्त भोजन से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

प्राइवेट नर्सिंग होम

1555. श्री सनत कुमार मंडल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत निजी उपचर्या-गृहों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) इन उपचर्या-गृहों के पंजीकरण हेतु किन मानदण्डों का पालन किया जाता है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभार्थी इन उपचर्या-गृहों में इलाज कराने के पात्र हैं;

(घ) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में वे उसके हैं; और

(ङ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं कि इन उपचार-गृहों में रोगियों से अधिक शुल्क न लिया जाये?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली में इस समय 121 पंजीकृत तथा 320 गैर पंजीकृत नर्सिंग होम हैं।

(ख) पंजीकरण के लिए मानदण्ड दिल्ली नर्सिंग होम अधिनियम, 1953 तथा 1966 में प्रकाशित नियमों, जिन्हें 1992 में संशोधित किया गया के अन्तर्गत निर्धारित किए गए हैं।

(ग) और (घ) प्राइवेट नर्सिंग होमों में उपचार के लिए प्रतिपूर्ति केवल आपातकालीन परिस्थितियों में मामले की वरीयता के आधार पर नियमों में छूट देकर अनुमत्य है।

(ङ) दिल्ली प्रशासन ने प्राइवेट नर्सिंग होमों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किए हैं।

कोयले की गुणवत्ता तथा मात्रा का ध्यान न रखने वाली कम्पनियां

1556. डा० डी० वेंकटेश्वर राव : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले की गुणवत्ता तथा मात्रा का ध्यान न रखने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी और फरवरी 1993 में कितनी कम्पनियां दोषी पायी गयी; और

(ग) दोषी पाये गए व्यक्तियों/कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) कोयला कम्पनियां कोयले की पिट-हैड पर सही मात्रा और सही गुणवत्ता में आपूर्ति किए जाने के लिए जिम्मेवार हैं। पिटहैड लोडिंग एक ऐसा स्थल है, जहां से कोयले को उपभोक्ताओं को ठीक रूप में स्थानांतरित किया जाता है। आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता तथा मात्रा की जांच उपभोक्ताओं द्वारा लदान स्थलों पर की जानी होती है। सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि गुणवत्ता के प्रयोजन से नमूना संयुक्त रूप में लदान स्थलों पर लिया जाए और इस आधार पर किसी भी विसंगति का निपटारा कर लिया जाए। कोयला कम्पनियों द्वारा विद्युत क्षेत्र के बड़े उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति दोनों पक्षों के बीच हुए करार के अनुसार की जाती है और इस सम्बन्ध में, यदि किसी तरह का पुरस्कार तथा दण्ड देय होती है तो उसे इन करारों की शर्तों के अनुसार दिया जाता है।

कई वर्षों से सरकार तथा कोयला कम्पनियों द्वारा कोयले की समय पर आपूर्ति किए जाने तथा कोयले की मात्रा तथा गुणवत्ता का सुनिश्चिय किए जाने के सम्बन्ध में कई कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :—

(1) सही वजन का सुनिश्चिय किए जाने के लिए इलैक्ट्रानिकी वे-ब्रिजों की स्थापना किया जाना।

(2) कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोयला रख-रखाव संयंत्रों की स्थापना किया जाना।

(3) लदान स्थलों पर कोयले का विश्लेषण करने और नमूना लिए जाने के लिए कोयला नियन्त्रक के अन्तर्गत एक तन्त्र की स्थापना किया जाना।

(4) एक राष्ट्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद तथा कई क्षेत्रीय कोयला उपभोक्ता परिषदों की उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर किए जाने के लिए स्थापना करना।

(5) सरकारी स्तर पर अल्पावधि संयोजन समितियों की नियुक्ति किया जाना ताकि विद्युत तथा सीमेंट क्षेत्र के उपभोक्ताओं के कोयले की आपूर्ति पर निगरानी रखी जा सके तथा इस बारे में निर्णय लिया जा सके।

[हिन्दी]

दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन

1557. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यातायात के नियमों के उल्लंघन की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत दिल्ली में यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण कितने वाहनों का चालान किया गया;

(ग) इनमें से कितने वाहन, डी० टी० सी० के हैं तथा कितनी एल० टी० ए० परमिट के अधीन संचालित बसें हैं;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत जुर्माने के रूप में कितनी धन-राशि एकत्र की गई; और

(ङ) यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए कौन से ठोस उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) जी हां, श्रीमन ।

(ख) और (ग) वर्ष 1991 और 1992 के दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिल्ली में ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के चालान किए गए वाहनों की संख्या इस प्रकार है :—

वाहन	1991	1992
भारी मोटर वाहन/हल्के मोटर वाहन	292933	425213
हल्के कार वाहन	207447	257420
बस	39532	50883
डी० टी० सी० के अधीन प्राईवेट बसें	17336	14495
टी० टी० सी०	10454	7949
मेटाडोर	23522	7864
टैक्सी	5919	15411
तिपहिया स्कूटर रिक्शा	121140	123211
स्कूटर/मोटर साइकिल	344308	335384
कार/जीप	122777	143216
एस० टी० ए०	323	444
अन्य	55457	40798

(घ) दिल्ली ट्रैफिक पुलिस केवल कम्पाऊंडिंग फीस एकत्र करती है । जुर्माने न्यायालय द्वारा किए जाते हैं । वर्ष 1992 के दौरान जुर्माने और कम्पाऊंडिंग फीस के रूप में एकत्र की गई राशि निम्न प्रकार है :—

(i) ट्रैफिक पुलिस द्वारा एकत्र की गई कम्पाऊंडिंग फीस 9,12,78,306/-

(ii) न्यायालय द्वारा किए गए जुर्माने 29,15,387/-

(ङ) ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(i) समय-समय पर विशेष अभियानों को आयोजित करना ।

(ii) सामरिक महत्व के स्थानों पर अधिक ट्रैफिक स्टाफ तैनात करना ।

(iii) असामन्य समय पर विशेष चैकिंग करना ।

(iv) मुकदमा चलाने के लिए आधुनिक उपकरण जैसे, राडार गन, पैरीस्कोप वेन्स इत्यादि का प्रयोग शुरू करना ।

(v) उल्लंघन करने वालों को सड़क और सुरक्षा सम्बन्धी व्याख्यान देना ।

(vi) ट्रैफिक सिगनल/ब्लिकर्स का प्रयोग शुरू करना ।

(vii) आधुनिक ट्रैफिक प्रबन्ध तकनीक लागू करना ।

[अनुवाद]

मंत्रियों द्वारा विमानों का प्रयोग

1558. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

डा० ए० के० पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा विमानों के प्रयोग हेतु क्या मानदण्ड है;

(ख) केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा 1991, 1992 तथा जनवरी, 1993 के दौरान निजी/दलीय बैठकों में भाग लेने के लिए विमानों का प्रयोग कितनी बार किया गया; और

(ग) इस पर कितना खर्च हुआ ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) मंत्रियों द्वारा वायुयान का प्रयोग करने के मानदण्ड "मंत्री (भत्ते, चिकित्सा उपचार, तथा अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957" में दिए गए हैं ।

इन नियमों के अधीन, कोई मंत्री अपनी सरकारी यात्रा के लिए निजी वायुयान भी किराए पर ले सकता है यदि मंत्री उस यात्रा को लोकहित में आवश्यक समझते हों । परन्तु, ऐसे मामलों में वायुयान को निजी प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता ।

(ख) और (ग) मंत्रियों द्वारा निजी प्रयोजनों हेतु वायुयानों के बारे में सरकार द्वारा कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

[हिन्दी]

मलाजखंड में ताम्र प्रद्रावक संयंत्र

1559. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने केन्द्रीय सरकार से तांबे की खानों के विस्तार हेतु और अधिक वित्तीय सहायता देने तथा मलाजखंड में ताम्र प्रद्रावक संयंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या सहायता देने का प्रस्ताव है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सियोलाइट कॉसन्ट्रेट का उत्पादन

1560. **श्री सी० पी० मुडालगिरियप्पा :**

श्री के० एच० मुनियप्पा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियोलाइट कांसन्ट्रेट का लगभग 90 प्रतिशत भाग देश में आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उसका उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) इस समय देश में शीलाइट की कुल आवश्यकता आयातों से पूरी की जा रही है क्योंकि देश में शीलाइट के ज्ञात भंडार बहुत ही सीमित हैं और उत्पादन लागत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में बहुत ऊंची है। चूंकि शीलाइट सस्ते मूल्य में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए देशी उत्पादन बढ़ाना उच्च ग्रेड शीलाइट अयस्क की प्राप्ति तथा शीलाइट सान्द्रों की उत्पादन लागत में कमी पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

रात्रि ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी

1561. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कई पुलिस अधिकारी अपनी रात्रि ड्यूटी पर शराब पिए हुए पाये गए;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनकी संख्या कितनी थी; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। वर्ष 1990, 1991 और 1992 के दौरान रात्रि ड्यूटी के दौरान, शराब के नशे में पाए गए पुलिस अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष		संख्या
1990	—	22
1991	—	46
1992	—	43

(ग) बैठकों और सम्पर्क सभाओं के दौरान सभी अधिकारियों और कार्मिकों से ड्यूटी के दौरान शराब न पीने के लिए समझाया जाता है। वरिष्ठ अधिकारी, दिन और रात में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों का निरीक्षण करते हैं। चूक करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बरखास्तगी सहित, सख्त विभागीय कार्यवाही की जाती है और मेजर पनीशमेंट दिया जाता है।

[अनुवाद]

होम्योपैथी को बढ़ावा देना

1562. श्री सुबास चन्द्र नायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश होम्योपैथी इलाज तथा शिक्षा को उचित प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में होम्योपैथी शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उचित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने स्नातकपूर्व शिक्षा सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता देकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने, चयन किए गए विभागों का दर्जा बढ़ाने में सहायता प्रदान करने और शिक्षकों, चिकित्सकों और अनुसंधान कार्यकर्ताओं के लिए समय-समय पर पुनरभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने के लिए कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। उपचार सुविधाओं में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

राज्यों के वक्फ बोर्डों द्वारा केन्द्रीय वक्फ परिषद को अंशदान

1563. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी 1993 तक किन-किन राज्यों द्वारा वक्फ बोर्डों का विधिवत् गठन कर लिया गया है;

(ख) वर्ष 1991-92 के लिए सम्बन्धित राज्यों द्वारा अपने वक्फ बोर्डों को दी गई अनुदान सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए सम्भावित संगत अनुदान सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1991-92 और वर्ष 1992-93 के लिए वक्फ बोर्डों द्वारा केन्द्रीय वक्फ परिषद को कितना अंशदान देने का प्रस्ताव किया गया था और वस्तुतः कितना अंशदान दिया गया ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) एक विवरण-I संलग्न है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा भेजी गई सूचना पर आधारित एक अन्य विवरण-II संलग्न कर दिया गया है।

विवरण-I

वक्फ बोर्डों की सूची (1-1-93 की स्थिति के अनुसार)

राज्य वक्फ बोर्ड

1. आन्ध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड
2. असम वक्फ बोर्ड
3. बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड
4. कर्नाटक वक्फ बोर्ड
6. केरल वक्फ बोर्ड
7. कच्छ वक्फ बोर्ड
8. मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड
9. मणिपुर वक्फ बोर्ड
10. मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड
11. मेघालय वक्फ बोर्ड
12. उड़ीसा वक्फ बोर्ड
13. पंजाब वक्फ बोर्ड
14. राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड
15. तमिलनाडु वक्फ बोर्ड
16. त्रिपुरा वक्फ बोर्ड

संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्ड

17. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वक्फ बोर्ड
18. दिल्ली वक्फ बोर्ड
19. दादरा एवम नगर हवेली वक्फ बोर्ड
20. लक्षद्वीप वक्फ बोर्ड
21. पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्ड

अन्य वक्फ बोर्ड

22. उत्तर प्रदेश सुन्नी केन्द्रीय वक्फ बोर्ड
23. उत्तर प्रदेश शिया केन्द्रीय वक्फ बोर्ड
24. वक्फ आयुक्त, पश्चिम बंगाल

निम्नलिखित वक्फ बोर्ड अधिक्रमण के अन्तर्गत है ।

1. आन्ध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड
2. कर्नाटक वक्फ बोर्ड
3. पंजाब वक्फ बोर्ड
4. तमिलनाडु वक्फ बोर्ड

विवरण-II

केन्द्रीय वक्फ परिषद् को वक्फ बोर्डों द्वारा किया गया अंशदान

वर्ष	वक्फ बोर्डों की संख्या	परिकल्पित (अनुमानित (रुपये)	वास्तविक प्राप्ति (बकाया शामिल करते हुए) (रुपये)
1	2	3	4
1991-92	17	19.86 लाख	15.35 लाख
1992-93 (23-2-93 तक)	17	21.09 लाख	20.16 लाख

विद्युत संयंत्रों के लिए गैस का आबंटन किया जाना

1564. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और त्रिपुरा में लगाये जाने वाले विद्युत संयंत्रों के लिए चयनित स्त्रोतों से गैस का आबंटन करने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कारंवाई की है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) समय-समय पर प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया गया है और महाराष्ट्र, गुजरात तथा त्रिपुरा राज्यों में स्थापित/स्थापित किए वाले विभिन्न विद्युत संयंत्रों को लगभग 12.8 एम० एम० एस० सी० एम० डी० गैस आबंटित की गई है।

[हिन्दी]

इस्पात निर्माता एकक

1565. **डा० चिन्ता मोहन :**

श्री नवल किशोर राय : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात निर्माता सैकड़ों गौणा एकक उच्च रूपांतरण लागत और उत्पादों से धन की कम प्राप्ति के कारण गम्भीर आर्थिक संकट में है जैसाकि 1 दिसम्बर, 1992 के समाचार पत्र "इण्डियन एक्सप्रेस" में छपा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने एककों को बन्द कर दिया गया है;

(ग) इससे कितने श्रमिक बेरोजगार हुए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन एककों को बन्द होने से बचाने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) उच्च रूपांतरण लागत और उत्पादों से कम आय के कारण गौण इस्पात का निर्माण करने वाली इकाइयों के बड़े पैमाने पर बन्द होने के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हालांकि इकाइयों के बन्द होने के कई कारण हो सकते हैं। फिर भी इन कारणों में प्रबन्धन समस्याएं, वित्तीय समस्याएं और श्रम समस्याएं आदि शामिल हैं। उत्पादन की अमार्थिक लागत के कारण विद्युत चाप भट्टी की केवल 6 इकाइयों के बन्द होने की सूचना मिली है।

(घ) से (च) लघु इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। इस्पात की मांग में वृद्धि होने के साथ-साथ गौण इस्पात का निर्माण करने वाली इकाइयों के निष्पादन में भी सुधार होगा।

[अनुवाद]

आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज और अस्पताल

1566. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज और अस्पताल चल रहे हैं;

(ख) कालेजों और अस्पतालों को गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने आयुर्वेदिक अस्पतालों को खोलने तथा राज्य के वर्तमान अस्पतालों के विस्तार हेतु केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन पर क्या निर्णय लिए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) और (ख) गुजरात में नौ आयुर्वेदिक चिकित्सा कालेज और तैंतालिस आयुर्वेदिक अस्पताल कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर के अन्तर्गत एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कार्य कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में विभिन्न कालेजों को दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :—

1989-90	172.00 लाख
1990-91	183.19 लाख
1991-92	197.69 लाख

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज

1567. श्री हरिन पाठक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न तेल तथा प्राकृतिक गैस खोज परियोजनाओं पर प्रतिवर्ष-वार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) ऐसी कितनी परियोजनाएं विदेशी कम्पनियों द्वारा शुरू की गई हैं;

(ग) क्या ये सभी परियोजनाएं सफल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए उक्त अवधि के दौरान विदेशी कम्पनियों को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ङ) इन विदेशी कम्पनियों को विदेशी मुद्रा में भुगतान करने से बचने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लि० ने सर्वेक्षणों तथा अन्वेषण वेधन पर वर्ष 1990-91 में 1168.64 करोड़ रुपए तथा 1991-92 में 1401.35 करोड़ रुपए की कुल राशि खर्च की।

(ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 में विदेशी कम्पनियों द्वारा ऐसी परियोजनाएं शुरू नहीं की गई हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेदिक औषधियों में बारे में गुणवत्ता-नियंत्रण किया जाना

1568. प्रो० राम कापसे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से आयुर्वेदिक औषधियों के लिए सख्त मानदंड लागू करने के सम्बन्ध में जुलाई, 1992 में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कारंवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दवाओं की कमी

1569. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री मदन लाल खुराना :
श्री जर्नादन मिश्र :
श्री पंकज चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों तथा औषधालय में दवाओं तथा जीवन रक्षक औषधियों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन अस्पतालों तथा औषधालयों में दवाओं विशेषत: जीवन रक्षक औषधियों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पतालों तथा औषधालयों द्वारा दवाओं एवं जीवन रक्षक औषधों की अत्यधिक कमी सूचित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

निर्यातित सिरिंजों की बिक्री

1570. श्री श्रीकांत जैना :

श्री रवि राय :

श्री राम विलास पासवान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 फरवरी, 1993 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "डिस्पोज्ड सिरिन्जिज बीइंग सोल्ड टू होस्पीटल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस कार्य को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां । दिल्ली के सरकारी अस्पतालों ने सूचित किया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि डिस्पोजेबल सिरिंज का प्रयोग दोबारा न किया जा सके उन्हें एक बार इस्तेमाल करने के उपरांत नष्ट कर दिया जाता है। सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एक मैनुअल परिचालित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन कदमों के बारे में बताया गया है जिन्हें डिस्पोजेबल सुइयां तथा सिरिंजें नष्ट करने के लिए तथा गैर-डिस्पोजेबल सिरिंजों का पुन: उपयोग करते समय उठाए जाने की आवश्यकता है।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां

1571. डा० ए० के० पटेल :

श्री चन्द्रेश पटेल :

श्री मोहन रावले :

डा० कृपासिन्धु भोई : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार माह के दौरान जम्मू और कश्मीर में मारे गए गिरफ्तार किए गए और आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनके द्वारा कितने असैनिक और रक्षा कर्मी मारे गए;

(ग) फरवरी 1993 के पहले पखवाड़े के दौरान सुरक्षा कर्मियों द्वारा जब्त किए गए हथियारों, गोलाबारूदों तथा अन्य सामग्री का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस राज्य में आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान 341 आतंकवादी मारे गए, 308 गिरफ्तार किए गए तथा 25 ने आत्मसमर्पण किया। इस अवधि के दौरान 245 सिविलियन तथा 40 सुरक्षाकर्मी आतंकवादियों द्वारा मार डाले गए। सुरक्षा बलों ने 4 राकेट लांचर, 1 यू० एम० जी०, 71 क्लाशिनकोव राइफलें, 2 स्निपर राइफलें, 19 पिस्तौलें, 3 बन्दूकें, 2194 हथगोले, 101 बारूदी सुरंगें, 10 राकेट, 30 बम, 10 कि० ग्रा० विस्फोटक और 42,540 राउंड गोली बारूद फरवरी, 1993 के पहले पक्ष में पकड़ी।

राज्य में उग्रवाद की रोकथाम के लिये सुरक्षा प्रबंधों को कड़ा कर दिया गया है और उग्रवादियों पर लगातार दबाव बनाए रखा जा रहा है। घुसपैठ के संभावित मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

झारखंड मसला

1572. श्री चित्त बसु :

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :

श्री बीरसिंह महतो : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अलग झारखंड राज्य के लिए लम्बे समय से चले आ रहे आन्दोलन के संबंध में अपना दृष्टिकोण तय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (ग) बिहार विधान सभा द्वारा पारित "झारखंड क्षेत्र विकास विधेयक" की जांच सरकार गहराई से कर रही है। इसमें अन्तर्ग्रस्त जटिल प्रशासनिक, संवैधानिक और राजनैतिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में समय लगता है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1573. डा० महादीपक सिंह शाक्य :

श्री नीतीश कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में इस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान इन केन्द्रों को कितनी धनराशि दी गई;

(ग) प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा कितने ग्रामीण परिवारों को सेवा प्रदान की जाती है; और

(घ) इन केन्द्रों के कार्य को प्रभावी बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) मैदानी क्षेत्रों में हर 30,000 की आबादी और पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में हर 20,000 की आबादी के पीछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाता है। केन्द्रीय सरकार के नीति सम्बन्धी दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को धन दिया जाता है तथा इसका रख-रखाव किया जाता है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1283
2.	अरुणाचल प्रदेश	36
3.	असम	479
4.	बिहार	2494
5.	गोवा	21
6.	गुजरात	918
7.	हरियाणा	395
8.	हिमाचल प्रदेश	194
9.	जम्मू व कश्मीर	295
10.	कर्नाटक	1217
11.	केरल	907
12.	मध्य प्रदेश	1182
13.	महाराष्ट्र	1650
14.	मणिपुर	72
15.	मेघालय	67
16.	मिजोरम	36
17.	नागालैंड	33

1	2	3
18.	उड़ीसा	1039
19.	पंजाब	472
20.	राजस्थान	1373
21.	सिक्किम	23
22.	तमिलनाडु	1348
23.	त्रिपुरा	50
24.	उत्तर प्रदेश	3652
25.	पश्चिम बंगाल	1544
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	17
27.	चण्डीगढ़	शून्य
28.	दादरा व नगर हवेली	5
29.	दमन व दीव	4
30.	दिल्ली	8
31.	लक्षद्वीप	7
32.	पांडिचेरी	26
	योग	20847

मध्य प्रदेश में आंत्रशोथ

1574. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में प्रदूषित जल और वायु के कारण अनेक व्यक्ति आंत्रशोथ रोग से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां तो 1992 के दौरान मध्य प्रदेश में आंत्रशोथ से कितने व्यक्ति पीड़ित पाए गए;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का आंत्रशोथ रोग को फैलने से रोकने हेतु मध्य प्रदेश को सहायता देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकार से केन्द्रीय सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इस्पात का उत्पादन

1575. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने 1992-93 में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1992-93 के दौरान उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए स्टील आरिटी आफ इंडिया लिमिटेड के कई उपाय किए हैं, जो निम्नानुसार हैं :

(1) विक्रेय इस्पात का उत्पादन जो 1991-92 में 80.28 लाख टन था, को बढ़ाकर 1992-93 में 82.16 लाख टन करना।

(2) कोक दर और ऊर्जा खपत में कमी।

(3) निजी विद्युत का उच्च उत्पादन।

(4) बेलन योग्य इस्पात की तकनीकी जानकारी के अन्तरण सहित अन्तर संयंत्र सहक्रिया का इष्टतमीकरण।

(5) अनुरक्षण और भारी मरम्मत कार्यों की समय-सूची का कड़ाई से अनुपालन।

(ग) अप्रैल, 92 से जनवरी, 93 तक की अवधि में प्राप्त परिणाम निम्नानुसार हैं :—

(1) सेल के एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा 68.6 लाख टन बिक्रेय इस्पात का उत्पादन जो लक्ष्य का 10% है और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5% अधिक है; और

(2) पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में कोक दर में 0.7% और ऊर्जा खपत में 0.9% की कमी हुई।

फालतू गैस का उपयोग

1576. डा० सुधीर राय :

श्री पूर्णचन्द्र मलिक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न तेल कुओं पर भारी मात्रा में रसोई गैस को जलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो जलाई जा रही रसोई गैस की मात्रा कितनी है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की रसोई गैस का उपयोग करने के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में पंजाब के आतंकवादी

1577. श्री अन्बारासु इरा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में हाल ही में पंजाब के आतंकवादियों का पंजाब से पलायन करने तथा मध्य प्रदेश में अपने अड्डे बनाने की घटनाएं आई हैं;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में इन आतंकवादियों ने अड्डे बना लिए हैं;

(ग) पिछले आठ महीनों में राज्य में कितने आतंकवादी गिरफ्तार किए गए तथा मारे गए; और

(घ) राज्य में आतंकवादी कार्यवाहियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मध्य प्रदेश में सिख बाहुल्य वाले कई जिला केन्द्रों में पंजाब के उग्रवादियों की आवा-जाही तथा गतिविधियां होने की जानकारी मिली है। उनमें से अधिकतर मुख्य राजमार्गों पर स्थित हैं जहां से उग्रवादियों की आवाजाही सहज होती है।

(ग) इस अवधि के दौरान राज्य में 18 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए।

(घ) सरकार स्थिति से अवगत है तथा उग्रवादियों की गतिविधियों पर कड़ी तथा लगातार नजर रख रही है। आतंकवाद के प्रसार की रोकथाम करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाए गए हैं।

इस्पात की मांग तथा पूर्ति

1578. श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार :

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में इस्पात की श्रेणीवार मांग तथा पूर्ति की क्या स्थिति है; और

(ख) इस्पात की मांग तथा पूर्ति में अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) परिसज्जित इस्पात को मोटे तौर पर दो श्रेणियों, अचपटे उत्पादन और चपटे उत्पाद में बांटा जा सकता है। वर्ष 1991-92 और

1992-93 के दौरान कुल मांग और घरेलू उत्पादन निम्नानुसार है :—

(हजार टन)

	मांग		घरेलू उत्पादन	
	1991-92	1992-93	1991-92	1992-93 (जनवरी, 93 तक)
अचपटे उत्पाद	9090	9930	8212	7000
चपटे उत्पाद	7260	7930	6117	5346
कुल :	16350	17760	14329	12346

(ख) देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने और इस्पात उद्योग में निजी क्षेत्र को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने कई उपाय किए हैं :—

(1) सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से "लोहा और इस्पात" को निकाल दिया गया है और इसे उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अनिवार्य लाइसेंसिंग की आवश्यकता से भी छूट दे दी गई है। हालांकि इसमें स्थान स्थिति सम्बन्धी कुछ प्रतिबन्धों की शर्तें हैं।

(2) लोहा और इस्पात क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार के उद्योगों को साम्य में 51% तक की विदेशी निवेश की स्वतः मंजूरी मिलने की सुविधा है।

(3) इस्पात प्रगलन स्क्रैप और स्पंज लोहा जो गौण क्षेत्र के लिए आधारभूत कच्ची सामग्री है, की उपलब्धता में सुधार किया गया है।

(4) इस्पात के मूल्य निर्धारण और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है।

(5) "लोहा और इस्पात उद्योग के उद्यमियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों" का एक सैट उद्यमियों को लोहा और इस्पात उद्योग की स्थापना से सम्बन्धित मामलों पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध करने के लिए जारी किया गया है।

(6) सरकारी क्षेत्र के एकीकृत इस्पात संयंत्रों ने आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम शुरू किए हैं।

[हिन्दी]

रसोई गैस की कालाबाजारी

1579. श्री मुमताज अंसारी :

श्री राम बदन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस की कालाबाजारी करने वाली कितनी एजेंसियों का पता लगाया गया; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) तेल कम्पनियों द्वारा पता लगाए गए ऐसे मामले के सम्बन्ध में जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) एल० पी० जी० विपणन कम्पनियों द्वारा गड़बड़ी करने वाले डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देश के तहत समुचित कार्रवाई की जाती है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	2	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	—	—	—
4.	बिहार	1	2	2
5.	गोआ	—	—	—
6.	गुजरात	—	—	2
7.	हरियाणा	5	2	1
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	—	1	6
11.	केरल	1	1	1
12.	मध्य प्रदेश	—	1	1
13.	महाराष्ट्र	5	17	4
14.	मणिपुर	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—
18.	उड़ीसा	—	—	4
19.	पंजाब	5	2	3
20.	राजस्थान	—	—	—

1	2	3	4	5
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडू	4	1	2
23.	त्रिपुरा	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	4	—	1
25.	पश्चिमी बंगाल	2	—	—
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान निकोबार	—	—	—
2.	चण्डीगढ़	—	2	—
3.	दादर और नगर हवेली	—	—	—
4.	दिल्ली	—	—	—
5.	दमण और दिव	—	—	—
6.	लक्ष्यद्वीप	—	—	—
7.	पांडीचेरी	—	—	—
	कुल	27	31	27

[अनुवाद]

साम्प्रदायिक दंगों के कारण पलायन

1580. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री सूर्य नारायण सिंह :

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम :

डा० सुधीर राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 6 दिसम्बर, 1992 की अयोध्या घटना के बाद दो चरणों में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बाद मुम्बई से भागे हुए विभिन्न राज्यों के लोगों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है;

(ग) उनकी सुरक्षित वापसी और पुनर्वास के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) अब तक कितने लोग वापस हुए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (घ) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, कोई अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। पीड़ितों की अपने घरों को सुरक्षित वापसी के लिए राज्य सरकारों ने राहत तथा पुनर्वास के उपाय किए हैं।

बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण की लागत में वृद्धि

1581. **श्री विजय नवल पाटील** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण की योजना की लागत में इस बीच 77 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इसके आधुनिकीकरण योजना में हुई लागत वृद्धि को किस प्रकार पूरा करने का है; और

(ग) सरकार द्वारा इसका शीघ्र आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण को सरकार ने पहले ही सिद्धांततः मंजूरी दे दी है। तथापि सेल ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिसका मुख्य उद्देश्य सतत ढलाई प्रौद्योगिकी शुरू करना और संगत सेवा सुविधाओं सहित हाट स्ट्रिप मिल का आंशिक आधुनिकीकरण करना है। इस समय यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहण की गई भूमि को लौटाना

1582. **कुमारी फ्रिडा टोपनो** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा कुल कितनी भूमि का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) राज्य सरकार को कुल कितनी भूमि लौटाई गई है अथवा लौटाने का विचार है तथा राज्य सरकार ने किस प्रयोजनार्थ भूमि वापिस मांगी है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) इस्पात संयंत्र बांध, खान, आदि के निर्माण के लिए राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा कुल लगभग 32567.71 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई/ली गई थी।

(ख) संयंत्र, बांध, खानों और बस्ती, सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं, वृक्षारोपण, हरित-पट्टी आदि के लिए लगभग 28,562.09 एकड़ भूमि का उपयोग किया गया है/उपयोग किए जाने की योजना है। इसमें नदियों/नालों आदि, जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता, की भूमि भी शामिल है।

(ग) कुल 2,278.90 एकड़ अधिग्रहित भूमि राज्य सरकार को वापिस कर दी गई है। राज्य सरकार को विभिन्न परियोजनाओं जैसे औद्योगिक सम्पदा, सिविल बस्ती, औद्योगिक आवास योजनाओं, दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23, इलेक्ट्रिक ग्रिड के सब-स्टेशन, कोइल पुल, बैंकिया फोडर फार्म, आदि के लिए राज्य सरकार को लगभग 1726.72 एकड़ भूमि वापिस करने का प्रस्ताव है।

कोयला क्षेत्र का पुनर्गठन करना

1583. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्व बैंक की सहायता से कोयला क्षेत्र का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो कोयला क्षेत्र का पुनर्गठन करने के लिए कितनी धनराशि मिलने की सम्भावना है; और

(ग) कोयला क्षेत्र का पुनर्गठन करने के लिए किन-किन योजनाओं को शामिल किया गया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) जी, नहीं। किन्तु, कार्य-चालन की कार्यकुशलता और वित्तीय लाभकारिता में सुधार लाए जाने की दृष्टि से आत्मनिर्भरता प्राप्त किए जाने के लिए कोल इंडिया लि० के पास एक कार्रवाई योजना है। कार्रवाई योजना में विनिर्दिष्ट किए गए विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के लिए कोल इंडिया लि० ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें विश्व बैंक से 500 मिलियन अमरीकी डालर लगभग 1500 करोड़ रु० की राशि की सहायता की मांग की गई है। कोल इंडिया लि० इस ऋण का योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रयोग करना चाहता है ताकि वित्तीय लाभकारिता का सम्पूर्ण रूप में निगमित उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

इस प्रस्ताव में अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित शामिल हैं—विनिर्दिष्ट की गई भूमिगत खानों में उत्पादन और उत्पादकता में सुधार, ओपनकास्ट परियोजना में कार्यचालन दक्षता और उत्पादन में सुधार, कोककर कोयले के उत्पादन में वृद्धि, कोयला गुणवत्ता में सुधार और मानव संसाधनों को युक्ति संगत किया जाना।

इस सम्बन्ध में प्रस्ताव को विश्व बैंक के मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है।

अर्द्ध-सैनिक बलों में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती

1584. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्द्ध-सैनिक बलों में विभिन्न पदों की भर्ती से भूतपूर्व सैनिकों को कोई प्राथमिकता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991 और 1992 के दौरान प्रत्येक बल में कितने भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) इस समय लागू आदेशों के अनुसार, अर्द्ध-सैनिक बलों में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले सहायक कमांडेंट के स्तर के पदों की रिक्तियों का 19 प्रतिशत ग्रुप "ग" पदों की प्रत्येक श्रेणी की रिक्तियों का 10 प्रतिशत ग्रुप "घ" पदों की प्रत्येक श्रेणी की रिक्तियों का 20 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं।

(ख) वर्ष 1991 और 1992 के दौरान भर्ती किए गए भूतपूर्व सैनिकों की संख्या इस प्रकार है :

	1991	1992
(i) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	283	863
(ii) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	26	2
(iii) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	185	185
(iv) सीमा सुरक्षा बल	145	135
(v) असम राइफल्स	शून्य	शून्य

मोम के कोटे में वृद्धि

1585. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में मोमबत्ती बनाने वालों की सहायता के लिए हाल ही में केरल के मोम कोटे में बढ़ोतरी की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयला कम्पनियों के व्यय की समीक्षा

1586. श्री राम टहल चौधरी :

श्री लाल बाबू राय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला कम्पनियों के व्यय की समीक्षा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के लिए कोल इण्डिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० के लिए लेखा-परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट और लेखों की भारत सरकार द्वारा समीक्षा की गई है और इन्हें संसद के वर्तमान सत्र के दौरान सभा पटल पर रखा जा रहा है। इन वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार इन कम्पनियों द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान कमाया गया राजस्व, किया गया व्यय और हुए लाभ/घाटे को नीचे दर्शाया गया है :—

(करोड़ रु० में)

कम्पनी का नाम	कमाया गया राजस्व	किया गया व्यय	लाभ(+)/घाटा (—) कमाया गया/उठाया गया
कोल इंडिया लि०	6836.06	6668.99	(+) 167.07
सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०	712.94	917.78	(—) 204.84

[अनुवाद]

दिल्ली में फ्लोर शो

1587. श्री जीवन शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने होटलों और रेस्टोरेंटों में बिना लाइसेंस फ्लोर शो आयोजित किए जाते हैं;

(ख) गत छह महीनों के दौरान दिल्ली में नग्न नृत्य करने के लिए कितनी लड़कियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि इस समय केवल 6 रेस्टोरेंट लाइसेंस के बिना फ्लोर शो/कैबरे आयोजित कर रहे हैं। इनमें से 5 मामलों में, लाइसेंस धारकों ने स्थगन आदेश ले लिए हैं। शेष मामलों में फ्लोर शो को बन्द करने के लिए पुलिस ने न्यायालय से अनुरोध किया है।

(ख) एक।

(ग) स्थानीय पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखी जाती है तथा जब कभी भी बिना लाइसेंस के फ्लोर शो होते पाए जाते हैं तो दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 28/112 के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाती है। स्थानीय पुलिस तथा लाइसेंस विभाग, दोनों के द्वारा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वालों का पता लगाने के लिए अचानक जांच की जाती है।

पेट्रोलियम उत्पाद

1588. श्री गुमान मल लोढ़ा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम उत्पादों के कुल उपयोग में डीजल और मिट्टी के तेल का भाग कितने प्रतिशत है;

(ख) आयात में डीजल और मिट्टी के तेल का अलग-अलग कितना हिस्सा होता है;

(ग) गैसोलीन, डीजल और मिट्टी के तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य क्या हैं; और

(घ) क्या डीजल और मिट्टी के तेल के मूल्य निर्धारित करते समय बहुत हद तक गैसोलीन दी जाने वाली राजसहायता में क्षतिपूर्ति की जाती है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क)

वर्ष	उत्पाद	कुल खपत का प्रतिशत
1991-92	एस के ओ	14.7
1991-92	एच एस डी	39.9

(ख)

वर्ष	उत्पाद	पेट्रोलियम उत्पादों के कुल आयात का प्रतिशत
1991-92	एच एस डी	56.4
1991-92	एस के ओ	35.6

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान गैसोलीन का कोई आयात नहीं हुआ।

अरब की खाड़ी से एच एस डी और एस के ओ की बताई गई वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें निम्नलिखित हैं :—

उत्पाद	(अमरीकी डालर/मी० टन)
एच एस डी	172.16
एस के ओ	188.14

(घ) एक उत्पाद का दूसरे पर परस्पर राजसहायता की मात्रा बता पाना संभव नहीं है।

विकलांगों के लिए राष्ट्रीय न्यास

1589. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या कल्याण मंत्री 3 दिसम्बर, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1761 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांगों के लिए राष्ट्रीय न्यास गठन के लिए विवरण तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

बिहार में अवैध खनन

1590. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में अनेक स्थानों पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इस राज्य में पिछले पांच वर्षों से अवैध रूप से खनन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो अवैध रूप से खनन में संलग्न लोगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

लौह अयस्क खानों के समक्ष संकट

1591. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत कुछ वर्षों के दौरान भारतीय लौह अयस्क खानों के समक्ष कम आंतरिक तथा बाहरी मांग/निर्यात के कारण उत्पन्न संकट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) वर्तमान संकट से उबरने के लिए कौन-सी व्यापक कार्य योजना/नई खनन नीति/नीति तैयार की गई है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) भारतीय लौह अयस्क खानों द्वारा गम्भीर संकट का सामना किए जाने के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है फिर भी लोहे और इस्पात उद्योग में विश्वव्यापी मन्दी के कारण चालू वर्ष के दौरान लौह अयस्क के निर्यात में कमी आई है। इसी दौरान घरेलू मांग में भी वृद्धि हुई है।

दिल्ली में पुलिस आयुक्त व्यवस्था

1592. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 1992 की रिपोर्ट सं० 3 के पैरा-3 में दिल्ली में पुलिस आयुक्त के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मामला, दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

[हिन्दी]

मलेरिया पर नियंत्रण

1593. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य में मलेरिया के कितने मामले रिपोर्ट किए गए;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में मलेरिया से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ग) मलेरिया को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) वेक्टर रोधी उपाय

(क) रासायनिक तरीके

— डी० डी० टी०/बी० एच० सी०/मेलाथियान जैसे उपयुक्त कीटनाशकों के साथ छिड़काव ।

— देश में चुनिंदा क्षेत्रों में सिन्थेटिक पाइरेथायड्स के साथ फील्ड परीक्षण ।

— शहरी क्षेत्रों के जलाशयों में लार्वारोधी रसायनों का साप्ताहिक प्रयोग।

(ख) जीव विज्ञानी तरीके

— जहां भी व्यहार्य हो लार्वाभक्षी मछलियों का इस्तेमाल ।

— प्रभावी लार्वारोधी उपाय के रूप में बायसाइड्स के साथ परीक्षण ।

(2) पर्यावरणिक तरीके

— मच्छरों के प्रजनन को प्रभावशाली ढंग से रोकने के लिए पर्यावरणिक परिवर्तन और सम्बन्धित उपाय किए जा रहे हैं ।

(3) परजीवी रोधी उपाय

—रोगी का पता लगाना तथा उसका शीघ्र उपचार करना ।

— क्लोरोक्वीन प्रतिरोधी पी० फाल्सीपेरम मलेरिया के उपचार के लिए नई मलेरिया रोधी औषधों पर अनुसंधान ।

विवरण				
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रोगी		मृत्यु	
	1991	1992	1991	1992
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	822292	64896	2	1
अरुणाचल प्रदेश	18729	12108	शून्य	शून्य
असम	107572	70153	36	19
बिहार	60332	14095	14	2
गोवा	2879	788	शून्य	शून्य
गुजरात	404735	331969	37	शून्य
हिमाचल प्रदेश	20115	7099	शून्य	शून्य
हरियाणा	34011	16636	0	2
जम्मू और कश्मीर	4656	1203	शून्य	शून्य
कर्नाटक	44565	47483	8	शून्य
केरल	6758	7776	0	2
मध्य प्रदेश	282681	79102	28	25
महाराष्ट्र	145310	178026	15	1
मणिपुर	640	2911	शून्य	1
मेघालय	11155	890	शून्य	शून्य
मिजोरम	12486	13000	12	37
नागालैंड	2422	1139	शून्य	शून्य
उड़ीसा	414550	172964	233	104
पंजाब	36649	23142	शून्य	शून्य
राजस्थान	177573	58714	10	16
सिक्किम	46	183	0	1
तमिलनाडु	144762	138977	4	2
त्रिपुरा	6992	5983	8	6
उत्तर प्रदेश	112118	102600	शून्य	शून्य
पश्चिम बंगाल	40452	32143	13	20

1	2	3	4	5
संघ राज्य-क्षेत्र				
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1765	1637	2	1
चण्डीगढ़	26046	17559	शून्य	शून्य
दादरा और नगर हवेली	5101	6365	शून्य	शून्य
दमण और दीव	1010	1199	शून्य	शून्य
दिल्ली	8491	7039	0	6
लक्षद्वीप	4	1	शून्य	शून्य
पांडिचेरी	563	960	शून्य	शून्य

[अनुवाद]

एल्यूमिनियम और इसके सह-उत्पादों का निर्यात

1594. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एल्यूमिनियम और इसके सह-उत्पादों के निर्यात पर अधिक जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान एल्यूमिनियम और उसके उत्पादों के निर्यातों में बहुत वृद्धि हुई है। एल्यूमिनियम के प्राथमिक उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यात इस प्रकार हैं :

टन में

मद	1990-91	1991-92	1992-93 (अप्रैल-दिसम्बर, 92)
एल्यूमिनियम	30,487	68,398	61,423
सेमिस	5,825	5,373	6,030

1992-93 के दौरान एल्यूमिनियम धातु और सेमिस के निर्यात 1 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है।

(ग) सरकारी क्षेत्र की एल्यूमिनियम कम्पनियों के लिए निर्यात के लक्ष्य सभी सम्बन्धित कारकों को ध्यान में रखने के बाद, वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

एच॰ आई॰ वी॰ पर नियन्त्रण में सिद्ध चिकित्सा प्रणाली प्रभावी

1595. **श्री संदीपान भगवान थोरात :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिद्ध चिकित्सा प्रणाली एच॰ आई॰ वी॰ पोजिटिव रोगियों की चिकित्सा में प्रभावी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी॰ शंकरानन्द) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में कोई वैज्ञानिक खोज नहीं की गई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में एड्स यूनिट

1596. **श्री गुरुदास कामत :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में एड्स रोगियों की पर्याप्त देखभाल नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एड्स यूनिट पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी॰ शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में अप्रयुक्त पड़ी रिग

1597. **श्री अमलदत्त :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के "गोल्फ ग्रीन नं॰ 1" नामक स्थान पर लगभग 2 वर्षों से एक रिग पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त स्थान पर इस रिग से निर्धारित परत लक्ष्य तक पहुंच गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उस भूपरत से प्राप्त पदार्थ का परीक्षण किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो क्या इस प्रयोजनार्थ अन्य प्रयास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) से (छ) उत्पादन पाइपों को और नीचे धंसा करके उत्पादन पूर्व परीक्षण कार्य शुरू किया गया है और पांच वस्तुओं में से प्रथम के परीक्षण को हाथ में लिया जा रहा है।

[हिन्दी]

इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर कारतूस बरामद होना

1598. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर जनवरी, 1993 के दौरान कुछ व्यक्ति अवैध रूप से कारतूस ले जाते हुए गिरफ्तार किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन व्यक्तियों से कितने कारतूस बरामद किये गये थे; और

(घ) इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) जी हां, श्रीमन। इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, अवैध रूप से कारतूस ले जाते हुए दो व्यक्तियों को पकड़ा गया।

(ख) और (ग) सिंगापुर के फ्लाइट नं० एस०-क्यू०-408 से, 12/13-1-93 को मध्य रात्रि को इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो दो व्यक्ति पहुंचे थे, उन्हें सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा ग्रीन चैनल पार करते समय पकड़ा गया जिन्होंने यह घोषणा नहीं की थी उनके कब्जे में कारतूस हैं। उनके कब्जे से कुल मिलाकर 4660 कारतूस बरामद किए गए।

(घ) उनके खिलाफ इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पुलिस स्टेशन में शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया।

[अनुवाद]

असुरक्षित संभोग

1599. **श्री श्रवण कुमार पटेल** :

श्री चन्द्रेश पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन (एन० ए० सी० ओ०) के तत्वावधान में नई दिल्ली में 13 जनवरी, 1993 को असुरक्षित संभोग के खतरों के बारे में चर्चा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो चर्चा के दौरान की गई प्रमुख टिप्पणियों और दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन निर्णयों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) भारतीय उद्योग संघ ने राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन के सहयोग से एच० आई० वी०/एड्स की रोकथाम करने के लिए 13 जनवरी, 1993 को निगमित क्षेत्र की एक कार्यशाला आयोजित की थी। इसमें एच० आई० वी०/एड्स के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, एड्स/यौन संचारित रोग सम्बन्धी शिक्षा में तेजी लाने की आवश्यकता, निरोधों की उपलब्धता और एड्स/यौन संचारित रोग से पीड़ित व्यक्तियों के नैदानिक उपचार पर बल दिया गया।

(ग) सरकार ने पहले ही एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्यशाला में उठाए गए मुद्दे भी शामिल हैं।

पुलिसकर्मियों का अपराधों में लिप्त होना

1600. **श्री हरिन पाठक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के पुलिसकर्मियों का अपराधों में लिप्त होने के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सितम्बर, 1992 से जनवरी, 1993 तक संवर्ग-वार कितने पुलिसकर्मी अपराधों में शामिल पाए गए; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान।

पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 32 कर्मचारियों की तुलना में सितम्बर, 1992 से जनवरी, 1993 तक की अवधि के दौरान 17 पुलिसकर्मियों को अपराधों में अन्तर्ग्रस्त पाया गया था।

(ग) सितम्बर, 1992 से जनवरी, 1993 के दौरान अन्तर्ग्रस्त 17 कर्मचारियों में से 13 कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

मुम्बई में जाली वीजा और पारपत्रों को जब्त किया जाना

1601. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** :
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :
श्री जनार्दन मिश्र :
श्री अरविन्द त्रिवेदी :
श्री पंकज चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी० बी० आई०) ने हाल ही में मुम्बई में एक ऐसे मुद्रणालय का पता लगाया है जहां पर जाली वीजा और पारपत्र छापे जाते थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) जब्त किए गए जाली वीजा और पारपत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया; और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) विशेष अपराध शाखा, बम्बई में 16-12-92 को दर्ज एक मामले, नामत: आर० सी० 23/एस० सी० बी०/92-बम्बई, की जांच-पड़ताल के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मुलुण्ड, बम्बई में एक छापखाना, नामत: ज्योति प्रिंटिंग प्रेस, 745, बाबू जगजीवन-राम नगर का पता लगाया जो श्री उत्तम दामोदर शिम्पांकरका निवास था, तथा जहां छपे हुए जाली वीजा, जैसे कि स्वीडन, नारवे, नेपाल के लिए वीजा तथा तंजानिया इत्यादि के लिए पासपोर्ट पाए गए और जब्त कर लिए गए।

इस आशय की सूचना, कि श्री शंकरदत्ता तथा अन्य अभियुक्त अनधिकृत रूप से झूठे तथा जली कंटीन्युअस डिस्चार्ज सर्टीफिकेट्स (सी० डी० सी०), सीमेन एम्पलायमेंट/ट्रैवल रिकार्डस इत्यादि तैयार कर रहे हैं तथा उनको इच्छुक व्यक्तियों को बेच रहे हैं, के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो/एस० सी० बी०/बम्बई शाखा द्वारा दिनांक 16-12-92 को भा० द० सं० की धारा 120-बी, साथ पठित भा० दं० सं० की धारा 420, 465, 467 और 471 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया। प्रत्येक जाली/झूठे प्रमाण-पत्र के लिए वे 500/-रु० लिया करते थे।

अभियुक्त शंकरदत्ता, मधुसूदन पात्रा, उत्तम दामोदर शिम्पांकर, राजारियां, बी० कनौजिया के परिसरों की तलाशी ली गई। विभिन्न शिपिंग कम्पनियों और सरकारी संगठनों के खाली लेटर-हैड्स, शिपिंग लाईन्स में स्थिति दर्शाते हुए खाली प्रमाण-पत्र तथा बड़ी मात्रा में रबड़ की मोहरें, सी० डी० सी० प्रमाण-पत्र, स्क्रीन प्रिंटिंग की सामग्री, कला सामग्री इत्यादि बरामद किए गए।

इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए दस व्यक्तियों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की पुलिस हिरासत में 12-3-93 तक रखा गया है।

[अनुवाद]

मेथिल एल्कोहल का उत्पादन

1602. श्री एन० जे० राठवा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में किन-किन फर्मों को, मेथिल एल्कोहल के उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं तथा किन-किन फर्मों ने मेथिल एल्कोहल के उत्पादन हेतु प्राकृतिक गैस की सप्लाई के लिए आवेदन किया है; और

(ख) इन फर्मों को प्राकृतिक गैस कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) वर्तमान में जी० एन० एफ० सी० भरूच को मिथानोल के उत्पादन के लिए 0·3 एम० एम० एस० सी० एम० डी० गैस आपूर्त की जा रही है। चार अन्य पार्टियों ने मिथानोल के उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस की मांग दर्ज की है। तथापि चूंकि गुजरात में आबंटन उपलब्धता से अधिक है, इसलिए वर्तमान में नए आबंटन सम्भव नहीं है।

पान मसाला

1603. श्री सनत कुमार मंडल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 फरवरी, 1993 के "स्टेट्समेन" नई दिल्ली में "मिनिस्ट्री एट वार विद पान मसाला मेकर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पान मसाला, जोकि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, के बढ़ते प्रयोग को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम अब यह निर्धारित करते हैं कि पान मसाले के हर पैकेज तथा उससे सम्बन्धित विज्ञापन पर निम्नलिखित चेतावनी अंकित होगी :—

"पान मसाले का चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।"

(i) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने इसके विज्ञापन देना बन्द कर दिया है।

(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुपर बाजार, केन्द्रीय भण्डार, सरकारी दुकानों, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से इसकी बिक्री को हतोत्साहित करने तथा जनता को इसके उपभोग से होने वाले हानिप्रद प्रभावों में बारे में जानकारी देने के लिए सुझाव दिया गया है।

विदेशी अंशदान की प्राप्ति

1604. श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार :

श्रीमती भावना चिखलिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष राज्य-वार, कितनी संस्थाओं/संगठनों ने विदेशों से धन प्राप्त किया;

(ख) दानकर्ता देशों के नाम सहित दिए गए धन का, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राप्तकर्ताओं द्वारा इन धन के आपत्तिजनक कार्यों के लिए दुरुपयोग के विरुद्ध कोई शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सूचना संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण II में दी गई है।

(ग) से (ङ) जब भी अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन की शिकायत ध्यान में आती है तो उल्लंघन करने वाले संगठनों के विरुद्ध, जहां कहीं आवश्यक होता है, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

विवरण-I

प्राप्त कर्ता संगठनों की संख्या

राज्य	1988	1989	1990
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	871	935	979
असम	127	122	116
बिहार	298	302	319
गुजरात	418	425	427
केरल	1466	1469	1386
मध्य प्रदेश	287	309	298
तमिलनाडु	1457	1468	1532
महाराष्ट्र	840	870	904
कर्नाटक	782	840	838
उड़ीसा	232	240	255
पंजाब	70	67	68
राजस्थान	87	86	93
उत्तर प्रदेश	404	444	461
पश्चिम बंगाल	666	736	723
जम्मू एवं कश्मीर	17	20	18
नागालैंड	24	29	30
हरियाणा	47	49	49
हिमाचल प्रदेश	35	37	38
मणिपुर	67	75	87
त्रिपुरा	5	5	6
मेघालय	85	89	87
सिक्किम	4	3	3

1	2	3	4
दिल्ली	314	326	405
अण्डेमान और निकोबार	5	6	7
दादरा और नगर हवेली	13	13	13
गोवा, दमन और दीव	102	103	108
पांडिचेरी	46	46	50
चण्डीगढ़	8	8	9
मिजोरम	5	7	7

एफ० सी० आर० ए०-1988

देशवार प्राप्त विदेशी अभिदाय

देश	विदेशी अभिदाय (हजार रु० में)
1	2
अलजीरिया	89
अंगुइला	18
अंटीगुआ और बारबुडा	8
अर्जेन्टाइना	113
अस्ट्रेलिया	114118
आस्ट्रिया	59938
बहामा	109
बहरीन	2719
बंगलादेश	583
बारबडोस	202
बेल्जियम	129686
बेनिन (रिपब्लिक आफ)	96
भूटान	638
बोलिविया	223
ब्राजील	122

1	2
ब्रूनेई	2
बर्मा	49
केमरून	360
कनाडा	264222
चिली	72
कोलोम्बिया	62
साईप्रस (रिपब्लिक आफ)	16
चेकोस्लोवाकिया	63
डेनमार्क	30086
जिबोती	29
मिश्र	404
इथोपिया	130
फिजी	194
फीनलैंड	8289
फ्रांस	155529
जर्मनी-जी० डी० आर०	299
जर्मनी-एफ० आर० जी०	1610211
घाना	1211
ग्रीस	97
ग्वाटेमाला	85
गिनी	10
गुआना	2
हेवाजी	1
होली सी	1479
हांगकांग	16542
हंगरी	3
आइसलैंड	204
इन्डोनेशिया	2059

1	2
इरान	118
इराक	2247
आयरलैंड	20842
इजराइल	198
इटली	449928
जमैका	3
जापान	31692
जोर्डन	6
केनिया	547
कोरिया-नार्थ (डी० पी० आर०)	64
कोरिया-साउथ (रिपब्लिक आफ)	1167
कुवैत	39209
लाओस	7
लेबनान	3
लेसोथो	54
लाइबेरिया	12
लिबिया	2
लक्समबर्ग	5810
मकाऊ	52
मलावी	408
मलेशिया	4901
मालटा	9215
मारीशस	63
मेक्सिको	267
मंगोलिया (पीपुल्स रिपब्लिक	30
माण्ट्सेरत	11
मोरक्को	46

1	2
नेपाल	2468
नीदरलैंड्स	499575
नीदरलैण्डस एन्टीलीज	350
न्यू कलोडोनिया	136
न्यूजीलैण्ड	24382
नाइजर (रिपब्लिक आफ)	94
नाइजेरिया	2943
नार्वे	51836
ओमान (सल्तनत आफ)	1888
पाकिस्तान	34
पनामा	227
पपुआ न्यूगिनी	28
परागुए	453
पेरू	1
फिलीपींस	7035
पोलैंड	5
पुर्तगाल	273
कतार	3912
सउदी अरब	18924
सेनेगल	94
सिशिल्स	71
सिंगापुर	9091
सोसाइटी आइलैंड	4
सोमालिया	275
स्पेन	109345
श्रीलंका	508
सेन्ट लुसिया	14
सुडान	6

1	2
सुरीनाम	1444
स्वाजीलैंड	648
स्वीडन	140981
स्वीटजरलैण्ड	425092
सीरिया (अरब रिपब्लिक)	21
ताइवान	459
तंजानिया	1
थाइलैण्ड	1289
टोगो	71352
टोंगा (किंग्डम आफ)	1
ट्रिनीडाड एण्ड टोबेगो	457
तुर्की	197
युगांडा	306
युनाईटेड अरब अमीरात	19498
यूनाइटेड किंग्डम	708445
यू० एस० ए०	1574260
यू० एस० एस० आर०	542
वेनेजुएला	277
वेस्टन सोमोआ	56
यमन अरब रिपब्लिक	53
यमन-पी० डी० आर०	29
यूगोस्लाविया	2195
जायरे	62
जाम्बिया	26
छोटे दानकर्ता	202520

विवरण II

1989 में देशवार प्राप्तियों का विवरण

देश का नाम	राशि (हजार रु० में)
1	2
अफगानिस्तान	42
अल्जीरिया	74
अंटीगुआ और बारबुडा	29
अर्जेन्टीना	55
आस्ट्रेलिया	145528
आस्ट्रिया	98336
बहामा	44
बहरीन	2918
बंगलादेश	365
बारबडोस	155
बेल्जियम	116719
बेनिन (रिपब्लिक)	122
भूटान	1273
बोठसवाना	85
ब्राजील	197
ब्रुनेई	16
बुलगारिया	2
बर्मा	2
केमरून	17
कनाडा	300200
केपवर्दी आइलैंड	15
चिल्ली	154
चीन	111

1	2
कोलम्बिया	98
साइप्रस रिपब्लिक	43
चेकोस्लोवाकिया	3
डेनमार्क	46471
डोमनिका	2
मिश्र	546
इथोपिया	378
फिजी	131
फीनलैंड	10796
फ्रांस	176794
जर्मनी-जी० डी० आर०	2
जर्मनी- एफ० आर० जी०	1930221
घाना	56
ग्रीस	23
ग्वाटेमाला	396
गुताना	5
होली सी	1218
हांगकांग	18012
हंगरी	50
आइसलैंड	837
इंडोनेशिया	3621
ईरान	1
ईराक	32
आयरलैंड	30321
इजराइल	68
इटली	570146
आयवरी कोस्ट	22
जमेका	116

1	2
जापान	32794
जोर्डन	177
केनिया	902
कोरिया-नार्थ (डी० पी० आर०)	70
कोरिया (साउथ रिपब्लिक)	1856
कुवैत	39413
लेबनान	7
लेसोथो	176
लाइबेरिया	110
लिबिया	20
लक्जमबर्ग	9495
मकाऊ	5
मालागासे (रिपब्लिक मेडागास्कर)	104
मालावी	26
मलेशिया	3342
मालद्वीव	44
माल्टा	8352
मारीशस	63
मैक्सिको	214
मंगोलिया	3
मोरक्को	75
मोजाम्बिक	142
नेपाल	1760
नीदरलैंड	460610
न्यू केलिडोनिया	166
न्यूजीलैंड	19954
नाइजीरिया	287
नार्वे	58026

1	2
ओमान (सल्तनत)	2972
पाकिस्तान	129
पनामा	409
पप्आ न्यू गिनी	26
पेरू	3
फिलीपीन्स	10141
पोलैंड	9
पुर्तगाल	929
कतार	3979
रवान्डा	32
सउदी अरब	30990
स्लेस्विग इलाप्सटीन	42
सीयरा लियोन	2
सिंगापुर	8108
सोमालिया	50
स्पेन	113737
श्रीलंका	539
सेंट लुसिया	22
सूडान	130
स्वाजीलैंड	156
स्वीडन	151636
स्वीटजरलैंड	426542
ताइवान	161
तंजानिया	38
थाइलैंड	854
टोगो	132
ट्रिनीडाड तोबेगो	151
तुर्की	19

1	2
युगांडा	12
संयुक्त अरब अमीरात	18128
यूनाइटेड किंग्डम	688653
यू० एस० ए०	1808080
यू० एस० एस० आर०	74
उरूग्वे	76
वेनजुएला	6256
वियतनाम (सोस० रि०)	65
वेस्ट्रन सोमोवा	24
यमन अरब रिपब्लिक	30
यूगोस्लाविया	7
जायरे	27
जाम्बिया	65
जिम्बाब्वे	21
छोटे दानकर्ता	240062

वर्ष 1990 के दौरान देशवार प्राप्त अभिदाय

देश	राशि (हजार रु० में)
1	2
अफगानिस्तान	152
अलजीरिया	82
अंगुला	0
एंटीगुआ एण्ड बारबुदा	193
अर्जेन्टीना	281
आस्ट्रेलिया	162692
आस्ट्रिया	99718
बहामा	8

1	2
बहरीन	3452
बंगलादेश	254
बारबडोस	190
बेल्जीयम	138089
बेलिजे	0
बेनिन (रिपब्लिक आफ)	00
भूटान	1527
बोलिविया	0
बोट्सवाना	8
ब्राजील	2898
ब्रेमेन (स्टेट आफ हमबर्ग)	1904
ब्रुनेई	344
बुल्गारिया	184
बुरकिन फासो	0
बर्मा	72
बुरून्दी	0
साइकोस आइलैंड्स	0
केमरून	76
कनाडा	366813
केपवर्दी आइलैंड	0
करडाइन मशाल आइलैंड	0
केमेन आइलैंड्स	0
सेन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक	0
चाड	0
चिली	562
चीन	204
कोलम्बिया	142
कोमोर्स (फेडरल इस्लामिक रिप०)	0

1	2
कांगो (पीपुल्स रिपब्लिक)	0
कोस्टारिका	3
क्यूबा	81
साइप्रस (रिपब्लिक आफ)	62
चेकोस्लोवाकिया	0
डेनमार्क	56302
डोमनिका	2
जोबाती	50
इक्वटोरियल गुएना रिपब्लिक	0
मिस्र	574
अल इक्विडोर	2
अल साल्वाडोर	0
इथोपिया	92
फिजी	411
फीनलैंड	14518
फ्रांस	202960
गरबन	0
जाम्बिया	0
जर्मनी-जी० डी० आर०	1000
जर्मनी-एफ० आर० जी०	2259609
घाना	1421
ग्रीस	2117
ग्रेनाडा	24
गुटेमाला	10
गुइना	28
गुइना बिसाऊ	0
गुयाना	0
हेवाजी	0

1	2
हेसन	31
होली सी	215
हांगकांग	37904
हंगरी	35
आइसलैंड	653
इंडोनेशिया	10499
इरान	146
इराक	26
आयरलैंड	31023
इजराइल	179
इटली	704053
आइवरीकोस्ट	0
जमैका	102
जापान	58135
जोर्डन	282
कम्पूचिया	7
केनिया	2830
कीबाती	0
कोरिया—नोर्थ (डी० पी० आर०)	616
कोरिया—साऊथ (रिपब्लिक आफ)	2747
कुवैत	23936
लाओस	4
लेबनान	24322
लेसोथो	5
लाइबेरिया	184
लिबिया	18
लीचेंटेन्सटीन (रिपब्लिक)	0
लेआर सेक्सोई	4

1	2
लक्ज़मबर्ग	9691
मकाऊ	0
मालागासी रिपब्लिक (मडगास्कर)	0
मालावी	141
मलेशिया	3698
मालद्वीप	64
माली	52
माल्टा	10558
मोरिटानिया	0
मारीशस	335
मक्सिको	3231
मंगोलिया (पीपल्स रिपब्लिक)	0
मान्टसेरत	0
मोरक्को	90
मोजाम्बिक	37
नोरू (रिपब्लिक)	29
नेपाल	6557
नीदरलैंड	601252
नीदरलैंड एन्टीलैस	0
न्यू कैलोडोनिया	0
न्यूजीलैंड	31361
निकारगुआ	0
नाइजर (रिपब्लिक)	116
नाइजेरिया	1521
नार्वे	61963
ओमान (सल्तनत)	5222
पाकिस्तान	174
पनामा	297
पपुआ न्यू गुअना	15

1	2
पराग्वे	0
पेरू	11
फीलिपिन्स	13548
पौलैंड	97
पुर्तगाल	1938
कतार	4626
रेहूनलैंड फल्स	0
रोमानिया	1072
रवान्डा	102
सान मारिन	0
सरारलैंड	0
सऊदी अरबिया	37628
स्खेस्विग इलोलसटीन	0
सेनेगल	0
सिशलिस	403
सियरा लियोने	0
सिंगापुर	22320
सोसाइटी आयरलैंड	0
सोलोमन आयरलैंड	312
सोमालिया	125
स्पेन	167396
श्रीलंका	729
सेंट क्रिस्टोफर एण्ड नेविस	0
सेंट विनसेन्ट एण्ड (दग्रनाडाइन)	0
सेंट लूसिया	147
सुडान	125
सूरीनाम	0
स्वाजीलैंड	138

1	2
स्वीडन	244969
स्वीट्जरलैंड	527721
सिरिया अरब रिपब्लिक	127
ताइवान	198
तंजानिया	34
थाइलैंड	3880
टोगो	57
टोगा (किंगडम आफ)	0
ट्रिनीडाड एण्ड तोबेगो	161
ट्यूनिसिया	236
तुर्की	78
तर्कस एण्ड काइकोस आउरलैंड	429
तुवालू	0
यूगांडा	0
यूनाईटेड अरब अमीरात	31535
यूनाईटेड किंगडम	1181177
यू० एस० ए०	2038441
यू० एस० एस० आर०	150
उरूग्वे	0
वनाऊत	0
वेनेजुएला	1641
वियतनाम (सोसलिस्ट रिपब्लिक आफ)	0
वेस्टर्न सोमोआ	0
यमन अरब रिपब्लिक	20
यमन—पी० डी० आर०	7
यूगोस्लाविया	65
जायरे	34
जाम्बिया	144
जिम्बावे	250
छोटे दानकर्ता	220217

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि

1605. **श्री राजवीर सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश को कितनी मात्रा में डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल की सप्लाई की जाती है;

(ख) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश की डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल की मांग कितनी थी और इसकी कितनी सप्लाई की गई;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार का डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश को अप्रैल-दिसम्बर, 1992 के दौरान आपूर्त की गई पेट्रोल डीजल और मिट्टी के तेल की मात्रा निम्नवत है :—

		आपूर्त की गई मात्रा (हजार मिट्रिक टन में) अस्थायी
पेट्रोल	—	254.3
डीजल	—	2414.9
मिट्टी का तेल	—	683.8

(ख) उत्तर प्रदेश में डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल की मांग को कमोबेश पूर्ण रूप से पूरा किया गया था। उत्तर प्रदेश को 1990-91 और 1991-92 के दौरान इन उत्पादों में से प्रत्येक आपूर्त की मात्रा निम्नवत थी :—

(आंकड़े हजार मिट्रिक टनों में)

वर्ष	पेट्रोल	डीजल	मिट्टी का तेल
1990-91	337.30	2650.77	917.0
1991-92	344.59	2978.70	909.9

(ग) से (ङ) विभिन्न राज्यों को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति मांग के आधार पर की जाती है। जहां तक मिट्टी का तेल का सम्बन्ध है जब कभी आबंटन में वृद्धि के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं, विविध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिसमें उत्पाद की उपलब्धता आदि शामिल है, उन पर विचार किया जाता है और निर्णय लिए जाते हैं। तथापि, उत्पाद की उपलब्धता में कठिनाइयों के कारण विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को वर्ष 1992-93 के दौरान मिट्टी के तेल की आपूर्ति वर्ष 1991-92 के दौरान के समान स्तर पर ही कायम रखी जा रही है।

त्वरित कार्यबल की तैनाती

1606. **श्री मुमताज अंसारी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिए गत तीन महीनों के दौरान किन-किन स्थानों पर त्वरित कार्य बल तैनात किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : पिछले तीन महीनों के दौरान साम्प्रदायिक दंगों/तनावों की स्थिति से निपटने के लिए फैजाबाद, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर, बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, तिरुअन्तपुरम, हैदराबाद और बम्बई में त्वरित कार्यवाही बल तैनात किए गए।

[अनुवाद]

कोयला उत्पादन में गतिरोध

1607. श्री **इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों से भूमिगत कोयला खानों से कोयले का उत्पादन लगभग 80 मिलियन टन से अधिक नहीं बढ़ पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि० (को० इ० लि०) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० (सिं० को० कं० लि०) में भूमिगत खानों से हुए कोयले के उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

(मि० टन में)

वर्ष	भूमिगत खानों से कोयले का उत्पादन		
	को० इ० लि०	सिं० को० कं० लि०	जोड़
1989-90	58.70	12.03	70.73
1990-91	55.84	11.12	66.96
1991-92	56.63	12.30	68.93

अधिकांश भूमिगत खानें पुरानी हैं तथा इन खानों में कोयले के उत्पादन में निम्न के कारण स्थिरता आ गई है भू-खनन कठिनाइयां जैसे स्टीप तथा बहु-सीमें, आग का लगा होना, समीप के क्षेत्रों में पुराने खनन क्रियाकलापों का जलमग्न होना, विनिर्मित सतही संरचना, जिसकी रेतभराई आदि द्वारा सुरक्षा की जानी अपेक्षित है।

कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित कदम शामिल हैं—नई खानों को खोला जाना, विद्यमान खानों का आधुनीकीकरण, अधिकतम परिणामों को प्राप्त करने के लिए नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग और आगतों तथा संरचनात्मक सुविधाओं की समय पर उपलब्धता का सुनिश्चय किया जाना।

गर्भाशय का कैंसर

1608. डा० डी० वेंकटेश्वर राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक महिलाओं को गर्भाशय का कैंसर है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या-क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस कैंसर को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) कामुकता, खराब स्वास्थ्य तथा अल्पायु में विवाह, ग्रीवा कैंसर के प्रमुख खतरों वाले कारक माने जाते हैं।

(ग) इस कैंसर की रोकथाम के लिए, नैदानिक स्वास्थ्य शिक्षा और इस रोग को शुरू में ही पता लगाने पर जोर दिया जाता है। तदनुसार, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं।

समन्वित जनजाति विकास एजेंसियों को अनुदान

1609. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जनजातीय क्षेत्रों के प्रमुख परियोजनाओं जैसे स्वास्थ्य केन्द्र, सड़कों, पुलों आदि के लिए समन्वित जनजाति विकास एजेंसियों को सीधे सहायता अनुदान देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाक्साइट, चूना-पत्थर और ग्रेनाइट की खानों को पट्टे पर देने सम्बन्धी नीति

1610. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को बाक्साइट, चूना-पत्थर और ग्रेनाइट की खानों को पट्टे पर देने की वर्तमान नीति की समीक्षा करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया की है; और

(ग) बाक्साइट और चूना-पत्थर के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खनिजों और अयस्कों के निर्यात आयकर अधिनियम के 80 एच० एच० सी० के अधीन लाभ के अलावा, व्यापार खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के लाभ के पात्र भी हैं।

[अनुवाद]

केरल में एच० आई० वी० (पाजिटिव) के मामले

1611. श्री वी० एस० विजयराघवन :

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अब तक एच० आई० वी० (पाजिटिव) के कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(ख) केरल के किन-किन अस्पतालों में एड्स परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या केरल में विदेशी सहायता से कोई एड्स विरोधी कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) अब तक केरल में 154 एच० आई० वी० पाजिटिव रोगियों का पता लगाया है।

(ख) केरल में निम्नलिखित अस्पतालों में में एच० आई० वी०/एड्स जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं :

(i) मेडिकल कालेज अस्पताल, त्रिवेन्द्रम।

(ii) मेडिकल कालेज अस्पताल, कालिकट।

(iii) सरकारी अस्पताल, एर्णाकुलम।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने देश में एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से एक 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य लोगों के बीच विशेष रूप से अत्यधिक जोखिम का आचरण करने वाले समूहों में सुरक्षित यौन सम्बन्धों के लिए जागरूकता पैदा करना, रक्त निरापदता और रक्त के विवेकपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देना, यौन संचारित रोगों की रोकथाम, एड्स/एच० आई०वी० रोगियों का बेहतर क्लिनिकल उपचार करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल सरकार को वर्ष 1992-93 के लिए 37.775 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

[हिन्दी]

उड़ीसा में तेल की खोज सम्बन्धी परियोजनाएं

1612. श्री श्रीकांत जेना : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में तेल की खोज के लिए कौन-कौन सी परियोजनाएं/योजनाएं केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) इन परियोजनाओं/योजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब का क्या कारण है; और

(ग) उन्हें कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) उड़ीसा में तेल अन्वेषण के सम्बन्ध में विशिष्ट परियोजनाएं/योजनाएं संघीय सरकार के पास लम्बित नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली में शेड-लाइटों की चोरी

1613. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान नई दिल्ली में अतिविशिष्ट व्यक्तियों के क्षेत्रों में स्थित बंगलों के मुख्य द्वारों पर लगे तथा मूल्यवान मर्करी बल्बों में युक्त शेड-लाइटों की चोरी के कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) कितने मामले सुलझाए गए और कितने लम्बित पड़े हैं;

(ग) ऐसे मामलों में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(घ) इन मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) चार। इन चारों चोरियों के मामलों में आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

(ख) इनमें से तीन मामले, पता न लगे के रूप में बन्द किए गए।

(ग) इन मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई।

(घ) इस सम्बन्ध में सभी डिविजन अधिकारियों/गश्त लगाने वाले कान्स्टेबलों और फील्ड कर्मचारियों को उचित रूप से समझाया गया है और संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने के निदेश दिए गए हैं। इसके अलावा गहन गश्त लगाई गई है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों के स्थान पर वैकल्पिक प्रौद्योगिकी

1614. **श्री गुमान मल लोढा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम संसाधनों का कितने वर्षों तक चलने की सम्भावना है और उसके बाद इनकी मांग को पूरा करने के लिए क्या योजना बनाई गई है;

(ख) क्या पेट्रोलियम उत्पादों का स्थान ग्रहण करने के लिए कोई वैकल्पिक प्रौद्योगिकी विकसित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1-1-92 को तेल के प्रतिलभ्य भंडार (कन्डेन्सेट को सम्मिलित करते हुए) 466.06 एम० एम० टी०

थे। नई वृद्धियों और निःशोषण पर निर्भर करते हुए भंडारों में लगातार परिवर्तन होते हैं। नए भंडारों का पता लगाने के लिए लगातार अन्वेषण होते रहते हैं। एक निश्चित समय ढांचे में तेल भंडारों के समाप्त होने का तब तक प्रश्न ही नहीं है जब तक कि भंडारों में वृद्धियों की दर भंडारों में निःशोषण की दर से ऊंची है।

(ख) और (ग) तकनीकी-आर्थिक एवं अन्य सम्बन्धित विचारणीय तथ्यों के तहत ऊर्जा के अपारंपरिक और नवीकरणीय संसाधनों को सम्मिलित करते हुए पेट्रोलियम उत्पादों के बदले संबद्ध मंत्रालयों, संगठनों और निजी उपभोक्ताओं द्वारा उनके प्रयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए ऊर्जा की वैकल्पिक किस्मों के प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की गई हैं। तेल के क्षेत्र में तरल पेट्रोलियम ईंधन को प्रतिस्थापित करने के लिए प्राकृतिक गैस के प्रयोग का बड़े पैमाने पर आशय लिया गया है; मोटर वाहनों को सी० एन० जी० से चलाने के लिए पाइलट परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; अनेक कपड़ा मिलों और इकाइयों में रंगाई/छपाई में काम आने के लिए आंशिक रूप से मिट्टी के तेल के बदले जल आधारित कृत्रिम थिनर्स के प्रयोग को लिया गया है; और यदि तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना सम्भव हुआ तो अल्कोहलों को विशेषकर 3 प्रतिशत मैथानोल) पेट्रोल के साथ मिश्रण करने की संभावना को चरितार्थ किया जा सकता है।

चिकित्सकों में बेरोजगारी

1615. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह कृपा बताने की करेंगे कि :

(क) क्या देश में चिकित्सक बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय प्रत्येक राज्य में कितने चिकित्सक बेरोजगार हैं; और

(ग) उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31-12-90 को रोजगार कार्यालय में 31,731 डाक्टर पंजीकृत थे। तथापि, यह संख्या डाक्टरों में वास्तविक बेरोजगारी का विश्वसनीय संकेत नहीं देते हैं क्योंकि इससे उनकी बेहतर एवं अधिक उपयुक्त नौकरियों पाने की इच्छा ही ज्यादा प्रदर्शित होती है।

(ग) सरकारी रोजगार प्राप्त करने के अतिरिक्त, डाक्टरों को स्व-रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त हैं।

कोयला उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहायक उद्योग

1616. डा० ए० के० पटेल : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयला उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुजरात में किसी बड़े अथवा मझोले सहायक उद्योग की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(ग) सामान्यतः अनुषंगी उद्योगों को कोयला खानों के आसपास स्थापित किया जाता है ताकि खानों के लिए आवश्यक मदों का उत्पादन तथा आपूर्ति की जा सके। कोल इण्डिया लिमिटेड गुजरात में कोई कोयला खान नहीं चलाती है। अतः गुजरात में कोयला उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी अनुषंगी उद्योग की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रशिक्षित नर्सों की कमी

1617. डा० सुधीर राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रशिक्षित एवम् योग्यता प्राप्त नर्सों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकारों के परामर्श से इस कमी को पूरा करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के संयंत्रों का आधुनिकीकरण

1618 श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण करने में विलम्ब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस्पात की मांग में कथित गिरावट को देखते हुए भी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने अपने संयंत्रों के आधुनिकीकरण और अपने उत्पादों के विविधीकरण में कितनी प्रगति की है;

(घ) मंदी और विदेशों से इस्पात मंगाने के कारण भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड कहां तक प्रभावित हुआ है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में किए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण सम्बन्धी कार्य इस समय कार्यान्वयनाधीन है। राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण कार्य को पूरा करने में विलम्ब होने की सम्भावना नहीं है जबकि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण कार्य में विलम्ब हुआ है।

(ख) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण कार्य में विलम्ब के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं—

(1) संरचनात्मक और उपस्करों की सप्लाई में विलम्ब ।

(2) कार्य की मात्रा में वृद्धि विशेष रूप से धमन भट्टी और सिन्टर प्लांट पैकेजों के सिविल और संरचनात्मक कार्यों के बारे में ।

(3) स्थल कार्य के लिए संसाधनों का पर्याप्त न होना।

(4) विभिन्न पैकेजों के लिए उपस्करों की सप्लाई में विलम्ब।

(ग) "सेल" द्वारा उसके अपने संयंत्रों के आधुनिकीकरण कार्य में की गई प्रगति निम्नानुसार है :—

राउरकेला इस्पात संयंत्र : आधुनिकीकरण को दो चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है। चरण-I के सभी 9 स्वदेशी पैकेजों और चरण-II के 5 अन्तर्राष्ट्रीय और 15 स्वदेशी पैकेजों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं और सामान्यत: समय-सूची के अनुसार कार्य में प्रगति हो रही है। अनुमोदित समय-सूची के अनुसार समग्र आधुनिकीकरण कार्यक्रम के दिसम्बर, 1995 तक पूरा होने की सम्भावना है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र : आधुनिकीकरण कार्यक्रम को 16 टर्नकी पैकेजों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। एक स्वदेशी पैकेज अर्थात् तप्त धातु लेडल मरम्मतशाला चालू हो गई है और 5 पैकेजों मे आंशिक सुविधाएं पूरी कर ली गई हैं। दो धमन भट्टियों को छोड़कर समग्र आधुनिकीकरण कार्य के मार्च, 1994 तक पूरा होने की सम्भावना है।

"सेल" ने भी अपने उत्पाद मिश्र का पुनर्विन्यास किया है ताकि उन्हें बाजार की मांग वितरण तंत्र को सुदृढ़ करने तथा कतिपय ऋण सुविधाओं को उपलब्ध कराने के अनुरूप बनाया जा सके जिससे बिक्री में सुधार हो सके।

(घ) से (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय इस्पात बाजार में मन्दी आई हुई है। पिछले तीन वर्षों में आयात के औसत स्तर की तुलना में 1992-93 (दिसम्बर, 1992 तक) के दौरान लोहा और इस्पात के समग्र आयात में वृद्धि नहीं हुई है। किसी भी मुख्य इस्पात उत्पादक द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अन्तर्गत नामित प्राधिकरण के पास आयात किए गए इस्पात को सस्ते दामों पर बेचे जाने के बारे में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

हाइड्रोकार्बन क्रैकर रिएक्टर

1619. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा स्थित तेल शोधक कारखाने में भारत के प्रथम "हाइड्रोकार्बन क्रैकर रिएक्टर" को चालू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस परियोजना की लागत कितनी है;

(ग) इससे मिट्टी के तेल और डीजल के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है;

(घ) क्या अन्य तेल शोधक कारखानों में भी इसी प्रकार के "हाइड्रो-कार्बन क्रैकर संयंत्र" लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ) लगभग 757.24 करोड़ रुपए की लागत पर वर्ष 1993 के शुरू में हाइड्रो क्रैकर परियोजना के

शुरू होने की आशा है। इस प्रक्रिया की मूल बात यह है कि अन्य प्रक्रियाओं की तुलना में मिट्टी के तेल, डीजल आदि जैसे मध्य आगुतों की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा प्राप्त की जा सकती है। मंगलौर, असम तथा करनाल में स्थापित की जा रही रिफाइनरियों में हाइड्रोक्रैकर संसाधन भी शामिल होगा।

चीन के सहयोग से स्थापित लघु इस्पात संयंत्र

1620. **श्री हरिन पाठक** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के सहयोग से भारत में कोई लघु इस्पात संयंत्र स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वास्तविक लागत कितनी है; और

(ग) इसे किस राज्य में स्थापित किया जायेगा ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 5 लाख टन की वार्षिक क्षमता का एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चीन का सहयोग प्राप्त करने के लिए मैसर्स मिडइस्ट इन्टेग्रेटिड स्टील्स लिमिटेड ने केन्द्र सरकार की मंजूरी मांगी है। इस परियोजना को उड़ीसा राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है और परियोजना की लागत चरण-I के लिए 220 करोड़ रुपए और चरण-II के लिए 825 करोड़ रुपए बताई गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली में अपराध

1621. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** :
डा० रमेश चन्द्र तोमर :
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :
श्री विश्वेश्वर भगत :
श्री खेलन राम जांगड़े :
श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीने के दौरान दिल्ली में अपहरण, हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, डकैती, दंगों और लोगों को लूटने के कितने मामले हुए;

(ख) वर्ष 1991 की उक्त अवधि के आंकड़ों के साथ इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ग) कितने मामलों का निपटारा किया जा चुका है और कितने मामले अभी भी लम्बित पड़े हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली में बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई अपराध-दर को देखते हुए और अधिक संख्या में पुलिस स्टेशनों की स्थापना करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इनकी स्थापना किन-किन क्षेत्रों में की जाएगी; और

(च) दिल्ली में अपराधों को रोकने के लिए और क्या-क्या अन्य उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (ग) 1-8-92 से 31-1-93 तक की अवधि और पिछले वर्ष की इसी अवधि अर्थात 1-8-91 से 31-1-92 के दौरान अपहरण, हत्या,

हत्या के प्रयास, लूटपाट, चोरी, डकैती, दंगे और छीना-झपटी के मामलों की संख्या और उनके निपटान की जिला-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(घ) और (ङ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि पूर्वी दिल्ली में दो नए पुलिस स्टेशन, एक मण्डावली में और दूसरा मयूर विहार, फैस-1 में, खोलने के लिए उन्होंने दिल्ली प्रशासन को एक प्रस्ताव भेजा है । सरकार को दिल्ली प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(च) सरकार द्वारा अपराधों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में, गश्त तेज करना, सामरिक महत्व के स्थानों पर टुकड़िया तैनात करना, आसूचना तन्त्र को सुदृढ़ करना, अपराधियों के छिपने के स्थानों पर अक्सर छापे मारना, निगरानी तेज करना, पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना, आधुनिक हथियारों को चलाने में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, जांच के वैज्ञानिक तरीके अपनाना, संचार तन्त्र का आधुनिकीकरण करना इत्यादि सम्मिलित है ।

दिनांक 4-3-1993 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 1621 के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में विवरण

अपहरण

1-8-92 से 31-1-93 तक

जिलों के नाम	सूचित किए गए मामले	रद्द किए गए	स्वीकृत किए गए	हल किए गए	चालान किए गए	दोष सिद्ध किए गए	दोष मुक्त किए गए	विचारण के लिए लंबित	जांच के लिए लंबित	जिनका पता नहीं लगा
उत्तरी	29	6	23	9	5	—	—	5	15	3
उत्तर पश्चिम	47	6	41	29	12	—	—	12	29	—
केन्द्रीय	27	7	20	9	3	—	—	3	29	—
नई दिल्ली	7	—	7	—	—	—	—	—	7	—
पूर्वी	59	19	40	20	7	—	—	7	31	2
उत्तर-पूर्वी	57	12	45	25	9	—	—	9	32	4
दक्षिण	39	9	30	8	3	—	—	3	27	—
दक्षिणी-पश्चिम	18	6	12	2	—	—	—	—	12	—
पश्चिम	57	18	39	26	9	—	—	9	27	3
पी० ए० पी०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
डी० ए० पी०	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1

अपहरण

1-8-91 से 31-1-92 तक

जिले के नाम	सूचित किए गए मामले	रद्द किए गए	स्वीकृत किए गए	हल किए गए	चालान किए गए	दोष सिद्ध किए गए	दोष मुक्त किए गए	विचारण के लिए लंबित	जांच के लिए लम्बित	जिनका पता नहीं लगा
उत्तरी	26	14	12	6	5	—	—	5	1	6
उत्तर-पश्चिम	41	14	27	22	19	—	—	19	—	8
केन्द्रीय	23	9	14	10	7	—	—	8	2	5
नई दिल्ली	7	2	5	5	5	—	—	5	—	—
पूर्वी	31	12	19	12	11	1	—	10	2	6
उत्तर-पूर्वी	55	20	35	28	24	—	—	24	6	5
दक्षिण	42	17	25	13	12	—	—	12	4	9
दक्षिणी-पश्चिम	25	9	16	8	4	—	—	4	4	8
पश्चिम	72	36	36	23	18	—	1	17	6	12
पी० ए० पी०	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—
डी० ए० पी०	4	2	2	—	—	—	—	—	—	2

हत्या

1-8-92 से 31-1-93 तक

जिलों के नाम	सूचित किए गए मामले	रद्द किए गए	स्वीकृत किए गए	हल किए गए	चालान किए गए	दोष सिद्ध किए गए	दोष मुक्त किए	विचारण के लिए लंबित	जांच के लिए लम्बित	जिनका पता नहीं लगा
उत्तरी	20	1	19	13	9	—	—	9	10	—
उत्तर-पश्चिम	45	1	44	29	20	—	—	20	24	—
केन्द्रीय	17	—	17	11	11	—	—	11	6	—
नई दिल्ली	5	—	5	4	4	—	—	4	1	—
पूर्वी	22	—	22	17	11	—	—	11	11	—
उत्तर-पूर्वी	32	1	31	25	14	—	—	14	16	1
दक्षिणी	28	—	28	19	9	—	—	9	19	—
दक्षिण-पश्चिम	24	—	24	17	14	—	—	14	10	—
पश्चिम	38	1	37	24	12	—	—	12	25	—
पी० ए० पी०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
डी० ए० पी०	4	—	4	3	3	—	—	3	—	1

हत्या

1-8-91 से 31-1-92 तक

जिलों के नाम	सूचित किए गए मामले	रद्द किए गए	स्वीकृत किए गए	हल किए गए	चालान किए गए	दोष सिद्ध किए गए	दोष मुक्त किए गए	विचारण के लिए लंबित	जांच के लिए लम्बित	जिनका पता नहीं लगा
उत्तरी	16	—	16	12	12	—	1	11	1	3
उत्तर-पश्चिम	50	1	49	34	34	—	—	34	6	9
केन्द्रीय	16	—	16	13	12	—	—	12	1	3
नई दिल्ली	5	—	5	4	4	—	—	4	1	—
पूर्वी	31	—	31	24	22	—	—	22	5	4
उत्तर-पूर्वी	34	1	33	26	25	—	—	25	2	6
दक्षिणी	29	—	29	18	18	—	—	18	4	7
दक्षिण-पश्चिम	25	—	25	20	19	—	—	19	4	2.
पश्चिम	30	—	30	20	20	—	4	16	6	4
पी० ए० पी०	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—
डी० ए० पी०	4	—	4	3	3	—	—	3	—	1

हत्या का प्रयास

1-8-92 से 31-1-93 तक

जिलों के नाम	सूचित किए गए मामले	रद्द किए गए	स्वीकृत किए गए	हल किए गए	चालान किए गए	दोष सिद्ध किए गए	दोष मुक्त किए गए	विचारण के लिए लंबित	जांच के लिए लम्बित	जिनका पता नहीं लगा
उत्तरी	15	—	15	14	10	—	—	10	5	—
उत्तर-पश्चिम	42	1,	41	37	27	—	—	27	14	—
केन्द्रीय	21	—	21	19	8	—	—	8	13	—
नई दिल्ली	3	—	3	1	—	—	—	—	3	—
पूर्वी	30	—	30	27	6	—	—	6	24	—
उत्तर-पूर्वी	37	—	37	34	15	—	—	15	22	—
दक्षिणी	32	—	32	31	13	—	—	13	19	—
दक्षिण-पश्चिम	21	—	21	18	1	—	—	1	20	—
पश्चिम	38	—	38	35	12	—	—	12	25	1
पी० ए० पी०	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—
डी० ए० पी०	4	—	4	3	2	—	—	2	1	1

हत्या का प्रयास

1-8-91 से 31-1-93 तक

जिलों के नाम	सूचित किए गए मामले	रद्द किए गए	स्वीकृत किए गए	हल किए गए	चालान किए गए	दोष सिद्ध किए गए	दोष मुक्त किए गए	विचारण के लिए लंबित	जांच के लिए लम्बित	जिनका पता नहीं लगा
उत्तरी	15	—	15	15	15	—	—	15	—	—
उत्तर-पश्चिम	39	—	39	37	37	—	—	37	—	2
केन्द्रीय	22	—	22	16	16	—	—	16	1	5
नई दिल्ली	6	—	6	6	6	—	—	6	—	—
पूर्वी	33	—	33	30	29	—	—	29	1	3
उत्तर-पूर्वी	39	—	39	36	36	—	—	36	1	2
दक्षिणी	36	—	36	30	30	—	—	30	—	6
दक्षिण-पश्चिम	22	1	21	18	12	—	—	12	7	2.
पश्चिम	41	—	41	40	38	—	—	38	2	1
पी० ए० पी०	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—
डी० ए० पी०	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—

लूटपाट

1-8-92 से 31-1-93

जिलों के नाम	सूचित किए गए मामले	रद्द किए गए	स्वीकृत किए गए	हल किए गए	चालान किए गए	दोष सिद्ध किए गए	दोष मुक्त किए गए	विचारण के लिए लंबित	जांच के लिए लम्बित	जिनका पता नहीं लगा
उत्तरी	14	—	14	9	8	—	—	8	6	—
उत्तर-पश्चिम	17	—	17	11	4	—	—	4	13	—
केन्द्रीय	15	—	15	10	4	—	—	4	11	—
नई दिल्ली	13	—	13	7	3	—	—	3	7	3
पूर्वी	24	1	23	14	10	—	—	10	13	—
उत्तर-पूर्वी	8	—	8	6	4	—	—	4	3	1
दक्षिणी	27	—	27	20	10	—	—	10	17	—
दक्षिण-पश्चिम	13	—	13	9	2	—	—	2	10	1
पश्चिम	14	—	14	8	3	—	—	3	11	—
पी० ए० पी०	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—
डी० ए० पी०	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—

भ्रूणपात

1-8-91 से 31-1-92 तक

जिलों के नाम	सूचित किए गए मामले	रद्द किए गए	स्वीकृत किए गए	हल किए गए	चालान किए गए	दोष सिद्ध किए गए	दोष मुक्त किए गए	विचारण के लिए लंबित	जांच के लिए लम्बित	जिनका पता नहीं लगा
उत्तरी	13	—	13	7	6	—	—	6	2	5
उत्तर-पश्चिम	31	—	31	19	19	—	—	19	3	9
केन्द्रीय	7	—	7	5	5	—	—	5	—	2
नई दिल्ली	7	—	7	3	2	—	—	2	3	2
पूर्वी	13	1	12	8	7	—	—	7	4	1
उत्तर-पूर्वी	24	1	23	20	19	—	—	19	1	3
दक्षिणी	22	—	22	17	13	—	—	13	4	5
दक्षिण-पश्चिम	16	—	16	11	6	1	—	5	2	8
पश्चिम	26	1	25	20	16	—	—	16	2	7
पी० ए० पी०	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—
डी० ए० पी०	2	—	2	2	2	—	—	2	—	—

चोरी

1-8-91 से 31-1-93 तक

जिलों के नाम	सूचित किए गए मामले	रद्द किए गए	स्वीकृत किए गए	हल किए गए	चालान किए गए	दोष सिद्ध किए गए	दोष मुक्त किए गए	विचारण के लिए लंबित	जांच के लिए लम्बित	जिनका पता नहीं लगा
उत्तरी	18	6	7	217	164	6	—	158	300	273
उत्तर-पश्चिम	445	4	451	152	115	2	—	113	172	164
केन्द्रीय	494	6	488	97	58	—	—	58	265	165
नई दिल्ली	904	16	888	112	66	8	1	57	249	573
पूर्वी	534	5	529	151	81	5	—	76	258	190
उत्तर-पूर्वी	342	5	337	110	58	1	—	57	185	94
दक्षिणी	1454	18	1436	431	201	8	—	193	665	570
दक्षिण-पश्चिम	652	5	647	171	65	—	—	65	310	263
पश्चिम	941	7	934	229	132	2	—	103	397	504
पी० ए० पी०	50	—	50	18	10	—	—	10	25	15
डी० ए० पी०	374	2	372	110	99	8	—	91	28	245

चोरी

1-8-91 से 31-1-92 तक

जिलों के नाम	सूचित किए गए मामले	रद्द किए गए	स्वीकृत किए गए	हल किए गए	चालान किए गए	दोष सिद्ध किए गए	दोष मुक्त किए	विचारण के लिए लंबित	जांच के लिए लम्बित	जिनका पता नहीं लगा
उत्तरी	621	11	610	141	139	36	1	102	2	469
उत्तर-पश्चिम	576	8	568	194	105	21	2	162	3	380
केन्द्रीय	557	12	543	147	89	—	—	89	34	420
नई दिल्ली	689	13	676	127	104	29	1	74	13	559
पूर्वी	431	9	422	143	122	7	—	115	5	295
उत्तर-पूर्वी	385	5	380	124	124	5	3	116	2	255
दक्षिणी	1310	21	1289	307	274	37	5	232	14	1001
दक्षिण-पश्चिम	694	18	676	136	106	11	—	95	30	519
पश्चिम	1100	13	1087	293	268	31	8	229	172	647
पी० ए० पी०	29	2	27	5	5	—	—	5	—	22
डी० ए० पी०	420	1	419	86	86	39	—	47	—	333

डकैती

1-8-92 से 31-1-93 तक

जिले के नाम	सूचित किए गए मामले	रद्द किए गए	स्वीकृत किए गए	हल किए गए	चालान किए गए	दोष सिद्ध किए गए	दोष मुक्त किए गए	विचारण के लिए लंबित	जांच के लिए लम्बित	जिनका पता नहीं लगा
उत्तरी	—	—	—	2	2	—	—	2	2	—
उत्तर-पश्चिम	—	—	4	3	1	—	—	1	3	—
केन्द्रीय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
नई दिल्ली	2	—	2	2	—	—	—	—	2	—
पूर्वी	3	—	3	3	3	—	—	3	—	—
उत्तर-पूर्वी	4	—	4	4	—	—	—	—	4	—
दक्षिण	2	—	2	2	2	—	—	2	—	—
दक्षिणी-पश्चिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पश्चिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पी० ए० पी०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
डी० ए० पी०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

डकैती

1-8-91 से 31-1-92

जिलों के नाम	सूचित किए गए मामले	रद्द किए गए	स्वीकृत किए गए	हल किए गए	चालान किए गए	दोष सिद्ध किए गए	दोष मुक्त किए गए	विचारण के लिए लंबित	जांच के लिए लम्बित	जिनका पता नहीं लगा
उत्तरी	2	—	2	2	2	—	—	2	—	—
उत्तर-पश्चिम	3	—	3	3	3	—	—	3	—	—
केन्द्रीय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
नई दिल्ली	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—
पूर्वी	5	—	5	5	—	—	—	4	1	—
उत्तर-पूर्वी	2	—	2	2	2	—	—	2	—	—
दक्षिणी	3	—	3	2	2	—	—	2	—	1
दक्षिण-पश्चिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पश्चिम	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—
पी० ए० पी०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
डी० ए० पी०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

दंगे

1-8-92 से 31-1-93 तक

जिलों के नाम	सूचित किए गए मामले	रद्द किए गए	स्वीकृत किए गए	हल किए गए	चालान किए गए	दोष सिद्ध किए गए	दोष मुक्त किए गए	विचारण के लिए लंबित	जांच के लिए लंबित	जिसका पता नहीं चला
उत्तरी	10	—	10	14	6	—	—	6	13	—
उत्तर पश्चिम	19	—	19	11	9	—	—	9	10	—
केन्द्रीय	18	—	18	13	3	—	—	3	16	—
नई दिल्ली	11	—	11	6	3	1	—	2	7	—
पूर्वी	6	—	6	4	1	—	—	1	5	—
उत्तर-पूर्वी	34	—	34	26	10	—	—	10	24	—
दक्षिण	26	—	26	12	4	—	—	4	22	—
दक्षिणी-पश्चिम	23	—	23	14	1	—	—	1	22	—
पश्चिम	16	—	16	7	2	—	—	2	13	1
पी० ए० पी०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
डी० ए० पी०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

दंगे

1-8-91 से 31-1-92 तक

जिलों के नाम	सूचित किए गए मामले	रद्द किए गए	स्वीकृत किए गए	हल किए गए	चालान किए गए	दोष सिद्ध किए गए	दोष मुक्त किए गए	विचारण के लिए लंबित	जांच के लिए लम्बित	जिनका पता नहीं लगा
उत्तरी	15	—	15	14	14	—	—	14	—	1
उत्तर-पश्चिम	23	—	23	18	18	—	—	18	5	—
केन्द्रीय	4	—	4	4	2	—	—	2	2	—
नई दिल्ली	16	—	16	9	9	—	—	9	—	7
पूर्वी	36	—	36	25	25	—	—	25	7	4
उत्तर-पूर्वी	31	—	31	20	20	—	—	20	3	7
दक्षिणी	15	—	15	9	9	—	—	9	4	2
दक्षिण-पश्चिम	35	1	34	25	25	—	—	25	8	1
पश्चिम	20	—	20	12	12	—	—	12	6	2
पी० ए० पी०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
डी० ए० पी०	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1

छीना-झपटी

1-8-92 से 31-1-93 तक

जिलों के नाम	सूचित किए गए मामले	रद्द किए गए	स्वीकृत किए गए	हल किए गए	चालान किए गए	दोष सिद्ध किए गए	दोष मुक्त किए गए	विचारण के लिए लंबित	जांच के लिए लम्बित	जिनका पता नहीं लगा
उत्तरी	12	—	12	6	6	—	—	6	5	1
उत्तर-पश्चिम	22	—	22	14	11	—	—	11	10	1
केन्द्रीय	13	—	13	6	3	—	1	2	10	—
नई दिल्ली	18	—	18	11	6	—	—	6	12	—
पूर्वी	18	—	18	9	5	—	—	5	6	7
उत्तर-पूर्वी	13	—	13	10	3	—	—	3	10	—
दक्षिणी	24	—	24	14	5	—	—	5	14	5
दक्षिण-पश्चिम	12	—	12	9	3	—	—	3	7	2
पश्चिम	23	1	22	20	7	—	—	7	15	—
पी० ए० पी०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
डी० ए० पी०	15	—	15	10	10	1	—	9	—	5

छीना-झपटी

1-8-91 से 31-1-92 तक

जिलों के नाम	सूचित किए गए मामले	रद्द किए गए	स्वीकृत किए गए	हल किए गए	चालान किए गए	दोष सिद्ध किए गए	दोष मुक्त किए गए	विचारण के लिए लंबित	जांच के लिए लम्बित	जिनका पता नहीं लगा
उत्तरी	17	1	16	12	12	2	—	10	—	4
उत्तर-पश्चिम	15	—	15	9	9	—	—	9	—	6
केन्द्रीय	9	—	9	7	3	—	—	3	2	3
नई दिल्ली	10	—	10	5	5	2	—	3	1	4
पूर्वी	8	1	7	5	4	—	—	4	—	3
उत्तर-पूर्वी	12	—	12	6	6	—	—	6	—	6
दक्षिणी	23	—	23	11	11	1	—	10	—	12
दक्षिण-पश्चिम	13	—	13	4	4	1	—	3	9	—
पश्चिम	21	—	21	13	10	1	—	9	2	9
पी० ए० पी०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
डी० ए० पी०	6	—	6	4	4	1	—	3	—	2

[अनुवाद]

रानीगंज कोयला खानों में खान धंसने की घटनाओं में वृद्धि

1622. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या कोयला** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल की रानीगंज कोयला खानों में खान धंसने की घटनाओं में हुई वृद्धि की ओर गया है जिसके कारण इस क्षेत्र में पारिस्थितकीय असन्तुलन और लोगों की जानमाल का भारी खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मामला गत माह कलकत्ता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पास था; और

(ग) इस समस्या को हल करने हेतु कौन से उपाय करने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : (क) पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्रों में धंसाव की घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जोकि नीचे दिए गए आंकड़ों से सुस्पष्ट है :—

वर्ष	धंसाव की घटनाओं की संख्या
1989	10
1990	2
1991	5
1992	3

वर्ष 1992 में हुई धंसाव की तीन दुर्घटनाओं में से एक दुर्घटना केविंग की डीपिल्लरिंग के कारण एक पूर्व नियोजित धंसाव के कारण हुई। इन दुर्घटनाओं में से भूमि पर किसी व्यक्ति को कोई क्षति नहीं हुई, हालांकि कुछ आवासों पर प्रभाव पड़ने की सूचना मिली थी।

(ख) इस विषय पर कोयला मंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के जनवरी, 1993 में अनौपचारिक विचार-विमर्श के दौरान कोई बात नहीं हुई थी।

(ग) रानीगंज कोयला क्षेत्र में धंसाव की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कुछ उपायों को नीचे दर्शाया गया है :—

(1) चूंकि पानी से घिरी हुए क्रियाकलाप, जहां कि पहुंचना कठिन है, को सुदृढ़ीकृत करने के लिए कोई सिद्ध प्रौद्योगिकी नहीं हैं, अत: एक नई हाइड्रो न्यूमेटिक स्टोइंग प्रौद्योगिकी को रानीगंज टाउनशिप के पास के क्षेत्र में परीक्षण किया जा रहा है।

(2) कोल इण्डिया लि० द्वारा एक शीर्षस्थ निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसमें असुरक्षित क्षेत्रों की जांच किए जाने के लिए निम्नलिखित के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है —पश्चिम बंगाल सरकार, महानिदेशक खान सुरक्षा, केन्द्रीय खनन अनुसंधान गृह, केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि०, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और स्थानीय लोगों के प्रतिनिधि, आदि।

केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० ने प्रत्येक असुरक्षित स्थान के लिए निधियों की उपलब्धता को देखते हुए योजनाओं के निष्पादन किए जाने का कार्य शुरू किया है ।

(3) खनन क्रियाकलापों को नियमों और विनियमों के अनुसार और महानिदेशक खान सुरक्षा द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाता है ।

(4) असुरक्षित घोषित किए गए स्थानों से व्यक्तियों को हटाने के लिए निरन्तर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है और जिला प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क रखा जाता है ।

[हिन्दी]

दवाओं का निःशुल्क वितरण

1623. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्री राजेश कुमार :

श्रीमती भावना चिखलिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफ़दर जंग अस्पताल में डाक्टरों द्वारा बतायी गयी दवाएं निःशुल्क वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जिन रोगियों का आपरेशन किया जाना होता है, उनके सम्बन्धियों से आपरेशन के समय कीमती दवाएं बाजार से खरीदने को कहा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन अस्पतालों में निःशुल्क वितरण के लिए इन सारी दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) और (ख) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डाक्टरों द्वारा लिखी गई औषधें नर्सिंग होम में सशुल्क भर्ती किये गये रोगियों के मामलों को छोड़कर सभी अन्तरंग रोगियों को मुफ्त प्रदान की जाती हैं। बहिरंग रोगी विभाग के रोगियों के सम्बन्ध में मुफ्त वितरण हेतु औषधों की एक निर्धारित सूची होती है ।

समय-समय पर खरीदी जाने वाली कुछेक शुरू की गई औषधों को छोड़कर प्रायः उपलब्ध रहने वाली औषधों की सप्लाई के लिए सफदरजंग अस्पताल एक नियम संहिता का पालन करता है।

(ग) और (घ) जीवन रक्षक औषधें तथा रोग-प्रतिकारकों सहित बहुत सारी औषधें शल्य चिकित्सा करवाने वाले रोगियों को निःशुल्क दी जाती हैं फिर भी जरूरत के समय किसी विशेष औषध की सप्लाई कम होने या उसके उपलब्ध न होने पर रोगियों के सम्बन्धी इन औषधों को बाजार से खरीदते हैं ।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम

1624. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई 75 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पेट्रोलियम उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितना खर्च आएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) यद्यपि कोई 75-सूत्री कार्यक्रम नहीं है, तथापि कच्चे तेल के देशी उत्पादन में तेजी लाने के लिए लघु तथा मध्यम अवधि की योजनाएं कार्यान्वियनाधीन हैं। इनमें लघु अवधि में नीलम एवं पन्ना क्षेत्रों के कुछ कूप प्लेटफार्मों से जल्दी उत्पादन करने, जल अन्त: क्षेपण तथा गैस उठान को तेज करने, कुछ वर्तमान कूपों को गहरा करने, वर्क ओवर प्रचालन कार्य आदि शामिल हैं। मध्यम अवधि की योजनाओं में तेल एव गैस के अनेक क्षेत्रों का विकास करना और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इंडिया लि० के साथ संयुक्त उद्यम में अथवा उत्पादन हिस्सेदारी व्यवस्थाओं के अधीन निजी कम्पनियों द्वारा विकास के लिए कुछ खोजे गए तेल क्षेत्रों को देना शामिल है।

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक तेल रिफाइनरियों, यथा संयुक्त उद्यम में तीन, सार्वजनिक क्षेत्र में एक तथा निजी क्षेत्र में 4 को आशय पत्र दिए गए हैं।

महानदी कोयला खान से कोयला उठाना

1625. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले के गोपालपुर क्षेत्रों में महानदी कोयला खानों से अवैध रूप से कोयला उठाने के मामले गत कुछ वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितना कोयला बरामद किया गया और गत तीन वर्षों के दौरान पुलिस के पास कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) इन मामलों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) इस प्रकार अवैध रूप से कोयला उठाने को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इण्डिया लि० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले के गोपालपुर क्षेत्र में महानदी कोलफील्ड्स लि० के पट्टेधारी से अवैध रूप से कोई कोयला नहीं उठाया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को लाभ/घाटा

1626. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को हुए लाभ/घाटे का, संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) घाटे को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) नियन्त्रण हटाने से पूर्व और इसके पश्चात् खुले बाजार में इस्पात का मूल्य क्या था तथा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) पिछले तीन वर्षों में सेल के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों तथा इसकी सहायक कम्पनियों का लाभ और हानि निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपए)

	1989-90	1990-91	1991-92
भिलाई इस्पात संयंत्र	72.22	104.03	206.31
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	(—)93.39	(—) 88.05	(—) 90.32
राउरकेला इस्पात संयंत्र	55.05	42.70	14.37
बोकारो इस्पात संयंत्र	253.82	179.57	230.45
मिश्र इस्पात संयंत्र	(—) 36.88	(—) 8.84	4.32
सेलम इस्पात संयंत्र	(—) 25.62	20.05	9.35
सेल :	190.46*	244.69*	365.72*
इस्को	(—)138.08	(—)133.53	(—) 22.29
बी० आई० एस० एल०	(—) 3.14**	(—) 1.50**	(—) 1-69

* कराधान के बाद लाभ ।

** असाधारण मदों के सामंजस्य के पूर्व ।

(—) हानि को दर्शाता है ।

वी० एस० पी० —वित्तीय वर्ष 1990-91 विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र के प्रचालन का प्रथम वर्ष था। 192.13 करोड़ रुपये के ब्याज तथा 197.23 करोड़ रुपये के मूल्य ह्रास के बाद वर्ष 1990-91 में 477.55 करोड़ रुपए की निवल हानि हुई। वर्ष 1991-92 में 986.93 करोड़ रुपये की निवल हानि हुई जिसमें 437.29 करोड़ रुपए ब्याज तथा 452.81 करोड़ रुपये मूल्य ह्रास की राशि शामिल हैं।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा लाभदायकता में सुधार करने/हानि को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए :

(1) स्थापित क्षमता की उपयोगिता बढ़ाना ।

(2) उत्पादकता में सुधार करना ।

(3) ऊर्जा-संरक्षण उपायों को लागू करना ।

(4) प्रभावी अनुरक्षण के माध्यम से उपस्करों की उपलब्धता में सुधार करना।

(5) समय से आधुनिकीकरण तथा सन्तुलित निवेश।

(6) प्रोडाक्ट-मिक्स मूल्य वर्धित मदों तथा सतत् आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में सुधार करना।

(7) लागत सम्बन्धी अन्य नियन्त्रण तथा लागत में कमी करने के उपायों का कार्यान्वयन।

(ग) दिनांक 16-1-1992 अर्थात नियन्त्रण समाप्त किए जाने से पूर्व और 3-2-1993 की स्थिति के अनुसार "सेल" के इस्पात की प्रतिनिधि मदों का कारखाना बाह्य मूल्य विवरण में दिए गए हैं।

बी० एस० पी० के परिसज्जित उत्पादों का मूल्य 9,000/- रुपये से 12,000/- रुपये प्रति टन के बीच है।

विवरण

प्रतिनिधि इस्पात मदों के कारखाना बाह्य-मूल्य

रु०/टन

श्रेणी/गुणता/साइज	कारखाना बाह्य मूल्य	
	16-1-92 की स्थिति के अनुसार नियन्त्रण समाप्त किए जाने के पूर्व	3-2-93 से वर्तमान मूल्य
1	2	3
बिलेट्स 80-100 मि० मी० (आई० एस०-2830)	5319	8029
ब्लूम्स 150 मि०मी० (आई० एस०-2830)	5199	7809
स्लैब 90 मि०मी० तथा इससे कम (आई० एस०-2830)	5169	7869
गोल छड़ें 16 मि०मी० (आई० एस०-2062 ग्रेड ए)	7324	9584
टार छड़ें 8 मि०मी० (आई० एस०-1786)	7769	10329
तार छड़ें 8 मि०मी० (आई० एस०-2062 ग्रेड ए)	7549	10209
कोण 65×65×6 (आई० एस०-2062 ग्रेड ए)	7914	9904

1	2	3
चैनेल्स 100 × 50 (आई० एस०-2062 ग्रेड ए)	8589	10549
जायस्ट 150 × 75 (आई० एस०-2062 ग्रेड ए)	8879	11839
प्लेट (आ० एस०-2062 ग्रेड ए) चौड़ाई 1800 मि०मी० से अधिक		
(I) 5 मि०मी० से ऊपर तथा 7 मि० मी० तक	11884	14360
(II) 12 मि०मी० से अधिक	11839	14193
गर्म बेल्लित चादरें 3.15 मि०मी० (आई० एस०-1079 ग्रेड आई०) चौड़ाई 1250 मि०मी० तक	9879	12498
गर्म बेल्लित क्वायलें 3.15 मि०मी० (आई० एस०-1079 ग्रेड आई०) चौड़ाई 1250 मि० मी० तक	10144	12576
स्केल्प 3.15 मि०मी० (आई० एस०-10748 ग्रेड आई०)	9530	11697
ठंडी बेल्लित चादरें (आई० एस०-513 डी० एल० के०) चौड़ाई 1000 मि०मी० से 1250 मि०मी०		
(I) 0.63 मि०मी०	15409	17437
(II) 1.6 मि०मी०	14624	16228
ठंडी बेल्लित क्वायलें (आई० एस०-513 डी० एस० के०) चौड़ाई 1000-1250 मि०मी०		
(I) 0.63 मि०मी०	14694	16869
(II) 1.6 मि०मी०	13904	15654
जी० पी० चादरें (आई० एस०-277 श्रेणी-4) लम्बाई 3000 मि०मी० तक		
(I) 0.63 मि०मी०	17804	20292
(II) 1.6 मि०मी०	14059	15375

1	2	3
जी० सी० चादरें (आई० एम०-287 श्रेणी-4) लम्बाई 3000 मि०मी० तक		
(I) 0.63 मि०मी०	17859	20354
(II) 1.6 मि०मी०	14114	15437

टिप्पणी : उपरोक्त मूल्य में उत्पाद, ई० जी० ई० ए० एफ०, एस० डी० एफ० और जे० पी० सी० उपकर जैसी लेवी शामिल है परन्तु भाड़ा तत्व शामिल नहीं है।

16-1-92 की स्थिति के अनुसार चपटे उत्पादों के लिए मूल्यों की स्थिति में चौड़ाई/विशिष्ट लम्बाई/विशिष्ट चौड़ाई एक्सट्राज, जहां लागू हो, शामिल कर लिया गया है। 3-2-93 से उपरोक्त दर्शाए मूल्य को विलयित कर दिया गया है।

ई० जी० ई० ए० एफ० —इंजीनियरिंग माल निर्यात सहायता निधि।

ए० डी० एफ० —इस्पात विकास निधि।

जे० पी० सी० —संयुक्त सयंत्र समिति।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात बिल

1627. डा० गुमान मल लोढा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980-81 और 1989-90 के दौरान विदेशी ऋण में 42.296 बिलियन डालर अर्थात् 87 प्रतिशत की कुल वृद्धि की तुलना में पेट्रोलियम उत्पादों के आयात बिल में 36.774 बिलियन डालर की वृद्धि हुई;

(ख) क्या इनकी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 5.1 बिलियन डालर के आबंटन की तुलना में अतिरिक्त आबंटन की आवश्यकता होगी; और

(ग) आगामी वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 6.8 प्रतिशत बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, रुपये को पूर्णतः परिवर्तनीय बनाने पर भी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता कैसे पूरी होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों का वर्ष 1980-81 के लिए आयात बिल 5307.43 मिलियन अमेरीकी डालर और 1989-90 के लिए यह 3685.03 मिलियन अमेरीकी डालर था।

(ख) और (ग) अब पी० ओ० एल० के सभी आयात आबंटित व्यवस्था के तहत होने के बजाए बाजार दर पर किए जाएंगे। एक पूर्ण परिवर्तनीयता की मांग स्वत: विदेशी मुद्रा की लागत के प्रति उत्तरदायी होगी।

[हिन्दी]

घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति

1628. श्री श्रीकांत जेना :

श्री छेदन राम जांगड़े : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशेष रूप से मध्य प्रदेश और उड़ीसा में घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति के कारण विद्युत उत्पादन के प्रभावित होने के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोल इण्डिया लि० द्वारा तापीय विद्युत गृहों को आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता सामान्य तौर पर संतोषजनक रही है। किंतु विद्युत गृहों की ओर से कोयले में अपशिष्ट सामग्री होने सम्बन्धी आम शिकायत को देखते हुए कोयला कम्पनी अपशिष्ट पदार्थ रहति समान आकार के कोयले की आपूर्ति का सुनिश्चिय किए जाने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है :—

(1) फीडर ब्रेकरों एवं कोयला रखरखाव संयंत्रों की स्थापना किए जाने की एक कार्रवाई योजना का कार्यान्वियन किया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को समान आकार के कोयले की आपूर्ति किए जाने को सुनिश्चित किया जा सके।

(2) कोयले के लदान किए जाने के समय पत्थरों को पृथक किया जा रहा है।

(3) कोयला रखरखाव संयंत्रों में कंकड़ और पत्थरों को उठाने के लिए स्लो मूविंग पिकिंग बैल्ट्स उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(4) कोयला लदान के समय बेहतर पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि रेलवे साइडिंग पर कार्यरत श्रमिकों, पर्यवेक्षकों एवं अधिकारियों के मध्य गुणवत्ता सम्बन्धी जागरूकता को विकसित किया जा सके और कोयले की गुणवत्ता बनाई रखी जा सके।

(5) रेलवे अथवा सड़क साइडिंग (लदान स्थलों पर) पिटहैड पर गुणवत्ता तथा मात्रा का निर्धारण किए जाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं और अभी भी इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं ताकि बाद में आने वाली शिकायतों से, जिनमें खरीददार तथा विक्रेता की हानि तथा उनकी असुविधा शामिल है, से बचा जा सके।

[अनुवाद]

हिन्दुस्ताप जिंक लिमिटेड द्वारा कोककारी कोयले का उपयोग किया जाना

1629. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड अपने चन्देरिया लेड जिंक प्रद्रावकों के लिए आयातित कोक-कारी कोयले का उपयोग अभी भी जारी रखे हुए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आयातित कोककारी कोयला के प्रयोग को बन्द करने हेतु की गई कार्यवाही अथवा की जा रही कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मेडिकल कालेज

1630. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने कालेज मान्यताप्राप्त हैं;

(ग) क्या अनेक गैर-सरकारी मेडिकल कालेज छात्रों से प्रावेशिक शुल्क वसूल कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन कालेजों का पता लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन कालेजों के अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार देश में 20 मान्यताप्राप्त तथा तीन प्राइवेट कालेजों समेत 41 निजी चिकित्सा कालेज हैं। इनमें से 35 चिकित्सा कालेज इसी प्रकार के सरकारी संस्थानों की अपेक्षा अधिक शुल्क ले रहे हैं।

(ङ) भारत के उच्चतम न्यायालय ने 4 फरवरी, 1993 को यह निर्णय दिया है कि प्राइवेट चिकित्सा कालेजों के सम्बन्ध में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा शुल्क निर्धारित किया जाएगा। न्यायालय के इस आदेश को कार्यान्वित करने के तौर-तरीकों का पता लगाया जा रहा है।

जड़ी-बूटी गर्भ-निरोधक

1631. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में शोधकर्ता जड़ी-बूटी गर्भ-निरोधकों पर परीक्षण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इनके वाणिज्यिक उत्पादन और उपयोग के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान द्वारा दो विभिन्न प्रकार के गर्भनिरोधकों का विकास किया गया है। उनमें से एक पाली-हर्बल प्रनीय क्रीम है और योनि के अन्दर इस्तेमाल के लिए है। जानवरों में इसकी उच्च गर्भनिरोधक प्रभावकारिता देखी गई है। दूसरा मिश्रण प्रनीम विल्मी (बी० आई० एल० सी० आई०) है, जो एक तरल आई० यू० डी० की तरह है। गर्भाशय में इसके एक बार इस्तेमाल से कई महीनों तक गर्भधारण नहीं होता और इसके कोई अतिरिक्त परिणाम भी नहीं होते हैं। इन दोनों मिश्रणों के महिलाओं पर आरम्भिक परीक्षण किए जा रहे हैं।

(ग) परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर इसका या वाणिज्यिक निर्माण और उपयोग आरम्भ किया जाएगा।

कोयले की दरें

1632. **श्री हरिन पाठक** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्यवार प्रत्येक किस्म के कोयले की वर्तमान दर क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए कोटे का आबटन कितना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : (क) यह प्रतीत होता है कि आदरणीय सदस्य महोदय कोयला उत्पादन के स्रोतों और ग्रेडों के अनुसार कोयले की वर्तमान कीमतों से सम्बन्धित सूचना मांग रहे हैं। सरकार द्वारा दिनांक 16-2-1993 को कोयले की संशोधित कीमतों की अधिसूचना जारी की गई थी। माननीय सांसदों के संदर्भ के लिए उक्त अधिसूचना की 15 प्रतियां संसद की लाइब्रेरी में रख दी गई हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में कोयले के राज्यवार किए गए प्रेषण से सम्बन्धित अद्यतन उपलब्ध सूचना नीचे दर्शायी गई है :

(000 टन में)

(आंकड़े अनन्तिम)

क्रम सं०	राज्य का नाम संघ शासित क्षेत्र	कुल प्रेषण 1989-90	1990-91	1991-92
1.	बिहार	17,850	17,512	17,387
2.	पश्चिम बंगाल	14,559	15,805	18,872
3.	उत्तर प्रदेश	27,644	27,641	30,478
4.	उड़ीसा	8,790	8,613	9,422
5.	मध्य प्रदेश	28,545	31,618	33,217
6.	महाराष्ट्र	19,156	20,838	23,793
7.	गुजरात	13 663	14,655	15,181
8.	राजस्थान	3,909	3,914	5,206
9.	दिल्ली	4,420	5,025	5,542
10.	पंजाब	5,801	5,996	6,210
11.	हरियाणा	3,523	2,976	3,860
12.	तमिलनाडु	7,259	7.987	6,730
13.	आंध्र प्रदेश	2,751	3,547	4,445
14.	कर्नाटक	1,179	2,049	2,329
15.	केरल	159	174	230
16.	जम्मू और कश्मीर	300	302	257
17.	हिमाचल प्रदेश	135	220	190
18.	असम	744	816	830
19.	अन्य	409	273	540

तेल शोधन में आत्मनिर्भरता

1633. डा० डी० वेंकटेश्वर राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल शोधन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) इससे तेल शोधन में कहां तक आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) सरकार ने तेल शोधन के क्षेत्र में निजी निवेश को इजाजत दे दी है। सभी परियोजनाओं के कार्यान्वित हो जाने के बाद वर्तमान 51.85 एम० एम० टी० पी० ए० शोधन क्षमता की तुलना में निर्गत आशय पत्र के अनुसार देश में कुल शोधन क्षमता लगभग 119 एम० एम० टी० पी० ए० होने की आशा है। यह क्षमता वर्ष 2001-2002 से अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी जिसके लगभग 102 एम० एम० टी० पी० ए० होने का अनुमान है।

बिक्री कर की चोरी

1634. श्री सनत कुमार मंडल :

श्री मदन लाल खुराना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में बिक्रीकर के किसी बड़े घोटाले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो कर चोरी करने का तरीका क्या है और कितने कर की चोरी की गई;

(ग) इस धोखाधड़ी में लिप्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) भविष्य के लिये क्या निवारणात्मक उपाए किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उनके बिक्री कर विभाग द्वारा एकत्र की गई आसूचना से पता चला था कि जाली दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली में दुपहिए वाहनों को पंजीकृत कराया जा रहा है। ये वाहन चोरी-छिपे बाहर से दिल्ली लाए गये प्रतीत होते हैं जहां बिक्रीकर की दरें अपेक्षाकृत कम हैं। बिक्रीकर विभाग, दिल्ली प्रशासन की प्रवर्तन शाखा के एक दल ने बिक्रीकर विभाग द्वारा एकत्र की गई आसूचना के आधार पर पूर्वी दिल्ली में एक छापा मारा। एक व्यक्ति को उस समय रंगे हाथ पकड़ लिया गया जब वह 104 बजाज स्कूटरों का पंजीकरण कराने के लिए दस्तावेज ले जा रहा था।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन ने आगे सूचित किया है कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और दिनांक 1:-2-1993 को प्रवर्तन शाखा द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। एक अविद्यमान एवं जाली डीलर का नाम बीजकों पर छपा हुआ था। मेसर्स-बजाज आटो लिमिटेड के स्थानीय कार्यालय और दिल्ली स्थित उनके प्राधिकृत डीलर से इन 104 स्कूटरों के बारे में सम्बद्ध ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। साथ ही, उन व्यक्तियों को भी नोटिस भेजे गए हैं जिनके नाम बीजकों पर लिखे हुए थे। मामले को परिवहन विभाग के साथ ही उठाया गया है। अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है।

समाचारपत्रों के विरुद्ध कार्यवाही

1635. श्री बीर सिंह महतो :

श्री चित्त बसु : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों के दौरान साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले समाचारपत्रों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को घाटा

1636. डा० चिंता मोहन :

श्री नवल किशोर राय : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकारी क्षेत्र का उपक्रम हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को फालतू कर्मचारियों और अन्य कारणों से काफी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1992 तक कम्पनी को कितना घाटा हुआ है तथा यह कम्पनी कितने वर्षों से घाटे में चल रही है;

(ग) सरकार ने इन वर्षों के दौरान इस कम्पनी को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या इस कम्पनी का फालतू कर्मचारियों की छंटनी करने का भी विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों की छंटनी की जायेगी ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को 1978-79 से घाटा हो रहा है और 31-3-92 की स्थिति के अनुसार इसका संचित घाटा 371.74 करोड़ रुपए था ।

(ग) अधिक आर्डर दिलाने में सहायता करने के अतिरिक्त सरकार इसको योजना और गैर-योजना ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता देती रही है । कम्पनी स्वयं भी इस्पात क्षेत्र से प्राप्त किए जाने वाले कार्यों का पता लगाकर, स्थापना लागत में कमी करके और जन-शक्ति की दक्षता में सुधार करके अपने घाटे को कम करने के प्रयास करती रही है ।

(घ) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना शुरू की है । हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से अपने कर्मचारियों की छंटनी करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

ईसाई मिशनरियां

1637. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार पंजीकृत ईसाई मिशनरियों की संख्या कितनी है;

(ख) कितने पादरी वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी मध्य प्रदेश में अवैध रूप से ठहरे हुए हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) तीन मिशनरियों, जिनके नाम मिस्टर बी० ई० गैटर, मिसेज शैली जान गैटर, दोनों अमरीकी नागरिक और मिस्टर लूइस डी रायबट, बैल्जियम नागरिक हैं, के विरुद्ध प्रतिकूल सूचना थी। उन्हें देश छोड़ने को कहा गया था। तथापि, उन्होंने भारत सरकार के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है। उन्हें अस्थाई तौर पर देश में रहने की अनुमति दी गई है।

विवरण

भारत में 1-1-1992 को मौजूद पंजीकृत विदेशी मिशनरियों की राज्यवार सूचना

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	विदेशी मिशनरियां
1	2	3
1.	अण्डमान और निकोबार	—
2.	आंध्र प्रदेश	97
3.	अरूणाचल प्रदेश	—
4.	असम	3
5.	बिहार	184
6.	चण्डीगढ़	—
7.	दादरा और नगर हवेली	—
8.	दमन और द्वीव	—
9.	दिल्ली	37
10.	गोवा	22
11.	गुजरात	88
12.	गुजरात (अहमदाबाद)	23
13.	हरियाणा	7
14.	हिमाचल प्रदेश	58
15.	जम्मू और कश्मीर	8
16.	कर्नाटक	236

1	2	3
17.	केरल	49
18.	लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीप	—
19.	मध्य प्रदेश	प्राप्त नहीं हुई
20.	महाराष्ट्र	59
21.	महाराष्ट्र (नागपुर)	10
22.	महाराष्ट्र (पूणे)	71
23.	मणिपुर	—
24.	मेघालय	63
25.	मिजोरम	—
26.	नागालैंड	—
27.	उड़ीसा	41
28.	पांडिचेरी	1
29.	पंजाब	1
30.	राजस्थान	—
31.	सिक्किम	1
32.	तमिलनाडु	190
33.	तमिलनाडु (मद्रास)	86
34.	त्रिपुरा	—
35.	उत्तर प्रदेश	129
36.	पश्चिम बंगाल	—
37.	पश्चिम बंगाल (कलकत्ता)	144
38.	पश्चिम बंगाल (24 परगना)	4
	कुल जोड़ :	1611

[अनुवाद]

पूर्वी क्षेत्र में जहाज तोड़ने का यार्ड (शिप ब्रेकिंग यार्ड)

1638. श्री प्रेम चन्द राम : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के पूर्वी क्षेत्र में जहाज का यार्ड बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

जासूसी के मामले

1639. **श्री एन० डेनिस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार जासूसी के कितने मामले पकड़े गए हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में दोषी पाये गए सरकारी कर्मचारियों विदेशियों और अन्य व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1991 के दौरान जासूसी/संदिग्ध जासूसी के 21 मामले तथा वर्ष 1992 के दौरान 12 मामले जानकारी में आये हैं।

(ख) इन मामलों में चार सरकारी अधिकारी, 29 विदेशी नागरिक तथा 27 अन्य व्यक्तियों का ग्रस्त होना सूचित हुआ है।

(ग) ऐसी गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य को बोलने की अनुमति देता हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन-चार दिनों से हम इस सभा में सांवैधानिक संकट के मामले को उठा रहे हैं जोकि इस देश में त्रिपुरा के मामले से पैदा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं केवल उसकी अनुमति दे रहा हूं जिसके लिए आपने सूचना दी है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैंने इसकी ही सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, विषय यह है : 1-4-1993 से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के एक एकक उर्वरक प्रोत्साहन और कृषि अनुसंधान प्रभाग को बंद करना।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक-एक करके बुला सकता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने जिनका नाम लिया है वही रिकार्ड में जाएगा, बाकी नहीं जाएगा ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, बहुत समय से हम इस सभा में विद्यमान सरकार द्वारा त्रिपुरा में कुप्रशासन के मामले को उठा रहे हैं। हम सरकार के ध्यान में यह सब लाए हैं किस तरह महिलाओं को विशेष रूप से जनजाति महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उन्हें तंग किया जा रहा है और उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है । हम सभा के ध्यान में इस सबको ला रहे हैं कि किस तरह त्रिपुरा में जनजाति के लोग मर रहे हैं···(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बयान की अनुमति दे रहा हूं । कृपया आप उस विषय पर बोलिए जिसके लिए आपने सूचना दी है । जो आप बोल रही हैं वह विषय नहीं है । विषय यह है : "हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के एक एकक उर्वरक प्रोत्साहन और कृषि अनुसंधान प्रभाग का बन्द करना ।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री मदन लाल खुराना बोलेंगे ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैंने आपको नोटिस दिया है कि ···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं अनुमति नहीं दूं तब तक आप इसे नहीं उठा सकते । अभी तक, मैंने अनुमति नहीं दी है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं जिसका नाम लूंगा वही रिकार्ड में जाएगा ।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं यह मामला उठा रहा था···(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, रूल 222 के अन्तर्गत मैंने आपको नोटिस दिया है ।···(व्यवधान)···आप बाद में बोलिएगा, अध्यक्ष जी ने मुझे इजाजत दी है । अध्यक्ष जी रूल 222 के अन्तर्गत मैंने आपको नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप रूल पढ़िए । प्रीवीलेज मोशन देने के बाद मेरी कंसैंट लेने के बाद आप मामला उठाते हैं ।

श्री मदन लाल खुराना : हम हाउस में अपना केस तो रख सकते हैं ?

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मेरी इजाजत के बगैर नहीं रख सकते। आपके जो प्रीवीलेज मोशन आए थे, मैंने गवर्नमेंट के पास इनफरमेशन के लिए भेज दिए हैं। वे आने के बाद मैं देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, प्राईम-मिनिस्टर के बेटे के बाबत जो हमने नोटिस दिया है इसको आप उठाने देंगे या नहीं? तीन दिन से यह सवाल लगातार दूसरे सदन में चल रहा है। पूरे देश में अफवाह होने के बावजूद इस सवाल को उठाने देंगे या नहीं? इसके बाबत आप कुछ कहते नहीं हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। सब को एक साथ बुला नहीं सकता।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अलग स्थान ग्रहण करें। क्या सभा में हर समय नियम पढ़ना आवश्यक है? मैंने श्री पाठक की विशेषाधिकार भंग सूचना की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री बसु बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने त्रिपुरा के बारे में सूचना दी है। 28 फरवरी के बाद भी श्री समीर रंजन बर्मन के मुख्य मंत्री के अधीन काम चलाऊ सरकार को सत्ता में रहने की अनुमति दी गई है। हमने 25 फरवरी को यह आशंका व्यक्त की थी कि जिस राज्य सरकार के विरुद्ध मुख्य चुनाव आयुक्त ने अभियोग लगाया था, उसे अनुमति देने में षडयंत्र की एक सुस्पष्ट और असंदिग्ध वक्तव्य में मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया है कि इस सरकार के साथ मुख्य मंत्री श्री समीर रंजन बर्मन के अधीन काम चलाऊ सरकार के साथ, त्रिपुरा में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव भी हो सकते और यही कारण है कि हम मांग कर रहे हैं कि तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। वहां सांविधानिक संकट है। हमारे देश में ऐसा कोई पूर्वोदाहरण नहीं है जहां विधान सभा की अवधि के समाप्त होने के बाद कामचलाऊ सरकार को सत्ता में रहने की अनुमति दी गई हो जिसके विरुद्ध चुनाव में हेरा-फेरी की कोशिश करने के गम्भीर आरोप थे जबकि चुनाव करने में होने वाले थे। कल गृह मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है। वक्तव्य में उन्होंने यह नहीं बताया है कि त्रिपुरा में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा या नहीं। उन्होंने यह बताया है कि केन्द्रीय सरकार सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : मैं जानता हूं कि वह जो बोल रहे हैं क्या वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

ये जो बोल रहे हैं यह रिकार्ड पर जा रहा है या नहीं जा रहा है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उनको एलाउ किया है।

श्री बसुदेव आचार्य : मुझे इजाजत दी है। अध्यक्ष जी, त्रिपुरा में जो आज संवैधानिक संकट है यह संकट बहुत गहरा संकट है। हमारा देश आजाद होने के बाद ऐसा संकट कभी भी नहीं हुआ। जिस

सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग ने बयान दिया है, उस सरकार को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

संवैधानिक अधिकार भी नहीं है।···(व्यवधान) कल गृह मंत्री ने जो बयान दिया तो तमाम विरोध पक्ष मांग कर रहे थे कि त्रिपुरा में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। यह मांग नहीं मानी और यह भी नहीं बताया कि कब लागू करेंगे। हमें यह बताया कि राज्यपाल की रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं। ऐसा भी हमारे देश में है कि बिना राज्यपाल की रिपोर्ट से राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। इस बारे में भी चन्द्र शेखर जी अच्छा बता सकते हैं, जैसे-तमिलनाडु में हुआ था।··· (व्यवधान) राज्यपाल की रिपोर्ट के लिए कितना समय चाहिए। एक घंटे में मंगा सकते हैं।··· (व्यवधान) हमारी मांग यह है कि आज ही तत्काल त्रिपुरा में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। श्री समीर रंजन बर्मन की सरकार श्री संतोष मोहन देव के साथ मिलजुलकर चुनाव को रिग करने की साजिश कर रही थी, उस सरकार को हटाकर वहां पर······(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : श्री समीर रंजन बर्मन के खिलाफ जो कैंडीडेट था उसको अरेस्ट किया गया···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : इस सरकार के अधीन यहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए जा सकते। इसलिए हम मांग करते हैं कि त्रिपुरा में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। सरकार उस सरकार को सत्ता में बनाए रखने के लिए षडयंत्र रच रही है जिसके विरुद्ध मुख्य चुनाव आयुक्त ने अभियोग लगाया है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री शरद यादव, मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं लेकिन आपको सुनने के बाद मैं निर्णय लूंगा कि क्या इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जा सकता है या नहीं।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो टिप्पणी की है वह बहुत खेदजनक है क्योंकि यह केवल नियम नहीं है, इस लोक सभा की कुछ परम्पराएं और औपचारिकताएं हैं जिन्हें अपनाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या परम्पराएं और औपचारिकताएं नियमों के विरुद्ध हैं ?

श्री चन्द्र शेखर : जी हां, कभी-कभी।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे बताएंगे कि इनका पालन कहां किया गया है। तो मैं आपकी बात का पालन करूंगा।

श्री चन्द्र शेखर : यह नियमों के विरुद्ध नहीं है लेकिन किसी को नियमों की कड़ाई से अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे नियमों के अनुरूप हैं तो मैं उनका पालन करूंगा।

श्री चन्द्र शेखर : मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सभा में ऐसे अवसर आए हैं जब किसी व्यक्ति विशेष यहां तक कि प्रधान मन्त्रियों के विरुद्ध भी —श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से लेकर श्री राजीव गांधी के समय तक आरोप लगाए गए हैं और जब कभी इस सभा में यह मामला उठाया गया है तब किसी भी अध्यक्ष ने यह नहीं कहा कि इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : आपके विरुद्ध थी।

श्री चन्द्र शेखर : जो हां, मेरे विरुद्ध थी। अध्यक्ष महोदय, ऐसे अवसर भी आए है जबकि इस सभा में किसी मंत्री महोदय को यह आरोप लगाते हुए त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया गया कि उन्होने कुछ शेयर खरीदे हैं। किसी ने यह कहते हुए इस पर आपत्ति नहीं उठाई थी कि इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इस मामले में यह विशेष व्यवहार क्यों मुझे यह समझ में नहीं आता है।

अध्यक्ष महोदय : इस सभा के एक बहुत ही वरिष्ठ माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया है और मुझे उस बारे में विनिर्णय देने दें। यदि परम्पराएं नियमों के विरुद्ध होती हैं तो परम्पराओं को अपनाया नहीं जाता। यदि परम्पराएं और नियम एक-दूसरे के अनुरूप होते हैं तो परम्पराओं और नियमों दोनों का पालन होता है। मैंने ऐसा इसलिए कहा है कि इसमें दो पहलू शामिल हैं। एक पहलू यह है कि इस मामले की दोनों सभाओं द्वारा गठित चयन समिति द्वारा जांच की जा रही है।

श्री चन्द्र शेखर : नहीं, ऐसा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा पहलू यह है कि यदि आप किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाना चाहते हैं तो आपको विशेष प्रक्रिया अपनानी होगी और यह विशेष प्रक्रिया यह है कि आपको मुझे सूचना देनी होगी, आपको उस व्यक्ति के विरुद्ध सूचना देनी होगी और मेरी अनुमति लेने के बाद आप उसको इस सभा में उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य के रूप में मैं आपसे सपष्टीकरण क्या आपके विचार में आप इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने मुझे यहां इस सवाल को उठाने की अनुमति दी···

अध्यक्ष महोदय : मैंने कंडीशन दी है।

श्री शरद यादव : मैं आपकी मर्यादा जानता हूं, उसके अनुसार बात करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : सदन की मर्यादा जाननी चाहिए।

श्री शरद यादव : देश के सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार इतनी गहराई तक बैठा हुआ है कि इस सवाल के ऊपर इस सदन में कई बार बहस हुई। हम सब लोग जानते हैं कि इस देश की सार्वजनिक सम्पत्ति की लूट किस प्रकार होती है। सिक्योरिटी स्कैम वाला मामला इतना भयंकर है कि इन्तेहा हो गई है···

अध्यक्ष महोदय : आपके कहने के मुताबिक क्या यह स्कैम से सम्बन्धित है?

श्री शरद यादव : यह अलग से एक स्कैम है। मैंने कहा कि इतना बड़ा कांड स्कैम वाला हो चुका है। सार्वजनिक जीवन में और सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति बैठे हों उनको हिन्दुस्तान की जनता के मन में जरा सी शंका का भी समाधान करना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री के बेटे के बारे अखबारों में, सदन में, सब तरफ लगातार, अखबारों के जरिए, बहस के जरिए बात चली हुई है। सरकार बहुत कठीन जवाब देती है कि यह मामला जे० पी० सी० देख रही है। मैं आपसे कहना चाहता

हूं कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक जीवन के लिए, मर्यादा के लिए जरूरी है कि हम उन पर सफाई दें। मैं इस सवाल पर तत्काल आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि यह जो सवाल है जो प्रधान मंत्री के बेटे से वास्ता रखता है, मैंने यह नहीं कहा कि यह सच है···

अध्यक्ष महोदय: अगर आप प्रधान मन्त्री के बेटे से वास्ता रखने की बात कह रहे हैं तो प्रधान मन्त्री जी को नोटिस देकर मुझे नोटिस देकर उठाना चाहिए। आप किसी का नाम लेकर बोल रहे हैं उसमें आब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आप प्रधान मंत्री जी का नाम ले रहे हैं क्या प्रधान मन्त्री को नोटिस दिया है ?

श्री तरित बरण तोपदार (बैकरपुर): बेटे को कैसे नोटिस देंगे, आप समझा दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब बैठ जाइए; आप बात को समझ नहीं रहे हैं। मैं आपको समझाने के लिए बाध्य नहीं हूं। हर बार आप इस प्रकार खड़े होकर बोलने लगते हैं।

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार: जरूर समझाना होगा, बेटे को कैसे नोटिस देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपका अध्यापक नहीं हूं। आप मेरे शिष्य नहीं हैं।

[हिन्दी]

बेटे को नोटिस देना है, मैं प्रधान मन्त्री को नोटिस देने की बात कर रहा हूं। श्री तरित बरण तोपदार: प्रधान मन्त्री का बेटा है, मैं बेटे को नोटिस की बात कर रहा हूं, आप समझा दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने मेरी बात न सुनी और न समझी है। कृपया अब बैठ जाइए··· (व्यवधान)··· मैं इसके लिए बाध्य नहीं हूं। हर बार मैं देखता हूं कि आप खड़े होते हैं और इस प्रकार बोलते हैं। कृपया अब बैठ जाइए।

श्री तरित बरण तोपदार: इस बार हम खड़े होते हैं और बोलते हैं। आप इसकी अनुमति देते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने कहा है कि यदि आप प्रधान मन्त्री का नाम ले रहे हैं तो आपको प्रधान मंत्री को सूचना देनी होगी; उनके बेटे को नहीं। मेरी बात समझिए।

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार: यह आपकी रूलिंग है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री तोपदार, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं थी। आप खड़े हुए थे इसलिए मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा कि नियम क्या है।

"सदस्य के द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध विवादात्मक अथवा अभिशंसी स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जा सकता, जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को और सम्बन्धित मंत्री को भी पर्याप्त अग्रिम सूचना न दी हो ताकि मंत्री उत्तर देने के उद्देश्य से मामले की जांच करने में समर्थ हो सके।"

(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार : यह बेटे के विरुद्ध है; मंत्री महोदय के विरुद्ध नहीं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइए। आप उसके पिता के जरिए उनका नाम ले रहे हैं··· (व्यवधान)···मैं आपको बता दूं कि यदि आप अध्यक्ष द्वारा दिए गए विनिर्णय का विरोध करते हैं तो यह विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा। आपको यह भी समय लेना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं बहुत विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। प्रभाकर राव जिनके पिताजी देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ यह अपील कर रहा हूं कि इस बात में सत्य क्या है सरकार को इस पर जरूरत बयान देना चाहिए। हिन्दुस्तान में नियम क्या है, कानून क्या है, उसके बाहर यह मर्यादा है कि सार्वजनिक जीवन में प्रधान मंत्री जैसा पद जो माननीय पद है, प्रभाकर राव के पिताजी हैं यह वैल नोअन फैक्ट है, हो सकता है आपके नियम में नहीं आता हो।

मैं इस बात पर आपकी मर्यादा जानता हूं लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि प्रधान मन्त्री पर कोई आरोप लगाया जा रहा है। हो सकता है इसमें न हो और इसलिए मैं चाहूंगा कि यदि यह बात ऐसी है तो ठीक होगी लेकिन इस सवाल पर सरकार को निश्चित तौर पर बयान देना चाहिए क्योंकि होम मिनिस्टर या सरकार की तरफ से जिस तरह का बयान आ रहा है, जिस तरह के जवाब आ रहे हैं, लगता है कि हम लोग सार्वजनिक जीवन के भ्रष्टाचार में इतने ज्यादा खुद इन्वाल्व हो गए हैं, एक आदत बन गई है कि हम इस सवाल को इतना आसान मानते हैं और इग्नोर करते हैं। इसलिए अकेले किसी प्रभाकर राव का मामला नहीं है। यह बात या यह सवाल प्रभाकर राव से वास्ता नहीं रखता है। हिन्दुस्तान के सार्वजनिक जीवन को पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से इस-लिए भी कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी भी है···

अध्यक्ष महोदय : मेरी जिम्मेदारी आपको भी प्रोटेक्ट करने की है। मेरे पास आपके खिलाफ भी आते हैं···

श्री शरद यादव : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सदन सर्वोच्च सदन है। आप इसके अध्यक्ष हैं। देश में यह सवाल महीने भर चलता रहेगा, लोग कानाफूसी करते रहेंगे लेकिन लोग एक-दूसरे के बारे में बात करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग घूमते कहेंगे कि आप क्या प्रधान मन्त्री जी से मिले हुए हैं? इस सवाल को नहीं उठाते हैं। सब लोगों के लिए दिक्कत हो रही है, इस पर आपको बयान देना चाहिए आपके अन्दर जो लड़ाई-झगड़े हैं, हमारे सिर पर सवार रहते हैं। लोग लगातार कहते हैं हम आपके पाप में कभी शरीक नहीं हैं। हमने सार्वजनिक जीवन में एक धेला कभी नहीं कमाया। हमारे जैसे लोग जब सदन में हैं, हम ऐसा मानते हैं कि हमारे ऊपर भी आक्षेप आते हैं।

अध्यक्ष जी, मैं तीन दिन से दौरे पर था। मैं अफसोस के साथ यहां खड़ा हुआ हूं। इस सवाल

पर सरकार को तत्काल अपना जवाब देना चाहिए। मैं यह भी कह रहा हूं कि यह सवाल सत्य है। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि यह बात बिलकुल दुरुस्त होगी लेकिन जो बात है, जो साफ बात है, उसको इस सदन में सफाई के आधार पर सरकार के बयान के रूप में आना चाहिए जिससे कि सार्वजनिक जीवन में जितने लोग हैं, उनके बारे में जनता में सही बात पहुंचे ताकि उनका विश्वास पैदा हो सके नहीं तो जनता ने मान लिया है कि हम सब लोग एक से हैं और भ्रष्टाचार हमारी आदत में है और इस बात के लिए यह सदन हिस्सेदार नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने यह सवाल उठाया और आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि सरकार इस पर अपना बयान दे और डरने का काम न करे। प्रधानमंत्री से भी कहें कि वे खुद इस पर अपनी सफाई दें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, श्री शरद यादव ने जो सवाल उठाया है, वह किसी के ऊपर आरोप लगाने के लिए नहीं उठाया है। यदि इसका स्पष्टीकरण नहीं होता है तो जो समाचार में छपा है, उसके प्रभाव से सार्वजनिक जीवन की विश्वसनीयता को बहुत आघात पहुंचेगा। एक पहलू तो यह है जिस पर मैं बल देना चाहूंगा कि इस मामले में सरकार की चुप्पी एक प्रकार से उसकी पुष्टि करेगी कि जो समाचार में छपा है। ऐसी स्थिति में चुप्पी रखना उचित नहीं है बल्कि इसके बारे में वक्तव्य आना चाहिये।

दूसरी बात यह है क्योंकि आपने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इस मामले की जांच जे० पी० सी० कर रही है जबकि मेरे साथी जो जे० पी० सी० में हैं, उनसे पूछा है तो उनका कहना है कि इस विषय में जे० पी० सी० जांच नहीं कर रही है। वह तो स्कैम में ओवरआल इंस्टीट्यूशनल—कौन सा फैल्योर हुआ, कौन सा फैल्योर नहीं हुआ—उसकी जांच कर रही है लेकिन यहां पर उस दिन संसदीय कार्य मंत्री ने यहां पर कहा कि गृह मंत्री···

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : केस का रेफ्रेंस हो सकता है···

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां, हो सकता है लेकिन अभी भी इस आधार पर इस चर्चा को रोकने का प्रयत्न दो दिन पहले यहां पर संसदीय कार्य मंत्री ने किया कि क्योंकि जे० पी० सी० इसकी जांच कर रही है, इसलिए यहां पर चर्चा नहीं उठनी चाहिए और अनायास ही आज जिस समय शरद जी को आप आरम्भिक निर्देश दे रहे थे तब भी आपने इस बात का उल्लेख किया। इसलिए आन प्वाइंट आफ टाईम—मेरी जानकारी में जे० पी० सी० इस स्पेसिफिक मामले को नहीं देख रही है। अब जे० पी० सी० इसको देखे, इसलिए रास्ता जरूर खुल गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस तरह के मामले सभा के ध्यान में लाने के लिए माननीय सदस्यों की सतर्कता की सराहना करते हैं। बल्कि मैं बड़ी नम्रता और आदरपूर्वक आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि मामले किसी एक सदस्य के विरुद्ध नहीं होते बल्कि उनके सदस्यों के विरुद्ध होते हैं। यदि हम इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करते तो मुझे डर है कि सभा के बाहर कुछ भी कहा जा सकता है और सभा में कुछ भी उठाया जा सकता है। और आप अपने बचाव के लिए अपने को बहुत कठिन स्थिति में पायेंगे। अतः मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि यदि आपको मामला उठाना है तो आप प्रक्रिया का अनुसरण करें। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप मामला न उठायें, परन्तु बिना प्रक्रिया का अनुसरण किए यदि आप किसी मामले को अचानक बिना सूचना दिये उठाते हैं, यदि यह मामला किसी ऐसे अन्य मंच के समक्ष है जहां इस पर चर्चा की जा सकती है, तो उसे भी आप ध्यान में नहीं रखते हैं

और मामले को उठाते हैं तो यह बहुत ही बुरा पूर्वोदाहरण है जिसे उद्धरित किया जा सकता है और किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई भी मामला उठाया जा सकता है। केवल इसी उद्देश्य से मैं सदस्यों को चेतावनी दे रहा था, न कि इसे दबाने के लिए। हम इसे दबाने के लिए नहीं है। परन्तु केवल इसलिए कि ऐसे मामले पर बोला जाता है और वे सभा के समक्ष उठाये जाते हैं, इन्हें सभा में उठाये जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपको इस मामले पर विश्वास करना होगा। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो हर किसी पर उचित अथवा अनुचित आरोप लगाए जा सकते हैं। हम इससे बचना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : इसमें इन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया है।···(व्यवधान)··· अध्यक्ष महोदय, आप इस पर आदेश दे रहे हैं।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस चीज के लिए कोई आदेश नहीं दे रहा हूं। आपके कहने पर जे०पी०सी० बनाई गई है। जे० पी० सी० को क्या करना चाहिए, उसका भी इसके अन्दर उल्लेख है। न आपके कहने से वह कुछ करेंगे, न मेरे कहने से करेंगे, वह अपने ढंग से करेंगे। अगर वह उसमें आता है तो यहां पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर यहां पर आता है तो वहां पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये सारी बातें कानूनी तरीके से देखी जाएंगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मैं केवल एक वाक्य कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मैं भी जे० पी० सी० का एक सदस्य हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप संयुक्त संसदीय समिति में जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी चर्चा सभा में नहीं की जाती है।

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले एक महीने से तीन स्टेट्स हरियाणा पंजाब और यूनियन टैरिटरी चंडीगढ़ के ऐडवोकेट्स हड़ताल पर हैं।···(व्यवधान)···

श्री नीतीश कुमार : हम प्रधान मंत्री जी को सुनेंगे।···(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नीतीश कुमार जी की बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है। देखिए, वह बोल रहे हैं और आप बीच में उठकर बोल रहे हैं। आपको जो कहना था वह आपने कह दिया, अब उनको बोलने दीजिए।

श्री जगमीत सिंह बरार : माननीय अध्यक्ष जी, पिछले एक महीने से उन तीन राज्यों की हाई कोर्ट्स से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और नीचे की कोर्ट्स तक जो ऐडवोकेट हैं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, वे स्ट्राइक पर हैं और 4000 ऐडवोकेट्स ने पिछले हफ्ते चंडीगढ़ में गिरफ्तारी दी है और उसका कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष जी, मैं आपके जरिए सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि 4 ऐडवोकेट्स को पुलिस ने पकड़कर बिना किसी कारण उनको सिक्यूटेट कर दिया, उनको मार

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

दिया और और कुलवन्त सिंह सैनी नाम का ऐडवोकेट जोकि रोपड, पंजाब में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, उनको तथा उनकी बीवी और उसके 12 महीने के बच्चे को, उन तीनों को मारकर सरहिन्द की नहर में फेंक दिया और 4000 वकील साहेबान की गिरफ्तारी देने के बाद भी दोनों मुख्य मंत्री— पंजाब और हरियाणा के, उनके कान पर जूं नहीं रेंगी और कोई असर नहीं हुआ और वह वकील ज्यूडी-शियल इनक्वायरी की मांगकर रहे हैं। मैं होम मिनिस्टर और माननीय ला मिनिस्टर साहेबान के ध्यान में आपके जरिए यह बात लाना चाहता हूं कि तीन ऐडवोकेट्स का मर्डर हुआ है।

[अनुवाद]

यह देश में न्यायिक प्रणाली की हत्या है।

[हिन्दी]

और अगर इसकी इनक्वायरी उच्च स्तर पर नहीं होगी तो इसका नुकसान आम नागरिकों को इन तीनों स्टेट्स में होगा। सरकार को इसके ऊपर तुरन्त ध्यान देकर इसकी ज्यूडीशियल इनक्वायरी आर्डर करनी चाहिए ताकि जो साधारण लोग इंसाफ लेना चाहते हैं, कहीं हाई कोर्ट में, कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और में जाते हैं, उनको इंसाफ मिल सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैंने श्री सन्तोष मोहन देव के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप श्री जसवन्त सिंह की बात सुनें वे बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठा रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह कोई सामान्य बात नहीं है कि पिछले कई हफ्तों से संकट केवल इसी सत्र में नहीं बल्कि संसद के पिछले सत्र में भी हम सब ओर से कि सरकार की भर्त्सना सुन रहे हैं। जो असामान्य बात है वह यह है कि मैं अब आपकी अनुमति से सरकार की नहीं, बल्कि सरकार के कुछ विभागों की पिछले रविवार 28 फरवरी, अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए उनकी प्रशंसा करने के लिए खड़ा हो रहा हूं।

28 फरवरी को एस० बी० टी० अर्जुन के पहले तीन उत्पादन परीक्षण हुए थे। महोदय, यह सही है कि उस जटिल युद्ध उपकरण के मूल्य के हिसाब से 45 प्रतिशत हिस्से पुर्जों का आयात किया गया है। महोदय, यह भी सही है कि इन्जन, ट्रांसमिशन के संघटक पुर्जों, और फायर नियन्त्रण प्रणाली का भी महत्वपूर्ण है। यह भी सही है कि इसके बावजूद इस टैंक में देश की असाधारण धातुकर्मीय उप-लब्धि है जो कंचन बक्तर का विकास है। अब इस सबको सैनिक युद्ध टैंक के रूप में तैयार करके और पहले तीन उत्पादन परीक्षण करके, मैं समझता हूं कि हमारे शस्त्रास्त्र उद्योग की यह उपलब्धि प्रशंसनीय है। और मैं डा० अरुणाचलम की विशेष रूप से प्रशंसा करूंगा जिसके अधीन इस योजना ने कार्य करना शुरू किया। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के वर्तमान प्रमुख डा० अब्दुल कलाम श्री नटराजन जिन्होंने पिछले 10 सालों से इस सम्पूर्ण प्रयास में मार्गदर्शक का कार्य किया है, लेफ्टीनेन्ट जनरल अजय सिंह और अन्य के नेतृत्व में युद्ध वाहनों के महानिदेशक सभी की प्रशंसा करनी होगी। यह भी सही है कि हमारे वरिष्ठ नेता श्री अटल जी एक समिति के सभापति हैं जो बहुत ही गम्भीरतापूर्वक और

बहुत निकट से इस संपूर्ण कार्यक्रम को देख रहे हैं। जैसाकि होना चाहिए मैं स्वयं संतुष्ट हूं कि अटल जी के नेतृत्व में कि जिस समिति के अटल जी सभापति हैं वह अपनाई गई संपूर्ण विधि निर्णयन प्रक्रिया और लिए गए निर्णयों में व्याप्त दोषों का पता लगायेगी। ऐसा भी होना चाहिए कि विधायिका कार्य-पालिका की प्रशंसा के साथ-ही-साथ उसकी कमियों का भी पता लगाये। महोदय, ऐसा ही होना चाहिए। यदि रक्षा मंत्री महोदय यहां उपस्थित होते, तो बेहतर होता।···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अपने आप में यह एक विडम्बना है। अध्यक्ष जी, आज अच्छा होता कि रक्षा मंत्री जी यहां मौजूद होते। ऐसा नहीं है कि रक्षा मंत्री जी ने अपने हाथों से इस टैंक को बनाकर खडा किया है परन्तु रक्षा मंत्री जी के मंत्रित्व काल में यह उपलब्धी हासिल हुई है इसलिए मैंने कहा और हमें खुशी होती कि अगर रक्षा मंत्री जी यहां होते तो हम शायद उनको भी बधाई दे सकते थे। परन्तु अब कांग्रेस का क्या कहिये, अध्यक्ष जी, हम कांग्रेस पार्टी को क्या कहें, वहां तो उल्टी ही गंगा बहती है। अध्यक्ष जी, आप भी वहां पीठासीन अधिकारी थे। उसके बाद आप वहां से होकर यहां अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले आप वहां के अध्यक्ष थे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अर्जुन से इसे कोई मतलब नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : परन्तु अब तो यह उल्टी गंगा बह रही है।

[अनुवाद]

आपने पहले रक्षा उत्पादन का पद संभाला है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैं जानता हूं।

श्री जसवन्त सिंह : आप उनके साथ थे। आप इन उपलब्धियों को जानते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि वैज्ञानिकों का समस्त दल और सेना मुख्यालय के युद्धवाहन निदेशालय ने इस उपलब्धि का विश्लेषण किया है चाहें जो भी कमी हो, यह उपलब्धि प्रशंसनीय है।···(व्यवधान)

]हिन्दी]

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि इस टैंक का नाम महाभारत के अर्जुन के नाम पर रखा गया है या हमारे अर्जुन सिंह साहब के नाम पर रखा गया है ?···(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष जी, अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक के अनेकों कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं जिसके कारण आज देश में ग्रामीण बैंक की व्यवस्था ठप्प हो गई है। अखिल भारतीय स्तर पर, ग्रामीण बैंकों का, एक आल इण्डिया ग्रामीण बैंक बनाने के लिए फाइनैंस मिनिस्टर सहाब ने प्रोमिज किया था परन्तु आज वे उससे मुकर रहे हैं। इस कारण उनमें असंतोष है। इसके कारण असन्तोष है। मैं चाहूंगा कि फायनेंस मिनिस्टर इसके बारे में यहां स्टेटमैंट दें और आल इण्डिया ग्रामीण बैंक बनाने का निर्णय लें। इस आन्दोलन को 197 बैंक्स आर्गेनाइज कर रहे हैं और देश भर की हजारों ग्रामीण बैंकों की शाखाएं शामिल हैं जिसके कारण देश भर के ग्रामींण बैंकों में अव्यवस्था फैल गई है।

इसलिए मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री महोदय अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए यहां स्टेटमेंट दें और आल इण्डिया ग्रामीण बैंक अविलम्ब बनाए जाने की घोषणा कर हमें आश्वस्त करें। (व्यवधान)

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : अध्यक्ष महोदय, देश में··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज आप बैठ जाइए। जो आप बोल रहे हैं वह रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। मेरी इजाजत के बिना जो बोला जाता है वह रिकार्ड पर नहीं जाता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैंने नियम 222 के अन्तर्गत केन्द्रीय मंत्री श्री सन्तोष मोहन देव के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है···

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कान्ति जी आप इस सभा के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और मैं आपको संगत नियम जानकारी की देना उचित नहीं समझता। नहीं चाहता हूं। मैं समझता हूं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। नियम 222 में इस प्रकार दिया गया है :

> " "सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से" मैं इन शब्दों को दोहराता हूं "अध्यक्ष की अनुमति से" "मामला उठा सकता है···"

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं आपकी अनुमति मांग रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : सभा का नियम है कि अनुमति देने या न देने का निर्णय सभा में नहीं सुनाया जाता है। यदि ऐसा किया जाता है तो हमें हजारों ऐसे प्रश्न और नोटिस मिलने लगेंगे। वरना हम ऐसा कर सकते थे। अतः नियम यह है कि आप मुझे नोटिस दें, मैं आपके नोटिस पर विचार करूंगा मैं उसे देखूंगा, पढ़ूंगा, कि उसमें क्या लिखा है तब यदि मैं जरूरी समझूंगा तो दूसरे पक्ष से स्पष्टीकरण मांगूंगा और दूसरे पक्ष से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद और उसको विस्तारपूर्वक पढ़कर मैं या तो अनुमति दूंगा या नहीं दूंगा। आप मुझे नोटिस कार्यालय में दें। मैं उस पर विचार करूंगा। मैं इस पर सभा में विचार नहीं करूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : धन्यवाद। मैं सभा की परम्परा का ही अनुसरण कर रहा हूं। दो दिन पहले आपने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सभा में मामला उठाने की अनुमति दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वाजपेयी जी को इसलिए अनुमति दी थी क्योंकि वाजपेयी जी द्वारा दिए गए दस्तावेज में यह संकेत था कि नोटिस में जो दिया गया है, वह सही है। और अन्ततः वह सही निकला।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कृपया मुझे इस बात पर मुझे अयोग्य न ठहरायें। मैंने पहले ही नोटिस भी दे दिया है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : वे ऐसा कौन सा दस्तावेज दे सकते थे, जब वे··· (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इन टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाये।

(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट । क्या मैं सभा के सभी सदस्यों की ओर से एक बात और कह सकता हूं ? हम सभी को ऐसी स्थिति में डाल दिया जाता है जिसमें हमें बहुत तनाव का सामना करना पड़ता है । कभी-कभी पीठासीन मैं और सभी सदस्य ऐसी बात कहते और करते हैं जिसे दूसरी बार विचार करने पर हम कहना और करना नहीं चाहेंगे । और यह किसी के साथ भी हो सकता है । इस प्रकार के मामले पर सभा में चर्चा नहीं की जानी चाहिए । इन पर चर्चा होनी चाहिए । परन्तु क्या मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन कर सकता हूं कि इन्हें सभा में न उठायें ? इन पर मेरे कक्ष में विचार-विमर्श करिये ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं, परन्तु··· (**व्यवधान**)

श्री रूप चन्द पाल : जैसे ही श्री वाजपेयी ने नोटिस दिया आपने अनुमति दे दी··· (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : जब अप्रैल, 1992 में प्रतिभूति घोटाले के बारे में पता चला तो यह बात संसद में और संसद के बाहर भी काफी उठी । सभा ने अपने विवेकानुसार एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया उस समय भारतीय रिजर्व बैंक ने भी श्री जानकी रामन की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त किया । जानकीरामन समिति ने अपना पहला प्रतिवेदन अप्रैल में दिया । दूसरा अन्तरिम प्रतिवेदन मई में दिया गया । और अगस्त में जब संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया तो जानकीरामन समिति ने अपना तीसरा प्रतिवेदन दिया । जब अगस्त में तीसरा प्रतिवेदन दिया गया

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**]

तो प्रैस को सम्बोधित करते हुए श्री जानकीरामन ने बताया कि वे अपना कार्य आगे नहीं करेंगे और वे अपनी जांच के कार्य को बन्द कर देंगे । वित्त मंत्री तक को यही बताया गया

12.39 म० प०

कि संयुक्त संसदीय समिति को एक भिन्न प्रकार की भूमिका अदा करनी होती है और इसलिए जानकीरामन समिति को अपना कार्य जारी रखना चाहिए और अंतिम प्रतिवेदन देना चाहिए । यह अगस्त की बात थी । तब से छः महीने बीत चुके हैं । अभी तक जानकीरामन समिति ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन नहीं दिया है । संयुक्त संसदीय समिति ने भी इसके लिए निवेदन किया है और वित्त मंत्री ने भी कहा है कि जानकीरामन समिति को अपना चौथा और अन्तिम प्रतिवेदन दे देना चाहिए । चार माह बीत चुके हैं । अब इसकी हर जगह चर्चा है । विश्वसनीय सूत्रों से मुझे ज्ञात हुआ है कि वित्त मंत्री ने रिजर्व बैंक से अपनी चौथी रिपोर्ट न देने को कहा है और यही कारण है कि हम इस सूचना से वंचित है कि जानकीरामन कमेटी की अन्तिम रिपोर्ट का क्या हुआ ।

अतः मैं मांग करता हूं कि वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें और जानकीरामन समिति जितनी जल्दी हो सके अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश करे । अन्यथा बजटीय प्रावधानों पर चर्चा करने में अत्यधिक कठिनाई आएगी और संयुक्त संसदीय समिति को भी अत्यधिक असुविधा होगी ।

श्री० जी० एम० सी० बालयोगी (अमालापुरम) : महोदय, 1 मार्च, 1993 को करीब दस बजे मेरे चुनाव क्षेत्र अमालापुरम में एक टैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें अनुसूचित जाति के पांच

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, तथा तीन को गम्भीर चोटें आयी। यह दुर्घटना अन्तर्वेदी रामबाग के सखितिपल्ली मंडल में हुई। मृतकों के नाम हैं : परिवार के मुखिया की पत्नी काववालु ला कामम्मा, उम्र 40 वर्ष; पुत्र कान्ता राव, उम्र 12 वर्ष; दामाद बदारू वोहानू, उम्र 25 वर्ष; पुत्री झांसी, उम्र 30 वर्ष और सम्पद राव उम्र 50 वर्ष।

मेरा निवेदन है कि मृतकों के परिवार के सदस्यों को प्रधान मंत्री राहत कोष से कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की जाए क्योंकि वे बहुत गरीब लोग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि प्रत्येक व्यक्ति एक या दो मिनट ही बोले तो अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर प्राप्त हो सकता है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : या तो आप आधे घंटे में खत्म कर देते, अब आप समय बढ़ा रहे हैं तो जिन्होंने नोटिस नहीं दिया उनको भी आपको सुनना चाहिए···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, मैंने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला उठाने के लिए सूचना दी हुई है।···(व्यवधान)

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान ताशकन्द में भारतीय विद्यार्थियों की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूं। भारत और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच हुई सन्धि के आधार पर जो 175 भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए उजबेकिस्तान की राजधानी ताशकन्द गए थे, वे अपनी शिक्षा जारी रखने में गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सभी छात्र वहां छात्र-वृत्ति पर विभिन्न विषयों, जैसे इन्जीनियरी, चिकित्सा, विज्ञान, कृषि, मानविकी आदि का अध्ययन कर रहे हैं।

यह शोचनीय बात है कि शिक्षा मंत्रालय, उजबेकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि इन छात्रों से 1500 से 2500 अमेरिकी डालर प्रतिवर्ष लिए जा सकें। ये छात्र इतनी बड़ी राशी दे पाने की स्थिति में नहीं हैं। इन छात्रों की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। कुछ स्थानों पर तो स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें राशन देना भी बन्द कर दिया है। कुछ संस्थानों में छात्रों से होस्टल खाली करने तथा मास्को जाने को कहा गया है जहां उनके भविष्य का निर्णय किया जाएगा। भारतीय विद्यार्थियों को छोटी-छोटी सभाओं में भी अपनी समस्याओं पर चर्चा नहीं करने दी जा रही है। यदि वे कोई सभा करने का प्रयास करते हैं; तो उन्हें घातक परिणामों की चेतावनी दी जाती है।

12.44 म० प०

[श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए]

यदि भारत सरकार मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है, तो इन छात्रों का जीवन अन्धकारमय हो जाएगा। इन लोगों की सुरक्षा को भी खतरा है। मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे जिससे इन 175 छात्रों का व्यावसायिक भविष्य नष्ट होने से बचाया जा सके।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। हमारे विद्यार्थी भीषण कठिनाई में हैं। इससे पहले, मैंने यह बात उठाई थी और वास्तव में उस समय मि० फैलीरियो

और मि० भाटिया दोनों ने इस पर कदम उठाए और कुछ किया गया था, परन्तु ताशकन्द में विद्यार्थी अब फिर एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। कृपया इस विषय कुछ करिए।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : सभापति महोदय, बिहार का रामगढ़ कैन्ट जिसकी आबादी लगभग एक लाख है, वहां आम लोगों के साथ-साथ सेना के जवान भी ट्रेनिंग पाते हैं। 45 वर्ष की आजादी के बाद भी पेयजल की समस्या के चलते वहां त्राहि-त्राहि मची हुई है। 1986 में सरकार ने 79 लाख रुपया इसके लिए दिया था, 69 लाख रुपया और चाहिए लेकिन इसको सरकार नहीं दे रही है। सारे रामगढ़ के कुंए सूख रहे हैं। 3-4 किलोमीटर दूरी से रामगढ़ कैन्ट में पानी लाना पड़ता है। इसी रामगढ़ में कांग्रेस का 1980 में महाधिवेशन हुआ था। इसी रामगढ़ शहर में जहां सेना के जवान रहते हैं, 1857 में विद्रोह हुआ था। आज सारे रामगढ़ कैंट के लोग पानी के बिना तरस रहे हैं कई बार मैंने लोक सभा में यह सवाल उठाया लेकिन अभी तक रामगढ़ की पेयजल की समस्या का समाधान नहीं किया गया है। रामगढ़ के पेय जल की समस्या का तुरन्त समाधान करने के लिए 69 लाख रुपया और आबंटित किया जाए जिससे पेय जल का बाकी का काम पूरा हो सके।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी (गढ़वाल) : सभापति महोदय, 1991 में उत्तर काशी में जो भूकम्प आया था, उनमें जो वालंटरी आर्गेनाइजेशन्स काम कर रही हैं और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

अक्तूबर 1991 में उत्तर प्रदेश के उत्तरकाशी में आए प्रलयंकारी भूकम्प के बाद, पीड़ितों के बसाने, उनके क्षतिग्रस्त व टूटे मकानों की मरम्मत व उन्हें नए सिरे से बनवाने इत्यादि कार्यों को संपादित करने में अनेक स्वैच्छिक संस्थायें आगे आई। सरकार ने ऐसी समितियों/संस्थाओं को कार्य करने की पूरी छूट दी। इन्हें न केवल पूंजीकृत किया गया बल्कि उनके द्वारा संपादित कार्यों को सरकार ने सराहा भी। ऐसी ही एक एक रजिस्टर्ड संस्था उत्तरांचल दैवी आपदा पीड़ित सहायता समिति है जिसने बहुत ही थोड़े समय में भूकम्प पीड़ितों के लिए 415 मकान बनवा कर उन्हें सौंप दिए। इस संस्था के सदस्यों सर्दियों में बर्फ से ढके इस क्षेत्र में, मौसम की परवाह न करते हुए अपने काम को अंजाम दिया। परन्तु एकाएक जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के बिना किसी नोटिस के व किसी शिकायत के इस समिति का बैंक खाता सील कर दिया। इससे न केवल इस समिति के कामकाज में असर हुआ बल्कि सभी संस्थाओं ने दैवी आपदा सहायता तथा पीड़ितों के कष्टों को उबारने से अपने हाथ खींच लिए। इससे यहां के लोगों को मानसिक आघात पहुंचा है। जिलाधिकारी का यह आदेश प्राकृतिक न्याय पर भी आधारित नहीं है। उनका यह कदम एकदम व सरासर बिना सोच-विचार से उठाया गया कदम है। जिस कारण इसके दूरगामी दुष्प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। अत: मेरा आग्रह है कि ऐसी स्वयंसेवी संस्था के सील किए गए बैंक खातों से अविलम्ब रोक हटाई जाए। जिलाधीश की इस कार्यवाही की पूरी जांच कर सदन को भी विश्वास में लिया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, इस समय संतोष ट्राफी फुटबाल टूर्नामेंट केरल में खेला गया। इस टूर्नामेंट का फाइनल कोचीन में परसों खेला गया था। राष्ट्रीय खेलों जैसे फुटबाल आदि के फाइनल हरबार दूरदर्शन पर सीधे प्रसारित किए जाते हैं, परन्तु इस बार फाइनल का सीधे प्रसारण नहीं किया गया जिससे हजारों-हजारों फुटबाल प्रेमी तथा खिलाड़ी निराश हुए।

इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह का भेदभाव किसी भी खेल के साथ न किया जाए। मैं खेल मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि फुटबाल को महत्व क्यों नहीं दिया गया। मैं केरल की टीम को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यह टूर्नामेंट प्रथम बार जीता है।

मैं मन्त्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जब संतोष ट्राफी का फाइनल फुटबाल मैच केरल में खेला जा रहा था, तो इसका उचित प्रचार क्यों नहीं किया गया ?

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को भी अवगत कराना चाहता हूं कि दूरदर्शन पर जितने क्रिकेट के टूर्नामेंट रोज दिखाए जाते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में केवल क्रिकेट ही एक खेल है, जिसकी दूरदर्शन पर इतना प्रचार प्रसार मिलता है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि ओलम्पिक में इस खेल की कोई मान्यता नहीं है। करोड़ों लोग इसे देखने के लिए बैठे रहते हैं, करोड़ों लोग आफिस में कमेण्ट्री सुनने के लिए बैठे रहते हैं···(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप मेरी तरफ देखकर बोलिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : क्रिकेट मैच करोड़ों लोगों की बेकारी का कारण बन गया है। और भी। तमाम खेल हिन्दुस्तान में होते रहे हैं जैसे फुटबाल है, और तमाम खेल हैं, मैं सदन को इस बारे में अवगत कराता रहा हूं लेकिन उनका कोई प्रचार प्रसार नहीं होता। दूरदर्शन पर या समाचार-पत्र, पत्रिकाओं के माध्यम से उसका प्रचार नहीं होता है लेकिन जब खेलों में हम हारते हैं तो पूरा देश इसका रोना रोता है कि खेल में हम हार क्यों गए। खिलाड़ियों का जीवन-स्तर क्यों गिर रहा है ? आज क्रिकेट के खिलाड़ी को देव मानते हैं, ग्रामीण खेलों के खिलाड़ी उनको देव मानते हैं, भगवान जैसा मानते हैं, जब आते हैं, उनको देखते हैं तो यह लगता है कि भगवान ने इनको ऊपर बनाया है। दूसरे खेल के खिलाड़ी लगता है कि गरीबी में पैदा होता है, उसके भाग्य में गरीबी ही लिखी होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार इस तरह की व्यवस्था करे कि दूरदर्शन पर हर ग्रामीण खेल का प्रचार प्रसार हो केवल क्रिकेट को ही खेलों की मान्यता नहीं होनी चाहिए और दूर-दर्शन के थ्रू दूसरे खेलों का प्रचार प्रसार होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : जिन दो माननीय सदस्यों ने अभी-अभी अपनी बात रखी है, मैं उनके विचारों से सहमत हूं। इस बार सन्तोष ट्राफी फुटबाल मैच केरल में खेला गया। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हम क्रिकेट को अधिक महत्व दे रहे हैं; दूसरे खेलों की उपेक्षा की जा रही है।

हम सभी का विचार था कि इस बार कम-से-कम संतोष ट्राफी फुटबाल मैच का फाइनल जोकि केरल में खेला गया था, दूरदर्शन पर दिखाया जाएगा इस सम्बन्ध में काफी अभ्यावेदन भी किए गए। परन्तु दुर्भाग्यवश, इस बार सन्तोष ट्राफी फुटबाल के फाइनल मैच का प्रसारण दूरदर्शन पर नहीं किया गया यद्यपि यह मैच केरल ने जीता।

मेरा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा मामले और खेल प्रभाग) में राज्य मंत्री से यह निवेदन है कि वे इस मामले को सम्बन्धित मंत्री के साथ उठाएं जिससे कि भविष्य में भी —जिस तरह आप क्रिकेट खेल को अधिक महत्व दे रहे हैं —अन्य खेलों को उचित स्थान और महत्व मिल सके; और इन खेलों को दूरदर्शन पर दिखाने की लोगों की मांगें पूरी की जा सकें।

श्री चेतन पी० एस० चौहान (अमरोहा) : मैत्रीपूर्ण क्रिकेट खेलों को दूरदर्शन पर दिखाने का ही

प्रश्न नहीं है, यह इस पर भी निर्भर करता है कि दर्शक क्या देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वे फुटबाल मैचों को क्रिकेट की कीमत पर नहीं देखना चाहते हैं; परन्तु जिस दिन फुटबाल मैच खेला जा रहा था, उस दिन कोई क्रिकेट मैच नहीं था। उस दिन फुटबाल मैच आसानी से दूरदर्शन पर दिखा क्या जा सकता था। अत: मेरी मंत्री जी से निवेदन है कि वह इस मामले को सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ उठाएं ताकि सभी खेल दूरदर्शन पर दिखाए जाएं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मुझे इसी पर एक मिनट समय चाहिए।

सभापति महोदय : झा जी, आप खिलाड़ी नहीं हैं। जो खिलाड़ी इस सदन में आए हैं; वैसे लोगों को सदन में मौका मिल रहा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : हम सभी जानते हैं कि हिरोशिमा में एशियाड होने जा रहा है। भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन ने पहले ही इस सम्बन्ध में कार्यक्रम तैयार कर लिया है। हिरोशिमा में होने वाले एशियाड पर लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी।

हाल में युवा मामले और खेल मंत्री खेलों के विषय में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। उनको इस मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए और हमें यह बताना चाहिए कि हिरोशिमा में होने वाले एशियाड के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा मामले और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक) : माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए इन विचारों से मैं पूर्णतया सहमत हूं कि दूरदर्शन पर क्रिकेट और टेनिस के अलावा अन्य खेलों को भी ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। बहुत समय से यह देखा जा रहा है कि क्रिकेट और टेनिस को, जिन्हें सामान्यतया अधिक संख्या में प्रायोजक मिल जाते हैं, दूरदर्शन पर अधिक समय दिया जाता है और अन्य खेलों को समय मिलता ही नहीं है।

जब मैंने इस विभाग में कार्य करना शुरू किया था तभी मैंने यह मामला सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री श्री के० पी० सिंह देव के सामने उठाया था। उन्होंने तुरन्त ही सुझाव मान लिया और विभाग को तत्काल निर्देश दिए तथा क्रिकेट और टेनिस को छोड़कर अन्य खेलों के लिए प्रादेशिक और मेट्रो चैनलों पर एक घंटे का कार्यक्रम शुरू कर दिया। यह 15 फरवरी से शुरू किया गया और मेरे विचार से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।

जहां तक संतोष ट्राफी के फाइनल मैच का सम्बन्ध है···

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक हफ्ते में एक बार होता है।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : मेट्रो चैनल पर यह प्रतिदिन होता है और मुख्य चैनल पर सप्ताह में एक दिन।

जहां तक संतोष ट्राफी के फाइनल मैचों का सम्बन्ध है, मैं इस बारे में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने की स्थिति में नहीं हूं कि वास्तव में क्या हुआ था, हां, हिरोशिमा में एशियाई खेलों की तैयारी के बारे में मैं यह कहूंगा कि हमने 15 खेलों को चुना है।

पहले हम विभिन्न खेलों पर अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग करते थे और इसलिए हम अच्छे परिणाम प्राप्त करने में असमर्थ रहे। इस समय हम 15 खेलों पर ध्यान देंगे और सरकार ने खेलकूद प्रबन्ध संघों, खिलाड़ियों और संचार माध्यमों के लोगों सहित एक निगरानी समिति का गठन करने का भी निर्णय लिया और यह बहुत शीघ्र ही गठित की जाएगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं भविष्य में होने वाले एशियाई खेलों के लिए अपने मंत्री जी को शुभकामनाएं दे सकता हूं। उनकी प्रेरणातमक अध्यक्षता में हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

श्री मूकुल बालकृष्ण वासनिक : मैं केवल आपकी शुभकामनाएं ही नहीं चाहता बल्कि सम्पूर्ण सभा कि शुभकामनाएं चाहता हूं।

प्रो० वेंकटेस्वरलु उम्मारेड्डि (तेनाली) : यह लगभग 700 कमजोर वर्गों के भूमिहीन गरीबों की सुरक्षा और कल्याण का महत्त्वपूर्ण मामला है। बंगाल की खाड़ी से जुड़े कृष्णा नदी की मुहाने पर एक छोटे से द्वीपसमूह नायुगुंटा गांव में, नाग्यालंका मंडल, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में लगभग 2000 एकड़ आरक्षित वनभूमि 21 सहकारी कृषि सोसाइटियों को 1967 में राज्य राजस्व विभाग के जरिए उनके लगभग 700 सदस्यों द्वारा कृषि के उद्देश्य से पट्टे पर दी गई है। चूंकि यह भूमि लवणीय होने के कारण किसी भी वन वनस्पति को उगाने के उपयुक्त नहीं पाई गई थी। इन 21 सरकारी समितियों के लगभग 700 सदस्यों जोकि 'भूमिहीन हैं जिन्होंने इस भूमि पर वे अपना पसीना और भाग्य दांव पर लगाया है, ने उसका पुन: सुधार कर लिया है और निरन्तर हानि उठाने के बाद भी वे पिछले 25 वर्षों से खेती कर रहे हैं। परन्तु हाल के वर्षों में क्योंकि इन क्षेत्रों में झींगा मछली पालन लाभ कर साबित हुई है, खेती के विकल्प के रूप में उन्होंने इस भूमि को झींगा मछली पालन तालाब में बदल दिया है और भविष्य में लाभकारी होने के कारण अत्यधिक राशि खर्च कर विद्युत मोटरें और तेल इंजन उपलब्ध कराए हैं। अब राज्य वन विभाग के अधिकारी इन सदस्यों को तंग कर रहे हैं, इस भूमि को खाली करने के लिए दबाव दे रहे हैं, और अक्सर लिफ्ट सिंचाई उपकरणों को खराब कर देते हैं, उन्हें उनकी भूमि पर प्रवेश करने से रोक रहे हैं और उनके विरुद्ध झूठे मामले बना रहे हैं।

इस प्रक्रिया में गरीब किसानों को बहुमूल्य झींगा मछली की खेती की हानि उठाने के अतिरिक्त अपने आपको उत्पीड़न और पूरे मामलों से बचाने के लिए बहुत बड़ी राशि खर्च करते हुए सरकारी कार्यालयों, पुलिस स्टेशनों आदि के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

उनके 25 वर्ष तक उस पर काम करने के बाद इस भूमि को खाली करने के लिए बल देना सरकार का बहुत अनुचित कदम हैं, विशेष तौर से तब जब भूमि किसी वन उत्पाद के लिए उपयोगी नहीं है और जब इन लाभार्थियों ने भूमि पर बहुत बड़ी राशि खर्च की है।

इसलिए मैं सरकार से विद्यमान सहकारी समितियों के जरिए उनके पक्ष में भूमि के हस्तांतरण का अनुरोध करूंगा और यदि ऐसा सम्भव नहीं है तो वर्तमान पट्टे की शर्तों पर भूमि पर उनका अधिकार रहने दिया जाए।

1.00 म० प०

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां उठाना चाहूंगी कि सरकार ने अमरीका से बहुत ही घटिया किस्म के गेहूं आयात किए हैं।

14 फरवरी को मैं वीरावल गई थी जहां शिप में गेहूं आयात हो रहा था मैं वहां से थोड़ा सेम्पल लेकर भी आई हूं। आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी कि यह हमारा देश कृषि प्रधान देश है, अब जो उत्पादन करते हैं उनको पूरे मूल्य तो मिलते नहीं हैं और अब बाहर से गेहूं आयात हो रहे हैं जिसके मूल्य आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं तो अब किसानों को ऐसी बर्बादी से बचाने के लिए सरकार कुछ उपाय करने वाली है या नहीं।

अब माननीय मन्त्री जी तो यहां बैठे हुए नहीं हैं तो मैं इस गेहूं को यहां रखूंगी जिसको इन्सान तो क्या जानवर भी नहीं खा सकते हैं। ऐसे गेहूं को यहां रख करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सरकार इसकी जांच करवाए और हमारे किसानों को उत्पादन का सही मूल्य देने के लिए कुछ विचार करे। (व्यवधान)

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : सभापति महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल की ओर, जोकि हमारे राष्ट्र के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है उस तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। महोदय, मैं पिछले 2-3 दिन से इस सवाल को उठाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब से सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ है और यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का नेता बनने के लिए घमण्ड कर रहा है। तो हिन्दुस्तान के खिलाफ जिस तरीके से अमरीका के सी० आई० ए० डायरेक्टर की ओर से प्रचार हुआ है इसके बारे में मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। असल में सी० आई० ए० डायरेक्टर जो अमरीका के मौजूदा मिस्टर जेम्स उलसी ने बकायदा हिन्दुस्तान के बारे में कहा है।

[अनुवाद]

"भारत हाइड्रोजन बम बनाने में रुचि ले रहा है और भारत की अन्तरिक्ष परीक्षणों में प्रगति अमरीका को परेशान कर रही है।"

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : अच्छा है।

श्री रवि राय : सभापति महोदय, मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि मान लीजिए जैसे चन्द्र शेखर जी कहते हैं अच्छा है, मान लीजिए सरकार इस चीज को मानती कि हम भी थर्मो न्यूक्लियर वेपंस बना रहे हैं तो मान लीजिए तो भी अच्छा ही होता। (व्यवधान) तो मेरा कहना यह है कि यह सवाल मैं इसलिए इसके साथ में जोड़ना चाहता हूं कि वे कहते हैं कि

[अनुवाद]

"भारत के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने उस सामग्री में रुचि दिखाई है जो कि परमाणु हथियारों से भिन्न थर्मो-न्यूक्लियर के विकास के लिए आवश्यक है।"

[हिन्दी]

यह जो सवाल है जिसके बारे में मैं इस चीज को उठा रहा हूं कि किस तरीके से हिन्दुस्तान के बारे में कहा जाता है और

[अनुवाद]

अधिकारियों ने दावे से कहा है कि भारत का कार्यक्रम पाकिस्तान से पहले था और बृहद् है और

1974 में परमाणु विस्फोट के साथ प्रमाणित हो चुका है और इस कार्यक्रम को स्वीकार करता है और यह इस सम्बन्ध में प्रगति है।"

[हिन्दी]

तो मेरा कहना यह है कि इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं अमरीका के एक सज्जन हैं श्री जनरल की बटलर, जो अभी ज्वाइंट चीफ आफ स्टाफ बनने जा रहे हैं, मैं चन्द्रशेखर जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं वे कहते हैं कि जिस तरीके से इस दुनिया के जो ईरान, इराक, ये जो सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको इनके अटैक का टारगेट बनाना चाहते हैं और यह ज्वाइंट चीफ आफ स्टाफ होने जा रहे हैं। यह संभावना है कि अमरीका के प्रेसीडेंट उनको ज्वाइंट चीफ आफ स्टाफ बनाने जा रहे हैं।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका जिस तरह घमण्ड के साथ दुनिया के तृतीय राष्ट्र, जो गरीब मुल्क हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, जैसे हिन्दुस्तान है, के साथ मनमानी कर रहा है, मेरा कहना है कि भारत सरकार इसके बारे में चुप्पी साधे है, बयान नहीं दे रही है। मैं आपके जरिए भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अमेरिका घमण्ड के साथ कह रहा है कि हम यूनीपोरल वर्ल्ड के नेता हैं, हम जो चाहे यह कर सकते हैं, मैं आपके जरिए सरकार से कहना चाहता हूं कि सी० आई० ए० डायरेक्टर जिस तरीके से भारत के खिलाफ अनर्गल प्रचार कर रहा है उसके बारे में मैं सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। मैं चाहूंगा, जिस तरह से बटलर का प्रचार हो रहा है, सी० आई० ए० के डायरेक्टर का प्रचार हो रहा है, इसके खिलाफ सरकार बयान दे। इतना ही मेरा निवेदन था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री राम नाईक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सभा पटल पर रखे गए पत्रों में श्री शरद पवार का नाम है जोकि हमारे रक्षा मन्त्री हैं। वहां सभा में उपस्थित नहीं हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने आपको सूचना दी है या नहीं। वे हमारे रक्षा मन्त्री है। वे महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री होंगे। उन्हें अपमान के साथ पदावनत किया गया है। हम अपने रक्षा मन्त्री का इस प्रकार अपमान सहन नहीं करेंगे। क्या उन्होंने अपने अनुपस्थित रहने और पत्र रखने में असमर्थता की सूचना दी है? केवल तभी हम किसी अन्य मन्त्री द्वारा उनके नाम के पत्र रखने की अनुमति देंगे। कांग्रेस के सदस्य इस मामले पर उत्तेजित हो गए थे। लेकिन मेरी चिन्ता आंतरिक राजनीति से सम्बद्ध नहीं है बल्कि सभा की शालीनता और गरिमा से सम्बद्ध हैं। सभा की गरिमा बनाई रखी जानी चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इस मामले को कल उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : सभापति महोदय, यह औचित्य का मामला है। आप अध्यक्ष के आसन पर विराजमान हैं। हम आशा करते हैं कि न्याय के तराजू के दोनों पलड़े आप बराबर रखेंगे। शरद पवार जो महाराष्ट्र में जा रहे हैं, यह कांग्रेस का घरेलू मामला है। हम उसमें अपनी नाक नहीं डालना चाहते। लेकिन सदन में श्री शरद पवार के नाम पेपर ले करने के लिए लिखा हुआ है, उन्हें

आना चाहिए। अगर वे जाने की तैयारी में हैं, इसलिए आ नहीं पाए, तो क्या आप को सूचना दी गई? क्या मंत्री महोदय को अधिकृत किया गया? ये बातें आप स्पष्ट कर दें तो मैं समझता हूं कि आपके पद की गरिमा बढ़ेगी।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री वाजपेयी जी ने ठीक ही कहा है कि यह उनका आन्तरिक मामला है। मैं नहीं जानता कि वे इसे स्वयं समाप्त करना चाहते हैं अथवा जारी रखना चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि क्या होगा। मुझे परस्पर-विरोधी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। कुछ सदस्य उनके निवास स्थान पर गए और कहा 'कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए।' कुछ सदस्यों ने कहा : 'जितनी शीघ्र हो सकें अच्छा होगा आप चले आए।' मैं नहीं जानता। यह निर्णय करना उनका कार्य है। (व्यवधान) यह गृह मंत्री उतने संवेदनशील क्यों हो रहे हैं। लेकिन आज, जहां तक हमारा सम्बन्ध है। श्री शरद पवार अभी भी रक्षा मन्त्री हैं। यदि कोई दस्तावेज सभा पटल पर रखा जाता है जो उनके नाम से सूची में है तो यदि वह उपस्थित नहीं होना चाहते थे तो इसकी उन्हें अवश्य ही सूचना देनी चाहिए थी। इससे पता चलता है कि उन्होंने सूचना नहीं दी है। इसलिए जब तक आप अन्य मंत्री को अनुमति नहीं देते, ऐसा नहीं किया जा सकता। इस समय मैं देख रहा हूं कि उनकी तरफ से स्वेच्छा से कोई मन्त्री आगे नहीं आ रहा है। वे नहीं जानते कि प्रधान मन्त्री का क्या उत्तर होगा। इसलिए वे किसी को स्वेच्छा से आगे नहीं आने दे रहे हैं। इसलिए इसे रखा नहीं जा सकता। आपको उनसे पूछताछ करनी चाहिए। यह कार्य सूची में पहली मद है और उन्होंने उपस्थित होने या पीठासीन अधिकारी को सूचित करने की जरूरत नहीं समझी।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : सभापति महोदय, जो अटल जी ने सवाल उठाया, यह काफी गंभीर है। हम देखते हैं कि एक परम्परा बनती जा रही है, क्षमा कीजिएगा सभापति महोदय, सब तरफ से ऐसा लगता है कि सदन को एक मजाक की जगह बनाया जा रहा है। इसमें सब लोगों का थोड़ा-बहुत कंट्रीब्यूशन है। यदि मैं कहूं कि अध्यक्ष के पद से भी वह काम नहीं हो रहा है जो सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिये आवश्यक है तो गलत नहीं होगा। क्योंकि यह सवाल व्यक्तियों का नहीं है। हमारे मित्र रवि राय जी परेशान हैं कि अमेरिका के लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। देश का रक्षा मन्त्री रात के अंधेरे में किसी प्रदेश का मुख्य मन्त्री बन गया और सदन को खबर नहीं, सदन को कोई सूचना नहीं प्रधान मन्त्री का कोई वक्तव्य नहीं, उनकी जगह कोई दूसरा रक्षा मन्त्री नहीं।

और फिर भी इसको समझा जाता है और मुझे दुख है कि श्री अटल जी और श्री सोमनाथ जी जैसा व्यक्ति कहता है कि यह उनका आंतरिक मामला है। उनका आन्तरिक मामला तब तक है, जब तक वह सदन में किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं है, यदि वे रक्षा मन्त्री हैं··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह अभी भी रक्षा मन्त्री है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : यह कांग्रेस का आन्तरिक मामला नहीं है। यह देश का मामला है और जिस तरह से मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता था, सदन मे नहीं करना चाहता, जिस तरह के छोटेपन की जहनियत को दिखाया जा रहा है, उस जहनियत से देश नहीं चलने वाला है।

सभापति महोदय, यहां पर सदन चल रहा है तो किसी को आकर कहना चाहिए था कि डिफेंस मिनिस्टर का त्याग पत्र मंजूर कर लिया गया है। यह शरद पवार की इज्जत का सवाल नहीं है, यह देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, यह सदन की गरिमा का सवाल है। यह संसदीय परम्परा को चलाने के ढंग का सवाल है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी प्रधान मन्त्री, मैंने देखा है कि जब यहां प्रधान मंत्री पर कोई सवाल उठा तो सारे रूल्स-रेगुलेशन्स कोट किए जाते हैं। कोई मन्त्री इस्तीफा दे देता है तो कोई उठकर कह देता है कि फलां मन्त्री इस्तीफा देकर चला गया। कोई आदमी या बड़े से बड़ा अधिकारी हो तो उसको जेल भेज दिया जाता है। एक ब्यान दे दिया जाता है कि उसकी पूछ करने वाले कोई नहीं है।

सभापति महोदय, कोई न कोई कहीं पर कदम उठाइए जहां पर ये सारी बातें रूक सकें, नहीं तो केवल खतरा बाहर से नहीं होता है। सबसे बड़ा खतरा संसदीय जनतन्त्र को तब होता है जब जान-बूझकर परम्पराएं तोड़ी जा रही हो। मैं नहीं समझता कि ये परम्पराएं निकम्मेपन की वजह से टूट रही हैं या किसी षडयंत्र के पीछे टूट रही हैं। लेकिन, यह संसदीय जनतन्त्र के खिलाफ भयंकर षडयन्त्र है, जिसको हम चुपचाप सहन नहीं कर सकते।

श्री रबि राय (केन्द्रपारा) : सभापति महोदय, श्री चन्द्र शेखर जी, श्री अटल जी और श्री सोमनाथ जी ने जो सवाल उठाया, वह हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। आपने और सभी सांसदों ने आज सुबह अखबार में पढ़ा होगा कि डिफेंस मिनिस्टर श्री शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री बनकर जा रहे हैं और वे डिफेंस मिनिस्टर नहीं रहेंगे। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि श्री शरद पवारजी के मुंह से कहा गया है कि वे राजी हो गए हैं। ग्यारह बजे जब हम लोग आए तो क्या यह सरकार का परम् कर्त्तव्य नहीं था कि देश के रक्षा मन्त्री, एक राज्य के मुख्य मन्त्री बनने जा रहे है···(व्यवधान)

सभापति महोदय : सवाल यह है कि श्री शरद पवार की जगह दूसरे मन्त्री पेपर ले कर सकते हैं या नहीं। यह श्री राम नाईक का प्वाइन्ट आफ आर्डर है। श्री शरद पवार मुख्य मन्त्री बनने जा रहे हैं, यह सदन की चर्चा का विषय नहीं है···(व्यवधान) आप वरिष्ठ सदस्य हैं और लोक सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। मुझको एनलाईटन कीजिए कि यह जो प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज किया है कि श्री शरद पवार की जगह पर दूसरे मन्त्री पेपर ले कर सकते हैं या नहीं। एक बात आपको बता दूं कि यह सवाल श्री राम नाईक जी, श्री अटल जी, श्री सोमनाथ जी और श्री चन्द्र शेखर जी ने उठाया। स्पीकर साहब को पत्र आया हुआ है। रक्षा राज्य मन्त्री की तरफ से कि वे राज्य सभा में व्यस्त रहेंगे, उनकी जगह पर श्री कुमारमंगलम···(व्यवधान) अब रक्षा राज्य मन्त्री आ गए हैं।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, पत्र श्री शरद पवार द्वारा दिया जाना चाहिए, इनके द्वारा नहीं। वे उनकी जगह नहीं ले सकते।

[हिन्दी]

श्री रबि राय : यह आखिरी बार है, ऐसा नहीं होना चाहिए।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : रवि राय जी मैं समझता हूं कि काफी समय हो गया, अब संसदीय कार्य मन्त्री के रूप में, मैं इसका उत्तर दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यदि मैं निवेदन करूं कि यह मामला कई बार उठाया जा चुका है क्या मन्त्री जिसके नाम से कोई मद है, केवल वही सभा पटल पर दस्तावेज रख सकता है। अध्यक्ष महोदय ने अनेक बार अपने विनिर्णयों द्वारा यह स्पष्ट किया है कि यदि मंत्री महोदय उपस्थित हो सकते हैं तो वह ही रख सकता है। क्योंकि हमने कार्य सूची में इसे 12 बजे रखने के लिए कहा है अन्ततः जब रखने के लिए कागजात इसके काफी बाद में आते हैं और बाकी समय बीत गया है लगभग 1 बज रहा है। अध्यक्ष ने कहा है कि यदि मंत्री महोदय को कोई अन्य कार्य करना होता है तो वह इसकी सूचना दे सकता है और संसदीय कार्य मन्त्री को अधिकार हैं कि वह खड़े होकर सभा पटल पर कागजात रखें। इसका अध्यक्ष द्वारा अनेक बार उल्लेख किया गया है। (व्यवधान)

महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री के रूप में जा रहे हैं श्री शरद पवार के बारे में की गई टिप्पणियां के सम्बन्ध में, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि श्री शरद पवार अभी रक्षा मन्त्री हैं और उनके त्याग-पत्र देने और त्याग-पत्र स्वीकृति आदि का कोई प्रश्न नहीं है जोकि यहां श्री रवि राय द्वारा उठाया गया है।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : क्या वह जा रहे हैं या नहीं ?

श्री जसवन्त सिंह (चितौड़गढ़) : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। मैं आशा करता हूं कि आप स्वीकार करेंगे कि कुछ प्रक्रिया है जो हमें बनाए रखती है।

अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है कि क्या श्री शरद पवार के नाम से कोई दस्तावेज संसदीय कार्य मंत्री या रक्षा राज्य मन्त्री द्वारा सभा पटल पर रखा जा सकता है या नहीं। मैं समझता हूं कि ऐसा किया जा सकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बशर्ते···

श्री रंजराजन कुमारमंगलम : बशर्ते क्या ? परन्तुक यह है कि आपको सूचित करना होगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : श्री शरद पवार ने सूचना नहीं दी है। यह ठीक नहीं है। राज्य मन्त्री ने सूचना दी है। यह ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय ने इसे स्पष्ट किया है—मुझे इसे एक बार फिर स्पष्ट करने दें कि अब कभी इसमें भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए—कई बार बताया है कि यदि मन्त्री महोदय को कोई अन्य कार्य हो जाता है तो उन्हे प्रतीक्षा की जरूरत नहीं और वह पीठासीन अधिकारी को सूचित कर सकता है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री शरद पवार को जब तक वह रक्षा मन्त्री हैं अन्य क्या कार्य हैं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फर नगर) : वे रक्षा मन्त्री हैं, लेकिन उनका पत्र आपके पास नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह अन्य क्या कार्य कर रहे हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं (व्यवधान) यदि आप उनका औचित्य बता कर रहे हैं, तो आप उसे नम्रतापूर्वक क्यों नहीं बताते और यह क्यों नहीं कहते कि आपसे गलती हुई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं और वह आ गए हैं और उन्हें अनुमति दी जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : आप यह दस्तावेज नहीं रखा जा सकता।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मुझे आवश्यकता नहीं है। श्री मल्लिकार्जुन जिस कार्य में व्यस्त है वह स्पष्ट लिखा है कि वह राज्य सभा में हैं। स्पष्टीकरण दे दिया गया है। मैं विनीत हूं। यदि मैंने गलती की है तो मैं क्षमा याचना के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे क्षमा याचना के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह ठीक नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : मैंने जो कहा था वह यह था कि रक्षा मंत्री ने आपको बताया है या नहीं।

श्री जार्ज फर्नांडीज : सभापति जी, आप समय नहीं पाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया सभा पटल पर पत्र रखने दें।

1.17 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन--संघ सरकार (वाणिज्यिक) (1992 का संख्या 7) मजगांव डाक लिमिटेड, आदि

[अनुवाद]

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, मैं श्री शरद पवार की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (1992 का संख्या 7) मजगांव डाक लिमिटेड की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3497/92]

सिंगरेनी कोलिरीज कम्पनी लिमिटेड, खम्माम के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की पुनरीक्षा

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :--

(क) (एक) सिंगरेनी कोलिरीज कम्पनी लिमिटेड, खम्माम के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कोलिरीज कम्पनी लिमिटेड, खम्माम के वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गए। देखिए संख्या एल० टी० 3498/93]

(ख) (एक) कोल इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता और इसकी सहायक कम्पनियों के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (खण्ड I और II)।

(दो) कोल इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता और इसकी सहायक कम्पनियों का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन (खण्ड I और II) लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3499/93]

हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड कलकत्ता को वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की पुनरीक्षा आदि।

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3500/93]

लुब्रीजोल इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की पुनरीक्षा, आदि

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (I) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : —

(क) (एक) लुब्रीजोल इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लुब्रीजोल इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3501/93]

(ख) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा सहित लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3502/93]

(3) कांडला-भटिंडा पाइप लाइन के लिए पाइप लाइन की खरीद के बारे श्री मंजे लाल द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4153 के 17 दिसम्बर, 1992 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3503/93]

मेटल स्क्रैप ट्रेड कार्पोरेशन लिमिटेड कलकत्ता का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की पुनरीक्षा, आदि

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (I) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) मेटल स्क्रैप ट्रेड कार्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेटल स्क्रैप ट्रेड कार्पोरेशन, लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3504/93]

1.18 म० प०

लोक लेखा समिति

इकतालीसवां और तैंतीसवां, प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): सभापति महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) आय निर्धारण से छूट जाने सम्बन्धी 136वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी इकतालीसवां प्रतिवेदन।

(2) भारी जल संयंत्र, तूतीकोरीन सम्बन्धी 169वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी तैंतालीसवां प्रतिवेदन)।

1.19 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.20 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.25 म० प०

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.25 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, सरकार त्रिपुरा मुद्दे पर कब वक्तव्य देगी?

उपाध्यक्ष महोदय : इसे हम बाद में देखेंगे। अब हमें नियम 377 के अधीन मामले लेने चाहिए।

2.26 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) आयुर्वेदिक औषधियों में प्रयुक्त होने वाले फूलों के पौधों की किस्मों को लुप्त होने से बचाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 1500 पुष्प देने वाले पौधों के

प्रजातियां जिनमें से कुछ का अत्यधिक औषधीय महत्व है, विलुप्ति के कगार पर हैं। उनमें से अत्यन्त महत्वपूर्ण औषधीय पौधे तथा जिन बीमारियों में उनका प्रयोग किया जाता है, वे हैं : सर्वगन्धा (उच्च रक्तचाप), जातमंगी (मानसिक विकृति), गुग्गुल (सन्धिवातीय गठिया), केतुकी (यकृत विकार), चिरायता (बुखार), अतीस (उदरीय परेशानियां) और ममीरा (नेत्र संक्रमण)। कम-से-कम 500 पौधों का आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में उपयोग किया जाता है।

इन्हें इकट्ठा करने के क्रम में इन पौधों को जड़ से उखाड़ लिया जाता है जिससे इन्हें पुन: उगने का मौका नहीं मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप यह विलुप्त होते जा रहे हैं। विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं वन विभागों, कृषि विश्वविद्यालयों एवं अन्य सरकारी विभागों द्वारा इन पौधों के संरक्षण के तथा उनकी खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए सच्चे तथा गम्भीर प्रयासों की आवश्यकता है। अपरिष्कृत दवाइयों की कम तथा अस्थिर कीमतें एवं पौध की अनुलब्धता इन औषधीय पौधों को लोकप्रिय बनाने में मुख्य बाधा हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विभिन्न स्तरों पर औषधीय उद्यान स्थापित करे तथा सरकारी समितियों के माध्यम से जो इस उद्देश्य के लिए अलग से गठित की जा सकती हैं, इन अपरिष्कृत दवाइयों के विपणन की व्यवस्था करें।

[हिन्दी]

(दो) सूरत और भुसावल के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण की आवश्यकता

श्री छीतूभाई गामीत (माण्डवी) : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम रेलवे के सूरतभुसावल रेलवे लाइन की दोहरीकरण की आवश्यकता बड़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। गुजरात के सूरत, बड़ौदा अहमदाबाद, वापी एवं अंकलेश्वर में कई औद्योगिक इकाइयां सफलतापूर्वक चल रही हैं। यहां पर बिहार, मध्य प्रदेश से कोयला की आपूर्ति की जाती है। इस रेल मार्ग पर कोयला एवं इस्पात तथा अन्य कच्चे माल की निरन्तर एवं समय पर आपूर्ति के लिए सूरत एवं भुसावल के बीच रेलवे लाइन का दोहरीकरण करना अति आवश्यक है। इस रेलवे लाइन में यातायात अत्यन्त व्यस्त रहता है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सूरत एवं भुसावल के बीच रेलवे लाइन की दोहरीकरण हेतु प्रक्रिया शुरू की जाए एवं इसका सर्वेक्षण किया जाए। अच्छा होगा कि इस रेलवे लाइन का विद्युतीकरण कर दिया जाए जिससे रेलवे के डीजल की बचत हो सके।

(तीन) उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में रेल फाटक पर उपरि पुल का निर्माण करने की आवश्यकता

श्री प्रभू दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, फिरोजाबाद के एक विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में राष्ट्रपति राजमार्ग पर रेलवे क्रासिंग होने के कारण फाटक प्रतिदिन घंटों बंद रहता है। इस रेलवे लाइन से अनेक गाड़ियां गुजरती हैं। फाटक बन्द होने के कारण राष्ट्रीय राज मार्ग से यातायात का आवागमन घंटों बन्द रहता है जिसके कारण यहां की जनता को तथा आने जाने वाले लोगों का काफी समय खराब हो जाता है। यदि गंभीर रूप से बीमार को अस्पताल ले जाना हो और उस समय फाटक बन्द हो तो वह बीमार डाक्टर की देखभाल के बिना अपनी जान दे देता है। इस प्रकार की अनेक घटनाएं उस स्थान पर हो गई हैं और लगातार हो रही हैं।

अत: मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि फिरोजाबाद संसदीय क्षेत्र की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए तथा लोगों की परेशानी को देखते हुए इस समस्या के समाधान हेतु एक ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए ताकि अनेक लोगों को परेशानी से बचाया जा सके।

(चार) उत्तर प्रदेश के पौड़ी और चमोली जिलों के औद्योगिकीकरण की आवश्यकता

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन, सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के पौड़ी एवं चमोली उद्योग शून्य जनपदों की ओर ले जाना चाहता हूं। इन जनपदों में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कोई भी उद्योग नहीं है। इस बात को उद्योग मंत्री द्वारा सदन में भी स्वीकार किया गया है किन्तु सरकार द्वारा इन जनपदों में किसी उद्योग की स्थापना के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

इन दोनों जनपदों में उद्योग की स्थापना के लिए कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, किन्तु खेद है कि यहां उत्पादित कच्चे माल पर आधारित उद्योग इन जनपदों से बाहर हैं और यहां से कच्चा माल अन्य क्षेत्रों को सप्लाई किया जाता है। इस स्थिति के कारण यहां के नौजवान, शिक्षित बेरोजगार युवक लगातार देश के दूसरे भागों को पलायन कर रहे हैं तथा इन जनपदों में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है।

इन जनपदों में जड़ी-बूटियों पर आधारित दवाइयों एवं अन्य औषधियों सम्बन्धी उद्योग, चीड़ के पेड़ों के सूखे-गिरे पत्तों पर आधारित कागज गत्ता उद्योग, फलों एवं फूलों पर आधारित उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। इसके अलावा इलैक्ट्रानिक व अन्य ऐसे उद्योग, जिनके जिनके लिए प्रदूषण रहित वातावरण व अधिक ऊंचाई के स्थानों की जरूरत होती है, इन क्षेत्रों में आसानी से लगाए जा सकते हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन उद्योग शून्य जनपदों में औद्योगीकरण के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। यहां इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना के लिए वर्तमान मानकों को शिथिल कर विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए तथा उद्यमियों को इस सन्दर्भ में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि आजादी के बाद से जिस प्रकार से अन्य क्षेत्रों का विकास व औद्योगीकरण हुआ है, उसी प्रकार इन जनपदों का विकास व औद्योगीकरण हो तथा यहां रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।

[अनुवाद]

(पांच) केरल सरकार को किसानों से कच्चे काजू को खरीद के लिए निर्देश देने की आवश्यकता

श्री एम० रमन्ना राय (कासरगोड़) : महोदय, काजू एक मौसमी फसल में, जो केरल में काफी बड़े क्षेत्र, विशेषकर मालाबार क्षेत्र में उपजाया जाता है। निर्यात तथा विदेशी मुद्रा आय के लिए यह सूचीबद्ध उत्पादों में से एक है। कटाई के मौसम में कम कीमत पर काजू खरीद कर किसानों का शोषण करने की पूंजीपतियों की प्रवृत्ति थी। कृषकों तथा मजदूरों की सहायता करने के लिए राज्य सरकार काजू का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है और पूरे उत्पाद खरीद लेती है। परन्तु इस वर्ष केवल सरकार कच्चा काजू नहीं खरीद रही है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केरल सरकार से काजू खरीदने को कहे ताकि

लाखों किसानों और मजदूरों को सहायता मिल सके और उन्हें शोषण, संकट और भुखमरी से बचाया जा सके ।

(छः) तिरुअनन्तपुरम दूरदर्शन केन्द्र (केरल) को उपग्रह से जोड़ने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : यद्यपि देश ने इलेक्ट्रोनिक प्रचार माध्यम में काफी प्रगति की है, केरल के विभिन्न भागों को तिरुअनन्तपुरम दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारण लाभ नहीं किया गया है । अभी तिरुवनन्तपुरम केन्द्र से प्रसारित कोई भी दूरदर्शन का कार्यक्रम पूरे केरल में नहीं दिखाया जाता है क्योंकि तिरुअनन्तपुरम दूरदर्शन केन्द्र की वर्तमान क्षमता पर्याप्त नहीं है । जिसके फलस्वरूप पिछड़े मल्लापुरम जिले जिसका मैं यहां प्रतिनिधित्व करता हूं के विभिन्न भागों सहित केरल के अनेक भागों को प्रसारण का लाभ नहीं मिला है । अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह तिरुअनन्तपुरम दूरदर्शन केन्द्र को उपग्रह से जोड़ने के लिए तत्काल कदम उठाए ताकि पूरे केरल को तिरुअनन्तपुरम दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारण का लाभ मिल सके ।

(सात) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) के कार्यकरण में सुधार किया जाने की आवश्यकता

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहती हूं कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड अपने पास लम्बित पड़े मामलों को निपटाने में हुए विलम्ब के कारण यह देश के कर्मचारियों तथा श्रमिकों की नजर में अपनी साख और जिम्मेदारी खोता जा रहा है उदाहरण के लिए मेटल बाक्स कम्पनी का मामला इसके समक्ष पिछले छः वर्षों से लम्बित पड़ा हुआ है परन्तु आज तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है तथा ऐसी अनेक कम्पनियों के श्रमिकों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है ।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह देश के जनसाधारण के हितों में इन संगठनों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के उपाय करे ।

[हिन्दी]

(आठ) बिहार के रोहतास, भभुआ और बक्सर जिलों में केन्द्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालय खोलने की आवश्यकता ।

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रश्न उठा रहा हूं :—

"बिहार राज्य के रोहतास, भभुआ और बक्सर जिले बिहार राज्य के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित हैं। इन जिलों की आबादी लगभग 50 लाख की है जिसमें अधिकतर गरीब आदिवासी हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं । आबादी के बाद भी इन जिलों के मेधावी, तेज और गरीब निर्धन छात्रों की शिक्षा-दीक्षा के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं है । न ही केन्द्र सरकार द्वारा संचालित जन-साधारण के लिए कोई केन्द्रीय और नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई हैं । इनके पिता और अभिभावकों की स्थिति आर्थिक दृष्टि से अच्छी नहीं है कि ये अपने मेधावी बच्चों को दूर शहरों के स्कूलों में भेज सकें । इस प्रकार देश के अनेक मेधावी छात्रों की मेधा कुंठित होकर बेकार हो रही है जो एक प्रकार से राष्ट्रीय क्षति है ।

अत: मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इन जिलों में दो-दो केन्द्रीय विद्यालय और एक-एक नवोदय विद्यालय की स्थापना करने की व्यवस्था अविलम्ब की जाए, ताकि इस क्षेत्र के मेधावी छात्रों की मेधा का उपयोग राष्ट्र हित में हो सके। धन्यवाद।"

———

2.36 म० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर और आगे चर्चा करेंगे। जैसाकि आपको मालूम है कि बारह घंटे का समय निर्धारित किया गया था तथा 7 घंटे 55 मिनट का समुचित उपयोग कर लिया गया है तथा शेष चार घंटे पांच मिनट बचे हैं।

श्री मोहन रावले अपना भाषण जारी रखेंगे।

प्रो० प्रेम धुमल (हमीरपुर) : कुछ पार्टियों ने उन्हें आबंटित समय का सदुपयोग नहीं किया है। अन्य पार्टियों को यह समय मिलना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल बता रहा था कि 1984 में जो दंगे हुए, जो दंगे कांग्रेस ने करवाए थे, उसकी वजह से जो ढाई हजार हमारे सिख भाई, बहिन और बच्चे मारे गए। आदरणीय सांसद श्री सोमनाथ चटर्जी, सिख बहिनों, भाइयों और बच्चों को मारने के लिए उस पार्टी को बैन करने की बात क्यों नहीं करते हैं, शिव सेना को बैन करने की बात क्यों करते हैं? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : जो 1984 में मारे गए हैं, क्या उतने लोगों को अब भी मारने का काम करना चाहते हैं?···(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : उन्हें बम्बई में 2 लाख का चैक दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय आज जो यहां लोग बैठे हैं, वे वी० पी० सिंह की सरकार के भी साथ थे। उस समय उन्होंने कोई मांग नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय, कश्मीर को संविधान की विशेष धारा 370 के अन्तर्गत विशेष दर्जा दिया गया है जिसकी वजह से कोई भी देशभक्त बाहर से जाकर वहां प्रापर्टी नहीं ले सकता, वहां नहीं रह सकता। इसलिए मेरी मांग है कि जिन लोगों की देश के प्रति और के संविधान के प्रति निष्ठा नहीं है, उस धारा को समाप्त करके कश्मीर के विशेष दर्जे की स्थिति को समाप्त किया जाए। उन्होंने कश्मीर को घेर रखा है। पिछले 44 वर्षों में जितना पैसा खर्च हुआ है वह एक अनुमान के अनुसार 70 हजार करोड़ रुपया बैठता है, इतना पैसा खर्च किया जाता, तो हम उससे दो-तीन कश्मीर जीत लेते। अभी कश्मीर में मुसलमानों ने सिर उठाया है, आज उनको पुलिस ट्रेनिंग दी जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक सवाल पूछा था कि पिछले चार महीनों के अन्दर कितने उग्रवादियों ने कितने लोगों की हत्या की है, तो जो उसका उत्तर मुझे आया है, उसे मैं यहां सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

[अनुवाद]

"उपलब्ध जानकारी के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान 341 आतंकवादी मारे गए, 308 गिरफ्तार किए गए तथा 25 ने आत्मसमर्पण किया। इस अवधि में 245 नागरिक और 40 सुरक्षाकर्मी आतंकवादियों द्वारा मारे गए।"

[हिन्दी]

यानी इतने लोगों की हत्या कश्मीर में हो चुकी है। 60-70 हजार लोग कश्मीर से बाहर से निकले हुए हैं, लेकिन उनके पुनर्वास की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है, बल्कि यह सरकार फारुख अब्दुल्ला के पीछे है। फारुख अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीर का मामला एक विवादास्पद मामला है। ऐसे व्यक्ति पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि वह भारत का हित करेगा अगर सरकार फारुख अब्दुल्ला को इतना ही महत्व देती है, तो कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि फारुख अब्दुल्ला यह कह दे कि कश्मीर पाकिस्तान का अंग है। मेरा कहना है कि सरकार को ऐसे व्यक्ति से बचकर रहना चाहिए।

आज बम्बई शहर में जो दंगे हुए, उस बारे में महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि ये दंगे बिल्डर्स ने कराए।

महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अंतुले बीमार हैं। उन्होंने महाराष्ट्र टाइम्स में एक प्रेस स्टेटमैंट दिया था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो दंगे हुए और जिन्होंने वे करवाए वे ही आज मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं यानि जो दंगे हुए वो इण्टरनल पौलीटिक्स की वजह से हुए। लेकिन आज शिवसेना पर बैन लगाने के लिए उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज हमारे साथ कई मुस्लिम हैं।

अभी महाराष्ट्र थाना शहर में आनन्द दिघे, जिनको टाडा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है, को छुड़ाने के लिए 19 लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज उनका हाल बहुत बुरा है, मेरे पास सुबह फोन आया था। उनमें दो मुस्लिम हैं जिनमें से एक का नाम शौकत कुरेशी है।

6 जनवरी को मुम्बई में डोंगरी, पायधुनी, नागपाडा, जी० पी० रोड इस पुलिस स्टेशन के इलाके में 138 लोगों के ऊपर हमले हुए, जिसमें 37 व्यक्ति मारे गए। 7-8 जनवरी को राधा बाई चाल को अंगार लगा दिया। उसमें जितने मर गए वे सब हिन्दू थे और वो मुस्लिम क्षेत्र है। हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 दिसम्बर के बाद जो दंगे हुए थे उसमें जो पुलिस की गोली से भी मारे गए उनको भी दो-दो लाख रुपये दिए जाने की घोषणा की। इससे वहां के लोगों के दिलों में यह भावना पैदा हो गई कि अगर हम दंगा करेंगे तो धर्म के लिए हमने कुछ किया, ऐसा हमें श्रेय मिलेगा और अगर हम मरेंगे तो दो लाख रुपए मिल जाएंगे। यह भावना सरकार ने पैदा की है। दो लाख रुपये की कोई जरूरत नहीं थी। जो गोली से मरे थे उनको भी पैसा दे रहे हैं।

आज मुम्बई शहर में 300 परिवार बाहर से आते हैं। वे कहां से आते हैं, कहां जाते हैं कुछ खबर नहीं है। वे कश्मीर से आते हैं, बंगलादेश से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं। श्रीलंका के मिलिटेंट्स भी मुम्बई में आकर रहते हैं। इमामबाड़ा में दंगे के दौरान जो लोग पकड़े गए थे वे कश्मीरी मिलिटेंट्स थे और समाचारपत्रों में उनके फोटो भी छपवाए गए थे। सरकार को जांच करनी चाहिए कि वे लोग वहां कैसे पहुंचते हैं। उनके पास हथियारों का भंडार है, वह कहां से आता है उसकी जांच होनी चाहिए। आप मन्दिर की भी तलाशी लीजिए, मस्जिद की भी तलाशी लीजिए।

हमारे क्षेत्र में एक मिशनरी बिल्डिंग पांच फ्लोर की है। वहां पर मस्जिद से फायरिंग की गई। यह फायरिंग किसने की? आप जांच करवाइए। यदि किसी हिन्दू ने की है तो कहना चाहिए कि हिन्दू ने की है और यदि मुसलमान ने की है तो वह कहना चाहिए कि मुसलमान ने की है। सरकार उनको अल्पसंख्यकों के नाम पर ज्यादा अपीजमैंट कर रही है जिसकी वजह से आज दंगे हो रहे हैं।

राष्ट्रपति ने कहां कहा है कि आज जो बंगलादेशी मुसलमान हैं, पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान हैं, उनको बाहर निकालने के लिए सरकार के पास कोई सुविधा नहीं है। टाडा उन पर लगाएं जो उनको राशन कार्ड देते हैं। उन्होंने आसाम में प्रौबलम क्रिएट की। आज आसाम में 97 लोग मारे गए, बंगाल में 46, राजस्थान में 58, उत्तर प्रदेश में 192, मध्य प्रदेश में 171, महाराष्ट्र में 841 लोग मारे गए और गुजरात में 369 लोग मारे गए।

जो हमारे साथी यहां बैठे हैं, उनको ऐसा लगा कि राजस्थान में 58 लोग मरे तो वहां की सरकार डिजाल्व हो गई। इसलिए कहीं हमारी सरकार भी डिजाल्व न हो जाए। इस पर वे कांग्रेस का समर्थन करने लगे। कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी पश्चिम बंगाल में सरकार है, वह इस सरकार का इसलिए समर्थन कर रही है।

जब हिन्दुस्तान का बंटवारा हुआ तो जिन्ना ने कहा था कि मुसलमानों को पाकिस्तान में रहना चाहिए और हिन्दुओं को हिन्दुस्तान में रहना चाहिए। उनको मालूम था कि दुबारा बंटवारा हो सकता है। इस कारण कुछ मुसलमान यहां रह गए और उन्होंने दंगे करवाये। इसका नतीजा आज हम देख रहे हैं।

डा० अम्बेडकर का नाम हमारे साथी यहां बार-बार लेते हैं। इन्होंने ही हमारे देश का संविधान लिखा था। बंटवारे के समय डा० अम्बेडकर ने कहा था कि यहां के जो मुसलमान हैं, उनको पाकिस्तान में भेजना चाहिए और पाकिस्तान के जितने हिन्दू हैं, उनको यहां लाना चाहिए। लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आप किस किताब से पढ़कर यह बोल रहे हैं। ऐसा डा० अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा था।

श्री मोहन रावले : सत्ताधारी पक्ष ने डा० अम्बेडकर के विचार का खून किया जिसकी वजह से हमें आज ये सब देखना पड़ रहा है। इस देश के प्रति निष्ठा रखने वाले मुसलमानों को हम चाहते हैं। "वन्दे मातरम" में विश्वास रखने वालों को हम चाहते हैं। एक अच्छी प्रक्रिया शुरू हुई। 26 जनवरी, को जब सवेरा हुआ तो मेरे कानों में जब "वन्दे मातरम" की गूंज आई तो मन बड़ा खुश हुआ। हमारे सामने सब मुसलमान भाई रहते हैं। उनके सामने भी "वन्दे मातरम" गूंज उठा था। यहां बहुत से सज्जन हैं जो "वन्दे मातरम" का विरोध करते हैं। बहुत से मुसलमान इसमें आगे आ रहे हैं और वे कम्युनल मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर कोई मुसलमान अपनी पत्नी को तीन बार तलाक, तलाक, तलाक बोलता है तो औरत को तलाक दे दिया जाता है। शाहबानो के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया था कि उसको खर्चा देना चाहिए तो मुम्बई शहर में एक मोर्चा निकाला गया था। उस मोर्चे में एक भी महिला नहीं थी। सरकार के ऊपर भी प्रेशर आया और सरकार ने इसी सदन में, जो हमें कम्युनल कहती है, वह वर्डिक्ट चेंज कर दिया था। ऐसी सरकार को आज आप समर्थन दे रहे हैं, जिसने खुद कम्युनल बातें कीं, उसी को आप समर्थन दे रहे हैं। अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए आप समर्थन कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : दोनों फर्क यह है कि उन्होंने शाहबानो को पैसा नहीं दिया और आपने मुम्बई के रास्ते में उन्हें मार दिया···(**व्यवधान**)···

श्री मोहन रावले : हमने कहां मारा ? अर्जुन सिंह जी जब मुम्बई में आये थे तो उन्होंने कहा था कि शिवसेना को बैन नहीं करना चाहिए। शरद पवार जो कि रक्षा मंत्री थे, अभी भी वह हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, उन्होंने भी मुम्बई में कहा था कि उस पर बैन नहीं लगाना चाहिए। 841 लोग जो मारे गए; उनकी जिम्मेदारी कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर वहां विपक्ष की सरकार होती तो आप बर्खास्त कर देते। पता नहीं क्यों आप शिवसेना पन बैन लगाने की बात कर रहे हैं।

आज देश में नकली और घटिया दवाइयों का व्यापार बड़े पैमाने पर हो रहा है। बड़ी-बड़ी नामी कम्पनियां अधिक पैसा कमाने के लिए नकली और घटिया दवाइयां बना रही है और बेच रही हैं और सरकारी एजेंसियां उनका इस काम में सहायता कर रही हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण भारत सरकार के मेडीकल स्टोर डिपो हैं जहां नकली और घटिया और टाईम बार्ड दवाईयों का भण्डार भरा पड़ा है और वहां से ये दवाइयां देश भर में सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों को सप्लाई की जाती हैं। इस प्रकार देश के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन मैडीकल स्टोर डिपो के बड़े अधिकारियों को पकड़ कर उनकी जांच की जानी चाहिए। अभी हाल ही में गौक्सो द्वारा नकली बैटनोसोल इन्जेक्शन बेचे जाने की घटनाएं प्रकाश में आई है। नकली और घटिया दवाइयां बनाने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

आज देश में बेरोजगारी की समस्या मुंह फैलाए खड़ी है। बेरोजगारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए एक चुनौती है। भारत में प्राकृतिक सम्पदाओं का अभाव नहीं है, परन्तु उनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से देश में गरीबी और बेरोजगारी सुरसा की भांति मुंह फैलाये खड़ी है। हमारी शिक्षा प्रणाली ने बेरोजगारों की एक फौज खड़ी कर दी है, जो घटने के स्थान पर दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारी शिक्षा हिन्दुस्तानी बाबू का निर्माण करने के लिए बनाई गई मैकाले की शिक्षा से केवल नाममात्र लोग सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाये हैं। अधिकांश युवा बेरोजगारी से दुखी, होकर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे देश में शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है और उस पर धन भी बहुत कम खर्च किया जाता है। सरकारी नौकरियों के भरोसे बेरोजगारी समाप्त नहीं की जा सकती। आखिर सरकारी नौकरियां हैं ही कितनी। हमें ऐसे उपाय करने होंगे जो युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करें। युवाओं को स्वरोजगार के प्रोत्साहित करें। युवाओं द्वारा विध्वंसात्मक और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने का मूल कारण युवाओं की बेरोजगारी रही है। उनकी शक्ति देश हित में लगाने के लिए उपयुक्त वातावरण और अवसरों का निर्माण करना होगा।

मुझे आपने मौका दिया, शिवसेना पक्ष की तरफ से मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध कर रहा हूं। आपने मौका दिया इसलिए बहुत-बहुत शुक्रिया।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्र का निर्माण एक कठिन और चुनौती भरा मार्ग हैं। एक समर्थक संस्थान को बनाने और उसे सुदृढ़ करने के लिए वैचारिक संरचना और सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। स्वतन्त्रता आन्दोलन का नेतृत्व करने के पश्चात् कांग्रेस के लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के आधार पर एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण के लिए सर्वदा गंभीरतापूर्वक कार्य किया है। जैसाकि अनेक विकासशील राष्ट्रों में होता है, यहां भी समाज के विभिन्न तबकों के बीच अधिकारों

और हितों की लड़ाई हुई ? परन्तु हमने अपने लिए एक ऐसी प्रणाली बनायी है, जिसमें संघर्षशील समूहों को स्वीकार्य संस्थानों के माध्यम से लोकतान्त्रिक तरीकों से उनमें समझौते की व्यवस्था है।

दुर्भाग्यवश, भाजपा इसका विरोध कर रही है और आक्रामक रुख अपना रही है। धर्मांधता की अग्नि भड़का करके हमें फासीवाद की याद दिला रहे हैं जिसमें सभी जगहों पर तबाही मचायी हैं।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी (पूणे) : फासिज्म बताइए क्या है ?

श्री पवन कुमार बंसल : आपसे बात करेंगे जब आप करेंगे। मालूम है आपके वंशज क्या है।

[अनुवाद]

यह बात प्रत्येक व्यक्ति जानता है। आपका पर्दाफास हो चुका है। महोदय, जो श्री श्री अन्ना जोशी ने कहा उसकी प्रतिक्रिया में मैं यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है और जब संघ परिवार के अनेक कार्यकर्त्ताओं ने भाजपा के बड़े नेताओं की उपस्थिति में अयोध्या की जो 450 वर्ष पुरानी मस्जिद को तोड़कर गिरा दिया तो उन्होंने कहा है कि उनके इरादों की यह एक झलक-मात्र है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : शरद पवार को महाराष्ट्र भेद दिया, उस पर भी तो कुछ दीजिए।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, अयोध्या कांड के बाद यह घोषणा की गई कि वे उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाएंगे। भाजपा के एक सदस्य एक दिन उत्तर प्रदेश के भूत-पूर्व मुख्यमंत्री का उल्लेख कर रहे थे।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : कारनेज का अर्थ तो बतादीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जरूरत नहीं है कि वे आपकी इच्छा के अनुसार बताएं।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : फासिज्म क्या है कारनेज क्या है—जरा बताइए। फारनेज में कितने लोग मारे गए ?···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री कलकत्ता गए···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप गोपनीय बात बाहर कर सकते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : इस कार्यवाही की इस प्रकार व्याख्या करना मेरा अधिकार है क्योंकि अयोध्या में मस्जिद के गिराने से ही हमारा लोकाचार टुकड़े-टुकड़े हो गया और उसके बाद मानवीय व्यथा की भरमार हो गई। मुझे विश्वास है श्री अन्ना जोशी इसे जानते होंगे। मैं यह कह रहा था कि

[श्री पवन कुमार बंसल]

उस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री कलकत्ता गए थे और कहा गर्व से यह कहा कि यह भगवान का कार्य था। इसी प्रकार वे आज इस देश का नेतृत्व करना चाहते हैं।

पिछले सप्ताह संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण इस दुखद घटना के साथ ही शुरू हुआ था। जैसा मैंने कहा अयोध्या में उनके सुनियोजित कार्य से सिर्फ 450 वर्ष पुरानी मस्जिद ही नहीं प्रभावित हुई, बल्कि धर्म-निरपेक्षता तथा सार्वभौम भ्रातृत्व का गौरवशाली सिद्धान्त भी प्रभावित हुआ है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता के वंशजों के रूप में हमें अपनी संस्कृति पर गर्व रहा है। जैसा हम बराबर कहते हैं यह एक जीता जागता बल है क्योंकि यह सर्वोत्तम बाहरी एकता से समृद्ध होता और गदर होता रहा है तथा और वर्षों से उसे आत्मसात करता रहा है। दुर्भाग्यवश अयोध्या की घटना ने सत्य, धर्म और अहिंसा की अपारिभाषित संस्कृति का वर्षों से निर्माण करने के दावे को ध्वस्त कर दिया है। मुझे विश्वास है मेरे मित्र इन शब्दों के अर्थ को समझेंगे।

पिछले दिनों श्री वाजपेयी जी जो हमारे देश के काफी वरिष्ठ राजनेता हैं ने पार्टी लाइन से उठकर राजनीति के साम्प्रदायीकरण की निंदा। उन्होंने, हमारे समक्ष अनेक प्रकार की समस्याओं के शांतिपूर्ण समझौते के लिए आपसी परामर्श हेतु एक रास्ता तैयार करने के लिए अनुरोध किया और मैंने यहीं से शुरूआत की। जैसाकि भारतीय विचार धारा में धर्म का अर्थ लगाया गया है उसके समान अंग्रेजी भाषा में शायद कोई शब्द नहीं है श्री वाजपेयी ने यह बताया। मैं उससे सहमत हूं। यह धर्म-परायणता का संकेत देता है, यह श्रेष्ठता का संकेत देता है, मैं कहूंगा कि यह धर्म से परे है। परन्तु मुझे खेद है कि बाद में वाजपेयी जी भी हिन्दू धर्म के अलावा किसी और धर्म के न मानने के पुराने जनसंघ के रवैये के आगे घुटने टेक दिए। वे हमारे मूल के बारे में बात करते हैं परन्तु सर्व धर्म समभाव के बारे में नहीं जो एक ऐसी आस्था है जिसने हमें हमारे मूल्यों से बांधे रखा है जिसके पांच हजार वर्षों से हमें हमारी संस्कृति से बांधे रखा है।

आज हम कुछ लोगों द्वारा की जा रही धर्म मीमांसा कर कलह करने की स्थिति में नहीं हैं, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हिन्दू धर्म विश्व के बारह धर्मों में से एक है। हिन्दू 105 देशों रहते हैं जैसे विश्व जनसंख्या का छठा भाग है।

3.00 म० प०

हिन्दु धर्म की महानता उसके नैतिक सिद्धांतों आध्यात्मिक जागरूकता और प्रथाओं 'वसुदेव कुटुम्बकम' के विश्व बंधुत्वपूर्व विचार, प्रकृति से उसके सम्बन्ध और अन्य दर्शनों तथा ब्रह्माण्ड विज्ञानों के प्रति सहिष्णुता में निहित है। हिन्दु धर्म सभी धर्मों की अनिवार्यत एकता में विश्वास करता है। आज हम यह देख रहे हैं हमारे भा० ज० पा० के मित्र अपने संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए लोगों की धार्मिक जोश को भड़काने के लिए एकजुट प्रयास कर रहे हैं। सरकार को हिन्दू विरोधी जताने के लिए भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। यह और कुछ नहीं मात्र वितण्डावाद है। हमारे साधु सन्त भौतिक सुखों को छोड़कर वनों और पर्वतों में जाकर 'तपस्या' करते थे। परन्तु आज के आधुनिक साधु इहलौकिक शक्तियां प्राप्त के लिए भा० ज० पा० के गुट में शामिल किए जा रहे हैं। उस नैतिकता जिस पर भारत को गर्व है, और भा० ज० पा० भविष्य को जैसा बनाना चाहती, उसके बीच यही फर्क है।

श्री अन्ना जोशी : क्या मैं आपको विद्यानन्द और हरिहर की याद दिला सकता हूं जो सन्यासी थे और शासक बन गए थे? उस समय यह समय की पुकार थी और अब यह वक्त का तकाजा है।

श्री पवन कुमार बंसल : प्राचीन काल में शासक सन्तों को नमन करते थे क्योंकि उस समय सन्तों में शासक को उसकी गलती को बताने की हिम्मत थी, परन्तु वे राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते थे। आज जो हम देख रहे हैं, वह हमारे सामने हैं। आज जो स्थिति है वह संघ परिवार की साजिश का परिणाम है जिसने हमें शर्मिंदा कर दिया है।

महोदय, मैं यह कहता हूं कि ऐसे लोगों को धार्मिक पहचान और राष्ट्रीय पहचान जोकि राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत जरूरी है के बीच के सन्तुलन को खराब करने की योजना पर बिना किसी खेद के कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता तभी प्राप्त हो सकती है जबकि हम एक राष्ट्र के होने के नाते अपने आपसी सम्बन्धों को सुदृढ़ बनायें। और किसी प्रकार की समरूपता नहीं थोपी जानी चाहिए क्योंकि समरूपता एकता नहीं है। महोदय, भारत जैसे बड़े देश और उसकी विभिन्नता को देखते हुए सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय एकता जरूरी है। मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य द्वारा जिस धर्म प्रधान राष्ट्र के लिए दावा किया गया है, देश के लाखों लोगों की आकांक्षाओं और लालसाओं को पूरा नहीं कर सकता। केवल धर्मनिरपेक्ष सरकार ही रोजगार, सुलभ कराने गरीबी उन्मूलन और निरक्षरता मिटाने और सभी के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी ज्वलन्त मसलों का पूरी तरह हल निकालने के लिए काम कर सकती है। कल और परसों अनेक सदस्यों ने देश के विभिन्न भागों में व्याप्त भुखमरी का भावविह्वल होकर उल्लेख किया था। हमने इस पर गहराई से विचार करने के लिए संसद को बिल्कुल समय नहीं दिया। क्यों ? ऐसा हमारे माननीय मित्रों, विशेषकर भा०ज०पा० के सदस्यों द्वारा किया गया है कि वे अध्यक्ष के आसन के सामने जाकर सभा की कार्यवाही रुकवाने और अपनी मनमानी करने पर आमादा हो गये। इसी को ये लोग लोकतन्त्र कहते हैं।

कांग्रेस आम आदमी के कल्याण के अपने लक्ष्य को पूरी तत्परता से लागू करने और सर्वाधिक गरीब लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कटिबद्ध होकर प्रयास कर रही है। 20 महीने पहले किए गए विभिन्न आर्थिक सुधारों के परिणाम सामने आने लगे हैं। सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और मुद्रास्फीति की दर में 17 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक की गिरावट आयी है।

3.05 म० प०

[श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए]

हाल में श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने इस बात का दावा किया था कि हमने अपना आत्म-निर्भरता और समाजवाद का लक्ष्य छोड़ दिया है और हमने अपनी आर्थिक सम्प्रभुता को समर्पित पर लगा दिया है। मेरी राय है कि इस समय सारे देश में परिवर्तन की लहर चल रही है। ऐसा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हमारे कदमों की रफ्तार को तेज करने और वर्तमान प्रक्रिया विश्व के अनेक देशों से प्रतिस्पर्धा कर पाने के लिए किया जा रहा है। अपने इस प्रयास सर्वाधिक विकसित में हम ऐसे मताग्रहों और सिद्धांतों में नहीं फंसेंगे जिन्हें अन्य स्थानों आजमाया गया है और अस्वीकृत कर दिया गया है।

समाजवाद के बारे में मैं अपनी ओर से पूरा जोर देकर इसके प्रति हमारी अडिग वचनबद्धता है। परन्तु यहां भी हम विश्व की पाठ्यपुस्तकों में उल्लिखित परिभाषाओं तक ही सीमित नहीं रहेंगे। मैं इस बात से बहुत व्यथित हुआ हूं कि कुछ लोगों ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के निवेश को फिर से देश में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आने का सूचक बताया है। हमारे देश में जब कोई भी व्यक्ति इसका जिक्र करता है, तो वह ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा उन दिनों के भारत की राजनीतिक जड़ें काटे जाने की ओर इशारा करता है। मुझे पूरा यकीन है कि उसे यह नहीं पता है कि आज हम आंतरिक रूप के काफी सशक्त हैं।

[श्री पवन कुमार बंसल]

हमारी आयोजना में समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है।

शिक्षा पर खर्च को, जोकि सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम है, पिछले वर्ष के 752 करोड़ रु० के मुकाबले बढ़ाकर 1310 करोड़ रु० कर दिया गया है—यह करीब 37% वृद्धि है। मुझे आशा है कि शिक्षा, आयोजना और प्रबन्ध में नौकरशाही अड़चनें कम से कम की जायेंगी ताकि कम से कम इस दशक में प्रारम्भिक शिक्षा के अब तक न किए जा सके काम को पूरा किया जा सके।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत पूर्ण साक्षरता के लिए बताई प्रगति की सख्ती से निगरानी की जानी चाहिए ताकि हमारे अत्यल्प संसाधनों का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सके।

जनसंख्या वृद्धि लगातार एक समस्या बनी हुई है जो विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति को बेमाने कर कर देती है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए दो बच्चों के परिवार के मानक को लागू करने के लिए संविधान (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करके एक महत्वपूर्ण शुरूआत की गई है। यह छोटा सा परन्तु महत्वपूर्ण कदम है। आवश्यकता इस बात की है कि एक व्यापक विधान बनाया जाये जिसके अनुसार आवश्यक प्रोत्साहन और हतोत्साहन की व्यवस्था हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनसंख्या नियन्त्रण कानून देश के सभी नागरिकों पर लागू किए जा रहे हैं। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आपके मन्त्री यहां मौजूद हैं, उनके बारे में सोचिए।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं मन्त्री महोदय से इसके लिए अनुरोध कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह भूतलक्षी प्रभाव से नहीं किया जा सकता।

श्री पवन कुमार बंसल : एक साल की अवधि देनी होगी। संक्षेप में बात कहने की वजह से मैंने किसी अन्य विषय का कोई उल्लेख नहीं किया है—विदेश मामले का भी नहीं। पर जहां कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि भारत ने विश्व में अपना सम्मान और गरिमापूर्ण स्थान खो दिया है···मैं यहां इस बात का उल्लेख नहीं करना चाहता और इन्हें यह याद नहीं दिलाना चाहूंगा कि भारत द्वारा प्रदत्त नेतृत्व के कारण ही निर्गुट आन्दोलन ने अपनी सार्थकता बनायी रखी है। और हाल में बड़ी संख्या में राष्ट्राध्यक्षों के आगमन की निंदा की गई थी। मैं फिर यहां याद दिलाना चाहूंगा कि यह इस बात का संकेत है कि आज भी अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारा स्थान है। राजीव सरकार की गई पहल पर और अब वर्तमान सरकार द्वारा उनके प्रयासों का अनुसरण किए जाने के कारण ही शस्त्रास्त्रों के भंडारों को कम करने और स्वेच्छा से शस्त्रास्त्रों की होड़ से अलग होने के लिए विभिन्न उपाय किए गए।

अपना अभिभाषण समाप्त करने से पहले मैं पंजाब में विद्यमान स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा। मैं इस अवसर पर राज्य में सामान्य स्थिति बहाल होने की वाजिब प्रशंसा नहीं करना चाहूंगा। एक साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस हिंसा और आतंकवाद से राज्य बुरी तरह भयभीत हो गया था, वह समाप्त हो जायेगा। आज वहां लोगों में विश्वास है। मैं यह नहीं कहूंगा कि उग्रवाद के

विरुद्ध संघर्ष समाप्त हो गया है परन्तु मैं यह कहूंगा कि मुख्यमन्त्री श्री बेअन्त सिंह के नेतृत्व में पंजाब में उग्रवाद के विरुद्ध लगातार प्रयास किया गया और शायद देश में अलगाववाद को रोका गया। अतीत में हमने अनेकों बार यह कहा था कि यह राष्ट्रीय समस्या है और इसका राष्ट्रीय समाधान निकालना चाहिए 12 वर्ष से चल रही इस गड़बड़ी से राज्य को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे पंजाब की समस्या की बेरोजगारी और औद्योगिकीकरण जैसी अन्य समस्याओं से तुलना न करें और समय की मांग को देखते हुए यह प्रयास करें कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर हो रहे अत्यधिक खर्च को सामान्य बनाये रख कर बचाया जा सके। अभी कुछ दिन पहले विभिन्न राज्यों के लिए कराकास की घोषणा की गई थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसमें पंजाब का नाम नहीं है। यद्यपि मैं चण्डीगढ़ से निर्वाचित हुआ हूं, मैं इस अवसर पर अपने इन माननीय वरिष्ठ सदस्यों से कहना चाहूंगा जो चण्डीगढ़ को पंजाब को देने की बात कहते हैं कि पंजाब को चण्डीगढ़ देने से ही पंजाब समस्या का हल नहीं होगा। पिछले 27 सालों से संघ राज्य क्षेत्र है। उसने अपने प्रकार की सभ्यता विकसित कर ली है और वह भारत का एक छोटा रूप है। अब नई पीढ़ी आ गई है और अब कोई भी नहीं चाहता कि चण्डीगढ़ किसी अन्य राज्य को दिया जाये। इसके स्तर को बनाए रखना मुश्किल होगा और इससे अनेक समस्यायें उत्पन्न होगी। हरियाणा के लिए नई राजधानी बनाने से हजारों गांव उजड़ जायेंगे और करोड़ों रुपया खर्च होगा जोकि हम वहन नहीं कर सकते हैं। जब अन्य राज्यों में पांडिचेरी जैसे छोटे संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो चण्डीगढ़ के लोगों की भावनाओं की कद्र क्यों न की जाये। इसे संघ राज्य क्षेत्र बने रहने दिया जाए और पंजाब समस्या से सम्बन्धित वास्तविक बातों पर ध्यान देना चाहिए। जिससे वह अपनी खोगी हुई भव्यता को फिर से प्राप्त कर सके। इन शब्दों के साथ मुझे समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि राष्ट्रपति द्वारा संसद की दोनों सभाओं को सम्बन्धित अभिभाषण पर श्री दिग्विजय सिंह द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद पर मुझे बोलने का अवसर मिला।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह खेद का विषय है कि राष्ट्रपति जी को ऐसा भाषण पढ़ने की आवश्यकता पड़ी जो विषय-वस्तु और दृष्टिकोण दोनों की दृष्टि से बिल्कुल नीरस और उत्साह-हीन है और जोकि घिसे-पिटे वाक्यों और निरर्थक बातों से भरा हुआ है। महोदय, अभिभाषण में ऐसी सरकार के मंद कार्यनिष्पादन का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है जो सोच से दिवालिया हो चुकी है और जोकि निष्क्रिय है। महोदय, यह सरकार अपनी कमजोरियों से इस देश को पुनः मध्ययुग में ले जाने का और रूढ़िवादी और साम्प्रदायिक ताकतों के साथ समझौता करने का प्रयत्न कर रही है। ऐसा लगता है कि इस सरकार के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। यह सरकार तदर्थ दृष्टिकोण को लेकर चल रही है।

जहां तक इस देश के समक्ष मौजूद मूलभूत मुद्दों का सम्बन्ध है, यह सरकार अपनी अनिर्णयात्मकता दिखा रही है और टालमटोल कर रही है। आज इसी के परिणामस्वरूप देश साम्प्रदायिक और धार्मिक आधार पर विभाजित हो रहा है जोकि "धनी" और "निर्धन" के मध्य विभाजन की तुलना में अधिक खतरनाक है।

इससे भी बड़ी बात है कि जनता अब इस बात को लेकर चिंतित है कि उस देश को शासित करने वाले लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संवैधानिक प्रावधानों को बनाए रखने के प्रति सरकार कटिबद्ध नहीं है। इसका नवीनतम उदाहरण सरकार का वह निर्णय है जिसके अन्तर्गत त्रिपुरा की बदनाम

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

सरकार को वर्तमान मुख्य मंत्री के अधीन ही कार्यरत रहने की अनुमति दी गई है जो त्रिपुरा विधान-मंडल की कार्यविधि समाप्त हो चुकने और इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, जो कि देश के उच्चतम संवैधानिक अधिकारियों में से हैं, राज्य सरकार के खिलाफ काफी गम्भीर आक्षेप और आरोप लगाए जाने के बावजूद अभी भी मुख्यमंत्री हैं। और वह राज्य सरकार जिसे कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में अथवा राज्य में चुनाव कराने के लिए चुनावों के अनुकूल स्थिति बनाने में बिल्कुल नाकामयाब पाया गया था, उसे अब भी वहां पर काम करने दिया जा रहा है। यह अत्यन्त आश्चर्य-जनक है कि इस मामले को इस सदन में और दूसरे सदन में भी बार-बार उठाया जाता है ताकि यह सरकार जागरूक बने और मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्णय और आदेशों पर ध्यान दे और इसका क्या उत्तर दिया जा रहा है?

हम उन्हें सतर्क करते हैं और वे यहां पर केवल एक वक्तव्य दे देते हैं कि वे राज्यपाल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह कार्य स्वयं केन्द्र सरकार और प्रधानमन्त्री द्वारा ही किया जाना चाहिए, अतः इस सभा के सदस्यों के लिए इसके लिए काफी प्रयास करना जरूरी है ताकि यह सरकार जागरूक बने और इस बारे में विचार करे। यही समस्या है और वास्तव में यह एक गम्भीरतम समस्या है जिसका सामना इस देश को करना पड़ रहा है। हमारे यहां एक ऐसी सरकार है जो कार्य करने में विश्वास नहीं रखती। जैसा कि मैंने अन्य अवसरों पर कहा कि यह केवल स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया ही व्यक्त करती रहती है परन्तु यह कार्य नहीं कर रही है। इसमें कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है और समस्या यह है कि प्रधानमंत्री जी इसका नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। प्रधानमन्त्री जी को स्वयं आगे आकर देश का नेतृत्व करना चाहिए जबकि देश रूढ़िवादी जैसी गम्भीर समस्याओं का सामना कर रहा है और देश की एकता तथा अखंडता की की अवधारणा और लोकतांत्रिक स्तम्भों में से एक धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं को दी गई चुनौतियों का सामना कर रहा है जबकि हमारा गणतन्त्रीय संविधान संकट में है। ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि कोई पहल नहीं की जा रही है, इस देश की जनता को नेतृत्व प्रदान करके जागरुक बनाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है ताकि विश्व में यह घोषणा की जा सके कि धार्मिक रूढ़िवाद के आधार पर देश को विभाजित करने वाली किसी भी कारंवाई को चाहे वह विश्व के किसी भी कोने से प्रारम्भ की गई हो, कभी सफल नहीं होने देगा।

महोदय, इसीलिए हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति का यह अभिभाषण जोकि कुछ नहीं है, केवल सरकार द्वारा, मंत्री मंडल द्वारा ही तैयार किया गया प्रलेख है, और इसीलिए इसमें 6 दिसम्बर की उत्तेजनात्मक घटनाओं के थोड़े से जिक्र के अलावा कहीं पर भी इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें न तो देश की इस महान त्रासदी के लिए जिम्मेवार कारणों का ही कोई विश्लेषण किया गया है और न उसमें कोई उपचारात्मक कार्रवाई का ही सुझाव दिया गया है। महोदय, इसीलिए इस अभिभाषण में इस देश की जनता को साम्प्रदायिकता और रूढ़िवाद के खिलाफ जंग लड़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया है जोकि इस समय हमारे देश के समक्ष सर्वाधिक गम्भीर समस्या है।

महोदय, इस समय प्रधानमन्त्री जी को एक ऐसे देश को चलाने का सम्मान प्राप्त हुआ है जोकि इस समय धर्म के आधार पर विभाजित देश है। मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है कि क्या हम सुसंस्कृत लोग हैं? क्या यह एक सभ्य देश है जहां पर निर्दोष बच्चों, पुरुषों और महिलाओं की केवल धर्म के नाम पर हत्या कर दी जाती है, जबकि उनका कोई दोष नहीं होता है? हमारे देश में सरकार है, सेना

है, अर्द्ध सैनिक बल हैं, पुलिस प्राधिकरण, सेवा बल इत्यादि हैं जोकि केवल मूक दर्शक की भांति खड़े रहे थे। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष हमें शर्मिन्दा होना पड़ा है और हमें अपना सिर शर्म से झुकाना पड़ रहा है, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय भी हमसे अपना सम्पर्क कम कर रहा है जोकि हमारे प्रति केवल सहानुभूति का प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को आगे आना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि "6 दिसम्बर की घटना की परवाह किए बिना हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आदर्शों के प्रति वचनबद्ध हैं। कृपया हमें अलग मत छोड़िए।" हम इस स्थिति पर केवल सरकार की पूर्ण निष्क्रियता और अनिर्णयात्मकता के कारण ही पहुंचे हैं।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : त्रिपुरा के बारे में बात हो गई ?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे विचार से कभी-कभी युवाओं को देश की ओर कुछ अधिक ध्यान देना चाहिए। महोदय, यह दल रूढ़िवादियों का वर्ग है।

श्री राम नाईक : महोदय, उन्होंने वक्ता की बात को काटा है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आसन के प्रति पूरा सम्मान दिखाते हुए वे झुक कर वहां गए हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आज हम यह देखते हैं कि भगवान के नाम पर, मन्दिर के नाम पर लोगों की हत्या की जाती है। हम बम्बई गए थे और हमने वहां पर भयावह दृश्य देखे थे। युवा बच्चों को जिन्दा जला दिया गया, महिलाओं की हत्या की जा रही थी और उनके साथ बलात्कार किया गया। इस देश में यह सारी घटना वर्ष 1992-93 में घटी है। क्या इस देश से इसी तरीके से तरक्की करने की आशा की जाती है ? हमने देखा है कि जब कभी भी धार्मिक कट्टरता उत्पन्न करने की जानबूझकर कोई भी कोशिश की गई, उस समय यह सरकार केवल चापलूस कायर की भांति शांत बैठी रही थी।

हमने अपनी तरफ से अनेक प्रयास किए। हम अपनी तरफ से प्रधानमन्त्री जी से भेंट करते रहे हैं। हम गृह मंत्री जी से भी अपनी तरफ से मिलने गए थे। हमने कहा था कि उनके प्रत्याख्यान पर भरोसा मत करो। क्योंकि ऐसे में जबकि उच्चतम न्यायालय ने वहां पर कोई भी निर्माण कार्य करने पर रोक लगा दी थी और केवल 'भजन' और 'कीर्तन' की ही अनुमति दी थी किसी भी जिम्मेवार राजनैतिक दल ने 6 दिसम्बर के आयोजन के लिए अयोध्या में लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की होती। एक बार चर्चा में मैंने कहा था कि वे वहां पर इतने सारे लोगों को क्यों लाए थे। यदि एक लाख व्यक्ति एक साथ मिलकर गायें, तो भी इससे भी दैवीय शांति भंग होगी। अतः उनका उद्देश्य बिलकुल स्पष्ट था।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : आपने पिछली बार भी यही कहा था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी हां, मैं इस आशा में यह पुनः कह रहा हूं कि शायद आपको कुछ समझ में आ जाए।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

महोदय, परन्तु इस सीधी सी बात को भी सरकार ने नहीं समझा। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि यहां इतने अधिक मंत्री क्यों हैं, और वे क्या कर रहे हैं ?

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : उन्होंने अपने आंख-कान बंद कर रखे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यही समस्या है। इस देश में छद्म हिन्दुओं के समान ही कुछ छद्म मंत्री भी हैं। उनमें से कुछ को किन्हीं कारणों वश, जिन्हें हम जानते हैं, मन्त्री बना दिया जाता है, परन्तु हम यहां पर उन्हें बता नहीं सकते।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : कुछ ठीक भी हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कुछ तो केवल मजाक के तौर पर हैं।

श्री राम नाईक : यह एक गम्भीर आरोप है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे बुरा नहीं मानते। आप बुरा क्यों मानते हैं ?

महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि वे ये सारे कार्य किसी एक धर्म विशेष के नाम पर कर रहे हैं जिसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सहिष्णुता के सिद्धांत में विश्वास रखता है और जिसमें दूसरे धर्मों को भी स्वीकार किया जाता है। हिन्दूवाद की यही महानता है हमारे ऊपर यह व्यंग्य किया जाता है कि आजकल साम्यवादी विवेकानन्द की बात कर रहे हैं। परन्तु वे विवेकानन्द की कौन सी शिक्षा का अनुसरण कर रहे हैं ? दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता कहां चली गई ? दूरदर्शन पर यही कहने के कारण मुझे नियमित रूप से काफी बड़ी संख्या में धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं। टेलीफोन आ रहे हैं। इस देश में मन्दिर निर्माण की ऐसी क्या आवश्यकता है ? क्या आसमान नीचे गिर जाएगा ? क्या हिन्दू लोग संकट में हैं ? क्या हिन्दुओं के अधिकार छीन लिए गए हैं अथवा उन्हें छीन लेने की धमकी दी जा रही है ? तब फिर 6 दिसम्बर को मस्जिद को क्यों ढहाया गया ? इसका क्या जवाब है ? इसका कोई जवाब नहीं है।

हम जानते हैं कि उनका पर्दाफाश हो गया है। भा० ज० पा० का पर्दाफाश हो गया है। इस सरकार के खिलाफ हमारा आरोप यह है कि वह इसे गुप्त नहीं रख रही है। भूतपूर्व मुख्यमन्त्री कल्याण सिंह ने भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष पूरी सत्यनिष्ठा से एक हलफनामा दिया था कि किसी संवैधानिक पद, अर्थात् उत्तर प्रदेश जैसी राज्य सरकार के प्रमुख का पदभार ग्रहण करते समय वह अपनी ओर से पूरे प्रयास करेंगे और अपना वायदा निभायेंगे कि इसे कभी छुआ तक नहीं जायेगा, मस्जिद को कभी हुआ तक नहीं जाएगा और वह इसकी रक्षा करेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद के सामने पूरी सत्यनिष्ठा से यह घोषणा की थी और फिर मस्जिद के ढहने के पश्चात् उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और तब उन्होंने कहा था देखो कितनी तेजी से मस्जिद को ढहाया गया था। यह तो कोई दैवीय प्रेरणा ही थी जिससे यह सब कुछ किया जा सका था। ठेकेदारों ने डेढ़ महीने में भी यह कार्य पूरा नहीं किया होता परन्तु दैवीय शक्ति से प्रेरित मेरे कार सेवकों अथवा शिव सैनिकों ने, मैं नहीं जानता···

श्री राम नाईक : कार सेवक·········

श्री सोमनाथ चटर्जी : शिव सैनिकों द्वारा सहायता प्राप्त अनुप्रेरित और उकसाए हुए इन खाकी नेकर वालों ने यह कार्य किया। इस देश में जंगल का कानून चल रहा है। शंकरानन्द जी, क्या मंत्री बने रहने में ही आप शर्मिन्दा महसूस नहीं करते हैं। हमें मंत्रियों को यह याद दिलाना पड़ा था कि

ढहाने का, तोड़फोड़ का कार्य शुरू हो चुका है, आप क्या कर रहे हैं ? आपने कहा कि आप पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। किससे ? मुख्य अपराधी कल्याण सिंह ने कहा था कि इसे बचाया जा रहा है। यह आपकी मूर्खता है और क्या इस दृष्टिकोण से आप इस देश को उपद्रवियों से बचा सकते हैं ?

इस समय, माफिया को इस देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को समाप्त करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है और इसका उद्देश्य निर्धनों की सहायता करना नहीं है, इसका उद्देश्य इस देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना नहीं है, आत्मनिर्भरता की खातिर तथा गरीबी दूर करना नहीं है, बल्कि तथाकथित इस राष्ट्रीय लोकाचार अथवा ऐसा ही कुछ को प्राप्त करने का है। वे यही कहते हैं।

मैं अपने भा० ज० पा० मित्रों से पूछता हूं कि वह कौन सा खतरा है जिससे आज हिन्दू ग्रस्त हैं ? इस देश में विशेषकर हिन्दूओं की क्या समस्या है ?

श्री राम नाईक : कोई समस्या नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : भा० ज० पा० कहती है कि वे इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसने घमण्ड का रूप ले लिए है।

दूरदर्शन पर चर्चा के दौरान मैंने श्री जसवन्त सिंह को बताया था कि यदि आप यह समझते हैं कि आप इस देश की राजनीतिक कार्यसूची तैयार कर रहे हैं, तो आप आत्म-भ्रांति से ग्रस्त हैं, इसी बात का वे दावा कर रहे हैं। यह सब इस सरकार की निष्क्रियता कोई निर्णय न लेने के कारण है। आपने उनके साथ समझौता किया। आपने अपनी जन-विरोधी आर्थिक नीति के लिए समर्थन जुटाने हेतु और दोनों पदों को अलग-अलग करने के लिए आपने उनके सामने आत्म-समर्पण कर दिया है। इन पदों के पदाधिकारियों के प्रति पूर्ण आदर सहित मैं यह कहता हूं कि केवल ऐसा करने के लिए आपने उनसे समझौता किया था। हमने यहां देखा है। आप एक साथ मतदान कर रहे थे। यह इतिहास काफी पुराना नहीं हैं। उस दिन अपनी आर्थिक नीति के लिए आप श्री आडवाणी जी से प्राप्त आश्वासन का समर्थन पर अपने हाथ रोक रहे थे।

तथा इसे भा० ज० पा० के अलावा इस सभा में और किसने समर्थन दिया ?

[हिन्दी]

सभापति महोदय : थोड़ा संतोष मोहन देव जी का भी ख्याल कीजिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे परेशानी में हैं।

श्री राम नाईक : वे परेशानी में नहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे विचार में वे इस देश के एक क्षेत्र विशेष में अपनी जमींदारी बचाने के लिए अपनी चण्डावल युद्ध लड़ रहे हैं। निस्संदेह उन्हें शुभ-कामनाएं प्राप्त हैं, इस [illegible] मैं [illegible] न सकता हूं।

श्री राम नाईक : क्या आप एक क्षण के लिए शांत होंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं चुप नहीं होऊंगा।

श्री राम नाईक : आपने भा० ज० पा० के बारे में कुछ बताया था। क्या मैं इसका उत्तर दे सकता हूं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, नहीं।

[हिन्दी]

आप बैठिए। अभी नहीं। अभी तो आपके कई मैम्बर्स बाकी हैं।

सभापति महोदय : ऐसा है, राम नाईक जी कि आपका भी अभी एक घण्टे से ज्यादा टाइम बचा है।

श्री राम नाईक : उनका तो समय समाप्त हो गया है।

सभापति महोदय : ये तो अपने समय पर बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : मैंने सोचा था कि मैं कटौती प्रस्तावों के बारे में अभी जवाब दे सकता था।
(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यही हम चाहते हैं कि अगली लोक सभा में उनके पास कोई समय नहीं होगा।

श्री राम नाईक : जल्दी चुनाव होने चाहिए ताकि आपको कष्ट न सहना पड़े।

[हिन्दी]

तीन साल यदि इन रहेंगे तो आपको तकलीफ होगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, हमको तकलीफ नहीं होगी जितने लोग यहां रहेंगे,

[अनुवाद]

लोग आपके बारे में अधिक से अधिक जान पाएंगे, वे अपना मन बहुत पहले बना लेंगे, और वे आपको ठीक कर देंगे।

वास्तव में हमें जिस बात की चिन्ता है और हम जिस बात के लिए चिन्तित हैं—और मुझे विश्वास है कि सही ढग से सोचने वाला इससे देश का प्रत्येक नागरिक चिन्तित है—वह यह है कि धर्म के नाम पर यह सब कुछ किया जा रहा है, धर्म के नाम पर लोग मारे जा रहे हैं। और इसके पीछे वास्तविक उद्देश्य सत्ता प्राप्त करता है; और वे अब उनसे केवल सत्ता में बने रहने के लिए लड़ रहे हैं। समस्या यह है कि भा० ज० पा० सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है और आप उस सत्ता को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, और उस उद्देश्य के लिए उनके बीच कभी-कभी परिवर्तन, सन्धि होती रहती है, और यही सबसे बड़ी, त्रासदी है।

मैं जानता हूं कि मेरा कांग्रेस पार्टी में कभी भी विश्वास नहीं रहा है। लेकिन कभी-कभी हमें अपरिहार्य उपद्रव को बर्दाश्त करना पड़ता हैं, इसी कारण हमें ऐसा करना पड़ता है। निःसंदेह प्रजातंत्र के प्रति उनकी निष्ठा और जो भी हम जानते हैं वह सब ऊपरी दिखावा है।

लेकिन हमें कम से कम सोचना चाहिए था, हम कांग्रेस पार्टी को एक धर्मनिरपेक्ष दल मानते थे

लेकिन कभी-कभी उसमें कुछ लोग अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं या राजनीतिक जोड़ तोड़ के लिए शर्मनाक स्थिति में डाल देते हैं। लेकिन मूलतः हम उन्हें गांधी जी, नेहरू जी, इन्दिरा जी, राजीव गांधी के दल के रूप में मानते हैं। कम से कम हम उनकी प्रशंसा तो करते हैं। उनके बारे में केवल शाहबानो के मामले को छोड़कर कभी भी समझौते की बात नहीं कही जा सकती, वे साम्प्रदायिक ताकतों के पास आमतौर पर समझौता नहीं करते थे। लेकिन शिलान्यास निःसंदेह श्री बूटा सिंह की उनको दी गई आश्चर्यजनक सलाह के कारण हुआ। (व्यवधान) आज सत्ता में आने के लिए एक भावना सृजित की जा रही है; एक भावना सृजित की जा रही है जो इस देश में समुदायों के बीच नफरत और शत्रुता पर आधारित है। बहुसंख्यक समुदायों को एक विशेष रुख अपनाने के लिए कहा जा रहा है जोकि इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति नफरत और शत्रुता पर आधारित है। यही खतरा है। इसी कारण हमने भा० ज० पा० से लड़ने की बात कही है क्योंकि उन्होंने धर्म को राजनीति के साथ मिला दिया है। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, जो भी किसी धर्म के साथ एक लगाव होता है। उसे ऐसा करने दिया जाना चाहिए। हमारा संविधान इस देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में इसकी गारंटी देता है। लेकिन धर्म से आप इस देश में कोई समस्या हल नहीं कर सकते हैं, इस देश में सामाजिक समस्याएं भी नहीं सुलझा सकते हैं।

हम उस बात को नहीं भूल सकते जो श्री राम विलास पासवान ने कही थी और उन्होंने ठीक कहा था कि स्वतन्त्रता के 45 वर्ष बाद इस देश में क्या स्थिति है? समाजवाद कहा है, साक्षरता कहां है, रोजगार कहां है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा हैं, इस देश के मौलिक अधिकारों के बारे में आप क्या कर रहे हैं, रोजगार कहा है पूर्ण रोजगार की बात छोड़िए, इस देश के नवयुवकों के लिए रोजगार कहां है? जीवन स्तर के बारे में आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया है।

कल इस सभा में हम सब के सिर शर्म से झुक गए थे जब हमें बताया गया कि इस देश के एक भाग कालाहांडी में क्या हो रहा था। बच्चों, महिलाओं को 20 रुपए के लिए बेचा रहा है लोग इस देश में भूख से मर रहे हैं। हम मध्यकालीन युग में बल्कि उससे भी पहले के अन्धविश्वासी युग में चले गए हैं। अब धर्म को एकमात्र हल के रूप में माना जा रहा है।

मैं भा० ज० पा० पर आरोप लगाता हूं क्योंकि उनका मानना है कि सत्ता में आने का केवल यही एक तरीका है। वे गलत सोचते हैं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हालांकि वे अपने राजनीतिक लाभ के लिए राजनीति और धर्म को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वे कभी भी सत्ता में नहीं आएंगे।

मैं इस सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि वे अपनी पूरी ताकत के साथ नहीं लड़ रहे हैं। मेरा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा करने में असफल रही है तथा इसी कारण मैं कहता हूं कि हमारे प्रधानमन्त्री असफल हुए हैं।

अब तक इस सभा में हम बार-बार पूछते रहे हैं और मैंने उनसे पूछा कि 6 दिसम्बर को जब आपकी कैबिनेट की बैठक हुई तो आप दोपहर 12 बजे से 7 बजे तक क्या करते रहे। हमने उनसे पूछा प्रधानमन्त्री महोदय आपने कहा था कि आपको राज्य के मुख्यमन्त्री श्री कल्याण सिंह पर विश्वास है। दोपहर 12 बजे जब ढांचा गिराया जाना प्रारम्भ हुआ तो क्या आपने उन पर अपना विश्वास जारी रखा? आज तक कोई उत्तर नहीं आया है।

मैंने कहा, इस बात की जांच के लिए हमें एक संयुक्त संसदीय समिति की मांग करनी चाहिए

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

थी, 6 दिसम्बर, राष्ट्रीय त्रासदी और राष्ट्रीय शर्म के दिन, आपने दोपहर 12 बजे से 7 बजे तक क्या किया।

महोदय, बजाय इसके हमने यह पाया कि इससे भा०ज० पा० के मेरे मित्र बेचैन हो गये स्वभाविक तौर पर वे चाहते हैं···

श्री राम नाईक : हम बेचैन नहीं हुए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ठीक है, यदि आप बेचैन नहीं हैं तो मैं कह सकता हूं कि सरकार को उस राक्षसी अपराध का ज्ञान नहीं है जो उस दिन किया गया था तथा जिसे तब से वे भा० ज० पा० के साथ मिलकर करना चाहते हैं। यह भा० ज० पा० और कुछ नहीं केवल छद्म साधुओं और माफिया की मदद से सत्ता में आने के उद्देश्य हेतु इस देश में राजनीतिक दल का चोला पहने रुढ़िवादियों का एक दल है। मेरा यही आरोप है। लेकिन इस देश की सरकार को इसका ज्ञान नहीं है। इस देश की सरकार इस पर प्रतिक्रिया नहीं कर रही है श्री शंकरानन्द आप भी अब इस देश की एकता और अखण्डता के साथ समझौता कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आपकी मंत्रिमण्डल में चलती है। मैं आशा करता हूं कि वहां आपकी सुनी जाती है।

सभापति महोदय, जैसाकि मैंने कहा है कि प्रधानमन्त्री ने अपनी आर्थिक नीति के द्वारा, मैं नहीं जानता हमें इसे उनकी आर्थिक नीति कहना है बल्कि वे किसी और की आर्थिक नीति का अनुकरण कर रहे हैं—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक की नीति का वे अनुसरण, अनुपालन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी आर्थिक नीति के लिए भा० ज० पा० का समर्थन प्राप्त किया है जहां पर हमारे देश की वित्तीय स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता तथा हमारी आत्म-निर्भरता के साथ समझौता किया गया है तथा यदि नहीं तो उसकी अनदेखी की जा रही है।

इस उद्देश्य के लिए, इस प्रक्रिया में हमने पाया कि हमारे देश की महानतम सम्पत्ति, इस देश के धर्मनिरपेक्षतावाद के सिद्धांत, जिसने पुरानी सभ्यता को गौरान्वित किया है तथा जिसने विश्व को प्रेम और अन्य धर्मों के आदर का पाठ पढ़ाया है, के साथ इस देश के लोगों के गले अप्रसिद्ध धार्मिक नीति उतरने के उद्देश्य हेतु समझौता किया गया है।

मैं माननीय प्रधानमन्त्री से पूछेगा—मुझे आशा है वे मुझे जवाब देंगे—वे इस देश की भावी जनता को क्या कहेंगे जब वे पूछेंगे कि "श्री नरसिंह राव, 6 दिसम्बर को आपको क्या हुआ था कि आपने इस राष्ट्रीय कलंक को हम पर थोप दिया? आपने क्या किया कि इस देश के लोगों को बंटने दिया गया? जब ढांचा गिराया जाना प्रारम्भ हुआ तो आप घंटों तक क्या करते रहे? राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के 36 घंटे बाद तक आपने क्या किया कि आप इस क्षेत्र पर काबू नहीं पा सके या इस देश को क्या हुआ था?

उनका उत्तर क्या होगा? क्या ऐसा होगा कि आपने वहां कामचलाऊ ढांचा बनने दिया जिस पर से उन्होंने एक मन्दिर के रूप में दर्शन की इजाजत दे दी। हमारी मांग है कि मस्जिद को इस देश के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों की निष्ठा दर्शाने हेतु इस में राष्ट्रीय अखण्डता के एक प्रतीक के रूप में पुन: बनाया जाए। यह किसी रूढ़िवादी दृष्टिकोण के लिए नहीं है। क्योंकि उससे धर्म निरपेक्षता के सिद्धांतों के प्रति इस देश की निष्ठा को सिद्ध कर दिया गया होता।

ये बहुत गम्भीर प्रश्न हैं जिनका श्री नरसिंह राव को उत्तर देना होगा। हमारी युवा पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी ने क्या अपराध किया है कि उन्हें विभाजित, रूढ़िवाद, धार्मिक धर्मान्धता और उन्माद से सराबोर देश में जन्म लेना पड़े?

महोदय, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, मैं माननीय प्रधानमन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं कि सम्भवत: अभी भी समय है। उन्हें अपना नेतृत्व दिखाना चाहिए। जैसाकि मैंने कहा है उन्हें इस प्रकार नेतृत्व करना चाहिए जैसे मोर्चे से कोई प्रधानमन्त्री नेतृत्व कर रहा हो। हमने इस प्रकार की दृढ़ कार्यवाही नहीं देखी है।

सरकार अभी केवल घटनाओं के पीछे चल रही है। वह वादे कहा गए कि इस देश के लोगों को संगठित किया जाना है? इस देश की एकता और और प्रभुसत्ता पर जब भी खतरा आया है, यह देश कभी भी पीछे नहीं रहा है। उस पर कठिनाईयां, मुसीबतें आई हैं, युद्ध हुए हैं लेकिन देश के लोगों ने एक होकर सरकार का साथ दिया है। लेकिन यहां हमने यह नहीं पाया है। एक लड़खड़ाती सरकार जोकि तदर्थ निर्णयों पर आश्रित है जो पूर्ण रूप से अनभिज्ञ अवनित की ओर जा रही है और कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है?

वे केवल अ-पु-कोष के वह भी अप्रभावकारी ढंग हैं, इशारों पर दयनीय तरीके से कार्य कर रहे हैं। हम कुछ नहीं जानते। केवल संचार माध्यमों को संकेत दे रही है कि भारत आर्थिक उदारता की तरफ जा रहा है। अधिकांश लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। सरकार का अपना संचार माध्यम है जोकि उन्हें आर्थिक लाभ देने, उनके साथ पक्षपात दिखाने के लिए यह प्रचार कर रही है कि मूल्य गिर रहे हैं क्योंकि कुछ कारों, टेलीविजन सेटों और अन्य कुछ चीजों के मूल्य गिरे हैं। यह लाभ स्वरूप गरीब जनता, बसती लोगों, फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को नहीं दे रही है। यह वह देश है जहां स्वतंत्रता के 45 वर्ष बाद, 1993 में भी लोग सड़कों और फुटपाथों पर पैदा हो रहे हैं, फुटपाथों पर ही रह रहे हैं और फुटपाथों पर ही मर रहे हैं।

लेकिन भारत की जनता की जागरूकता कहां है? वित्त मन्त्री सुखी जिन्दगी बसर कर रहे हैं। वह कुछ अर्थशास्त्रियों से घिरे हुए हैं जो उन्हें शाबाशी दे रहे हैं ताज पेलेस में रहने वाले—मुझे ज्ञात है कि अ-मु को० के अधिकारी ताज पेलेस होटल में ठहरते है यदि वे कहीं और रहते हों। तो मुझे बताइएगा। वे लोग इनकी पीठ थपथपा रहे हैं कि आप महान-व्यक्ति हैं। आपने रुपए को पूर्ण से परिवर्तनीय कर दिया है।" चावल सस्ता हो गया है, गेहूं सस्ता हो गया है, मछली सस्ती हो गई है, सब्जियां सस्ती हो गई है क्योंकि आपने रुपए को पूर्णत: परिवर्तनीय कर दिया है बहुत अच्छी नोकरियों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि आपने परिवर्तनीयता की क्षमता है क्योंकि तथाकथित उदारता के दो वर्षों के बाद कुछ लोगों ने इस देश के बारे में पूछताछ की हैं। अब भारत में लोग उद्योग लगाने के लिए पूछताछ कर रहे हैं। ओह! हम अत्यधिक प्रगति कर रहे हैं। यह आपकी इस देश में आर्थिक विकास की धारणा है। आज हम उनके सामने घुटने टेकते हैं। आपने इस देश के उनके सामने घुटने टिकवा दिए हैं। आज हम उन लोगों विदेशी साम्राज्यवादी एजेंटों, वित्तीय एजेंटों के दान पर केवल जीवित रह सकते हैं—प्रगति नहीं कर सकते। हमारी अपनी कोई आर्थिक नीति नहीं है। हमने अपनी आर्थिक प्रभुसत्ता और स्वतन्त्रता खो दी है। श्री बंसल ने जिन वाक्यांशों का प्रयोग किया है, उन्हें सुनना अच्छा लगता है, हम परिवर्तन ला रहे हैं, हम प्रगति पर हैं।' किस क्षेत्र में हम प्रगति कर रहे हैं?

इस प्रकार एक खतरा भा० ज० पा० और दूसरा खतरा कांग्रेस है। लेकिन धर्म निरपेक्षता के प्रश्न पर, जोकि देश की एकता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है और तब हमें उसके विरुद्ध लड़ना होगा। (व्यवधान) मैं अच्छे या बुरे का कोई प्रमाण-पत्र या टिप्पणी भा० ज० पा० से नहीं चाहता।

अब, मैं चाहूंगा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री इस ओर कुछ अपना ध्यान दें। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार कैसे अयोध्या समस्या को सुलझाना चाह रही है। 6 दिसम्बर को प्रधानमन्त्री द्वारा एक वादा किया गया था कि मस्जिद का पुनः निर्माण किया जाएगा। उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। अब, अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत उल्लेख का क्या आधार है? उच्चतम न्यायालय से यह पता ले लगाने के लिए कहा जा रहा है कि 1526 में क्या स्थिति थी। उच्चतम न्यायालय को यह पता लगाने के लिए कहना कि 500 वर्ष पहले क्या हुआ था यह अपने राजनैतिक दायित्व से बचने का बहाना है। मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं। लोगों ने मुझे गलत समझा है। मैं कहना चाहूंगा मान लो वहां मन्दिर था—मैं इसे अस्वीकार नहीं करता—जो तोड़ दिया गया था, वहां अब भी मन्दिर होना चाहिए? मान लो; उच्चतम न्यायालय कहता है कि 'हां' वहां मन्दिर था तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। श्री बी० शंकरानन्द से मैं यह जानना चाहूंगा। तब आप एक अन्य शिलान्यास समारोह करेंगे। तब आप तिलक लगाकर श्री आडवाणी का साथ देंगे और कार सेवा करेंगे। यदि उच्चतम न्यायालय पता लगाता है कि वहां मन्दिर था जो तोड़ दिया गया था, तो इस स्थिति में आपका उत्तर जानना चाहूंगा। आप क्या करेंगे? इस प्रकार बाबर गलत था और की आडवाणी ठीक हैं। यह उसकी आवश्यक स्थिति होगी। क्या आप वैसी स्थिति मानते हैं? हम उस स्थिति को पूर्णतः अस्वीकार करेंगे। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि यदि यह आपका उत्तर होगा और यदि अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को इसे भेजने का यही उद्देश्य है तो इस देश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, जो भी हो इसे कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार आपको अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत इस उल्लेख के पीछे उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए देश का आभारी होना होगा और इस निर्णय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कि वहां मन्दिर था या मन्दिर नहीं था, हमेशा से वहां मस्जिद थी। आप क्या करेंगे, मैं यह जानना चाहूंगा? इसलिए हमने कहा है कि वास्तव में हल ढूंढा जाए बहुत से मामले लम्बित पड़े हैं, वह सब अभी भी उच्चतम न्यायालय के सामने हैं क्षेत्राधिकार के बारे में उनकी जो राय है केवल उसी पर ही न छोड़ें जिसे अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार कहा जाता है इसे उच्चतम न्यायालय अपनी पूर्व स्थिति रखेगा, सभी मुकदमें अपीलें और अन्य सबको सुलझाया जाएगा। लेकिन आप सुनते नहीं। प्रधान मन्त्री के सबसे बड़े सलाहकार साधु और महन्त ही जान पड़ते हैं।

श्री बी० शंकरानन्द जी आपके सलाहकार कौन हैं। इस बारे में आपने किससे सलाह ली है? सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों ने आपके विरुद्ध आवाज उठाई हैं। यह तांत्रिक साधु और महन्त जो जान-बूझकर इस राष्ट्र का विभाजन कर रहे हैं आपने उनकी सलाह मानी है और प्रधानमन्त्री बहुत खुश हैं। ज्योतिष और कांग्रेस पर्याय बन गए हैं। यह इस देश की एक अन्य समस्या है। मैं नहीं जानता कि मैं हंसू या चिल्लाऊं जब मैंने समाचार-पत्रों में पाया कि महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री ने कहा है कि अब यह प्रकट है, यह कुंभ में जा रहा है और जब यह कैनी हो जाएगा तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा। 1993 में इस देश में यह स्थिति बहुत विस्मित करने वाली है। (व्यवधान) क्या आप नहीं जानते? मकर कैनी या कुंभ राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि कब कोई सरकार बनेगी और जब कोई प्रधानमन्त्री त्याग-पत्र देगा और जब प्रधान मन्त्री ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो यहां से रक्षा मन्त्री के रूप में जाएगा और मुख्य मंत्री बनकर

कहां उतरेगा। बहुत खूब। यह केवल कांग्रेस दल में ही हो सकता है। यह इस देश की स्थिति है। वे इस देश में इस धार्मिक धर्मांधता, रूढ़िवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

भूमि का अधिग्रहण हो गया है। अब, भूमि के अधिग्रहण के बाद वहां क्या हो रहा है? दर्शन। इस देश के प्रधानमन्त्री ने कहा मुझे मालुम नहीं। फैजाबाद के जिलाधीश ने दर्शन की अनुमति दी, मैं क्या कर सकता हूं? क्या आप समझते हैं कि भारत के एक भी व्यक्ति, नागरिक ने उनका विश्वास किया है? अब वहां राष्ट्रपति शासन लागू है और इस देश के लोगों के लिए यह अत्यधिक चिन्ता का मामला है, सरकार बिल्कुल सन्तुष्ट है। प्रधानमन्त्री को कोई जानकारी नहीं मिल रही है और फैजाबाद के जिलाधीश को यह निर्णय लेने का इतना साहस प्राप्त है कि वह दर्शन की अनुमति दे दें जबकि सम्पूर्ण देश में उत्तेजना थी जिलाधीश के इस महान कार्य के लिए आपने अभी तक उन्हें गृह मन्त्री क्यों नहीं बनाया संभवत: वह गृह मन्त्री के लिए अगले उम्मीदवार होंगे इसका कही कोई स्पष्टीकरण नहीं है देश में कोई उपयुक्त कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो इस देश को विभाजित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

हमने अयोध्या के बारे में एक श्वेत-पत्र की मांग की थी और यह लाया गया। प्रथम पृष्ठ के श्वेत होने के अतिरिक्त श्वेत पत्र का कोई उद्देश्य वहां पूरा नहीं हुआ। क्योंकि सब कुछ छिपाने का एक प्रयत्न किया गया था। क्या हुआ? श्री पी० एम० सैयद अब आप मन्त्री हैं। कृपया आप हमें बताए। मुझे मुझे आशा है कि प्रधानमन्त्री आज बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्हें देश को यह बताने के लिए कहिए कि उन्होंने उस दिन अपराह्न 12 बजे से सायं 8.00 बजे तक क्या किया। उन्हें कुछ मालूम नहीं है कि इन घंटों में क्या हुआ। इसलिए मैं समझता हूं कि इस मामले पर सरकार को दृढ़ता दिखानी चाहिए और-उन्हें अपने कदमों का अवलोकन करना चाहिए और निर्णय न लेने के अपने व्यवहार को जारी नहीं रखना चाहिए।

जहां तक जम्मू और कश्मीर का सम्बन्ध है, श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ने कहा है कि हम एक राजनैतिक प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना चाहते हैं और उसमें जहां तक वहां के लोगों का सम्बन्ध है उनको अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। पंजाब में जो प्रगति हुई है उनके लिए हमें खुशी है। स्थितिसुधरी है। हमने उसका स्वागत किया है। स्थिति के ऐसा मत बना रहने दें। इसे श्री पवन कुमार बंसल पर मत छोड़िए। यह मामला कभी नहीं सुलझेगा। राजीव लोगोंवाल समझौते को कार्यान्वित करना होगा कृपया इस समस्या को सुलझाइए। इसे हरियाणा के लिए मत छोड़िये जो वहां हैं। इस ज्वलंत मामला मत बनाइये। त्रिपुरा मामले को सुलझाने के लिए श्री संतोष मोहन देव के निर्देशों को मत अपनाइए। व्यक्ति विशेष का निर्णय मत लीजिए, सिद्धांतों पर निर्णय लिया जाना चाहिए। सरकार का संविधान में शब्दश: विश्वास होना चाहिए, न कि जैसा श्री संतोष मोहन देव ने कहा है। श्री संतोष मोहन देव ने जो बात जोड़ी है वह खतरनाक है, इसे मत अपनाइए।

एक अन्य मुद्दा जिसका कोई उल्लेख नहीं हुआ है वह इस देश में केन्द्र-राज्य सम्बन्ध है··· (व्यवधान) हमें आशा है आपकी बात समझ नहीं पा कर रहे हैं···(व्यवधान) आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप किससे तुलना कर रहे हैं? आपने ऐसा क्यों किया?

सभापति महोदय, केन्द्र राज्य सम्बन्ध इस देश में बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यह देश के सम्पूर्ण विकास सन्तुलित विकास के लिए आवश्यक है कि देश के सभी भागों का विकास होना चाहिए। मुझे आशा है कि अन्ततः असम के लिए उनके नए प्रेमभाव के लिए उन्हें धनराशि प्राप्त होगी। असम का गलत पता देकर वह असम से निर्वाचित हुए हैं मैं नहीं जानता कि उन्होंने कहां का यह पता दिया है···(व्यवधान)

एक मन्त्री ने गुजरात का पता दिया है जोकि एक गोदाम था। मैं नहीं जानता श्री मनमोहन सिंह ने कौन सा पता चुना है। उनके बहुत से बड़े चाय-बागान वाले जानकार हैं। उन्होंने उन्हें पता दिया होगा···(व्यवधान) चाय बागान वालों के नहीं, श्री संतोष मोहन देव का पता ?

मुझे खुशी है कि विशेष व्यवस्था की जा रही है। हम उनका स्वागत करते हैं इसके लिए पूर्वोत्तर भारत या पूर्वी भारत के लोगों का क्या दोष है कि जिससे उन्हें इस देश के विकास में भाग नहीं लेनाचाहिए ? उनको न्यूनतम सुविधायें क्यों न दी जायें ? आप इस बात को याद क्यों नहीं रखते ? हम भारत में किस बात की शेखी बघार रहे हैं ? राम विलास ने सरकारी आंकड़ों के आधार पर ठीक ही कहा है कि जहां तक हमारी प्रति व्यक्ति आय का सवाल है, हम सब देशों में सबसे आखिरी से एक स्थान पर हैं। केवल बंगलादेश ही हमसे पीछे है। यह आपकी उपलब्धि है। अत: हम देश के सभी भागों का संतुलित विकास चाहते हैं। यह केवल एक ही क्षेत्र तक सीमित न हो। मैं पूर्वोत्तर की इस बदली स्थिति का स्वागत करता हूं। हम पूर्वी भारत के विकास की मांग करते हैं। यह उग्र क्षेत्रवाद नहीं है। जब हम पूर्वी भारत के विकास की बात करते हैं तो यह उग्र क्षेत्र वाद नहीं है। क्योंकि मैं पूर्वी भारत से आया हूं। मैं चण्डीगढ़ के विकास के लिए संघर्ष करूंगा यदि वास्तव में वहां इसकी जरूरत हो। मैं देश के सभी भागों के विकास के लिये संघर्ष करूंगा। क्षेत्रवाद यह नहीं है। परन्तु जब हम यह देखते हैं कि देश के अनेक भाग अन्धकार समय है, वहां उग्र कोई आर्थिक गतिविधि नहीं है, वहां के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है तो स्वाभाविक रूप से हम कहेंगे कि उस क्षेत्र पर भी विचार करना जरूरी है।

इस देश के गरीब लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्या स्थिति है ? आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करते हैं। मिट्टी का तेल और अन्य वस्तुयें उसमें से हटा लेते हैं। आप कुछ ही क्षेत्रों पर ध्यान दे रहे हैं·· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जी, नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप नहीं-नहीं क्या कर रहे हैं ? आप क्या कर रहे हैं ? आपने बजट से पहले सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर दी है और सरकारी अर्थशास्त्री और सरकारी आर्थिक सम्पादक कहते हैं कि यह अब तक का सबसे अच्छा बजट है। वे रेल किराये में वृद्धि की बात नहीं करते हैं। वे अन्य वस्तुओं जैसे चीनी, कोयला इस्पात लोहा आदि के मूल्यों में वृद्धि की बात नहीं करते हैं। आप उनसे 10,000 करोड़ रु० वसूल कर रहे हैं पर उसकी बात नहीं करते···(व्यवधान)। स्वाभाविक रूप से आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते हैं। भारत सरकार के अलावा हमारे पास अच्छी संख्या में वैज्ञानिक हैं जिन पर हमें गर्व है उनको गलत दिशा दिखाने गुमराह करने और उनके रास्ते में दिक्कतें पैदा करने और उनकी गतिविधियों को रोकने के इस प्रयास के बावजूद हमारे देश में अच्छे वैज्ञानिक और तकनीशियन हैं जिनके बारे में हमें गर्व है। परन्तु कृपया यह देखिए कि इनमें से 90 प्रतिशत देश के बाहर जा रहे हैं। आपके मेजें थपथपाने से समस्या का हल नहीं होगा 90 प्रतिशत देश से बाहर जा रहे क्या हम आपने आप में नहीं हैं ? जो जा सकते हैं, चले जाते हैं। यदि आप जा सकते थे, तो आप भी चले गये होते। यदि मैं जा सकता, तो मैं भी चला गया होता। परन्तु कोई मुझे वहां ले नहीं जाता। मेरा व्यवसाय ऐसा है जिसकी कहीं कोई जरूरत नहीं है। अत: ये बुनियादी मुद्दे हैं। दुर्भाग्यवश राष्ट्रपति के अभिभाषण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। केवल दो पैराग्राफ हैं—एक अयोध्या पर और दूसरा आर्थिक स्थिति पर और अन्य सभी पैराओं में कही गई बात जैसा मैंने कहा बेकार की हैं। उनमें पूर्णत: निराधार बातें कहीं गयीं हैं। इन मनमोहनी बातों पर मत जाईए। ये मनमोहनी बातें देश के अस्तित्व को समाप्त कर देंगी। इसने देश की हत्या कर दी है, आपकी हत्या कर दी है। हमें आपकी हो जाने का अफसोस नहीं है हम श्रद्धापूर्वक आपका

दाह संस्कार कर देंगे। परन्तु आप देश को भी अपने साथ ले जा रहे हैं। यही समस्या है। अतः अभी भी वक्त है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: सोमनाथ जी, गलती उनकी हो सकती है, मगर हमको क्यों आप इग्नोर कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: अतः हमें उनसे अपने आप को बचाना है।

मैं एक अन्तिम बात कहता हूं क्योंकि मेरे बाद मेरे दल के एक और सदस्य को बोलना है। महोदय, जहां तक इस देश का सवाल है, इस देश में बहुत अधिक क्षमता है। सबसे बड़ी परिसम्पत्ति यहां के लोग हैं, जिनकी मांगें बहुत कम हैं परन्तु वे देश को सर्वोत्तम योगदान देते हैं। जो मेहनतकश हैं। वे केवल अल्प आजीविका के लिए अपने दयनीय अस्तित्व के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं वे देश के लिए सम्पत्ति पैदा कर रहे हैं। परन्तु उन्हें बदले में क्या मिल रहा है? पूरे समाज के एक बहुत छोटे से हिस्से द्वारा अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं और उन्हें प्रचार माध्यमों से प्रसारित किया जाता हैं। उनके विचार समाचार-पत्रों में छपते हैं। उनके विचार सुने जाते हैं और मैं उच्चतम स्तर तक उन्हें महत्व दिया जाता है। परन्तु जहां तक इस देश की आम जनता का सवाल है आपकी नीतियों ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। राष्ट्रपति का अभिभाषण जिसमें आगे आने वाले सालों के लिए इस देश के लिए कार्य योजना का संकेत है, वह इस देश की जनता को उत्साहित नहीं करता, उसमें हमें कोई आशा की किरण-नजर नहीं आती है। अब भी सरकार को इस बात पर नये सिरे से विचार करना चाहिए कि वह किस दिशा में जा रही है, वह उचित कार्यवाही करे और अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक हो और अपने विवेक की आवाज सुने और अस्थायी राजनीतिक लाभों से प्रेरित न हो और इस देश को बांटने वाले लोगों के साथ सिद्धांतहीन समझौते न करें।

[हिन्दी]

04.00 म० प०

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर): सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सबसे पहले 6 दिसम्बर की घटनाओं का जिक्र किया है और अभी जितनी चर्चा इस सदन में हो रही है उसमें 6 दिसम्बर की ही चर्चा घूम-फिर करके होती है। 6 दिसम्बर की तारीख को ही याद करके पूरी बात नहीं कही जा सकती, 6 दिसम्बर से पहले भी इस देश में कितनी घटनाएं हुई हैं और कब ये 6 दिसम्बर की तिथि पर हम पहुंचे मैं इसके बारे में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक लाइन भी नहीं लिखी हुई है।

महोदय, आपको स्मरण होगा कि इस सदन में एक कानून बना और उस कानून में यह कहा गया है कि भारत की आजादी प्राप्त करते समय जो पूजा-उपासना स्थल जिस दशा में थे उसी में रहेंगे लेकिन यह कहते समय भी आपने अयोध्या को उस कानून की परिधि से बाहर रखा और उसको कानून की परिधि से बाहर रखने के पीछे शायद यह मन्तव्य रहा होगा कि यह ऐसा संवेदनशील प्रश्न है जहां करोड़ों लोगों की जनभावना जुड़ी हुई है उसे मात्र एक पार्लियामेंट के द्वारा कानून बना करके उस समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचा जा सकता है, उस भावना का सम्मान नहीं किया जा सकता है। आज

[श्री सत्यदेव सिंह]

राष्ट्रपति जी ने 143 के अन्दर सर्वोच्च न्यायालय से जो राय मांगी है उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि वहां क्या कभी हिन्दू स्ट्रक्चर था या नहीं था यह जानने का प्रथम प्रयास हुआ है।

चार माह का समय पूर्व प्रधान मंत्री माननीय वी० पी० सिंह जी ने लिया था और उस चार माह के समय को उन्होंने पूर्ण दुरुपयोग किया। प्रधान मंत्री जी, जो वर्तमान हैं, नई सरकार जो है, उन्होंने भी चार माह का समय संतों से लिया और यह कहा कि हम इस मामले को बातचीत के जरिए हल करेंगे। उस चार माह के समय में इस देश में सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या को हल करने की बजाए इस मन्दिर निर्माण के आन्दोलन में बाधा पहुंचाने, विघटन पहुंचाने और उसको तोड़ने का प्रयत्न किया गया।

यह कार सेवा 6 दिसम्बर को नहीं हुई, जुलाई के माह में जब यह सदन चल रहा था उस समय भी कार सेवा चल रही थी। इसके बाद प्रधान मंत्री के द्वारा प्रयास से बातचीत के लिए चार माह का समय लिया गया। उस चार माह के समय को पूरी तरह से नकारा गया, उसका कोई सदुपयोग नहीं किया गया। सरकार शायद यह समझती है कि समय लेकर, अदालतों के पीछे जाकर इस समस्या को हल कर पायेंगे और जैसे-जैसे समय बीतेगा यह समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी।

मान्यवर, इस घटना के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि एक नई बहस, नया एजेंडा इस देश के अन्दर प्रारम्भ किया गया है। मैं भी मानता हूं। आज इस बात की बहस इस देश के जनमानस में है, वह चाहे जिस रूप में हो। यह धर्मनिरपेक्षता, जो छद्म धर्म निरपेक्षता है, जिसे पंथ-निरपेक्षता की बजाए धर्म-निरपेक्षता का नाम हम बार-बार देते हैं, इसके बीच और राष्ट्रीयता के प्रश्न में से आज इस देश को एक चुनना पड़ेगा। यह राष्ट्रीय बहस आज देश में चल रही है। 6 दिसम्बर की घटना के बाद इस बहस को ज्यादा बल मिला है और लोगों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि आखिर हम देश को किधर ले जाना चाहते हैं, हमारा कौन-सा मार्ग होगा। इसका निर्णय करने का अब शायद वह सही वक्त आ गया है। 6 दिसम्बर की घटना के बाद हमारी सरकार ने क्या किया। सन्नीपात ग्रस्त रोगी जैसे व्यवहार करता है उस प्रकार सरकार से रिएक्शन आने लगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री ने 6 बजे इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा नहीं माना गया। कहने लगे हम आपका इस्तीफा नहीं मानते, हम आपको डिसमिस करते हैं। उस समय तक उस प्रदेश के अन्दर एक भी दंगा नहीं हुआ था। जिस समय टी० वी० और रेडियो पर ये घोषणाएं हुईं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब भंग कर दी गई है, विधान सभा समाप्त कर दी गई है, उसके बाद दंगे शुरू हुए।

माननीय सोमनाथ जी ने अच्छा प्रश्न किया। आपने तो सवाल यह उठाया कि जब 12 बजे से लेकर 5 बजे तक ढांचा हटाया जा रहा था, इस सरकार ने क्या किया? लेकिन उससे बड़ा प्रश्न यह है कि जब आपके हाथ में सत्ता चली आई और आपने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और आप यह समझते थे कि सरकार इसका सबसे बड़ा कारण है, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हमारे पूर्व मुख्य मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को, जनता के कोर्ट को हर बार एक बात को जोर देकर कहा था कि किसी भी दशा में कार सेवकों, संतों पर लाठी और गोली का प्रयोग नहीं करूंगा। उन्होंने कहा इस बात को नहीं छिपाया। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को नहीं छिपाया कि हम जनमत का आदर लाठी और गोली से नहीं करेंगे, जैसे 25 फरवरी को आपने यहां पर किया। इसके बाद आपने क्या किया, 6 तारीख को उत्तर प्रदेश की विधान सभा भंग कर दी, 10 तारीख को, जो राष्ट्रीय संगठन हैं, जो देश की एकता और अखण्डता के लिए सतत् प्रयत्नशील हैं और जिन्होंने ऐसी भावनाओं को जनता के सामने रखने का

प्रयास किया है, समाज की कुरीतियों से लड़ने का जिन्होंने कार्य किया है, उन सभी संगठनों पर आपने प्रतिबन्ध लगा दिया। वह प्रतिबन्ध भी गैर-कानूनी है। आपने नोटिस नहीं दिया, कोई बात नहीं की। उसके बाद आपने क्या किया? राष्ट्रपति के अभिभाषण में अगर आपको इतना विश्वास है कि आपके काम बड़े अच्छे हैं, इस देश की जनता उन कामों को स्वीकार करती है और मानती है कि भारत की सरकार ने 6 दिसम्बर तक कोई गलती अगर की होगी तो की होगी, लेकिन अब जो कार्य कर रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर रही है, तो मेरा आपसे आग्रह है, इस आग्रह को आप स्वीकार कीजिए। जम्मू कश्मीर में आप अभी चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं हैं।

आज से 6 महीने पहले कहा गया कि जम्मू कश्मीर के हालात इतने बढ़िया हो गए हैं कि वहां चुनाव करवाए जा सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पद यात्रा मात्र के लिए नहीं थी, भारतीय एकता यात्रा इसलिए नहीं की थी, पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया था गांव-गांव तक इस बात का संदेश लेकर गए थे कि आज देश का एक ऐसा हिस्सा भी है जिसे हम अभिन्न हिस्सा मानते हैं, जहां पर भारत का झण्डा नहीं फहराया जा सकता। लाल चौक पर भारत का झण्डा इस वर्ष फहराया गया या नहीं? यह सरकार बता सकेगी कि वहां क्या हुआ? उन्होंने इस बात का भी आग्रह किया था कि हर बार लाल किले पर बहुत झण्डे फहरे हैं, जरा एक बार प्रधान मंत्री जी लाल चौक पर भी झण्डा फहरा कर दिखाइए। लेकिन इस देश के प्रधान मंत्री को नैतिक साहस और बल नहीं जुटा, क्योंकि वे सत्य से मुंह छिपा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है उसकी क्या हालत है।

राष्ट्रपति अभिभाषण में आपने इस बात का कोई संकेत नहीं किया कि वह कश्मीर पर छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान विधान सभा के चुनाव आप कब करा रहे हैं। इस बात का आपमें नैतिक साहस हो तो आपको घोषणा करनी चाहिए कि चुनाव के लिए जा रहे हैं।

(व्यवधान)

दूसरे पैरा में आतंकवाद की चर्चा की है। पंजाब में आतंकवाद पर अंकुश लगा है, रोक लगी है, इसके लिए केन्द्र की सरकार बधाई पात्र नहीं है। वहां का प्रशासन, वहां की पुलिस पात्र है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि वहां की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण योग दिया है। आतंकवाद से लड़ने के लिए राजनैतिक इच्छा शक्ति चाहिए तब आप अपनी बंदूकों से आतंकवाद का मुकाबला कर सकते हैं। आज आपने अपनी राजनैतिक इच्छा शक्ति थोड़ी सी पंजाब में दिखाई है और स्थिति में सुधार हुआ। लेकिन, पंजाब की तरह आतंकवाद जो उत्तर प्रदेश की तराई में फैल रहा था, उससे आपने जोड़कर नहीं दिखाया। हमारी सरकार बार-बार मांग करती रही थी कि जो पंजाब के अन्दर आपरेशन्स लगाए जा रहे हैं, सारी दुनिया के चुनाव कराने के लिए भारत की सारी ताकत, सारी फौजें, जितनी भी मिलिट्री फोर्सेज थी उनको आपने पंजाब में लगाकर चुनाव का नाटक कर लिया। इसके बाद आपने एक सरकार बना ली। उसके लिए मैं बधाई दे सकता हूं। गांवों में जो पंचायत के चुनाव हुए तो जनता बाहर आई थी। आपने क्या किया। आपने कोई उत्तर प्रदेश सरकार को इंटेलिजेंस की सूचना दी कि तराई में आतंकवाद अपना हिसाब-किताब बना चुका है और उनके सम्बन्ध स्थापित हो चुके हैं इसलिए यह आतंकवाद फैलेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हथियार मांगे, धन की सहायता मांगी तो आपने नहीं दिया। क्या इस देश के अन्दर इस तरीके से फेडरेलिज्म चलेगा। क्या इस तरह से प्रदेशों में अलग सरकारें होंगी और केन्द्र में अलग सरकार होगी। केन्द्र की इच्छा के अनुसार उनका पोषण करने वाली

[श्री सत्यदेव सिंह]

सरकार प्रदेशों में नहीं होगी तो वहां की जनता की समस्याओं से जूझने के लिए आतंकवाद को प्रदेश की सीमाओं तक बांधना चाहते हैं। आज आतंकवाद अन्तर्राष्ट्रीय जगत को पकड़ चुका है।

04.13 म० प०

[श्री पीटर जी० मरबनियांग···पीठासीन हुए]

यह अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। पंजाब और कश्मीर के अन्दर ही आतंकवाद सीमित नहीं है। ये अपनी प्राण शक्ति अपना राशन-पानी, अपने हथियार पाकिस्तान से ला रहे हैं। पाकिस्तान इसके पीछे है। आप रोज कहते हो कि विदेशी ताकतें इसके हाथ में है। आप अपना हाथ नहीं देखते कि आतंकवाद की वजह से कश्मीर के लोग वहां से हटकर बेगाने हो गए हैं। अपने देश के नागरिक अपने देश के अन्दर रिफ्यूजी बनकर हजारों-लाखों की संख्या में निकलकर आए हैं और आपने कुछ नहीं किया। कुवैत की लड़ाई से यहां लाने में सरकार ने तेजी दिखाई, अच्छी बात है। हमारे जो नागरिक इराक-कुवैत की लड़ाई में फंसे हुए थे, उनको बाहर लाने में हमारा कर्त्तव्य था और हमने अपने कर्त्तव्य का निर्वाह किया। आज अफगानिस्तान में भारत के हिन्दू-सिख भाइयों की जान खतरे में है, जो अपनी जान खतरे में डालकर भारत पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बारे में आपने क्या सोचा। जो सूचना सरकार के पास है, वह सदन के सामने आनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि आप अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर चुके हैं।

अभी सोमनाथ जी कह रहे थे कि लाखों आदमी पेवमेंट पर जन्म लेते हैं, कुछ वहीं पर बड़े हो गए तो उनको उनके मकानों से निकालकर झुग्गी-झोंपड़ी, सड़कों पर या पटरियों पर डाल दें तो यह हमारे कर्त्तव्य की इतिश्री हो जाएगी। गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए हमने इतना करोड़ों रुपया इसमें दे दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक बात आई कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से लड़ते समय सुरक्षा बलों के द्वारा कुछ ज्यादतियां हुई और हम उनको सजा देने जा रहे हैं। उनको आपने एक बार भी बधाई नहीं दी कि किस प्रकार सुरक्षा बल काम करते हैं और परिवार से लाखों किलोमीटर दूर रहकर प्राकृतिक आपदाओं को सहते हैं और अपने जीवन का सुख-दुख भूल जाते हैं और इस देश की अखण्डता पर आंच न आए अपना खून बहाते हैं और गेहूं के साथ घुन पिस जाए तो आप तेवर के साथ सजा देने की बात कहते हैं। आप उन परिस्थितियों के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं हैं जिन परिस्थितियों में ये सुरक्षा का काम कर रहे हैं। इसके बारे में आप कुछ नहीं कहते।

6 दिसम्बर के बाद सारे देश में दंगे हुए, कई लोग मरे, किस धर्म और सम्प्रदाय के थे, यह अलग बात है, लेकिन 1984 के दंगों में जो लोग मारे गए वह इस देश का सबसे काला दिन था, यह नहीं है। और काला दिन उस वक्तव्य को कहिए जब इस देश के पूर्व प्रधान मन्त्री ने इस बात को कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यह धरती कहां हिली, उन्हीं जगहों पर हिली जहां इनकी सरकारें थी, वहीं हमारे सिख बंधुओं की हत्यायें हुई, बाकी जगह इस पेड़ के गिरने की धमक नहीं सुनाई दी। यह आपकी राजनैतिक सोच का परिचायक है कि आप किस प्रकार से चीजों को देखते हैं। आप किसी खून को पानी कहते हो, यह खून-खून में अंतर करने की कला कांग्रेस पार्टी में बहुत है और इसमें आपने बहुत महारत हासिल की है इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।

इस बार जो दंगे हुए उनमें एक नई चीज हुई, एक फिनोमिना हुआ उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अभी हमारे रावले साहब ने कहा था और बहुत मौलिक प्रश्न उठाया था कि जो पुलि

की गोली से मारे गए उनकी भी दो-दो लाख रुपये दे रहे हैं, उनको पांच-पांच लाख रुपये दीजिए। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वे दंगाई थे या सामान्य नागरिक थे, अगर सामान्य नागरिक थे और पुलिस की गोलियों से जानबूझकर मारे गए तो उनको दो नहीं पांच लाख रुपये दीजिए। रुपयों से किसी को जिन्दा नहीं किया जा सकता, रुपयों से थोड़ी सहायता की जा सकती है। वह सहायता करना हमारा कर्त्तव्य है, आप उसका पालन करिए। लेकिन इस सवाल की भी जांच होनी चाहिए एकदम से आप पैसा बांटेंगे।

हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर आधुनिकतम हथियारों से पूजा स्थलों से गोलियां चलाई गई। हथगोले फेंके गए। क्या सरकार इस बात की जांच करने के लिए तैयार है कि इन सुरक्षा बलों पर जिन लोगों ने हमले किए हैं, उनके पास हथियार कहां से आये। वे कौन से देश हैं या कौने से ऐसे लोग हैं जो इन हथियारों को मुहैया करा रहे हैं। क्या आप इस बात की जांच करेंगे कि इन हथियारो को चलाने की ट्रेनिंग के लिए कहां से व्यवस्था हो रही है कि यह ठीक प्रकार से चलाये जा सकें और सुरक्षा बलों से कड़ा मुकाबला किया जा सके। क्या इस बात की जांच करायेंगे कि इसके लिए धन कहां से मुहैया होता है। इसके बारे में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में एक शब्द भी नहीं कहा गया है।

25 फरवरी को एक रैली होनी थी, आपने कहा कि बोट क्लब पर तीन, चार महीने के लिए कोई रैली नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की रैली यहां हो जाती, यहां हमारे राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, क्या हम उस पर कब्जा करके आलू बोते। क्या करते? वहां सैकड़ों रैलियां हुई हैं और सैकड़ों होंगी। 25 तारीख को आज सदन किस बात का रिफ्लेक्शन करता है वह इस बात का रिफ्लेक्शन करता है यह सदन इस बात की गारंटी देता है, हमें संविधान में गारंटी दी गई है कि हम अपने विचारों की शांतिपूर्वक अभिव्यक्ति कर सकते हैं। हम 25 फरवरी को आ रहे थे, माननीय राज्य मंत्री जी अगर आपमें ने इतनी व्यवस्था और इतना फौज फैक्टर बंगलादेश के बोर्डर पर लगायें, कश्मीर और पंजाब के बोर्डर पर लगाए और सीमा सील कर दें तो देश की एकता और अखंडता की रक्षा हो सके। लेकिन दिल्ली में ऐसा करने से क्या लाभ मिला हम नहीं समझ पाए। आपके जो सलाहकार हैं जो इस प्रकार के काम करने की आपको राय देते हैं।

आज बंगलादेश से दिल्ली में लाखों की संख्या में लोग आये हुए हैं। उनके राशन कार्ड बन रहे हैं, उनको वोटर लिस्ट में लिया जा रहा है। पूर्वांचल के जितने प्रदेश हैं उनकी भी यही हालत है। वहां भी उनका नाम वोटर लिस्ट में है और उनको बसाया जा रहा है। लेकिन आप यह काम नहीं कर सकते, आप उनको रोकने का काम नहीं कर सकते हो। इस देश के नागरिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चीनी नहीं मिल रही है, गेहूं नहीं मिल रहा है। यहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए प्रधान मंत्री जी ने बार-बार घोषणायें कीं, लेकिन यहां पर डुएलिटी लागू है। गांव के लिए एक और शहर के लिए दूसरी इस प्रकार दो तरह से वितरण हो रहा है। लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। आज इस देश के लाखों लोग गरीब हैं, जो शहरों में नौकरी की तलाश में आते हैं, पेट भरने की तलाश में आते हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बनता, लेकिन जो विदेशी आता है, जो इस देश को तोड़ने की साजिश करता है, जो इस देश का नागरिक नहीं है, जिसको इस देश की धरती से कोई लगाव नहीं है, कोई प्यार नहीं है उसका राशन कार्ड बन जाता है। उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में आ जाते हैं, हमारा नहीं आता है। सैकड़ों की संख्या में वोटर लिस्ट में राजनैतिक तौर-तरीकों से और दबाव के आधार पर लोगों के नाम घटाये और बढ़ाये जाते हैं। लेकिन बाहर से जो विदेशी घुसपैठिये आते हैं उनके नाम तेजी से बढ़ जाते हैं। क्या आपने विचार किया था पूर्वांचल की नेशनल रजिस्टर फार सिटीजन, इसके लिए भी सोचेंगे।

[श्री सत्यदेव सिंह]

अभी भी समय है आप इसके लिए सोचिए। इन घुसपैठियों को इस देश से निकालिये। यह बहुत बड़ा कैंसर है इस देश में होता जा रहा है। इस बारे में मेरी आपसे अपील है कि इसको पार्टी से ऊपर उठकर देखिये, इसको मात्र वोट बैंक के रूप में मत देखिए। यह वोट बैंक की राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, लोग समझ चुके हैं, सचेत हो चुके हैं और यह एक जागरूक मानसिकता का, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का परिलक्षण है और इसके लिए देश की जनता बधाई की पात्र है।

मान्यवर, अभी त्रिपुरा के बारे में कल सदन नहीं चल पाया। आज त्रिपुरा के अन्दर एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। कल सदन में गृह मंत्री जी आए, एक बयान दिया। क्या स्थिति में अन्तर आया कांग्रेस के शासनकाल में वहां के चुनाव स्थगित हो गए, क्यों हुए? कौन सी ऐसी परिस्थिति थी, क्या इस पर आगे विचार करेंगे? या अभी गवर्नर साहब की रिपोर्ट आयेगी? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को बर्खास्त करने के लिए आपके पास कहां से रिपोर्ट आ गई? आपने आज न केवल देश में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है बल्कि दुनिया में ऐसा वातावरण बना दिया है कि आप कांस्टीट्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्या त्रिपुरा की असेम्बली डिजाल्व करने की आवश्यकता नहीं थी? उसका समय पूरा हो गया था लेकिन त्रिपुरा में जो घटनायें हुई हैं, इसके कारण चुनाव प्रक्रिया में, इलेक्शन लाज में, इलेक्शन को मजबूत करने के लिए इन कानूनों में आमूल परिवर्तन करने की महती आवश्यकता आ गई है। त्रिपुरा इसका एक उदाहरण है।

[अनुवाद]

लोकतन्त्र का अपहरण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

क्या हो रहा है? धन बल भाग रहा है, बाहुबल लग रहा है और धर्म की बात करने वाले अधर्मी लोग धर्म की बार-बार बात करते हैं। धर्म का प्रयोग करने से डरते हैं। धर्म को मानने वाले लोग कोई गलत तरीका अपनाने वाले नहीं हैं।

मान्यवर, इस सरकार के जमाने में बेरोजगारी बढ़ रही है। आप उस देश में बोनस देने की बात करते हैं जहां बेरोजगारी व्याप्त है। आप तनख्वाह पूरी नहीं दे पाते हैं, जरूरत के हिसाब से तनख्वाह नहीं देते हैं तो फिर बोनस किस बात का देते हैं? आज हजारों की संख्या में गांवों के लोग बेरोजगारी के नाम पर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। आप एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज के रजिस्टर्स उठाकर देख लीजिए वे भरे पड़े हैं लेकिन प्लेसमेंट आप कितना कर रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं।

दूसरी बात सदन में महिलाओं के ऊपर अत्याचार के प्रश्न आते रहे हैं। इस सरकार से मैं अपेक्षा करूं? यहां पर माननीय ममता जी नहीं हैं, वे अपनी महिला की रक्षा नहीं कर पाये है और वह भी तब जब वह राज्य मन्त्री थीं और कलकत्ता में असौल्ट किया गया और एक शब्द बोलने वाला कोई नहीं है। क्या इस देश के अन्दर कोई इस बात पर चर्चा होगी? क्या कानूनों से यह बात चलेगी? क्या महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है या जो दहेज के नाम पर हत्यायें हो रही हैं? दहेज के नाम पर अनेक बहिनें अविवाहित रह जाती हैं, उनके लिए क्या होगा? उनके बारे में कभी विचार किया है? इस बारे में राष्ट्रपति जी के पास कोई उद्गार नहीं हैं, इसलिए हमारी यह मांग रही है···

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : जो पुरुष अविवाहित रह जाता है, उसका ?

श्री सत्यदेव सिंह : यह भी एक समस्या है लेकिन यह आपके लिए छोड़ दिया है। इसलिए हमने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाये ताकि सरकार की सीधी जिम्मेदारी बने कि यदि एक बेरोजगार नौजवान अपना काम का अधिकार मांगता है तो उसे काम का अधिकार मिले, उसे मुहैय्या किया जाये। आज हमारे देश में सबसे बुरी गति कारपोरेट सेक्टर में काम करने वाले की है लेकिन आर्गनाईज्ड सैक्टर में जो मजदूर काम करते हैं, उनकी तो आवाज सुनी जाती है और सदन में भी उनकी आवाज बार-बार गूंजती है कि उनके लिए और तनख्वाह बढ़ा दी जाये, उनका कितना भत्ता बढ़ाया जाये उनकी सुख-सुविधाओं में कितना इजाफा किया जाये, इस बात पर तो बार-बार चर्चा होती है जबकि 3/4 लेबर फोर्स अन-आर्गनाईज्ड सेक्टर में, उनके लिए कोई विचार नहीं है और न उनके लिए कोई बात है।

मान्यवर, आज बाल मजदूर की समस्या बढ़ती चली जा रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर कालीन उद्योग को बदनाम किया जा रहा है कि वहां बाल मजदूर काम करते हैं। विदेशों में इस बात पर चेतावनी दी गयी है कि अगर यहां बाल मजदूरों से कालीन बनवाया जायेगा तो वे हमारे कालीन नहीं खरीदेंगे। हमारा संविधान कहता है कि 14 साल के बच्चों को कंपलसरी फ्री एजूकेशन दी जाये लेकिन 14 साल की उम्र के कितने बाल विद्यालयों में जाते हैं, यह आपको मालूम है। ये हमारे देश की पूंजी हैं जिसको आप बरबाद कर रहे हैं। विद्यालयों के बारे में मुझे कहना नहीं क्योंकि उससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं।

दूसरी सबसे बड़ी समस्या कृषि की है। इसके लिए बार-बार इस सदन में मांग उठी है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिये क्योंकि आज देश में जितनी दुर्गति कृषकों की है, उतनी किसी की नहीं है। आज इसलिए आवश्यकता थी कि सरकार क्राप प्लानिंग करती, क्रॉप इन्श्योरेंस की बात समाप्त हो गयी है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना बोया जाता है और हम क्लेम कर रहे हैं कि अगली सदी के प्रारम्भ होने तक भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक होगा। सबसे बड़ा उत्पादक होने के लिए जो सबसे बड़ा इनग्रेडियंट है, वह गन्ना का किसान है। श्रीमन्, आज गन्ना किसानों की क्या दशा है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार ने गन्ना किसानों के हित को देखते हुए कंप्यूटरीकरण की व्यवस्था की थी जिससे पर्चियां कंप्यूटर के द्वारा दी जाएं और बैंकों के द्वारा भुगतान किया जाए जिससे जो घटतौली की जाती है उसको रोका जा सके। यह राष्ट्रपति शासन आने से गन्ना किसानों को एक बड़ा तोहफा आपने दे दिया कि बैंक से पेमेंट बन्द करा दी और कंप्यूटर से पर्ची देने की व्यवस्था आपने नहीं की। हमारे खाद्य मन्त्री जी नहीं हैं, विद्युत मंत्रालय से खाद्य में पहुंचे और वहां भी चमक रहे हैं। चीनी के दाम रातों रात बढ़ा दिए और वह भी पिछले उत्पादन पर। एक-एक चीनी मिल को करोड़ों का लाभ हुआ लेकिन किसानों के गन्ना की कीमत देने को वह तैयार नहीं हैं।

दूसरा सबसे बड़ा संकट पेयजल और बिजली का है। इस पर भी हमने विचार नहीं किया है। इस पर अभिभाषण बिल्कुल चुप है। विकास की परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में शुरू की गई थीं, वह सब ठप्प कर दी गई हैं। पूर्वांचल विकास निधि से जो पैसा दिया था, जो लेजिस्लेटिव ग्रांट्स थीं उसको रोका नहीं जा सकता, अमेंडमेंट नहीं कर सकते तो उसको पैसा नहीं दे रहे हैं। सिंचाई किसान के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। सरजू नहर परियोजना में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो गए। आज उत्तर प्रदेश शासन के पास इतना पैसा नहीं है कि इस परियोजना को अपने हिसाब से पूरा कर सके। खाद के दामों के बारे में भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

हजारों करोड़ रुपया हर्षद मेहता जैसे इन बैंकों से, कम्पनियों से ले सकते हैं लेकिन अगर किसान को दो-चार करोड़ रुपया देना पड़े तो सारा आकाश टूट पड़ता है। फर्टिलाइजर के जो दाम बढ़े हैं, यह देश के किसानों की हत्या की एक साजिश है। कृपया इन बढ़े हुए दामों को आप तत्काल वापस लेने का काम करें।

मान्यवर, अगर हमारे लिए राष्ट्रीय शर्म और दुख की कोई बात है तो वह 6 दिसम्बर की घटना नहीं है, कालाहांडी में, उड़ीसा में और वनांचल में जो लोग मर रहे हैं, इस सभ्य समाज के लिए इससे बड़ा कलंक और कुछ नहीं हो सकता कि हम तो यहां पर बैठकर एयर-कंडीशंड कमरों में बात करें और वहां पर सरकार ने 24 घंटों में क्या किया है? वहां पर कोई एयर-लिफ्टिंग नहीं की है। क्या यह सरकार इतनी गई गुजरी हो गई है कि अपने 5-10 हजार नागरिकों के जीवन की रक्षा न कर सके? उनके लिए भोजन मुहैया न करा सके?

[अनुवाद]

श्री शरत् चन्द्र पटनायक : यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार वहां क्या कर रही है?

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव सिंह : आपने अपने हाथ धो लिये हैं। टोपी उतार ली है। आपका इस तरह का व्यवहार है। इस प्रकार आपने लोगों की भावनाओं का उत्तर दिया है।...(व्यवधान) मैं आपसे सहमत नहीं हूं।

[हिन्दी]

ये संवेदनहीन लोग हैं। आप क्या जानेंगे भुखमरी! आज इन सबका समग्र रूप से विकास हो सके, इसके लिए आवश्यकता यह है कि 17-12-91 को उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने एक प्रस्ताव उत्तरांचल के सात जिलों को मिलाकर एक राज्य बनाने के लिए भेजा था क्योंकि उनकी अलग सभ्यता है, अलग संस्कृति है, अलग उनकी आवश्यकताएं हैं। जो आपने हिल कैडर बना दिया है यह कोई उसका समाधान नहीं है। जो प्रस्ताव हमने उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वारा पास किया, उसे बनाइये और मान्यवर, जब तक वनांचल नहीं बनेगा। यह भुखमरी और गरीबी आप नहीं समझ पाएंगे। आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप उस वनांचल क्षेत्र से नहीं आते। इसलिए उसको अपने भाग्य पर छोड़िए और वनांचल प्रदेश में इन समस्याओं को हल करने के लिए वहां के लोगों को साझीदार बनाइए और उनको कहिए कि वे अपना काम कर सकें।

मान्यवर, शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्ज के बारे में बहुत बड़ी बात कही गई। डा० अंबेडकर का जन्म शताब्दी समारोह चल रहा है। भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। गोष्ठियों का, चलचित्र प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि उत्तर प्रदेश शासन ने लखनऊ में डा० अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनाने की योजना की थी, वहां जमीन मुहैया कर दी गई है लेकिन वहां 300 करोड़ रुपए का खर्च होगा, पूर्व मुख्य मन्त्री ने इस बारे में अनेक पत्र केन्द्र सरकार को लिखे हैं और स्वास्थ्य मन्त्री जी से मेरा विशेष निवेदन होगा कि क्या आप डा० अम्बेडकर की जन्मशती में अपनी सरकार से घोषणा कराएंगे कि जो डा० अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में बन रहा है, उसको केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अपने हाथ में लेकर उसका तत्काल निर्माण कराने का काम करेंगे। मुझे आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे।

सभापति महोदय, आज स्वदेशी की कल्पना हमारे देश से जा रही है। गांधी के नाम पर आप जीते हो, गांधी के नाम पर सोते हो, और गांधी के नाम पर रोते हो लेकिन स्वदेशी की कल्पना आपने छोड़ दी है। मान्यवर, विदेशी कंपनियों को कंज्यूमर गुड्ज में दरवाजा खोलने में अगर आप समझते हैं कि देश तरक्की करेगा तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं।

मेरा आपसे एक निवेदन है और मैं दो दिनों से इस सवाल को यहां पर उठा रहा हूं कि वन विभाग के कर्मचारियों ने, डी० एफ० ओ० के नेतृत्व में, 23 तारीख को गोंडा जिले की तुलसीपुर तहसील के दो गांवों—भगवानपुर और मदहुवा में गोलियां चलायीं। गोलियां चलाने के पीछे कारण यह था कि हमारे यहां वन गांव के किनारे हैं, जंगल के किनारे गांव हैं और जंगल विभाग के कर्मचारी उनकी जमीनों पर जबर्दस्ती अतिक्रमण करते हैं। जिस स्थान पर गोलियां चलीं, वह जमीन असंक्रमणीय पट्टे पर दी जा चुकी थी लेकिन उस जमीन पर जो फसल हुई थी, उसे काट लिया गया और उसे फूंक दिया गया। जब इसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो हरिजनों के ऊपर गोलियां चलाई गईं।

माननीय कल्याण मंत्री जी, आज वहां आपका शासन है। आप उत्तर प्रदेश में पिछले दरवाजे से आ गए हैं जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, संविधान के अनुरूप वह नहीं है, लेकिन मैं अब आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वहां इस प्रकार से जो गोलियां चलाई जा रही हैं, कम-से-कम उत्तर प्रदेश के तराई जिलों में, जहां वन है और उनसे सटे हुए जो गांव हैं, उन गांवों का आप पक्का सीमांकन करा दीजिए ताकि वन विभाग के अधिकारी उन गरीब लोगों का, किसानों का शोषण न कर सकें।

माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में हिन्दी के सम्बन्ध में राष्ट्रपति जी ने कुछ कहा है, हिंदी में वे बोले जरूर, जिसके लिए मैं उनको बधाई दे सकता हूं, लेकिन हिन्दी को एक भाषा के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रस्तुत किया था। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को उचित मान्यता मिले, इस मामले पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी और इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : सभापति जी, अभी हमने बी० जे० पी० के माननीय सदस्य के ख्यालात सुने। बड़ी जोशीली उनकी तकरीर थी। उस तकरीर को सुनकर, आपको मुखातिब करते हुए कहना चाहता हूं कि—

किरदारे खुद पर अपनी निगाह डालिए हुजूर,
क्या-क्या किया है आपने, क्या-क्या नहीं किया।

(व्यवधान)

मुझे यहां इकबाल का वह तराना याद आता है, जब डा० सर मोहम्मद इकबाल ने कहा था—

सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा,
हिंदी है हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा।

लेकिन 6 दिसम्बर को हमारे इन भाइयों ने कहा—

सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा,
हिन्दू हैं हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा।

[श्री चिरंजी लाल शर्मा]

इन्होंने हिन्दी नहीं "हिन्दू" कहा।

ऐ आब रोदे गंगा वह दिन है याद तुझको,
उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा।
यूनान मिश्र रोमां सब मिट गए जहां से,
अब तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा॥
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमां हमारा।

अभी यहां चटर्जी साहब भी बोले और उन्होंने 6 दिसम्बर का जिक्र किया। उसके बाद हमारे बी० जे० पी० के एक माननीय सदस्य बोले, वे भी 6 दिसम्बर से शुरू हुए। 6 दिसम्बर का दिन हिन्दुस्तान के इतिहास में एक ऐसा दिन बन गया है कि उसने हिन्दुस्तान के माथे पर कलंक लगा दिया हिन्दुस्तान के माथे पर एक बदनुमा दाग लगा दिया। (व्यवधान)

बाहर जायेंगे या बाहर निकालेंगे, यह तो वक्त ही बतायेगा। आपकी जो नियत है कि हम बाहर चले जायें या बाहर निकाल दें लेकिन आपका यह सपना कभी साकार नहीं होगा।

सभापति जी, यहां बहुत कुछ कहा जा चुका है। बड़ी वलवलाअंगेज तकरीर हुई, बड़ी जोशीली तकरीर हुई हैं लेकिन यह इतना गम्भीर मसला है कि हमें जजबात की रौ में बहकर गलत कदम नहीं उठाने हैं। हमारा हिन्दुस्तान एक महान देश है। आज भी 88 करोड़ के इस देश में, जहां 70-75 करोड़ हिन्दू हैं, उन हिन्दुओं के दिल में अगर ऐसा अहसास आता है कि आज हिन्दुइज्म को खतरा है तो मैं समझता हूं लानत है इस बात पर।

क्या खतरा है, किस चीज का खतरा है ? 6 दिसम्बर को इकट्ठे होकर के वहां दो ढाई लाख आदमी इकट्ठे करके कहा—नारा लगाया—

"राम नाम से लूट है"

राम नाम की लूट नहीं,

"राम नाम से लूट है लूटी जाए तो लूट
फिर पीछे पछताएगा जब मस्जिद जाएगी टूट।"

उन लोगों की रगे-गैरत को उभारा, जो वहां पर इकट्ठे किए गए थे और कहा कि अगर कोई मस्जिद के टूटने में पीछे रह गए तो पछताना पड़ेगा।

चेयरमैन साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी वसातत से पूछना चाहता हूं कि भगवान राम कब हुए ? कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि एक लाख साल पहले हुए, दूसरे हिस्टोरियन कहते हैं कि 2 लाख साल पहले हुए और कुछ कहते हैं कि त्रेता युग में, साढ़े आठ लाख साल पहले पैदा हुए। भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लिया। अयोध्या में भगवान राम के नाम का मंदिर था। जगह-जगह, देश के कोने-कोने में भगवान राम के मन्दिर हैं। मैं भी ब्राह्मण हूं, मुझे ब्राह्मण होने पर बड़ा गर्व है, मैं हिन्दू भी हूं, कट्टर हिन्दू हूं, लेकिन हिन्दू से पहले, हिन्दी हूं, हिन्दुस्तानी हूं। मैंने भी घर में भगवान राम का मंदिर बनाया हुआ है, मैं भी पूजा करता हूं, लेकिन हमारे बी० जे० पी० के भाई यह कहते हैं कि राम तो हमारा है और किसी का नहीं है।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : नहीं, नहीं, आपका भी है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : और राम नाम की दुहाई देकर इस देश के खामोश समुद्र में आग लगाने पर ये लोग तुले हुए हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि अयोध्या में राम का मंदिर बनाने के लिए आडवाणी जी को देश-यात्रा की क्या जरूरत थी ? द्वारिका से चले, दक्षिण भारत को, सेंट्रल भारत को चीरते हुए और जहां प्यार और मोहब्बत की मुरली बजती थी, वहां जहर फैलाते चले आए। इसके बाद आपने पिछले दिनों देखा, बी० जे० पी० के प्रधान मुरली मनोहर जोशी जी को, उन्होंने यात्रा की, मंदिर बनाने के लिए दो-दो और तीन-तीन लाख आदमी इकट्ठे किए जाते हैं, मंदिर बनाने के लिए लोगों की रगे-गैरत उभारकर यह कहते हैं कि एक-एक ईंट लेकर चलो। क्या वे लोग वहां ईंट लेकर आए थे ?

चेयरमैन साहब, इनके पास कोई जवाब नहीं, 6 दिसम्बर के हादसे के बाद, 7 दिसम्बर को यहां पर हमारे बी० जे० पी० के माननीय सदस्य जो उस समय जलका-फरोश थे, उनके चेहरे पर नदामत थी, वे शर्मसार थे और उनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस चीज का पश्चाताप किया और क्या कहा—भाई इस बी० जे० पी० में अक्लोहोश की बात सुनी नहीं जाती है और अफसोस जाहिर किया।

चेयरमैन साहब क्या किया सरकार ने, देखिए, धोखा देना बुरा है, धोखा खाना बुरा नहीं। नैशनल इंटीग्रेशन कौंसिल में बी० जे० पी० ने आश्वासन दिया कि वहां पर कोई कार-सेवा नहीं की जाएगी। यहां इनकी पार्टी के सदस्य स्वामी चिन्मयानन्द जी ने कहा कि कार-सेवा का यह मतलब नहीं है कि हम वहां पर मंदिर बनाएंगे और कार-सेवा, जो गुरुद्वारे में होती है, उसका भी हवाला दिया। प्रधान मंत्री जी को आश्वासन दिया और देश के सबसे बड़े न्यायालय, सबसे बड़ी कचहरी में उस प्रांत के मुख्य मंत्री ने हलफिया बयान दिया, एफेडेविट दिया, इस सदन को आश्वासन दिलाया गया, जिस पर यकीन करते हुए प्रधान मंत्री जी ने जो जम्हूरियत के अलम्बरदार हैं, महज इसलिए कि वहां की सरकार को नोकेकलम से बर्खास्त नहीं किया क्योंकि वहां मेजोरिटी की सरकार थी, बी० जे० पी० की सरकार थी, खास तौर पर तब, जब उन्होंने यह आश्वासन दिया, हलफिया बयान दे दिया, तो जरूरत नहीं थी और वहां पर जो हुआ वह लोगों के सामने है।

उसके बाद अभी कहा गया कि मुख्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि इरादे नापाक थे। फूंस में आग लगाकर जमालो दूर खड़ी। हमारे देहात में कहा करते है, सूखे हुए घास के ढेर को आग लगाना आसान है, उसको बुझाना बहुत मुश्किल है। अभी जब सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए।

[अनुवाद]

जो अन्दर था वह बाहर आ गया।

[हिन्दी]

क्या कहा—हमारे जो अफसरान हैं उनका कोई कसूर नहीं है, सरकार के आदेश थे कि गोली नहीं चलानी, कोई सख्ती नहीं करनी। सरकार के अगर वह आदेश थे तो उस कुर्सी पर रहने का क्या उनका यह अधिकार है, उस सरकार को सरकार कहने का क्या अधिकार है जो अपने प्रांत के अन्दर ला एण्ड आर्डर को कायम नहीं रख सकती ? क्या कानून यह इजाजत देता था कि इस तरह से लाखों की तादाद में इकट्ठे होकर एक मजहबी जगह को मिसमायर कर दिया जाए ? 462 साल पुरानी मस्जिद थी।

[श्री चिरंजी लाल शर्मा]

कल ही मेरे फाजिल दोस्त, एक माननीय सदस्य ने कहा कि 1949 से इस मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति रखी हुई थी। अगर वह भगवान राम की मूर्ति थी और भगवान राम के पुजारी उसको मन्दिर की शक्ल दे चुके थे तो वह मन्दिर क्यों गिराया गया? क्या इस चीज का उनके पास कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। माफ करना, बी० जे० पी० का एक करैक्टर है। मैं आपको बताना चाहता हूं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इतना मानते हैं ना।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : हां, बिल्कुल मानता हूं और उस करैक्टर की सही तस्वीर मैं पेश करना चाहता हूं। आज जगजीवन राम जी जिन्दा नहीं हैं। 1977 में एकदम बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस के मुकाबले सी० एफ० डी० बनाई, इलेक्शन लड़ा और उसके बाद बी० जे० पी०, सी० एफ० डी० जनता पार्टी ने मिलकर राज किया। मैं गलत बयानी नहीं करूंगा, आज जगजीवन राम जी नहीं हैं, वो वजारत टूट गई।

एक रोज मैं बाबू जी से मिलने चला गया। मैंने कहा कि बाबू जी, आप कहा फंस गए, आपकी जगह कांग्रेस में है, आपने अपनी जवानी अंग्रेज की काली कोठरी में गुजारी, बरतानीज साम्राज्य का मुकाबला दिया, कांग्रेस में आओ। कहने लगे शर्मा जी, मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ। मैंने कहा कि किसने धोखा किया? उन्होंने कहा कि मैं सबका यकीन कर लूंगा बी० जे० पी० का नहीं करूंगा। मैंने कहा, क्या धोखा किया? उन्होंने कहा कि मैंने जिस समय कांग्रेस छोड़ी तो बी० जे० पी० वालों को यह कहा, मैं प्रधान मन्त्री बनना चाहता हूं, उम्मीदवार हूं। इलेक्शन के बाद लीडरशिप का इलेक्शन करवा देना। अगर इलैक्टेड एम० पीज० की मैजोरिटी मेरे साथ हो तो मैं लीडर वरना दूसरा लीडर। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। मैं कांग्रेस के खिलाफ लड़ा। लेकिन जब उस पार्टी को बहुमत मिल गया तो वहां पर मैंने कहा, इलेक्शन करावो तो कहने लगे कि नहीं, ऐसा है आचार्य कृपलानी और जयप्रकाश जी पर छोड़ देते हैं। कहने लगे कि उनकी मिलीभगत थी। ये शब्द बाबू जगजीवन राम के थे। उस वक्त की और जिन्दा मिसाल बताता हूं। श्री मोरारजी की कैबिनेट में चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री बने। 5-7 महीने जब हो गए, बी० जे० पी० वालों ने मोरारजी भाई को कहा कि चौधरी चरण सिंह को ड्राप करो वरना हम तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। मोरारजी देसाई ने चौधरी चरण सिंह को ड्राप कर दिया।

प्रो० प्रेम धूमल : चौधरी चरण सिंह को हमने शामिल करवाया था।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : यही मैं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

यह मैं कहना चाहता हूं। आपकी उंगली मेरी नब्ज पर है।

[हिन्दी]

उसके 5-7 महीने के बाद मोरारजी भाई को फिर कहा, मोरारजी भाई, या तो चौधरी चरण सिंह को वापिस लो वरना हम आपसे अलग हैं। फिर मोरारजी देसाई ने उनके दबाव में चौधरी चरण सिंह को फाईनेंस मिनिस्टर के तौर पर अपनी सरकार में लिया। यह है इनकी कारगुजारी।

मैं एक चीज बड़ी नम्रता के साथ पूछना चाहता हूं

अगर आपने गलती 6 दिसम्बर को नहीं की थी तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि हमारे लीडर आफ दी अपोजिशन श्री एल० के० आडवाणी साहब जिनका जाति तौर पर मेरे दिल में बड़ा ऐतराम है, वह एक काबिल नेता है, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था, अपोजिशन की लीडरशिप से ? वह इस चीज का जवाब दे सकते हैं···(व्यवधान)···हां, वह इसका जरूर जवाब देंगे । मेरे ख्याल में इसका कोई जवाब नहीं है । फिर उन्होंने कहा कि लोग हमारे काबू में नहीं रहे । एक फिकरे से देश का सत्यानाश कर दिया । माफ करना, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या बी० जे०पी० के भाई, आर० एस० एस० के भाई या विश्व हिन्दू परिषद के किसी एक आदमी को गोली लगी ? क्या एक भी मारा गया ? दो ढाई लाख वहां इकट्ठे हुए···(व्यवधान)···

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : मारे भी गए हैं, आंखें भी निकाली गई और हाथ भी काटे गए।

(व्यवधान)

श्री सत्यनारायण जटिया : यहां पर कोई ऐसे प्रश्न न पूछे जायें जिनका जवाब देना मुश्किल हो जाये। (व्यवधान)

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैं कोई अनपार्लियामैंटरी चीज नहीं कह रहा हूं। मैं बहुत पुराना पार्लियामेंटेरियन हूं। मैं अपने मुअज्जिज साथियों से यह कहना चाहता हूं कि जब कोई बात कहते हो तो सुनने की भी आपमें शक्ति होनी चाहिए। यह सदन है । सबके अपने-अपने ख्यालात हैं । मेरे दिमाग में जो जजबात हैं, ख्यालात हैं, वह मैं रख रहा हूं । इनका जवाब देने का आपको अधिकार है ।

जब हमारा पैरा मिलिट्री फोर्सिज वहां पहुंच गई और उन्होंने जब कहा कि यहां से चले जाओ तो हाथ जोड़कर इन्होंने कहा कि अच्छा जी, हमारे लिये गाड़ियां भेज दो । अगर इनमें इतना दम था तो डटे क्यों नहीं कि मन्दिर बनाकर ही जायेंगे । बताइए, इसका कोई जवाब है ? कल्याण सिंह जब तक मुख्यमंत्री थे तो दनदनाते रहे। दो-ढाई लाख इकट्ठे हो गये और मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया। जब राष्ट्रपति राज आया और पैरा मिलिट्री फोर्सिज वहां पहुंची तो हाथ जोड़कर कहने लगे कि गाड़ियां भेज दो, हम अभी चले जायेंगे । 24 घंटे में दो-ढाई लाख वहां दिखाई नहीं दिये । यह इनकी बहादुरी है, यह इनका करेक्टर है ।

वाजपेयी साहब ने अपने दिल की बात कही। जो चीज उनको खटकी, जब उनके रंगे गैरत में उभरी उनको कहने पर मजबूर किया, वह उन्होंने कही । उन्होंने जायज बात ही कही कि इस बी० जे० पी० में अक्ल होश की बात नहीं सुनी जाती है । मस्जिद टूटने पर उन्हें जो अफसोस हुआ, उसको उन्होंने यहां भी जताया । इस पर ये वाजपेयी जी को कहने लगे कि कांग्रेस ने इन्हें ये सब बताया है। यह इनका करेक्टर है । जिस वाजपेयी जी ने अपना सारा जीवन बचपन से लेकर अब तक बी० जे० पी० में गुजारा, वह बी० जे० पी० के प्रधान रहे, नेता रहे, जब उन्होंने एक राह लगती सच्ची बात कह दी तो उनको भी इन्होंने भला-बुरा कहा । अगर वाजपेयी जी यहां होते तो एक शेर सुनाता :

"खूब पर्दा है कि चिल्मन से लगे बैठे हैं,
साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं ।"

कल वाजपेयी साहब की तकरीर मैंने सुनी । उसमें बड़ी गम्भीरता थी। वाजपेयी साहब ने कहा कि यह राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का मसला अदालतों के जरिये सुप्रीम कोर्ट से हल नहीं हो सकता ।

[श्री चिरंजी लाल शर्मा]

क्या सद्भावना से हल नहीं कर सकते। आज उनकी तकरीर पर कुछ अखबारात में लीडिंग आर्टिकल्स लिखें हैं। जैसाकि अभी आपने कहा कि वह अपने आपको हैल्पलैस, मजबूर समझते हैं आज उनकी चलती नहीं, वरना इस चीज के लिए तो बड़ी कोशिशें होती रहती हैं। इस चीज के लिए कांग्रेस पार्टी ने, सभी ने कोई दकीका फरोग्जारत नहीं किया, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी कि आपस में बात-चीत करके, तबादला-ए-ख्याल से, राउण्ड दि टेबिल पर बैठकर इसका समाधान कर लें और वाजपेयी जी उस रोज वहां नहीं थे, वरना पता नहीं वह क्या करते। उन्होंने गलती का एहसास किया लेकिन आज हम भी यह कहते हैं, कि अगर सद्भावना से चीज होती तो उसमें कौन रुकावट डालती। अगर प्रधान मंत्री ने इनका विश्वास करते हुए जम्हूरियत के उसूलों को कायम रखकर कोई खूबसूरत मिसाल पेश की है तो उसको कायरता और बुजदिली कहा जायेगा ?

चेयरमैन साहब, घण्टी बजाने से ख्यालात की जंजीर टूट जाती है। अभी तो मुझे दस मिनट ही हुए हैं। मेरे से पहले स्पीकर ने आधा घण्टा लिया, दूसरे स्पीकर चटर्जी साहब ने 40 मिनट लिए थे तो मैं बड़े अदब स आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि वह प्रिवलेज्ड मैम्बर हैं। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मैं चूंकि ट्रेजरी बैंचेज से हूं तो मेरी यह डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। मैं यहां लगातार चोथी बार आया हूं, कोई नया नहीं आया हूं और दस मिनट के बाद एक ऐसे अहम् मसले पर आप घण्टी बजा दें तो वैसे तो मुझे आपके हुक्म को बजाना होगा अगर मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि कृपा करके मुझे कुछ समय दीजिए।

यह एक ऐसा मसला है कि यह इस तरह से हल नहीं होगा, आज हिन्दू राम कहें, मुसलमान रहीम कहें तो दोनों की गरज बराबर उसी ईश्वर से है। एक मन्दिर में मूर्ति के सामने कंसेन्ट्रेशन कर लेता है, दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लेता है। मुसलमान का तो यह है कि रेलवे स्टेशन पर बैठा है और दो बजे नमाज का टाइम है और देखता है कि ढाई बजे गाड़ी आयेगी तो वहीं अपना तहमद बिछाकर उस खुदा को याद कर लेता है। सिख भाई गुरुग्रन्थ साहिब में विश्वास रखते हैं। इसाई भाई गिरिजा में चले जाते हैं लेकिन निशान सब का एक है। जैसे कल कहा था कि ऐसे हिन्दू, मीम से मुसलमान-हम मिलकर बने हैं।

आज वह कहते हैं कि वहां मन्दिर था, मन्दिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। बगर्ज बहस यह मान लिया जाए कि उन लोगों ने, मौहम्मद गजनवी और गोरी ने गलती की तो क्या आप दोबारा उस गलती पर गलती करना चाहते हैं ? देखिए, बरतानवी साम्राज्य को गुलामी से छुटकारा होने के बाद कितनी स्टेट्स थीं, कितने रजवाड़े थे और किस तरह से देश को पहली बार एक सूत्र में, एक लड़ी में सरदार पटेल ने पिरोया, कांग्रेस पार्टी ने पिरोया। आज हमारे बी० जे० पी० के भाई धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर एक आग लगाते चले आयें, माफ करना, मजहब एक ऐसी चीज है जिसमें लोग जज्बात में बह जाते हैं, बहक जाते हैं। मैं बड़े अदब से यह कहना चाहता हूं, यह एक ऐसा मसला है कि इसमें सब्र से काम लें, अक्ल से काम लें, अक्ल के नाखून न उतारें।

पड़ोसी देश हिन्दुस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन होता हुए देखकर उनकी नींद हराम है। वह नहीं चाहते यह सब, वह हिन्दुस्तान की तरक्की के परों को कैंच करना चाहते हैं और आप उनके नापाक इरादों को अपनी इन हरकात से अमली जामा पहनाना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री चटर्जी ने कहा है :

"प्रधान मंत्री जी देश को विभाजित कर रहे हैं और विभाजित देश पर शासन कर रहे हैं।"

भारत अभी पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ है। भारत एक है और चाहे कुछ भी हो, भारत एक रहेगा।

[हिन्दी]

बी० जे० पी० के ये नारे, ये मस्जिदें तोड़ना, मैं कहता हूं, जमीन की ताकत तो क्या, समुद्र के तूफान और आसमान की बिजलियां भी हमारे रास्ते में रुकावट पैदा नहीं कर सकती हैं। हिन्दुस्तान एक ही रहेगा। यह चीज नहीं हो सकती है। बी० जे० पी० वाले यह समझते हैं कि मस्जिदें तोड़कर, मजहब के नाम पर लोगों को उभारकर हिन्दुस्तान में राज करने के सपने देख रहे हैं। उनका यह सपना साकार नहीं होगा, यह मैं आज इस सदन से भविष्यवाणी करता हूं।···(व्यवधान)···यह ब्रह्म-वाणी है। यह हमारा पैदाइशी हक है।···(व्यवधान)

चेयरमैन साहब, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा मसला है, जिसमें हमें कदम से कदम मिलाकर, खबे से खबा मिलाकर और हाथ से हाथ मिलाकर चलना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। यह कोई तरीका नहीं है कि हम मैजोरिटी में हैं, तो हम इस मसले को उठायें। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, आज हिन्दुस्तान में 12-13 परसेंट मुसलमान हैं, जो हिन्दुस्तान के चप्पे-चप्पे में रहते हैं, क्या वे इस देश के नहीं हैं। क्या अब्दुल हमीद हिन्दुस्तानी नहीं था, क्या अब्दुल हमीद मुसलमान था, क्या अब्दुल हमीद ने हिन्दुस्तान की रक्षा करते हुए अपने जीवन की आहुति नहीं दी ? क्या हम 12-13 फीसदी इन मुसलमानों को हिन्दुस्तान से निकाल सकते हैं और हिन्दुस्तान छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं ? अगर नहीं, तो मजहबी जजबात से खिलवाड़ क्यों किया जाए। यह बात तो हमारा धर्म भी नहीं कहता है। मैं यह कहता हूं कि मन्दिर तो बनेगा और मन्दिर की आधारशिला तो हमने ही रखवाई थी। हिन्दुस्तान को आजाद हुए आज साढ़े पैंतालीस साल हो चुके हैं। 1977 से लेकर 1979 तक जनता पार्टी का राज था और उस सरकार के अन्दर इस पार्टी के महान नेता आडवाणी साहब और अटल बिहारी वाजपेयी जी वजीर के रूप में गद्दी पर विराजमान थे। वजीर थे और सत्ता में हिस्सेदार थे। उनके पास ताकत थी, उनके पास अख्तियारात थे, उस वक्त तो राम-जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का मामला नहीं उठा, कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ।

मैं बताना चाहता हूं, सन् 1980 से लेकर लगातार मैं इस सदन का सदस्य चला आ रहा हूं। हम पहले लगातार जो डिसकस करते थे, वह थी पंजाब की समस्या और किसी ने बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि का सवाल नहीं उठाया। देखिए, जिस वक्त 1977 का इलैक्शन हुआ था, उस वक्त कांग्रेस का सफाया हो गया था और उनकी 95 सीटें आ गई थीं और उसके बाद 1980 में दो सीटें और फिर आई सात सीटें, फिर बिल्कुल सफाया हो गया। राजस्थान में वे लोग भगवा कपड़े पहनकर और हाथ में मण्डल लेकर और गंगाजल लेकर राम के नाम की बात करते थे।···(व्यवधान)···मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। मैं पंजाब की बात कहता हूं। पांच दरियाओं में हरियाणा और पंजाब का हिस्सा था। मैं पंजाब में एसेम्बली में मैम्बर रहा हूं। पंजाब की गाथा गाई जाती थी। दुर्भाग्य से 1982 से पंजाब में ऐसे हालात पैदा हो गए, वहां टैरेरिज्म उभरा, उग्रवाद उभरा और वहां खून की होली

[श्री चिरंजी लाल शर्मा]

भेजी गई। लेकिन मैं प्रधान मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने दिलेराना और दूरंदेशाना फैसला किया और वहां इलेक्शन कराए। पोपुलर गवर्नमेंट कायम हुई और जिन्होंने इलेक्शन का बायकाट किया, वे आज अफसोस कर रहे हैं। न सिर्फ यही, वहां के मुख्य मंत्री, श्री बेअंत सिंह, को भी बधाई नहीं देता हूं तो मैं अपने फर्ज से कोताही करूंगा, जिसका कुवत-ए-इरादी, जिसकी उलुलजमी और जिसका डिटरमिनेशन इतना मजबूत निकला, पीपुलर गवर्नमेंट होते हुए, किस तरह से उग्रवाद का खात्मा किया। वे बधाई के पात्र हैं।

5.00 म० प०

पंजाब हमारा बड़ा भाई है। हरियाणा और पंजाब 26 साल पहले अलग-अलग हुए, कुछ पानी पर लड़ाई थी। जब दो भाई अलग होते हैं, बंटवारे होते हैं तो जायदाद पर, जेवरात पर या किसी न किसी जमीन आदि पर झगड़े होते हैं। ये जो दो स्टेट्स जब अलग हुए, चंडीगढ़ शुरू में हरियाणा को दिया था लेकिन उसके बाद फतेहसिंह ने दरबार साहब में ऊपर छत पर कड़ाई में तेल डलवा कर मारने की धमकी दी कि अगर चंडीगढ़ हरियाणा को दिया गया तो मैं जलते हुए तेल में जलकर मर जाऊंगा। इन्दिरा गांधी ने दोबारा गोर किया और यह फैसला किया कि चंडीगढ़ पंजाब को जाएगा लेकिन उसके बदले अबोहर-फाजिलका और वहां के 107 या 114 गांव जो हिन्दी स्पीकिंग एरियाज हैं वे हरियाणा को मिलेंगे। हमें चंडीगढ़ से कोई कोई प्यार नहीं है, हम चंडीगढ़ के लिए यह नहीं कहते, लेकिन चंडीगढ़ से तब अपना हक छोड़ेंगे जब अबोहर-फाजिलका का इलाका और उसके 107 गांव जो एवार्ड में हमें दिए हुए हैं वे साथ-साथ हरियाणा को मुतकिल कर दिए जाएं, हम चंडीगढ़ छोड़ने के लिए तैयार हैं वरना उस वक्त तक चंडीगढ़ हरियाणा से दूर नहीं हो सकता और हरियाणा भी चंडीगढ़ से दूर नहीं हो सकता। एस० वाई० एल० में, मैं फिर वहां के मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं, बेअन्त सिंह जी ने तकरीर करते हुए कहा कि भाई, पानी हरियाणा को मिलना चाहिए।

महोदय, 80-85 प्रतिशत सतलुज, यमुना, कैनाल जो है वह बन चुकी है सिर्फ 10-15 प्रतिशत बाकी है। बादल साहब ने जो देवीलाल जी के पगड़ीबदल भाईयों हैं उन्होंने कहा कि हरियाणा अगर इसको बांट देंगे। अकालियों ने ज्यादती की, उग्रवादियों को उभारा, बाद में उनके काबू के बाहर हो गए।

आज पहली बार मंत्री जी ने कल सदन में कहा है कि एस० वाई० एल० कम्प्लीट होनी चाहिए और हरियाणा को पानी का हिस्सा मिलना चाहिए। इसके लिए चेयरमैन साहब, मैं वहां के मुख्य मंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं, अपनी तरफ से नहीं सारे हरियाणा की तरफ से कि उन्होंने हमारे जजबात का एहतराम किया और रालत की बात कही जो उनको कहनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया से हमने कहा है कि अब तो पापुलर गवर्नमेंट है वे बनवा दें, क्योंकि उनके हिस्से में है और सरकार ने ही बनवानी है। पहली सरकार ने माजुरी जाहिर की थी तो बहुत से इंजीनियर मारे गए, लोगों ने काम करने से इंकार कर दिया और यह फैसला हुआ था कि बोर्डर रोड आर्गेनाइजेशन यह बना देगी। बहरहाल कोई बनाए मैं आपकी इजाजत से दिल्ली की सरकार से, केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि हमारी एस० वाई० एल० कैनाल पूरी करवाकर पानी का हक दिया जाए, एक यह हमारी मांग है।

महोदय, अब मैं जम्मू-कश्मीर के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत कुछ इस पर कहा जा चुका है। मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। स्माल स्केल ट्रैक्टर में जो हमारे देश में कंसनट्रेशन करने का फैसला किया है, राष्ट्रपति जी के एड्रेस में इस चीज का जिक्र आया है। 1992-93 में इस सैक्टर में 119 लाख आदमियों को एम्प्लायमेंट दिया गया और टोटल प्रोडक्शन 1 लाख 66 हजार चार सौ करोड़ का है, पिछले साल से चार प्रतिशत ज्यादा है। इसी तरह एग्रीकल्चर में तो बहुत ही तरक्की हुई है। मेरे बी० जे० पी० के दोस्त चीनी के बारे में कह रहे थे। आज हिन्दुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर प्रोडक्शन के बारे में टोप पर है और इसके लिए मैं समझता हूं कि जहां सरकार का योगदान है, परिश्रम सरकार करती है, आर्थिक सहायता सरकार देती है। इसमें आप देखिए किसान से 40 रुपए प्रति क्विंटल तो पहली बार जीरी के दाम बढ़ाए हैं। 55 रुपए क्विंटल गेहूं के दाम बढ़ाए हैं। इसके लिए एक पंचायती राज लोगों की दहलीज तक, दरवाजे तक पहुंचाया गया है।

इन्दिरा गांधी का ख्वाब था, राजीव गांधी का ख्वाब था, महात्मा गांधी की ख्वाहिश थी कि ग्रासरूट का जो आदमी है उसका राज-पाट में हिस्सा होना चाहिए। अमेंण्डमेंट करके, पंचायती राज बिल पास करा के इस चीज को अमली जामा पहनाने का फैसला हमारी सरकार ने किया है।

चेयरमैन साहब, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मौलाना इकबाल से मैंने अपना भाषण शुरू किया था, इकबाल के शेर से ही खत्म करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा था :

"सूनी पड़ी है मुद्दत से दिल की बस्ती।
आ एक नया शिवाला इस देश में बना दे॥
दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीर्थ।
दामने आसमां से इसका कलस मिला दे॥
आ मिल के गैरियत के पर्दों को फिर उठा दें।
नक्शे भी मिटा दें, बिछड़ों को मिला दें॥
शिकायत भी, शान्ति भी भगवान के गीत में है।
धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है॥

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि समय बहुत कम है। अतः जब वे बोलते हैं तो उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हीं के दल के और दूसरे सदस्य भी हैं जो बोलना चाहते हैं।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : महोदय, आप कृपया नामों की सूची पढ़ लीजिए ताकि हमें पता लग सके कि हमारी बारी कब आ रही है।

5.07 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के 20 मैम्बर हैं, चार दिन से इस पर डिबेट हो रही है, एक भी मैम्बर नहीं बोला। लिस्ट सारी दी है। ऐसा अन्याय न कीजिए। हमारा कोई व्यक्ति नहीं बोला है। यहां सारा रिकार्ड है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सचेतक ही विभिन्न दलों के वक्ताओं के नाम बताने के लिए उचित व्यक्ति हैं। यदि उसमें कोई कमी है, तो हम इसको ठीक कर लेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती विजयराजे सिंधिया (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर जो धन्यवाद प्रस्ताव जारी है उसके दरमियान में मुझे भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय दिया है, उसके लिए मैं आपकी अत्यन्त आभारी हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में साम्प्रदायिक सौहार्द की आवश्यकता पर जोर दिया गया है मैं समझती हूं निःसंदेह आज इसकी हमारे देश में आवश्यकता है। परन्तु मेरा अनुभव यह है कि वोट पाने के लिए अधिकांश सत्ताधारी राजनीतिक नेता लोग अपने स्वार्थवश इसकी समाज में स्थापना होने नहीं देना चाहते। क्योंकि केवल भाषणों से सौहार्द की आवश्यकता को जताना, इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि साथ-ही-साथ विविध सम्प्रदायों के बीच में फूट डालने का जो प्रयत्न बराबर जारी रहता है।

इस प्रकार विशेषकर जब एक तस्व को, एक वर्ग को तुष्टिकरण द्वारा संतुष्ट किया जाए और दूसरे वर्ग की पूरी तरह से उपेक्षा की जाए और उनकी जो वाजिब मांग है, उस पर भी ध्यान न दिया जाए, इस तरह तो सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित होने की बजाय मैं सोचती हूं कि एक तरह से द्वेष और आपस में कटुता का विरोध ही पैदा होता है।

मेरा कहना यह है कि जो शासक हैं, उन्हें भेद-भाव से रहित होकर, निष्पक्षतापूर्वक सबके हितों, की तथा सबकी आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए, अपनी नीतियों को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए तभी सौहार्दपूर्ण वातावरण बन सकता है। सत्ताधारी पक्ष के ऊपर यह निर्भर रहता है कि वे किस तरह से समाज के अलग-अलग वर्गों के साथ पेश आ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस ढांचे को मस्जिद कहा है वहां पर न्यायालय की अनुमति से और शासन की अनुमति से और शासन की अनुमति से चालीस वर्ष से रामलला की पूजा हो रही है। जहां इस तरह से पूजा हो रही हो और दर्शनार्थी बराबर वहां आते रहे हों तो मेरी समझ में नहीं आता कि उसको हम मस्जिद कहेंगे या मंदिर कहेंगे। अगर वह मस्जिद है तो इतने वर्षों तक मंदिर के रूप में उसमें जो पूजा हो रही थी उसे क्यों होने दिया गया। अगर वह मंदिर है तो फिर एक खण्डहर रूपी ढांचा जिसमें रामलला की मूर्ति विराजित की गई थी, वह राम-भक्तों को कैसे अच्छा लगता। उन्होंने यह चाहा कि वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए तो इसलिए ढांचे को गिराना आवश्यक समझा होगा।

मैं सोचती हूं कि इसमें उन्होंने कोई गलत नहीं चाहा क्योंकि राम की पूजा एक खण्डहर में हो। यह हम सबके लिए शर्म की बात थी। इस दृष्टि से ही उन्होंने ऐसा किया होगा। मैं सोचती हूं कि यह एक तरह से उनके मन की उत्कट अभिलाषा थी। उसको ही उन्होंने एक वस्तु का क्रियान्वित किया है। इस विवाद को सुलझाने के लिए अगर ईमानदारी से प्रयास किया होता, मेरे ख्याल से यह कब का सुलझ सकता था। वहां से प्राप्त अनेक पुरातात्विक अवशेष इसका जीवन्त प्रमाण है, उसके आधार पर और उपलब्ध अनेक ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इस विवाद को समाप्त किया जा सकता था। किन्तु ऐसा प्रयास ही नहीं हुआ दिखाने के लिए जरूर हो रहा था, कभी चार महीने या कभी तीन महीने अवधि बढ़ाकर इसी प्रकार ऐसे ही मांगते गये और इसको लम्बा खींचते गए। मैं सोचती हूं कि इसी कारण भी राम-भक्तों का धीरज का बांध टूट गया। अन्त में हम लोगों के रोकने के सतत प्रयास के

बावजूद उन्होंने उस खण्डहर को गिरा ही दिया। बुद्धिमानी तो यह होती कि हम पहले ही इस पर गौर करते और पारस्परिक भाईचारा बनाए रखने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए हम इस विवाद का हल निकालते। ऐसा प्रयास दिखावे में जरूर हुआ पर उसका कोई हल नहीं निकला। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपस का मतभेद और संघर्ष बढ़ता ही गया।

यह बात हमें ध्यान में रखने की है कि यह केवल इस शताब्दी का संघर्ष नहीं है। यह लगभग साढ़े चार सौ वर्ष से चला आ रहा है। जिस वक्त बाबर के आक्रमण के बाद उसका शासनकाल आया तो उसने अयोध्या में राम मन्दिर तोड़कर मस्जिद बनाई। करीब-करीब उन्हीं दिनों से बराबर यह संघर्ष चल रहा है। लोगों की अपनी अस्मिता उनकी धार्मिक भावनाओं को बहुत अधिक ठेस पहुंची है। अतः एक बार पुनः उनके स्वाभिमान को जागृत करने के लिए तभी से सतत यह प्रयास चला आ रहा है। अन्त में इस प्रकार ढांचा गिरा दिया गया। मैं तो समझती हूं कि अच्छा होता कि इसके बाद स्थिति में सुधार लाने के लिए लोगों से सलाह-मशविरा करके सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण करने की कोशिश होती। हम फिर वहीं दुबारा मस्जिद बनायेंगे, इस तरह की घोषणा करने के पूर्व कुछ सोचा-समझा तो होता। लगता है उनको इसमें आनंद आता है कि यह विवाद बना रहे और आपस में भाईचारा स्थापित न होने पाए। और देश में इस प्रकार के झगड़े होते रहें। यह कैसी मनोवृत्ति है, मेरी समझ में नहीं आता। सिवाय इसके कि तुष्टिकरण की नीति के द्वारा जिन लोगों की वोटों पर नजर है उनको खुश करने के लिए ही ऐसा यह हो रहा है। हम तो इस बात से हैरान है कि जब तक मुस्लिम देश के शासन सद्दाम हुसैन भी टिप्पणी करते हुए कह सकते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता है कि एक खण्डहर गिरने पर इतना वावेला क्यों मचाया गया। उन्होंने भी कहा कि अनेक मुस्लिम देशों में आवश्यकतानुसार (अर्थात् शहरी विकास आदि की दृष्टि से) वहां भी और अन्य देशों में भी कई मस्जिदों को गिराया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय, दुःख इस बात का है कि अभी भी इस विवाद को जीवित रखने का प्रयास हो रहा है। भा० ज० पा० शासित चार राज्यों को बिना वजह बर्खास्त करना तथा राष्ट्र के प्रति समर्पित संगठनों को प्रतिबंधित करना और भा० ज० पा० के साथ उन संगठनों के नेताओं को हास्यास्पद निराधार आरोप लगाकर गिरफ्तार करना आदि-आदि कार्यवाहियों के पश्चात् भी अभी भी इस तरह के रवैये सरकार की ओर से जारी है।

अभी कुछ ही दिन पूर्व की बात है कि भा०ज० पा० के सांसद विनय कटियार को भी गिरफ्तार किया गया और साधारण कैदी के रूप में उनको जेल में रखने के आदेश दिए गए हैं। यह कहां तक उचित है। सुनने में आ रहा है कि इसी तरह से उमाश्री भारती, साध्वी ऋतम्बरा, श्री अशोक सिंघलजी श्री गिरिराज किशोर जी आदि भी फिर से गिरफ्तार किए जायेंगे। इस प्रकार की दमन की नीति के द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव को स्थापित करने की बात बिलकुल असंगत मालूम होती है।

जहां तक धर्मनिरपेक्षता की बात है हमारे अपने इस गरिमापूर्ण देश में सर्वधर्म संभाव की जहां प्राचीन परम्परा है, उसी को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। मैं इस बात पर जोर देकर कहना चाहती हूं कि बापू महात्मा गांधी जी ने जिनको हम और आप सब राष्ट्रपिता मानते हैं, वे भी अन्त में अन्तिम सांस के समय में राम का नाम लेते हुए विदा हुए थे। हमें गो हत्या बन्द करने का निर्देश देकर गये थे, वे धर्मानुसार आचरण करते थे और गीता माता को, गऊ माता को तथा भारत माता को अपनी मां समान मानते थे, क्या उनको भी हम साम्प्रदायिक कहेंगे। हमारी उपासना पद्धति, पंथ अलग-अलग हो सकते हैं, किन्तु धर्म, मानव धर्म है। तो वहां है जो मानव को यह बताता है कि किस प्रकार चलते हुए

[श्रीमती विजयराजे सिंधिया]

सही रास्ते पर जिन्दगी जीनी चाहिए। इसी को हम धर्म कहते हैं। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह पर अंकित है "धर्म चक्र पर्वतनाय", यहां हमारे अध्यक्ष की कुर्सी के ऊपर भी लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में भी "यतो धर्मः ततो जय" लिखा हुआ है।

इसका मतलब यह है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इस बात को प्राथमिकता दी थी। हमारे यहां कई प्रकार के सम्प्रदाय हैं लेकिन मानव धर्म वह है जिसमें सबको यह छूट दी गई है कि जिस तरह की पूजा-पद्धति अपनाना चाहे, उसे वह निष्कंटक होकर अपनाये उसमें किसी का कोई दखल नहीं होगा। आज तक हमारी यह परम्परा रही है। अभी हमारे कई भाई बोल रहे थे और वे हमें सिखाने की कोशिश कर रहे थे। मैं उस रियासत से आती हूं जहां हिन्दू राज्य होते हुए भी हमारे गुरु मुसलमान थे और आज हम मारते आए हैं। हम आज भी उनके चरण छूते हैं। हालांकि वे ऐसा करने की इजाजत नहीं देते हैं फिर भी हमारी हिन्दू परम्परा रही है कि जिसको गुरु माना है, उन्हें हमेशा आदर-सम्मान दिया जाता रहा है। इसका एक उदाहरण देना मैं यहां पर उचित समझती हूं।

हमारे सिंधियावंश की एक महारानी एक बार जब बड़ी मुसीबत में आ गई थीं उनके पति श्री महद जी सिंधिया का पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद पता नहीं चल रहा था कि वे मारे गए हैं या जिन्दा है। उन दिनों में एक बहुत बड़े मुस्लिम संत होते थे, महारानी वह उनके चरणों में गई और उनसे शरण लेकर कहा कि किसी प्रकार से भी मेरे सुहाग का संरक्षण करें तो संत ने उन्हें निश्चिन्त होने को कहा और आशीर्वाद दिया कि चिन्ता मत करो, बेटी, तुम्हारा सुहाग सलामत रहेगा और अवश्य ही तुम्हारे पति वापस आयेंगे और राज करेंगे। उनके इस वरदान के फलस्वरूप उनके पति श्री महद सिंधिया वापिस आए, दुश्मनों को हराया और राज्य स्थापित किया। उसके पश्चात् वे दोनों पति-पत्नी उनके पास गए और उनके चरणों में निवेदन किया कि आप हमारी रियासत में आएं और हमारी बड़ी इच्छा है कि आप हमारे गुरु पद को स्वीकार करें लेकिन वे एक संत थे, फकीर थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के पद के लिए मेरी कोई रुचि नहीं है, हां यदि हम चाहते तो बड़े बेटे को ले जा सकते हो। इस प्रकार उनके बेटे ने ग्वालियर आकर गुरु के घराना कायम किया वे आज तक श्री साहब कहलाते हैं। अभी भी उन संत का भोज, श्राद्ध घरानिया मन्दिर के अन्दर होता है। इस प्रकार हम अपने गुरु का पूर्ण रूप से आदर सम्मान करते आए हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये लोग हमें क्या सिखायेंगे? हम हिन्दुओं की तो यह परम्परा रही है। आप भी हिन्दू हैं और हम भी हिन्दू हैं। इसलिए कह रही हूं कि इस देश के रहने वाले मुसलमान, ईसाई सब भाइयों के उनकी रगों में वही खून है जो आपकी और हमारे रगों में है वे हमारे भाई हैं। हम हरगिज उनका नुकसान नहीं चाहेंगे किन्तु यदि आपने दमन की नीति अपनाई तो सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित कैसे कर सकेंगे। यह तो सरासर गलत तरीका होगा और निश्चय ही परिणाम भी बुरा हुआ।

मान्यवर, ऐसा कौन सा धर्म है जो सत्य को स्वीकार नहीं करता है। ऐसा कौन सा धर्म है जो कहता है कि अकारण हिंसा को स्वीकार किया जाए और अहिंसा को ठुकराया जाए। आज इस प्रकार के अनेक बड़े-बड़े धर्म है जिनकी बुनियादी बात एक ही होती है। मैंने पहले कहा कि राष्ट्रीय चिन्ह इस बात का निर्देश करता है कि न केवल शासन बल्कि न्यायपालिका भी धर्म के नियंत्रण में है। यदि सही रूप से देखा जाए तो मानव समाज का कल्याण इसी में है। मेरे विचार से तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर हर सम्प्रदाय और हर धर्म के लोगों को धार्मिक मामले में पूरी-पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त है। उनको अपने वर्ग और अपने सम्प्रदाय के विकास के लिए पूर्ण रूप से खुली छूट दी जाती है। आप देख रहे हैं कि विश्व भर में बोसनिया और सोमालिया जैसे अनेक देशों में किस प्रकार से निर्मम नर-संहार हो

रहा है ? ईरान ईराक का युद्ध भी नहीं भुलाया जा सकता। विश्व के अनेक देश हैं जहां चारों तरफ अशांति फैली हुई है। इसलिए मेरा यह कहना है और मानना है कि जितने सुरक्षित मुसलमान भारत देश में हैं, उतने कहीं नहीं क्योंकि यहां बहुमत हिन्दुओं का है और जोरदार शब्दों में कहना चाहूंगी कि हिन्दू-मुसलिम-सिख-ईसाई इस देश के नागरिक हैं और सब बराबर हैं और हम इस दृष्टि से देखते हैं। परन्तु हमारे साथ सदा पक्षपात होता आया है वोटों के पीछे आप जानते ही हैं कि अयोध्या में ढांचे के गिरने के पूर्व और उसके पश्चात् भी हजारों हिन्दू मन्दिर तोड़े गए हैं। जब-जब मन्दिर टूटता है, हमारे अन्तरमन को एक धक्का सा लगता है, पीड़ा पहुंचती है। पर फिर भी हम सहन करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जहां तक हो सके सांप्रदायिक झगड़े न पनप पाये। हम केवल इसलिए कह रहे थे कि हिन्दू अपने को मृतप्राय सा महसूस कर रहा था। सैकड़ों वर्ष की गुलामी के कारण वह अपनी अस्मिता, अपना स्वाभिमान भूल बैठा था, अपनी पहचान भी भूल सा गया था। अतः आज यह जरूरी हो गया है बल्कि वर्षों से यह चल रहा है कि किस प्रकार हिन्दू को जागृत किया जाए और हिन्दू सशक्त रहेगा और हिंदू विचारशील रहेगा तो सहिष्णु होने के कारण सबका संरक्षण करने योग्य भी होगा। उसमें ताकत और शक्ति रहेगी तो वह मुसलमान, ईसाई सबका संरक्षण करेगा और इस प्रकार इस देश के अन्दर हमेशा हमेशा के लिए शांति का वातावरण पैदा होगा और आपस में मैत्री भाव भी बना रहेगा।

आइए, मैं आप सबका आह्वान करना चाहती हूं कि हम एक-दूसरे की धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुए आपस में मैत्री और प्रेम बढ़ाकर इस देश को स्वर्ग बनाएं। आखिर हमें यह नहीं भूलना है कि जब 6 दिसम्बर को वह ढांचा गिराया गया था, उसके साथ-साथ अनेक मन्दिर भी टूटे हैं, पर मैं तो कहती हूं हम यह सब भुला दें। आज हम उस चौराहे पर खड़े हैं जहां से हमें सही दिशाओं की ओर बढ़ना है और देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करना है ताकि हम विकास के पथ पर सही मायने में आगे बढ़ सकें। नहीं तो चार दशकों के बाद और आठ पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी आज प्रगति के बजाए हम सर्वनाश की ओर ही बढ़ते नजर आ रहे हैं। लोगों को भुखमरी से मरना पड़ रहा है। यहां तक कि मां को अपने कलेजे के टुकड़े को बेचना पड़ रहा है। कोई जान बूझकर अपने बच्चे को नहीं बेचेगा पर वह सोचती है कि 20-25 रुपये में ही नहीं मेरे बच्चे को कोई खरीदे तो यह बच्चे को कम-से-कम खिला तो देगा। और उधर बच्चा यदि मेरे साथ रहेगा तो वह भूख से मर जाएगा। इसलिए मां अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बच्चे को बेचती है। आज ऐसी दशा इस देश की हो रही है।

जो सरकार लोगों को रोजी-रोटी न दे सके, उनको भुखमरी से बचा न सके और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था न कर सके, उसको सत्ता की कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह मैं अन्तः-हृदय से कह रही हूं।

महामहिम के भाषण में कश्मीर की स्थिति का जिक्र आया है। जहां आर्थिक और वाणिज्यिक कठिनाइयों की चर्चा हुई है। वहां वे शरणार्थी जो अपना घर-बार छोड़कर अपनी बहू-बेटी की इज्जत गंवाकर मारे-मारे फिर रहे हैं और जगह-जगह पर फैले हुए हैं, उनके विषय में कुछ भी नहीं कहा गया। ये बेचारे देश के कई स्थानों में विशेषकर राजधानी में अपनी मुसीबत के दिन गुजार रहे हैं। क्या सरकार का फर्ज नहीं है कि उनकी ओर भी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखकर उनकी समस्या का समाधान करें और उन्हें पुनर्स्थापित करें ? जहां हजारों लाखों घुसपैठियों का वोटर लिस्ट में नाम शामिल किया जा रहा है वहां इन विपत्तिग्रस्त शरणार्थियों की इतनी उपेक्षा क्यों की जा रही है ? सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है कि वे अपने ही देश में, अपने ही घर में शरणार्थी कहलाते हैं, ये हमारे लिए कितने शर्म की बात है। समय

[श्रीमती विजयराजे सिंधिया]

आ आ गया है कि हम धारा 370 को हटाएं और कश्मीर को अन्य प्रांतों के साथ समान स्तर पर लाकर फिर से नए सिरे से कश्मीर का निर्माण और विकास करें।

कानून और व्यवस्था की स्थिति आज यह है कि सुरक्षा के लिए तैनात जो पुलिस बल हैं, उनका प्रयोग शांतिप्रिय नागरिकों पर कहर ढहाने के लिए किया जा रहा है। एक ओर तो हमें अराजक तत्वों से स्वयं को बचाना पड़ रहा है और दूसरी ओर सरकार के प्रहार भी सहन करने पड़ रहे हैं लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन आदि करते समय भी हम अपने जीवन को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। जैसा कि अभी हाल ही की घटनाओं से स्पष्ट होता है जिसमें हमारी पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष पर प्राणघातक हमला हुआ और इसी प्रकार से हमारे विरोधी दल के नेता श्री आडवाणी जी पर भी कातिलाना प्रहार हुआ जिसे हमारे दो कार्यकर्ताओं ने झेला।

और परिणामतः एक ने अपनी एक आंख खो दी और दूसरे ने अपने हाथ की उंगलियों को खो दिया। इस प्रकार श्री आडवाणी जी तो ईश्वर की कृपा से बच गए परन्तु बेचारे जोशी जी को बहुत चोटें आयीं। वहां भी यदि डा० जैन तथा अन्य हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं ने खुद चोट खाकर उन्हें बचाया नहीं होता तो न जाने क्या हो जाता, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

ऐसे ही अनेक अन्य सांसदों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को गहरी चोटें आयीं। जहां शासन को हमारा रक्षक होना चाहिए था, वहां वह हमारा भक्षक बन गया। वैसे हमें माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी द्वारा आश्वासन तो मिल गया है कि घटना की सही जांच करायी जायेगी और आशा है कि अपराधियों को दण्डित भी किया जाएगा। वैसे पूर्व में भी घटित ऐसी घटनाओं में सबसे ज्वलंत घटना है, श्रीमती गांधी की निर्मम हत्या के बाद, सिखों पर हुए अमानुषिक नरसंहार व अत्याचारों की घटना, जिसकी घोषणा के बाद भी कोई जांच नहीं बिठायी गयी, यदि बिठायी भी गयी हो तो उसका कोई परिणाम नहीं निकला क्योंकि न तो पीड़ित लोगों को कोई मुआवजा दिया गया और न ही दोषी व्यक्तियों को सजा मिली है। शायद इसलिए कि उसमें कुछ कांग्रेसी भी थे।

आज हमारे राष्ट्रीय चरित्र के अभूतपूर्व ढंग मे गिरावट का कारण मूल रूप में यही प्रतीत होता है कि जहां शासन को जनता के सामने उच्चादर्श प्रस्तुत करने चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा है और हमारा अनुभव तो बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत है। उदाहरण के लिए बोफोर्स काण्ड व शेयर घोटाले काण्ड इत्यादि का होना। असल में जब राष्ट्र के चरित्र का ही हनन हो गया हो तो अधिकांशतः जनता के बीच से चुनकर आये जन-प्रतिनिधि भी उससे भिन्न कैसे हो सकते हैं? अतः हमें इस जटिल समस्या के हल के लिए बुनियादी तौर पर विचार करना होगा।

मूलतः राष्ट्र का निर्माण करने वाली, जन्मदात्री जननी और पालन करने वाली मां ही होती है और आज देश मे मातृशक्ति की इतनी अवहेलना है कि वह दूसरे दर्जे की नागरिक की स्थिति में आ गयी है। सदियों की गुलामी के कारण, एक तो समाज में नारी के प्रति आज तक उदासीनता व उपेक्षा बनी हुई है और दूसरा कारण उनकी स्वयं की अज्ञानता व अशिक्षा है। इसलिए भी वे शोषित व पीड़ित हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति में राष्ट्र कैसे स्वस्थ व बलवान हो सकता है। अतः नारी की स्थिति को सुधारना आज की सबसे बडी आवश्यकता है।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में "राष्ट्रीय महिला कोष" की स्थापना की बात की

गयी है परन्तु मुझे भय है कि यह भी अन्य ऐसे ही अनेक कल्याणकारी कोषों की तरह गलत हाथों में पड़कर दुरुपयोग का शिकार न हो जाए।

शासन द्वारा आज तक महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के निवारणार्थ यद्यपि अनेक कानून पास किए गए हैं, जैसे कि शारदा एक्ट है, दहेज उन्मूलन अधिनियम हैं, आदि, किन्तु आज तक उन पर सख्ती से कार्यवाही नहीं हुई, उसके कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बालविवाह जैसे अभिशाप आज भी मौजूद हैं। हजारों की संख्या में छोटी-छोटी कन्याओं और कुमारों का विवाह होता है और इधर दहेज के कारण अनेकों बहू बेटियां हत्या और आत्म-हत्या का शिकार हो रही हैं।

श्री मैथिली शरण गुप्त ने ठीक ही कहा था —"अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी"···(व्यवधान)···क्षमा करें यदि ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं तो मैं उनकी पंक्तियों को ही दोहराना चाहती हूं। आज आवश्यकता है नारी को धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा योग्य व सबल बनाने की। उसके आत्मबल को जगाने की, ताकि वह स्वयं की शक्ति से परिचित हो सके, स्वावलम्बी बन सके, आत्मनिर्भर बनने की क्षमता विकसित हो सके, किन्तु आज के इस नए युग में नारी केवल भोग-विलास की वस्तु बनकर रह गई है। वह सभी प्रकार से पीड़ित व त्रस्त है। नारी को आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक शोषण से बचाना होगा और इसके लिए युद्धस्तरीय प्रयास करने होंगे।

महामहिम ने अपने अभिभाषण में सम्पूर्ण साक्षरता की बात कही है। यदि यह साक्षरता अभियान सफल हो सके, तो अधिकांश समस्याओं का हल निकल सकता है। इससे भी बड़ी और नितान्त आवश्यकता हैं शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की, उन्हें दायित्व बोध कराने की तथा उनकी व्यावसायिक मानसिकता को बदलने की। इसके लिए शिक्षकों को सामाजिक सम्मान मिलना चाहिए तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की तुलना में उनका वेतन आदि भी कम नहीं होना चाहिए। तभी समाज में वे अपना सम्मान बना सकेंगे।

राष्ट्र के बच्चों की क्या दुर्दशा है यह किसी से छिपा नहीं है। आर्थिक अभाव के कारण माता-पिता अपने बच्चों को काम पर भेजते हैं। अतः बाल-श्रमिकों की समस्या भी विकराल रूप धारण कर चुकी है। छोटी उम्र से ही बच्चों को 12-12 घण्टे और 18-18 घण्टे तक कठोर श्रम करना पड़ता हो, तो भला वे कैसे स्वस्थ नागरिक के रूप में विकसित हो सकेंगे? राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही है। यह लक्ष्य तो संविधान निर्माण से 10 वर्ष के अन्दर ही पूर्ण होना था, किन्तु आज तक यह एक सपना ही बना हुआ है। अतः यह संदेह है कि इस ओर आगे भी ठोस कदम उठाया जाएगा। वैसे तो बाल-श्रमिकों पर प्रतिबन्धात्मक कानून भी बना है, पर इसका पालन कितना हो रहा है, यह हम सब जानते हैं।

अन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आज का मानव अत्यन्त ही लालची व स्वार्थी है और स्वयं की विलासिता के लिए असीमित धन संग्रह की ओर प्रवृत्त है, इसके लिए उसे किसी के हितों के हनन की भी चिन्ता नहीं। अतः आधारभूत आवश्यकता है कि आज जब हम पर्यावरण प्रदूषण की ओर सचेत हो गए हैं और इनके निवारण के लिए सरकार व जनता दोनों ही प्रयत्नशील हैं। वहीं हमें एक और प्रदूषण की ओर भी ध्यान देना है—वह है मानव के मस्तिष्क व मन का प्रदूषण जिसके कारण समाज व राष्ट्र में अनेक भयंकर विकृतियां उत्पन्न होकर पनप रही हैं और इसी के कारण मनुष्य अपने साथ-साथ पूरे जड़-चेतन जगत को भी ले डूबने को तैयार है।

मुझे तो एक ही समाधान दिखाई देता है और वह है भारतीय दर्शन, संस्कृति व अध्यात्म पर आधारित शिक्षा प्रणाली लागू की जाए, जोकि प्राकृतिक नियमों पर आधारित है और जिसका प्रकृति से पूर्ण तादात्म्य है। हमें आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि हम अपनी राष्ट्रीय सामाजिक व व्यक्तिगत दुर्बलताओं को दूर करके, अन्धकार से प्रकाश की ओर बढ़ेंगे, अवश्य बढ़ेंगे-हमारा भविष्य उज्जवल है। भारत माता की जय।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो दो दिन से अपेक्षा में था कि मैं इस सदन में कुछ बोलूं। वैसे मैं हिन्दी में बोलना चाहता था लेकिन हिन्दी वाले बोलते हैं कि हिन्दी का इतना जिक्र क्यों होता है इसलिए मैं अपनी मदर ढंग में बोलता हूं। मुझको हिन्दी भी मालूम है और मेरे जितने पड़ोसी राज्य हैं उन सबकी भाषा मुझे मालूम है। मैं उनको पढ़ सकता हूं, बोल सकता हूं। मैं बंगला अच्छी तरह से बोल सकता हूं, तेलुगू बोल सकता हूं लेकिन मैं आज उड़िया में बोलूंगा।

[अनुवाद]

*उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं अपनी मातृभाषा उड़िया में बोलना चाहूंगा। मुझे संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे दल द्वारा प्राधिकृत किया गया है। प्रारम्भ में, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं हिन्दी में ही बोलता हूं और मुझे हिन्दी बहुत अच्छी तरह से आती है। केवल हिन्दी में ही बोलने के लिए किसी दूसरे का दबाव मुझे पसन्द नहीं है। अत: मैं जानबूझकर अपनी मातृभाषा उड़िया में ही बोलना चाहूंगा।

महोदय, धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए, मैं धर्म के बारे में ही अधिक नहीं कहना चाहूंगा। मैं अपने सहयोगियों द्वारा उठाये गए मुद्दों को भी दोहराना नहीं चाहता। धर्म को महत्व देकर मैं किसी तर्क अथवा विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अतएव मैं धर्म से ऊपर उठना चाहता हूं। जो व्यक्ति बाबरी मस्जिद को गिराने और मन्दिर के निर्माण को उचित मानते हैं, वे सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। मैंने भा० ज० पा० के माननीय सदस्यों के भाषणों को निमग्न होकर सुना। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में अयोध्या की इस घटना के लिए अत्यन्त दु:ख व्यक्त किया है। संभवत: ऐसा उन्होंने भा० ज० पा० के मेरे मित्रों द्वारा अपने भाषण में राम जन्मभूमि की घटनाओं और जन्मस्थल के जिक्र को देखकर ही किया हो। उनके विचार से मस्जिद का निर्माण मन्दिर की परिसरों पर किया गया था। अत: श्री राम के जन्मस्थल की सुरक्षा की जानी चाहिए। परन्तु लोगों ने श्री राम की मृत्यु के पश्चात् उनकी कब्रगाह की रक्षा क्यों नहीं की। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद श्री राम अन्तर्हित हो गए थे। किसी की याद को पूर्ववत बनाए रखने की अपेक्षा कुछ भी कहना बहुत आसान है। यदि लोग ऐसा नहीं कर सके तो मन्दिर के निर्माण अथवा जन्म-स्थल का हीं प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है।

कई शासकों ने भारत पर आक्रमण किया। जिस समय वे विशेष रूप से मुस्लिम भारत में आए, वे यहीं पर ही बस गए थे। कुछ राजा अथवा मूस्लिम आक्रमणकारी अपने परिवार के साथ आये होंगे अथवा अकेले आए होंगे परन्तु वे अपने साथ वे इन सभी सैनिकों को नहीं लाए थे जो यहां पर उनके साथ थे। कुछ शासकों ने हिन्दुओं की पुत्रियों अथवा बहनों के साथ विवाह कर

*मूलत: उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

लिया होगा। स्वभाविक है कि इस प्रकार उनके बच्चे मुस्लिम बन गए। जब मैं अपने क्षेत्र के कुछ लोगों से मिला तब मुझे इस बारे में पता पता चला। हमें पता चला कि बहुत से हिन्दु परिवारों में लोग मुस्लिम बन गए।

मेरे क्षेत्र में कई समुदायों अनेक मुस्लिम हिन्दू मूल के हैं। दिल्ली में भी हमें विभिन्न वर्गों में मुस्लिम मिल जायेंगे। 1971 जब मैं दिल्ली में आया था, तो एक बार हेयर कटिंग सैलून में गया था। उस हेयर कटिंग सैलून में नाई ने बताया कि वह मुस्लिम है। वह नाई हिन्दू मूल का मुस्लिम हो सकता है। कौन कह सकता है ? अतएव हिन्दू, मुस्लिम जाति को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। सभी भारतीयों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। इससे केवल विवाद ही बढ़ेगा। जब कोई व्यक्ति मुसलमानों को भारत से हटाने अथवा मन्दिर अथवा मस्जिद को गिराने के बारे में सोचता है, तो इसे इसके पारिणामिक प्रभावों के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। बाबरी मस्जिद को गिराये जाने से मुस्लिमों के मानस पर बहुत गहरी चोट लगी है। वे समझते हैं कि उनके अस्तित्व को चुनौती दी गई है। अत: सबसे पहले तो राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष छवि धूमिल पड़ रही है। अयोध्या की घटना से देश में और देश के बाहर, दोनों जगह हम पर अविश्वास किया जा रहा है। हम किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं ? हम विनाश की ओर जा रहे हैं। देश का अस्तित्व ही संदेह में पड़ गया है।

आज देश के भविष्य को लेकर ठीक से सोचने समझने वाला प्रत्येक व्यक्ति चिन्तित है। हम किन लोगों को देश से बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं ? वे हमारे ही मुस्लिम भाई, भारतीय मुस्लिम हैं। हमारे रूढ़िवादी हिन्दू भाइयों का यह कदम देश को विभाजन की ओर ले जायेगा। मैं उन ग्रामीणों की समस्याओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। दलितों का क्या भविष्य है ? वे किन स्थितियों में रह रहे हैं ? उनकी कठिनाइयों को बताने के लिए संभवत: मुझे अधिक समय नहीं दिया जाय। फिर भी मैं अति संक्षेप में ही उन व्यक्तियों की दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। ग्रामीण दस्तकार घोरकष्टयम जीवन जी रहे हैं। ग्रामीण जीवन दिन-प्रतिदिन और दु:खमय क्यों बनता जा रहा है ? ग्रामीणों में अशांति क्यों फैल रही है ? जब तक ग्रामीण जनता की दशा में सुधार नहीं किया जाता देश में सुधार कैसे हो सकता है ?

महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण तो मात्र एक परम्परा है। मैं पिछले कई वर्षों से राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनता आ रहा हूं। मैं 1988 में तत्कालीन राष्ट्रपति के अभिभाषण से कुछेक पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा :

> "ऐसे में जबकि हमारी श्रम शक्ति के एक काफी बड़े वर्ग ने अपने हितों की प्राप्ति और रक्षा करने के लिए स्वयं को संगठित कर लिया है, हमारी अधिकांश श्रम शक्ति असंगठित है और इसीलिए उनका शोषण किया जाता है। उनकी कार्य परिस्थितियों सम्बन्धी आंकड़े अपर्याप्त हैं और उनकी उन्नति के लिए किए जाने वाले कार्य असंतोषजनक हैं। हम उनके कल्याण और प्रगति के बारे में अत्यधिक चिन्तित हैं। हम उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए वचनबद्ध हैं। अतएव हमने ग्रामीण श्रमिक आयोग गठित किया है। हमने राष्ट्रीय बाल श्रमिक नीति भी बनाई है। बाल श्रमिकों और बंधुवा मजदूरों के पुनर्वास के कार्य में स्वैच्छिक एजेंसियों को शामिल किया जा सकता है।"

उदाहरणार्थ, मैं आपको 1988 के बारे में बताता हूं। उस समय डीनूभाई की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था। उसके पश्चात् हनुमंतिया राव को उस आयोग ने वर्ष 1988 में ही

[श्री अनादि चरण दास]

सम्पूर्ण देश का दौरा किया और अन्त में 1991 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जो सदन में 3 सितम्बर 1991 को प्रस्तुत की गई थी। संसदीय ग्रन्थालय में यह रिपोर्ट उपलब्ध है। उसके बाद से राष्ट्रपति के अभिभाषण में ग्रामीण जनता के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

संभवतः सरकार ने यह महसूस किया कि ग्रामीण श्रमिकों की स्थिति में सुधार हो गया है। अब निर्धन व्यक्तियों की दुर्दशा नहीं है। वे असंगठित श्रम शक्ति में आते हैं जिनका कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः उन लोगों की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। सरकार को उन्हें लाभ देने के लिए सभी सम्भव कदम उठाने चाहिए। परन्तु यह खेद की बात है कि इन लोगों के रहन सहन की स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों अथवा प्रस्तावित कदमों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। आयोग ने पिछड़े और ग्रामीण लोगों की दशा सुधारने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। परन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में उनका कोई जिक्र नहीं किया गया है। राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या है? राष्ट्रपति के अभिभाषण में पिछले वर्ष के दौरान सरकार की उपलब्धियों और अगले वर्ष के लिए सरकार की योजना और कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आमतौर पर विदेश नीति, आर्थिक नीति, ग्रामीण श्रमिक, खेतिहर मजदूरों के लिए अपनाई जाने वाली नीति, कमजोर वर्ग इत्यादि, इन सभी मामलों पर प्रकाश डाला जाता है। सरकार द्वारा उठाए जाने के लिए विचारित कदमों से देश-निर्माण में किस प्रकार सहायता मिलेगी, सामान्यतः राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन सब मामलों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मुझे दुःख है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन मामलों का जिक्र नहीं किया गया है।

महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में प्राथमिक क्षेत्र में कुछ परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा प्राप्त किए जाने वाले 250 मिलियन के विदेशी ईक्विटी अंश का उल्लेख किया है। उन परियोजनाओं का कुल मूल्य 7500 करोड़ रुपये है परन्तु मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश इस प्रकार की सहायता से प्रगति नहीं कर सकता। वे हमारे देश से बहुमूल्य खनिजों का आयात कर रहे हैं। परन्तु हम नहीं जानते कि हमारे देश को उस कच्ची सामग्री की भविष्य में कितनी जरूरत होगी। हम विभिन्न देशों को बहुमूल्य खनिज निर्यात कर रहे हैं हमें इन खनिजों का निर्यात करने पर गर्व है। किन्तु हमारे देश में इस कच्चे माल की भावी जरूरत के बारे में नहीं सोच रहे हैं परन्तु हमें उससे उचित प्रतिलाभ नहीं मिल रहा है। हम अपना व्यापार बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के साथ अपना सहयोग कायम कर रहे हैं। परन्तु प्रत्येक समझौते और सहयोग में हमें सावधानीपूर्वक अपने हिस्से का और हमें वास्तव में मिल रहे प्रतिलाभ का मूल्यांकन कर लेना चाहिए।

हमें कर्ज के रूप में मिलने वालों डालरों और विदेशी सहायता में ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमने उन कई देशों का विनाश होते देखा है जहां पर कि विदेशी ताकतों द्वारा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किया जाता है। विदेशी सहायता अस्थाई रूप से ही आपको इस संकट से बचा सकती है न कि स्थायी रूप से धर्म और विदेशी सहायता देश के हित में नहीं हैं। हमने आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या किया है? हमने अपनी जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया है? जनता के कल्याण हेतु कौन-कौन सी योजनायें बनाने का विचार है? राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन सभी मुद्दों का उल्लेख किया जाना चाहिए था।

इस समय आयातित वस्तु का उपयोग करने की प्रवृत्ति पनप रही है। किसान भी अच्छे किस्म के

बीज उगाने में समर्थ नहीं हैं। विदेशों से आये बीजों को प्रमाणित बीज का ब्रांड दिया जाता है और ऐसे बीजों की ही काफी मांग है। खेतों में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों का भी आयात किया जाता है। हम कब तक आयातित बीजों और उर्वरकों की मदद से खेती करेंगे? हमने बाजार में आयातित खाद्य पैकेट और प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री को भी बिकते हुए देखा है। क्या यह उस डालर का ही नतीजा है जो हमें सहायता के रूप में मिलता है। क्या यही हमारी विदेश नीति है? क्या यही हमारी आर्थिक नीति है?

जब हमारा देश स्वतन्त्र हुआ था, उस समय यह कहा गया था कि प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और कृषि के विकास के लिए कदम उठाए जायेंगे। किसानों की दशा में सुधार किया जाएगा परन्तु यह खेदजनक है कि किसान अभी भी दीनावस्था में हैं। तत्पश्चात् उद्योग के विकास पर जोर दिया गया। ऐसा बताया जाता है कि किसानों की मदद करने के लिए अनेकों उपाय किए गए हैं, परन्तु मजदूर अभी भी उन्हीं गन्दी परिस्थितियों में रह रहे हैं। जब श्री ढेबर कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने समाजवाद का नारा लगाया था। संविधान में उसी के अनुरूप संशोधन किया गया था। अभी तक समाजवादी स्वरूप के समाज की स्थापना नहीं हो पाई है। लोग समाज में समान दर्जा प्राप्त नहीं कर सके हैं। समाज में पूंजीपतियों का प्रभाव है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूंजीवाद का प्रभाव है। निर्धन-निर्धन ही रह गये।

अब यह समाजवादी पूंजीवादी प्रणाली है। बेरोजगारों, वृद्ध पुरुषों एवं महिलाओं को पेंशन देने की बात का सरकार द्वारा प्रचार किया जा रहा है। परन्तु पेंशन की राशि बहुत कम है। पेंशन की इतनी कम राशि से कोई अपनी आजीविका नहीं चला सकता है। यदि पूंजीवादी देश अपने यहां प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो हम अपने लोगों को सुरक्षा क्यों प्रदान नहीं करते, यदि हम समाजवादी पूंजीवादी प्रणाली अपना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, पूंजीवादी देशों ने हमारे देश के साथ व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में सहयोग किया है। उन्होंने ऐसा लाभ प्राप्त करने तथा हमें बरबाद करने के लिए किया है। भविष्य में इससे हमें ही नुकसान होगा। वास्तव में उन्होंने हमारे देश में शीत युद्ध उत्पन्न कर दिया है। हमें अपने लोगों को कम नहीं समझना चाहिए। शीत युद्ध शुरू हो चुका है। गांवों में हमारे लोग बहुत उत्तेजित हैं क्योंकि सरकार उनके हितों की रक्षा नहीं कर रही है। वे लम्बे समय तक चुप नहीं रहेंगे। दूरवर्ती इलाकों में वे संगठित हैं। यदि कोई आदिवासी अपनी आवाज उठाता है तब आप उसे नक्सलवादी कहने लगते हैं। कोरापुट जिले के पदुआ क्षेत्र में क्या हुआ? आदिवासियों को एक पंक्ति में खड़े होने को कहा गया और फिर पुलिस ने उसे गोलियों से भून डाला। अनुसूचित जनजाति के छात्र परीक्षा दे रहे थे। पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती परीक्षाभवन से बाहर निकाल दिया। यदि इसी तरह अत्याचार किए जाते रहे, तो अनुसूचित जनजाति के छात्र अपनी पढ़ाई कैसे जारी रख पाएंगे। सरकार बीच में पढ़ाई छोड़ देने के मामलों को किस प्रकार नियंत्रित कर सकेगी विशेषाधिकृत व्यक्ति यह सोचते हैं कि उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होते रहने चाहिए और उन्हें जनजातियों का शोषण भी करते रहना चाहिए। यदि जनजातियों के साथ बार-बार अन्याय होता रहे तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। यह तो रोजमर्रा की बात हो गई है।

महोदय, हमारी कृषि नीति का मामला लीजिए। कृषि सम्बन्धी नीति किसानों के हितों की रक्षा करने में असफल रही है। वर्तमान कृषि नीति से कृषि का विकास सम्भव नहीं है। कृषि सम्बन्धी नीति खेतिहर मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं कर सकती है। अतः व्यापक कृषि सम्बन्धी नीति शुरू करने की आवश्यकता है। यह खेद की बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कृषि सम्बन्धी नीति में सुधार की आवश्यकता पर कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने, जब वह प्रधान मंत्री थीं, भूमि सुधारों पर ज्यादा जोर दिया था।

मैं उस समय कांग्रेस पार्टी का सांसद था। हमें बहुत उम्मीद थी कि भूमि सुधार सम्बन्धी उपाय अपनाये जाएंगे और हमारे देश में समाजवाद की स्थापना होगी। ग्रामवासियों को आशा की किरण दिखाई दी। परन्तु यह खेदजनक है कि समाजवाद कांग्रेस पार्टी का नारा बना रहा। भूमि सुधारों के बारे में तो भूल ही जाइए, भूमि अभिलेखों को भी अब तक अद्यतन नहीं बनाया गया है। परन्तु पश्चिम बंगाल की सरकार ने भूमि सुधार में सफलता प्राप्त की है। उस राज्य में किसानों, बाटइदारों तथा कृषि श्रमिकों को न्याय मिला। यही कारण है कि उस राज्य में साम्यवादी लम्बे समय से शासन में हैं। परन्तु भारत सरकार भूमि सुधार को भूल गई।

मैं राजमाताजी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने ठीक कहा कि गरीबी से पीड़ित लोग कोई भी अपराध कर सकते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गरीबी समाज से दूर नहीं की जा सकी है। स्त्रियों को उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। उन्हें अब भी सताया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है तथा उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। औरतों तथा कमजोर वर्गों पर अत्याचार किए जाते हैं। आदिवासियों के विकास के लिए योजनायें बनाई जाती हैं जनजातीय स्त्रियों के लिए कोई नहीं सोचता है। तथाकथित सभ्य समाज में स्त्रियों को प्रसूति लाभ दिए जाते हैं, परन्तु आदिवासी गर्भवती स्त्रियों को गर्भावस्था के अन्तिम दिनों में भी कार्य करना पड़ता है।

इन महिलाओं का जंगल में ही प्रसव हो जाता है जब वे वहां काम करने जाती हैं। इन गरीब अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को जब वे गर्भवती होती हैं, पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता है। उनके स्वास्थ्य की देखभाल नहीं की जाती है तथा दवाइयां नहीं दी जाती हैं। क्या उन्हें न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाएं देना राष्ट्र का कर्तव्य नहीं है? सरकार "सभी के लिए स्वास्थ्य" पर जोर दे रही है। तदनुसार योजनाएं बनाई जा रही हैं और इसके लिए धन निर्धारित किया जाता है। परन्तु इस क्षेत्र में इसको लागू नहीं किया जा रहा है। क्यों एक वर्ग के लोग सभी सुविधायें पायें जबकि दूसरे वर्ग, जो गरीब तथा पददलित हैं, के साथ हर मामले में भेदभाव किया जाए? जब मैं अनु० जातियों तथा अनु० जनजातियों सम्बन्धी संसदीय समिति का सभापति था, मैंने मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों का दौरा किया था। बहुत से जनजातीय ग्रामवासियों में से कुछ से पूछताछ की तो मुझे ज्ञात हुआ कि एक भी जनजातीय को प्रसूति लाभ नहीं मिले। दूसरी ओर, सरकारी रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि योजना प्रभावी ढंग से उस क्षेत्र में लागू की जा रही है।

मैंने कुछ दूसरे जनजातीय गांवों का दौरा किया जहां मुझे पता चला कि विधायकों तथा मंत्रियों द्वारा प्रसूति लाभ के लिए सिफारिश किए गए मामलों पर ही विचार किया गया। ऐसे प्रत्येक मामले में मात्र 500 रुपए ही दिए गए। यह 500 रुपये प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों ने तो 600 रु० तक खर्च किए। उस समय उस राज्य में भा० ज० पा० की सरकार थी। भूमिहीन मजदूरों तथा अ० जा० और अनुसूचित जन० जाति की स्त्रियों को प्रसूति लाभ प्रदान करने के लिए बजट में 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। परन्तु मैंने पाया कि जनजातीय तथा भूमिहीन परिवारों की महिलाओं को प्रसूति लाभ नहीं दिया गया। यह मुझे तब ज्ञात हुआ जब मैंने मध्य प्रदेश में एक आदिवासी जिले का निरीक्षण किया। महोदय, जैसाकि आपको ज्ञात है जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों के लिए "विशेष निधि" का प्रावधान है। परन्तु इस निधि का या तो दुरुपयोग किया जाता है या उपयोग ही नहीं किया जाता है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना अवधि में ऐसा हुआ है। हमने पाया कि छठी पंचवर्षीय योजना से अब तक राज्य योजना के अन्तर्गत जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों पर कुल 1972066 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

इसी प्रकार केन्द्रीय सहायता के 2177 करोड़ रुपए जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों पर खर्च किए जा चुके हैं। कुल मिलाकार 2125051 लाख रुपए जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में खर्च किए गए हैं। यदि प्रत्येक जनजातीय को 1000 रुपए दिए गये होते, तो उन लोगों की प्रति व्यक्ति आय अब तक बढ़ गई होती। अब तक वे गरीबी रेखा को पार कर चुके होते। सरकार को उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है।

यह बड़े दुःख की बात है कि देश के अधिकांश अ० जाति तथा अनु० ज० जाति एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के पास भूमि नहीं है, उन्हें उचित शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है। स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी सुविधाएं उनके लिए अभी सपना ही हैं। उन्हें नियमित रूप से वृत्तिका भी नहीं दी जाती है। यह भी अनुचित है। रोजगार एवं पदोन्नति के मामलों में आरक्षण का सख्ती से पालन हो रहा है। उड़ीसा सरकार द्वारा आरक्षण आदेशों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। इस मामले में केन्द्र सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। उड़ीसा में अ० जाति तथा अ० ज० जाति की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 38 प्रतिशत है। किन्तु स्कूलों और कालेजों में आरक्षण में उनके लिए मात्र 20 प्रतिशत स्थान ही आरक्षित हैं। उड़ीसा की कुल जनसंख्या में 23% जनजातीय लोग हैं। उनको कुल स्थानों का 12 प्रतिशत ही दिया गया है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 15 प्रतिशत है, परन्तु शिक्षा संस्थाओं में उन्हें कुल स्थानों का 8 प्रतिशत दिया गया है। अ० जातियों तथा अ० जनजातियों में असंतोष बढ़ रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर उड़ीसा में हड़तालें हुई। अन्त में उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमन्त्री ने एक सभा करने के लिए 17 लाख रुपये खर्च किए जिसमें उन्होंने एक समझौता किया और मात्र 20 प्रतिशत स्थान अ० जाति तथा अ० ज० जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। केन्द्र सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि पांच साल की नौकरी पूरी होने पर पदोन्नति दी जाए। किन्तु उड़ीसा की सरकार ऐसी पहली सरकार थी जिसने इस आदेश का उल्लंघन किया। अब उड़ीसा सरकार ने घोषणा की है कि आरक्षण के आधार पर सेवाओं में अ० जाति तथा अ० ज० जाति को कोई पदोन्नति नहीं दी जाएगी। सेवा काल में उनमें सुधार कैसे आ सकता है? उन्हें सिर्फ निम्न स्तर पर ही कार्य करना है। उच्च पदों पर उन्हें पदोन्नति नहीं दी जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने घोषणा की थी कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी। सरकार ने सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति पर बल दिया है। यह योजना प्रभावी ढंग से लागू नहीं की गई है। यह व्यवस्था अब भी जारी है। झाडूबरदार अब भी अपने सिर पर मल ढोते हैं। उन्हें शीघ्र ही मुक्त किया जाना चाहिए। उनके लिए निधि का आबंटन कर दिया गया है, परन्तु अब तक उपयोग में नहीं लाया गया है। सरकार ने उनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का निर्णय किया है। किन्तु यह अभी तक गठित नहीं हुआ है। मैं कल्याण मंत्रालय की सलाहकार समिति का सदस्य रहा हूं। मैं अनुसूचित जातियों की समस्याओं को उठाता रहा हूं और झाडूबरदारों की मुक्ति पर जोर देता रहा हूं। मैं एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने की आवश्यकता पर भी जोर देता रहा हूं। अब इसे तुरन्त गठित किया जाना चाहिए।

महोदय, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर को सुधारने में सहायता करने में असमर्थ रही हैं। हमें शिक्षा तथा सेवाओं पर जोर देना होगा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षित करने के लिए हरसम्भव कदम उठाए जाने चाहिए। तत्पश्चात उनको सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। इससे उनको आत्म-निर्भर बनने में सहायता मिलेगी। रकार अनु० जातियों तथा अनु० जनजातियों को उद्योग लगाने के लिए धन प्रदान

कर रही है। यदि वे औद्योगिक प्रबन्धन में अच्छी तरह प्रशिक्षित नहीं होंगे तो उन्हें किस प्रकार सफलता प्राप्त होगी ?

महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। इसलिए लोग शहरी क्षेत्रों में जा कर बस रहे हैं। यहां भी उनके लिए कोई अवसर नहीं हैं। दिल्ली में, मैंने बहुत से बेरोजगार लड़कों को अपने घर के पास घूमते हुए देखा है। सरकार ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि ठेकेदार बेरोजगार लोगों को अपने प्रतिष्ठानों में कार्य देंगे। मैंने कभी किसी ठेकेदार को उन्हें काम देते नहीं देखा। दिल्ली में कई झुग्गी-झोपड़ी निवासी हैं। बहुत से लोग आकाशवाणी के पीछे तम्बुओं में रह रहे हैं। उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उनसे कोई नहीं पूछता कि वे कहां से आए हैं तथा उन्हें किस तरह रोजगार दिया जा सकता है। मेरे चुनाव क्षेत्र में कुछ कार्यकर्त्ताओं के तथा अनुसूचित जातियों के लोगों के मकान ठेकेदारों द्वारा जला दिए गए थे। जब मैं लोक सभा के लिए चुनाव लड़ रहा था, ठेकेदारों द्वारा भेजे गए कुछ लोगों ने उन गरीब लोगों की झोंपड़ियां जला दीं। हमारे कुछ मित्र गरीबों तथा पददलितों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, परन्तु वास्तव में वह उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बन्धुआ मजदूरों, बाल श्रमिकों तथा बच्चों के पुनर्वास के लिए तैयार की गई योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। इन योजनाओं के अन्तर्गत दिए गये धन का राज्य सरकारें उपयोग नहीं कर रही हैं।

महोदय, एक परिवार को एक नौकरी दिलाने के लिए सरकार से निवेदन करता रहा हूं। एक परिवार को एक मकान दिया जाना चाहिये। सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। मैं सरकार से दो बच्चों के मानदण्ड को स्वीकार करने की वकालत करता रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति से जिसने 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, त्यागपत्र ले लिया जाना चाहिए। उसे 30 वर्ष का लाभ दिया जाना चाहिए तथा अपनी नौकरी को छोड़ने को कहा जाए।

इस प्रकार, नई पीढ़ी के लिये रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। परन्तु सरकार को मेरे सभी सुझावों को ठुकरा दिया गया। इसका कारण यह है कि हमारे देश में सरकार ने पूंजीवादी व्यवस्था को आमंत्रित कर दिया है। समाजवादी समाज के इस पूंजीवादी रूप में हम प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा क्या पेंशन देंगे। यह 50 या 100 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन उन्हें सहायता नहीं पहुंचा पाएगी। यह पेंशन भारत की संचित निधि से दी जानी है। उड़ीसा में वृद्धावस्था पेंशन पिछले 9 महीनों से नहीं दी गई है। मुझे समझ नहीं आता आप इसे पेंशन क्यों कहते हैं। यह तो वृद्ध लोगों के प्रति दिखलाई गई दिया है। प्रत्येक वृद्ध एवं स्त्री के नाम खाता खोला जाना चाहिये। प्रत्येक माह वह बिल जमा करें और पेंशन ले लें। अन्यथा, 9-9 महीने की यह देरी से वृद्ध पुरुषों एवं स्त्रियों को कोई सहायता नहीं मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनादि चरण दास, आपको कितने समय की आवश्यकता है ? क्या आप पांच मिनट लेंगे ?

श्री अनादि चरण दास : मैं पांच मिनट और लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम पांच मिनट और बैठें और इसे समाप्त करें। क्या सभा पांच मिनट और बैठने के लिए सहमत है।

कुछ सम्मानित सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : हम सभा का समय पांच मिनट के लिए और बढ़ाते हैं।

श्री अनादि चरण दास : उपाध्यक्ष महोदय, समाज में प्रचलित समस्त पुरानी व्यवस्थाएं समाप्त

कर दी जानी चाहिये। मुझे खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में समाज में प्रचालित सभी बुरी व्यवस्थाओं के उन्मूलन का कोई उल्लेख नहीं है। फिर भी, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में अम्बेडकर पीठ बनाये जाने की घोषणा की है। अम्बेडकर न्यास के संविधान का भी उल्लेख किया गया है जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय पुरस्कार एवं विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। बाबा साहेब अम्बेडकर की स्मृति में अन्य बहुत से कार्य किये जानी चाहिए थे। जो राज्य सरकारें इस दिशा में कुछ नहीं कर रही हैं, उनसे ऐसा करने को कहा जाना चाहिए था।

अन्त में, महोदय, मैं जनजातीय उप-योजना तथा विशेष संघटक योजना के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। यह दो कार्यक्रम श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय में शुरू किए गए थे। उस समय यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक सरकारी उपक्रम जनजातीय उप-योजना तथा विशेष संघटक योजना के खर्च के लिए कुछ राशि का प्रावधान करेगा। परन्तु सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए एक सड़क किसी हरिजन गांव के पास स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के कारखाने तक गई है अथवा यदि उस कारखाने के विद्युतीकरण के लिए उस गांव के पास बिजली के खम्भे लगाये गये हैं, तो सरकारी क्षेत्र का उपक्रम यह रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि उस गांव तक सड़क बनाने के लिए या उस गांव के विद्युतीकरण के लिए धन दे दिया गया है। कोई भी विभाग या सरकारी क्षेत्र का कोई भी उपक्रम जनजातीय उप-योजना या विशेष संघटक योजना के लिए विशेष रूप से बजट का प्रावधान नहीं करता है। यदि किसी हरिजन गांव के पास से कोई नहर निकलती है, तो सिंचाई विभाग अपनी फाइल में यह दिखाता है कि उस नहर का निर्माण उस गांव के लिए किया गया है। हम ऐसी संघटक योजना नहीं चाहते हैं। विशेष संघटक योजना का मतलब क्या है? इसका मतलब है निजी लाभ की योजनाएं। केन्द्र तथा राज्य, दोनों सरकारों को विशेष संघटक योजना लागू करने के लिए धन आबंटित करना चाहिए। एक दो राज्यों को छोड़कर किसी ने, यहां तक कि केन्द्र सरकार ने भी, विशेष संघटक योजना के लिए अपने लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कोई राशि निर्धारित नहीं की है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस सुझाव का समावेश नहीं किया गया है। फिर भी, अम्बेडकर न्यास के उल्लेख के लिए मैं राष्ट्रपति महोदय को हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे बोलने तथा भाषण का उपसंहार करने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, मि० दास।

अब सभा कल 5 मार्च 1993 को पूर्वाह्न 11.00 म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.05 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 5 मार्च, 1993/14 फाल्गुन 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-110053

पी०एल०एस०—48/18/10/93(एन०)
250

© 1993 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित